खण्ड–496, अंक–2
शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(04 मार्च, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 496 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
केन्द्रीय मंत्री श्री राम शंकर कठेरिया की गिरफ्तारी करने एवं दलित अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत करने सम्बन्धी प्रदेश सरकार के दलित विरोधी रवैये पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	7–8
प्रश्नोत्तर	8–39
स्टिंग आपरेशन प्रकरण पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदन की आगे की कार्यवाही स्थगित करने एवं न्यायालय में याचिका के सापेक्ष उत्तर दाखिल करने हेतु चार माह का समय दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना ...	39–42
जनपद फिरोजाबाद में अधिक गृहकर वसूली का प्रकरण	42–43
जनपद सम्भल–मुरादाबाद में एम0एल0सी0 चुनाव में हुई अनियमितता का प्रकरण ...	43–44
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2011 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	44
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	45
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	45
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा... ...	45–71
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (वर्ष 2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	71
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच में डिग्री कालेज खोलने विषयक डा0 जे0 बी0 सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत जवहीदयाल के तिवारी घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शंकर साहनी आदि निवासीगण	71

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत धोकरहा घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल प्रसाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आसिफ खां आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत रामेश्वर विद्यालय के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक डा0 असलम आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के इल्मास बाग अजीत गैस गोदाम के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमीर अहमद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	72
जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–सिमरावारी के मजरा–मखड़याऊ, डुबी तथा बादली में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री मनीराम राजपूत आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–रक्सा के मजरा–जनकपुर भरतेले का डेरा, सिमरइयन का डेरा तथा पुरतनयाबांध में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री अशोक मिश्रा आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72–73
जनपद लखनऊ के चिनहट में स्थित कमला नेहरू नगर कमता इस्माइलगंज वार्ड–2 के मकान नं0–18 से 25 तक गड्ढायुक्त सड़क एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक सुश्री सुजाता उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	73

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तर दायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	73
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)...	73–74
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	74
नवनिर्वाचित श्री माविया अली द्वारा शपथ ग्रहण	74
कार्य–स्थगन की सूचनायें	75–86
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	86–150
आज की कार्य–सूची में बजट की अनुदान अधिक होने के कारण सभी अनुदानों को एक साथ रखे जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	151
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)...	151
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	153
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	153
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	153

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	153
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन हेतु) (स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	155
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	155
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	155
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग (स्वीकृत) ...	156
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	156
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	156
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	157
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों	157

विषय	पृष्ठ–संख्या
के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ...	157
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–02 आवास विभाग (स्वीकृत) ...	158
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	158
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	158
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	159
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	159
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग (स्वीकृत) ...	159
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	159–160
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	160–225
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	225–226
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	226–228
जनपद आगरा के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 2 फियो को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में	228

विषय	पृष्ठ–संख्या
श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	
जनपद बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप से खाद्यान्न की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	229–231
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के जिला क्षय नियंत्रण केन्द्रों पर कार्यरत बी0सी0जे0 टेक्निशियनों को प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 गाजी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	231–233
जनपद बस्ती के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	233–234
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलिया एवं पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का स्थगन ...	234
गोरखपुर महानगर में स्थित मदरसा मजहैरूल उलूम धोबीपुरवा को सूची में किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	234–235
जनपद शामली थानाभवन में आर0ए0पी0डी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	235–236
कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर में व्याप्त विद्युत समस्याओं के निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	236–237
झांसी डिवीजन, झांसी जल संस्थान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल	237–238

विषय	पृष्ठ–संख्या
वक्तव्य	
अजया परिषद् सहकारी आवास समिति लि0, बसुन्धरा, गाजियाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य...	238–241
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मन्धाता के अन्तर्गत रवपुर सम्पर्क मार्ग जल भराव के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	241–242
प्रदेश के 57 जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से आहरित किये गये वेतन भत्तों को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	242–243
जनपद मथुरा से दिल्ली आगरा निर्माणाधीन 6 लेन के किनारे एलाटी दुकानदारों/किसानों को मालिकाना फ्री–होल्ड की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	243–244
जनपद उन्नाव के थाना क्षेत्र हसनगंज के फरहरपुर पुलिया के अन्तर्गत लोक निर्माण की सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेलाल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	244–245
नत्थियां	246–280

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–314

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरुण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
34. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
38. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
40. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
41. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
45. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
46. उदयराज, श्री उन्नाव
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
48. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
49. उमाशंकर, श्री बलिया
50. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ

51. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
52. ओम कुमार, श्री बिजनौर
53. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
56. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
57. काली चरन सुमन, श्री आगरा
58. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
59. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
63. गजराज सिंह, श्री हापुड़
64. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
65. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
66. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
67. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
68. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
69. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
70. गोमती यादव, श्री लखनऊ
71. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
72. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
73. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
74. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
75. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
78. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
79. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
80. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
81. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
82. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
83. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
84. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
85. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
86. तसलीम, श्री बिजनौर
87. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
88. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
89. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
90. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
91. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
92. दलजीत सिंह, श्री बांदा
93. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
96. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
97. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
98. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
99. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
100. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
101. धर्मराज, श्री बाराबंकी
102. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
103. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
104. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
105. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
106. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
107. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
108. नवाज जान, श्री मुरादाबाद
109. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
110. नारद राय, श्री बलिया
111. नाहिद हसन, श्री शामली
112. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
113. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर

114.पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
115.परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
116.पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
117.पीतमराम, श्री पीलीभीत
118.पूरन प्रकाश श्री मथुरा
119.पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
120.प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
121.प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
122.प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
123.प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
124.प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
125.प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
126.फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
127.फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
128.बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
129.बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
130.बदलू खां, श्री उन्नाव
131.बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
132.बाबू खां, श्री हरदोई
133.बावन सिंह, श्री गोण्डा
134.बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
135.बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
136.बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
137.बृजेश कुमार, श्री हरदोई
138.बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
139.बैजनाथ, श्री मऊ
140.भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
141.भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
142.भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
143.भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
144.भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
145.मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
146.मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
147.मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
148.मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
149.मनीष रावत, श्री सीतापुर
150.मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
151.मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
152.ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
153.महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
154.महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
155.महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
156.महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
157.माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
158.माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
159.मानपाल सिंह, श्री कासगंज
160.माबिया अली, श्री सहारनपुर
161.मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
162.मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
163.मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
164.मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
165.मुहम्मद रमजान श्री श्रावस्ती
166.मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
167.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
168.मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
169.मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
170.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
171.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
172.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
173.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
174.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद

175.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
176.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
177.यासर शाह, श्री बहराइच
178.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
179.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
180. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
181.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
182.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
183.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
184.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
185.रणजीत सुमन, श्री एटा
186.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
187.रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
188.रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
189.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
190.रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
191.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
192.रवि शर्मा, श्री झांसी
193.रश्मि आर्य, डा0 झांसी
194.आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
195.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
196.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
197.राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
198.राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
199.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
200.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
201.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
202.राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
203.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
204.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
205.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
206.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
207.राधे श्याम, श्री अमेठी
208.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
209.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
210.राम करन आर्य, श्री बस्ती
211.रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
212.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
213.राम गोविन्द, श्री बलिया
214.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
215.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
216.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
217.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
218.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
219.राम मगन, श्री बाराबंकी
220.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
221.राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
222.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
223.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
224.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
225.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
226.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
227.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
228.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
229.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
230.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
231.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
232.लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
233.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
234.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
235.ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
236.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
237.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
238.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत

239.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
240.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
241.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
242.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
243.विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
244.विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
245.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
246.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
247.विजय सिंह, श्री रामपुर
248. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
249. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
250.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
251.विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
252.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
253.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
254.वीरपाल राठी, श्री बागपत
255.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
256.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
257.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
258.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
259.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
260.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
261.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
262.शाकिर अली, श्री देवरिया
263.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
264.शाह आलम उर्फ
गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
265.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
266.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
267.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
268.शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
269.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
270.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
271.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
272.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
273.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
274.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
275.श्री भगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
276.संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
277.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
278.संजय कपूर, श्री रामपुर
279.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
280.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
281.सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
282.सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
283.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
284.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
285.सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
286.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
287.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
288.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
289.सलिल विश्नाई, श्री कानपुर नगर
290.सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
291.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
292.सियाराम सागर, डा0 बरेली
293.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
294.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
295.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
296.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
297.सुधाकर, श्री मऊ
298.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव

299.सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
300.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
301.सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
302.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
303.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
304.सुरेश राणा, श्री शामली
305.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
306.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
307.सुल्तान बेग, श्री बरेली
308.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
309.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
310.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
311.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
312.हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
313.हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
314.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :—मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन) माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव) राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी सदन में उपस्थित थे।

[11-00] केन्द्रीय मंत्री श्री राम शंकर कठेरिया की गिरफ्तारी करने एवं दलित अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत करने सम्बन्धी प्रदेश सरकार के दलित विरोधी रवैये पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य 'कठेरिया को गिरफ्तार करो या भाजपा से रिश्ता स्वीकार करो' नारा लिखा बैनर दिखाने लगे)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर ऐसे दलित अधिकारी और कर्मचारी जो सामान्य परीक्षा पास कर अपनी वरिष्ठता के आधार पर और साथ ही साथ विभागीय परीक्षा दे करके अपने पदों पर जा रहे हैं, उनको भी यह सरकार पदावनत करने की कार्यवाही कर रही है इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तीन लाख दलित समाज के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदावनत करके यह सरकार दलित विरोधी रवैया अपना रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि दलित विरोधी समाजवादी पार्टी के इस निरकुंश रवैये पर आप तत्काल रोक लगाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इस विषय पर आपने काफी चर्चा अपने बजट भाषण में भी की है, अधिकारियों के लिये भी कहा है। आज आपने नियम–56 में भी इस विषय को दिया है। इसमें आपने बहुत सारे पत्र भी शासन को लिखे हैं तो यह मामला काफी उठ चुका है। अब यह सरकार क्या कार्यवाही करेगी यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह कार्यवाही करे। आपने सारी बातें कह रखी हैं शासन और सदन में। सरकार क्या कार्यवाही करे, यह हम कैसे कह सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी, ऐसे हालात में अनेकों मौकों पर दलित उत्पीड़न का प्रकरण इस सदन में लाया गया तो सरकार अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रही है मैं चाहता हूं कि आप पीठ से इस बात का निर्देश दें कि जिस तरीके से आज असंवैधानिक तरीके से यहां तीन लाख अधिकारियों कर्मचारियों को दलित समाज के लोगों को जानबूझकर दुर्भावना और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार उनको पदावनत करने का काम कर रही है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आपने कह दिया ना। आपने तो इसे नियम–56 में भी दिया है, अब आप लोग बैठिये और अपने स्थानों पर चलिये।

(बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल से वापस अपने स्थानों पर गये)

'श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, राम शंकर कठेरिया का बयान एक समाज के लिये घातक सिद्व हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से बदला लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार को राम शंकर कठेरिया को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिये। वह प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो नियम–56 में दिया है और नियम–56 जब आयेगा, तब बोलियेगा। आप तो अभी बात कर लिये नियम–56 पर और कहे कि हम नियम–56 पर बोलेंगे लेकिन पहले ही बोलने लगे।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक दलित की हत्या हुयी ।

(इस बीच श्री बंशी सिंह पहाड़िया, सदस्य सदन के वेल से होते हुये सदन के बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

अरे यह बीच से कहां आ रहे हो। नेता कांग्रेस, जरा इनको आप समझाइये कि बीच से नहीं आया जाता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक दलित की हत्या हुयी और उस दिन यह मामला मेरे द्वारा यहॉ नियम–56 में उठाया गया था।

(सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री प्रदीप माथुर के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान के मध्य)

और कोई दूसरा दलित उसके पक्ष में खड़ा न हो, कोई दूसरी दलित लीडरशिप यहां पर पैदा न हो, सारा कुचक्र इस बात के लिए रचा जा रहा है। राज्य सभा में यह बहस हो चुकी है, गृह मंत्री भारत सरकार ने क्लीनचिट दे दी है उसके बाद यहां पर इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये पहले क्यों हल्ला करने लगते हैं।

[11-05] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में होने वाले अवैध खनन के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने की मांग

'01–श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री दीपक पटेल–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2012 से दिनांक 28–12–2015 तक प्रदेश में अवैध खनन की कितनी घटनायें सरकार के संज्ञान में आई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या प्रदेश में होने वाले अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)–

प्रदेश के जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर मार्च, 2012 से 31–12–2015 तक अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की संख्या	जमा धनराशि (रु0 लाख में)
मार्च, 2012	939	230.62
2012–13	9708	3193.98
2013–14	8612	2978.35
2014–15	9920	2527.35
2015–16 (31–12–2015 तक)	8446	2608.13

अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल गठित है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनिज), प्रभागीय वनाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0 एवं जनपदीय खान अधिकारी/खान निरीक्षक सदस्य के रूप में शामिल है।

प्रश्न नहीं उठता।

'श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बड़े महत्वूर्ण प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर है। अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक समिति गठित की है, जिसका इन्होंने विवरण दिया है। मुझे लगता है कि अवैध खनन को कराने के लिए समिति का गठन किया गया है न कि रोकने के लिए किया गया है। यह कहने के पीछे मेरे पास यह जवाब है। सरकार ने इतनी प्रभावी कार्यवाही की तो 2013–14 में 8612 लोग पकड़े गये जो अवैध खनन कर

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

रहे थे और प्रभावी कार्यवाही करने के बाद 2014–15 में 9920 हो गये। मान्यवर, यदि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी तो उसके अगले साल यह देखा जायेगा कि कमी कितनी आई है। इसमें तो कार्यवाही करने के बाद अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। मान्यवर, हमें जो उत्तर दिया गया है इसमें है कि 2013–14 में 8612 अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसके अगले साल 2014–15 में 9920 लोग अवैध खनन करते पाये गये, इससे स्पष्ट है कि सरकार खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है और उनके साथ जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल तो कीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जब तक उत्तर पर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं होगा तब तक सवाल कैसे हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो पढ़ दिया गया है अब आप उस पर सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अब आपने मौका दिया है तो अब वह भी कर लेते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

कुछ बीफ माफियाओं के लिए भी तो कह दें, आपके पास बैठे हैं।

श्री संगीत सिंह सोम–

मान्यवर, कुछ देश में आतंकवादियों का अड्डा संभालने वाले लोगों के बारे में भी बोल दिया जाए इस विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं मा0 सोम जी।

श्री संगीत सिंह सोम–

तो मान्यवर इन्हें रोका जाए।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपका नाम भी नहीं लिया गया है, जब वह खड़े हैं तो आप क्यों बोलते हैं, यह गलत बात है। आप बैठिये और आप प्रश्न पूछिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अरे मान लोगे तो क्या चला जायेगा ? कह दो कि कारखाने हैं, कह दो। कहो तो सदन में पेश कर दूं और आगरे वाले का क्या कहूं ?

श्री संगीत सिंह सोम–

झूठी बात करने से, ड्रामा करने से असलियत छुप नहीं जायेगी। आपने प्रदेश बर्बाद कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप जैसे बीफ माफियाओं ने देश बर्बाद कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, मा0 महाना जी आप दोनों लोगों के सवाल हैं, सवाल तो पूछिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप जैसे बीफ माफियाओं ने देश बर्बाद कर दिया, शर्म करो। सदन में बैठे हो।

श्री संगीत सिंह सोम–

आपने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संगीत सोम जी आप बैठ जाओ, यह प्रश्न प्रहर चल रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पूरा देश क्या कह रहा है, सबक लो, जे0एन0यू0 क्या कह रहा है, सबक लो, कहां लिये जा रहे हो देश को ? बीफ माफियाओं सबक लो।

श्री संगीत सिंह सोम–

आपको सबक लेना चाहिए, आतंक के अड्डे चलाने वाले।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संगीत सोम जी, वह बैठ गये, आप भी बैठ जाओ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल तो खनन के ऊपर है, सरकार की तरफ से उसका समुचित उत्तर आना चाहिए, यह माननीय सदस्य का अधिकार है और सवाल को पहुंचा कहां दिया गया ? इस सरकार के पास जब समुचित उत्तर नहीं होता है तभी इस प्रकार की बातें आती हैं। सवाल खनन के ऊपर हो रहा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहां पहुंच गये ?

श्री अध्यक्ष–

अगर सतीश महाना जी ने सवाल पूछ लिया होता तो यह आगे बढ़ता ही नहीं। इन्होंने सवाल पूछा ही नहीं, इधर–उधर घुमाते रहे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले उधर से शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

पहले महाना जी ने घुमाया है। खन्ना जी, आप सवाल पूछेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले महाना जी, पूछ लें उसके बाद मैं पूछ लूंगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से साफ–साफ पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार इसके ऊपर इतनी चिंतित थी तो फिर जो अवैध खनन है इसके बढ़ने का क्या कारण है ? यह तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट न हो तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। अगर सरकार इतने प्रभावी ढंग से कार्यवाई कर रही थी तो जितने अवैध खनन बढ़ गये उसका क्या कारण है और इसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाई की गयी है ? दूसरा, छोटा सा प्रश्न है कि जो निरीह लोग, अगर किसान अपने खेत से थोड़े से मिट्टी खोदकर अपना दूसरा गड्ढा भरना चाहता है तो उसका उत्पीड़न होता है। उसका उत्पीड़न रोकेंगे और खनन माफियाओं का जो दबदबा है, आतंक है, आपस में एक दूसरे को।

श्री अध्यक्ष–

फिर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपने पूछा कि इतना सब व्यवस्था होने के बाद भी अवैध खनन कैसे हो रहा है क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई की जायेगी ? आपका सवाल यह है। अब आप उसको घुमा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश–

यह जहां से यह ट्रेनिंग ले करके आये हैं, वहां प्रश्न का उत्तर नहीं होता, प्रश्न का प्रश्न ही होता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न होने दीजिए।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह बता रहे हैं कि 2013–14 में 8612 थी वह 2014–15 में 9920 हो गयी। यह परिवहन का एक टारगेट है चेकिंग का। इसमें हंसने की बात नहीं है। इसमें हमने परिवहन का लक्ष्य दिया है। जो हमारा लक्ष्य है अवैध परिवहन पकड़ने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पिछली बार 11 सौ करोड़ लक्ष्य था अबकी बार 15 सौ करोड़ का लक्ष्य हुआ है। यह लक्ष्य है, पट्टे वही हैं। हम अगर पकड़ रहे हैं अवैध खनन की गाड़ियों को, अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है, पकड़ रहे हैं तो हमको धनराशि मिल रही है और हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी, ये जो टीमें हम गठित किये हैं,

कलेक्टर वहां सख्ती से कार्रवाई कर रहा है खनन अधिकारी सख्ती से काम कर रहे हैं। अवैध गाड़ियां निकलने नहीं दे रहे हैं, उस पर जुर्माना कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी इसलिये गाड़ियां बढ़ी हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। मैं बधाई दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि..

श्री अध्यक्ष–

अब आप उस उत्तर पर सवाल पूछिये। उनके उत्तर पर क्यों जा रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं अपने को उस उत्तर तक सीमित रखूंगा और उत्तर पर ही सवाल रखूंगा। मान्यवर, उत्तर यह आया कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतना परिवहन विभाग को पैसा इकट्ठा करना है पर अबकी बार वह लक्ष्य बढ़ा दिया। यही कहा ना। यही कहा मान्यवर, इसका मतलब यह है कि आपने अवैध खनन वालों को बता दिया कि अभी तक तरे इतना करते थे अब और बढ़ाओ ताकि हमने उसका लक्ष्य बढ़ा दिया इसलिये हमको उसकी पूर्ति करनी है। आप उस लक्ष्य को बढ़ाकर इन खनन माफियाओं को सन्देश देना चाहते है और उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। मैं कम करने की पूछ रहा हूं आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हें रोकने के लिये जो हम लक्ष्य निर्धारित किये हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, टारगेट है और उससे अधिक हम पकड़ रहे हैं। हम ज्यादा पकड़कर कार्यवाही कर रहे हैं तो हम कार्यवाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ज्यादा। अगर कहीं से कोई शिकायत मिली है और जांच टीम गठित है तो जांच टीम कार्यवाही कर रही है तो छापे उससे ज्यादा भी आयेंगे और कम भी आयेंगे। ज्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं, यह लक्ष्य नहीं है।

(नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्या व सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे नेता विरोधी दल खड़े हो जाते हैं तो उनके सम्मान में उनको बोलने दीजिये। उनके बाद आप बोल लीजियेगा खन्ना जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वंय इस बात को स्वीकार किया कि लगातार अवैध खनन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया है और जिसमें तमाम अधिकारियों का नाम भी इन्होंने अवगत कराया। अब छोटे–छोटे प्रश्न उठते हैं मान्यवर

अगर यह अवैध खनन लगातार बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है तो क्या दंड के रूप में धनराशि वसूलना ही पर्याप्त है। अगर प्रभावी अंकुश करना ही है तो अब तक कितने वाहन आपने सीज किये और दूसरा यह कि यदि अवैध खनन दण्डनीय अपराध है तो कितने लोगों को आपने जेल भेजा और जब जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित है जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिला अधिकारी, प्रभारी अधिकारी खनिज, प्रभारी वनाधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0 एवं जनपदीय खनन अधिकारी और खनन निरीक्षक अगर यह हैं तो इनमें से किस–किस अधिकारी और कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने दंडात्मक कार्यवाही इस अवैध खनन में अपार वृद्धि के चलते उनके खिलाफ सुनिश्चित करने का काम आपने किया है। यह तीन छोटे–छोटे प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

कहने को तो छोटे हैं लेकिन हैं बड़े विशाल सवाल। सूचनाएं बड़ी लम्बी मांगी गई हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, परम्परा यह रही है अभी आपकी पीठ से भी निर्देश भी दिया गया। मान्यवर, पहले जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उनको पहले मौका दिया जाता है प्रश्न करने का, परम्परा भी यही है।

श्री अध्यक्ष–

तो मैंने दिया तो मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने का। यह भी परम्परा है खन्ना साहब कि नेता विरोधी दल किसी भी विषय पर खड़े होकर हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नेता विरोधी दल का अधिकार है मान्यवर, उस अधिकार के ऊपर आप बैठे हैं। मान्यवर, उस अधिकार का किस सीमा तक प्रयोग हो यह तो आपका अधिकार है। मेरा सब्मिशन यह है मान्यवर, मेरा विनम्र अनुरोध यह है मान्यवर, हम अपनी बात पूछ लें उसके बाद नेता विरोधी दल का उत्तर दिलवा दें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। नम्बर एक मान्यवर, 1912–1913 के बाद यह खनन का पट्टा नहीं हुआ मान्यवर। और यह खनन का पट्टा इसलिये नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

1912–1913।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्षमा करियेगा मान्यवर, 2012–2013 के बाद पट्टा नहीं हुआ और पट्टा इसलिये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियमावली को मान्यवर, इस कानून को कानून सम्मत नहीं पाया कानून सम्मत न पाने की वजह से पट्टा नहीं हुआ। सरकार को हर वर्ष कई सौ करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हो रही है किस वजह से हो रही है इस वजह से हो रही है कि सरकार ने उपयुक्त कानून नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के

बाद मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार अपनी गल्ती को स्वीकार करते हुए ऐसा कानून जिसका डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कानून सम्मत कोई नियमावली, कोई ऐक्ट बनाने की व्यवस्था करेंगी। दूसरा सवाल यह है कि जो आपकी व्यवस्था आई है उसमें भारी उत्पीड़न हो रहा है जनता का, अवैध खनन तो जारी है लोगों का चौगुना रेट पर मिट्टी और बालू लेना जारी है। जायज तरीके से कोई व्यवस्था यह कर नहीं सकते हैं जब तक वह व्यवस्था न हो मान्यवर, तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात करेंगे बालू और मिट्टी के लिए। स्पष्ट रूप से जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है हर जनपद में चौगुने रेट पर मिट्टी और बालू मिल रही है। इसलिए मान्यवर आपके माध्यम से मेरे यह दो सवाल हैं।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है यह सुप्रीम कोर्ट की बात निराधार है सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं था और यह इस वर्ष दिया है दो महीने पहले, हाई कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, यही लोग तत्व हैं और कुछ तत्वों ने ही रोकने का काम किया है जो पिछली सरकार के लोग थे क्योंकि पट्टा उन्हीं की सरकार का हुआ था और यह नहीं चाहते थे कि पट्टा हो और यही लोग जो हैं दोनों मिलकर के, जो सवाल कर रहे हैं यही लोग जाकर के, जब हमारी सरकार आई, तो मुख्य मंत्री जी ई–टेडिंग की व्यवस्था लाए हम पाक साफ चाहते हैं लेकिन ई–टेडिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बाद हमें विभाग मिला हम टेण्डर की प्रक्रिया लाए, खुले टेण्डर की हमने व्यवस्था की, नई प्रणाली को हम लाए, उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दिया। हाई कोर्ट लगातार स्टे करता रहा अभी भी यह लोग हमेशा स्टे पर स्टे, आठ रिटें दायर हुईं है। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए हमारी जो निष्पक्ष टेण्डर प्रणाली है टेण्डर कराये जाते हैं उसको हाई कोर्ट ने मेरे नियम को अवैध माना कि आप नहीं कर सकते हैं। अब अध्यक्ष जी ऐसा गलत कोर्ट का निर्णय आया (शोर) मेरी बात सुन लीजिए। आप यह दिखाइए कि कहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट के जजमेंट को हमने नहीं माना और हमने अपील की, सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अभी दो माह पहले स्टे किया और स्टे करके हाई कोर्ट के आदेश को रोका, उसके बाद हमें टेण्डर करने का मौका दिया हमने टेण्डर पूरा करके पुनः कार्यवाही करके 1008 पट्टे दिए खुला टेण्डर हुआ उसमें राजस्व जो अभी राजस्व की बात कर रहे थे राजस्व 600 करोड़ का राजस्व आया है और पूरा टेण्डर ड्राफ्ट सहित 28 मार्च को लगा है, हमने पुनः अपील किया पुनः विचार के लिए वह नौ तारीख को लगेगा सरकार का 600 करोड़ का लॉस होगा यह भी फैसला होना है क्योंकि जो ड्राफ्ट लगे हैं उसमें उसका समय भी तीन महीने में समय समाप्त हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी अपील पर विचार किया और नौ तारीख को तारीख लगाये हैं और अगर नौ तारीख को फैसला हो जाता है तो अध्यक्ष जी, उसके बाद 600 करोड़ रुपये का सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। इससे ज्यादा क्लीयर नहीं कर सकते हैं। 600 करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर मान्यवर नहीं आया मिट्टी और बालू के रेट चौगुने चल रहे हैं। मान्यवर, मैंने पहले पूछा था हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई। आपने जो नियमावली बनाई हाईकोर्ट ने उसे कानून सम्मत नहीं पाया जो ऐक्ट आपने बनाया वह कानून सम्मत नहीं पाया इसीलिए उसके खिलाफ फैसला दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जनहित में जैसे केन्द्र सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर दी है पांच हेक्टेयर तक के लिए केन्द्र सरकार ने व्यवस्था दी है कि लोकल स्तर पर उसको निस्तारित कर दिया जाय। मिट्टी और बालू आम जनता को उपलब्ध हो सके इसके लिए मैंने पूछा कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला न आए तब तक।

श्री गायत्री प्रसाद–

अध्यक्ष जी एक तो आपने पहले कहा अब यह सुप्रीमकोर्ट का वह आदेश तो दिखा नहीं पा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही थी आज यह पांच हेक्टेएयर की बात कर रहे हैं पांच हेक्टेएयर का आदेश भी अगर कहीं हो तो आप दिखा दीजिए। केन्द्र सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट से बढ़ा नहीं है। कोर्ट के आदेश से सभी पट्टे कोई भी पट्टे हम नहीं कर सकते यहां तक अध्यक्ष जी इस तरीके से सरकार को घेरा गया इन लोगों के द्वारा खुद ऐसे माफियाओं को भेजकर आज निजी भूमि के पट्टे पर भी किसानों के निजी खेतों में बालू आ जाती है तो निजी भूमि के पट्टे पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि किसान का खेत खाली हो जाए उसमें बालू पड़ी है वह हट जाए और सरकार को उसकी रायल्टी भी मिल जाए उसमें भी हमने अपील किया है। सरकार तो निरस्तर इस पर कार्यवाही कर रही है सरकार चाह रही है कि किसान का भला हो किसानों के लिए 10 ट्राली मिट्टी हमने मुफ्त किया है कोई भी किसान 10 ट्राली मिट्टी ले जाकर अपना कार्य कर सकता है। बालू के हर जगह पट्टे हैं पट्टे सभी खत्म नहीं हुए हैं पट्टे हैं बालू की पूरी उपयोगिता है। 2012 के पहले बालू का क्या रेट था बालू किस रेट में बिकती थी मोरंग गिट्टी किस रेट में बिकती थी और 2012 के बाद इधर आप उठाकर देख लीजिए कि बालू और गिट्टी किस रेट में मिल रही है। सबसे सस्ती बालू देने का काम हमारी सरकार कर रही है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा आखिरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी का सवाल था।

श्री सतीश महाना–

उनको तो अधिकार है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2012 से पहले तो क्या 2012 से पहले जिस समय वह लोग यहां बैठते थे उस समय खनन के सम्बंध में खनन माफियाओं के सम्बन्ध में एक माया टैक्स की चर्चा करते थे उस माया टैक्स का किसी दूसरे नाम से परिवर्तन हो गया है या वह माया टैक्स बन्द हो गया है यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई सवाल ही नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपकी अनुमति से यह अवगत कराते हुए प्रश्न प्रस्तुत किया था कि माननीय मंत्री जी के दिए गए उत्तर में 2012 में 939, 2013 में 9,708 2013– 2014 में 8,612, 2014–2015 में 9,920 और 2015–16 में 8,446 वह भी 31–12–2015 तक का आंकड़ा आपने दिया यानी यह आंकड़ा बताता है कि लगातार अवैध खनन में वृद्धि हुई है दो चीजें है इस अवैध खनन को रोकने के लिए जहां मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल भी गठित किया है जिसके नाम मैं पहले उद्दृत कर चुका हूं। तो मैं छोटे–छोटे दो प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। लगातार अवैध खनन में हो रही वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी ने इन वर्षों में अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले वाहनों को सीज करने का काम किया एक चीज दूसरी चीज यदि अवैध खनन दण्डनीय अपराध है तो कितने लोगों को जेल भेजा तीसरी चीज यदि आपके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल गठित है तो उस जांच दल में सम्मिलित लगभग एक दर्जन अधिकारी हैं तो इनमें से कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने लापरवाही बरतने हेतु दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की यह छोटे–छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न छोटे नहीं हैं। आपके हिसाब से यह प्रश्न छोटे हैं, लेकिन यह बड़े व्यापक प्रश्न हैं।

(सदस्य, श्री मौ0 इरफान के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप रुक जाईये, प्रश्न काल समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री गायत्री प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने जो कार्रवाई की थी। आप केवल 2011–12 की बात बता रहे हैं। आपने 6234 छापे मारे थे और मात्र 13 करोड़ 76 लाख रुपये राजस्व की वसूली की थी। उसके बाद वर्ष 2011–12 में आपने 6713 छापे मारे और 16 करोड़ 78 लाख रूपये की राजस्व वसूली की है। उसके बाद आपने एफ0आई0आर0 आदि की कोई कार्यवाई नहीं की, लेकिन मैं आपको दो साल का आंकड़ा दे रहा हूं। वर्ष 2014–15 में हमनें 9920 छापे मारे और 29 करोड़ 78 लाख रुपये राजस्व की वसूली की यानी आपसे दोगुने से भी ज्यादा राजस्व की वसूली की। आपने 13 करोड़ राजस्व वसूल किया जबकि हमनें 29 करोड़ राजस्व वसूल किया। हमनें 233 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई हैं। हमने 199 परिवाद दायर किये हैं। वर्ष 2015–16 में हमने 1016 छापे मारे हैं और 29 करोड़ 53 लाख

रूपये राजस्व वसूल किया है। 68 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई हैं और 51 परिवाद दायर किये हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हमनें प्रभावी ढंग से कार्यवाई करते हुये राजस्व में वृद्धि की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें दो चीजे हैं। मा0 मंत्री जी अपनी जवाबदेही से बचने के लिये पिछली सरकार के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके आंकड़ों से साबित होता है कि उस समय अवैध खनन नाममात्र ही पाये गये, जिनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गयी। मा0 मंत्री जी को शायद यह भी नहीं मालूम कि खनन खनिज विभाग अवैध खनन की अनुमति देकर राजस्व बढ़ाने के लिये नहीं है, बल्कि उसको नियमित पट्टा करके और उस पट्टे के माध्यम से जो राजस्व आता है वह राजकोष में जमा होना चाहिये न कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन करने वाले लोगों को खुली छूट दे दें और जब विपक्षी पार्टियों का दबाव बनें तो फर्ज अदायगी के नाम पर कुछ लोगों को पकड़ कर राजस्व जमा करा लेना यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मा0 मंत्री जी की मंशा अवैध खनन पर अंकुश लगाने की नहीं है। उनकी मंशा अगर अंकुश लगाने की होती तो बड़े पैमाने पर वाहन सीज किये गये होते, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाहियां की गयी होतीं और साथ ही साथ इसके लिये जिम्मेदार लोग जेल भी गये होते। यह सरकार जवाबदेही से बचने का काम कर रही है, इसलिये सरकार के इस जनहित विरोधी रवैये को देखते हुये बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री मौ0 इरफान–

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष–

आप तत्काल कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। यह प्रश्न प्रहर है, एक नियम है। यदि बहुत अहम बात है तो आप सूचना मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को दीजिये, वह बतायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार ने तीन साल तक मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया और आज की तारीख में बालू बौर मिट्टी दोनों के लिये किसान और आम जनता बहुत परेशान है और सरकार का समुचित उत्तर नहीं आया है। इसलिये हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता, भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न सं0–2, श्री वीरपाल राठी जी।

नहीं है ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन वह नहीं है।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अभी रुकिए, थोड़ी देर बाद, जब प्रश्न का समय खत्म हो जायेगा, तब।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए, जब वीरपाल राठी ही नहीं हैं। इसमें तो आपका नाम भी नहीं है। जब वह आयेंगे तब, अभी आप बैठिए।

प्रदेश में किसानों से खेतों से मिट्टी उठाने में ली जाने वाली रायल्टी माफ करने की मांग

'02–श्री वीरपाल राठी–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को घरेलू निजी प्रयोगार्थ अपने खेतों से मिट्टी उठाने में रायल्टी जमा करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम में परिवर्तन करके किसानों से ली जाने वाली रायल्टी माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय पत्र संख्या–370/86–2014–27/2014, दिनांक 31–01–2014 के अनुक्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–1840/एम0–1ए15/11, दिनांक 01–02–2014 द्वारा ''साधारण मिट्टी'' की निम्नलिखित गतिविधियों पर स्वामित्व एवं शुल्क से मुक्त किया गया है।

1–भवनों से भिन्न ग्रामीण अंचल में छोटे–छोटे गृहों के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा पांच ट्रैक्टर ट्राली अधिकतम 20 घन मी0 तक।

2–मिट्टी के बर्तन दीपक, शिल्पकला द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौनों, मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के कुटीर उद्योग के आधार पर ऐसे शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों/कुम्हार (कुम्हारों) जिनका 01 वर्ष के मध्य अधिकतम व्यवसाय रुपया एक लाख के अन्दर है।

3–बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मत्स्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर, जलाशय इत्यादि का विनिर्माण।

4–किसान द्वारा अपने कृषीय भूमि के समतलीकरण हेतु भूमि में स्थित मिट्टी के टीलों का निस्तारण।

5–कृषि भूमि पर निजी भूमि के उपलब्ध मिट्टी से मेड़ों का विनिर्माण।

भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या–427/एम0–1ए15/11, दिनांक 10–07–2014 द्वारा ग्रामीण अंचलों में आमजन द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से अपने उपयोग हेतु ले जाने वाली साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में 05 ट्राली तक की छूट सीमा को बढ़ाकर 10 ट्राली कर दिया गया है।

'श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया मैं मानता हूं लेकिन आज जिले में किसान अपने खेत से मिट्टी का थोड़ा भी प्रयोग अपने पशुओं के लिए और अपने भवन के लिए करता है तो उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और मेरे जिले के अंदर न जाने कितने किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन पर जो जुर्माना किया गया क्या उस जुर्माने को और उन मुकद्में को वापस लेंगे।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर माननीय सदस्य जी बताएंगे तो उसको हम दिखवा लेंगे और निश्चित तौर से उसमें कार्रवाई करेंगे।

श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जांच करा लीजिए मेरे जिले में कम से कम 100 किसानों के खिलाफ जुर्माना, उनकी अपनी निजी भूमि से जो मिट्टी उठायी गयी है, उस पर किसान दण्डित किये गए हैं मैंने खुद छुड़वाया है और इसके अलावा किसान को तो उठाने नहीं दिया जाता टैक्टर ट्राली तो कहां मात्र भैंसा–बुग्गी से भी किसान को मिट्टी नहीं लेने दी जाती और आप जाकर देख लीजिए और जांच करा लीजिए मंत्री जी, यमुना नदी मेरे क्षेत्र के पास है और कृष्णा नदी, हिण्डन नदी है, इन नदियों में खनन प्रशासन की तरफ से खुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप जांच करा लीजिए। किसान पर तो प्रतिबन्ध है। किसानों के खिलाफ तो मुकदमें हैं। मैं इसीलिए कहूंगा कि माननीय मंत्री जी आप जांच करायेंगे और जांच कराकर यह मुकदमें और जो दण्डित किये गये किसान हैं उनका हर्जा खर्चा जो रायलटी जमा कराई है, जो दण्ड दिया गया है, उसे वापस लेंगे, इस सवाल का माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री गायत्री प्रसाद–

हमने 10 ट्राली तक की छूट दी है, हमने माननीय सदस्य से कह दिया कि हम दिखवा देंगे और हो सकता है उसके ज्यादा लिये हों या व्यवसाय कर रहे हों तो व्यवसाय पर हमने छूट नही दिया है, उसे हम दिखवा लेंगे और जैसा होगा आपको अवगत करा देंगे।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

'श्री प्रदीप चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि किसान अपने–अपने खेत से मिट्टी उठाता है, उस पर भी रोक लगाने का काम किया गया, उस पर भी कार्यवाही करने का काम किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसानों को छूट देने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने उत्तर में कह दिया है कि किसान 10 ट्राली मिट्टी अपने खेत से ले जा सकता है।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी, 10 ट्राली मिट्टी का मानक क्या है मैं 20 ले जा रहा हूं या 8 ले जा रहा हूं, मुझ पर कार्यवाही हो रही है उसके लिए कोई सरकार ने व्यवस्था की है। एस0डी0एम0 लेविल पर या थाने लेविल पर हमारी इस बात की लिखा–पढ़ी होगी। अध्यक्ष जी, पुलिस वाले इस भाषा को नही समझते इस ट्राली वाली की। क्या थाने लेविल तक जो कार्यवाही करते हैं उस जी0ओ0 की कापी भिजवायेंगे।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, पाबन्दी से किसान का शोषण होता है क्या सरकार इसे पूर्ण रूप से हटाने पर विचार करेगी, किसान कम से कम अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस पर छूट हो सकती है। मैं प्रमुखता से विशेष रूप से आपको बता रहा हूं इस पड़ में परमानेन्ट खनन चल रही है और अगर लियून का किसान, थानाभवन का किसान, शामली का किसान अपने भवन के लिए या पूरे प्रदेश मे कहीं भी किसान अपने किसी निजी काम के लिए मिट्टी का इधर–उधर करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है, तो क्या इस पाबंदी को हटाने पर सरकार विचार करेगी।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने छूट दी है, उसके अलावा क्योकि रायलटी निर्धारण है मिट्टी पर और केन्द्र सरकार द्वारा भी। यह एफ0आई0आर0 की बात कर रहे थे, अगर उस पर जाये जैसा कि आप कह रहे है किसानों पर, तो हमारा आदेश 25 हजार तक का जुर्माना ट्रैक्टर पर था लेकिन जो केन्द्र सरकार का आदेश है वह एक लाख का है। सजा भी एक लाख से ज्यादा हो गया है। बड़ी गाड़ियों पर पांच–पांच लाख का आदेश हो गया। अध्यक्ष जी, किसान के प्रति तो यह गम्भीर नहीं हैं और गम्भीर हम हैं हम इतनी छूट दिये हैं कि बराबर कह रहे हैं कि किसान निर्बन्धी करे, किसान अपने खेत से मिट्टी निकाले, अपने घर का प्रयोग करे, अब बिजनेस करने के लिए या धन्धा करने के लिए छूट नहीं होगी।

श्री प्रदीप चौधरी–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

किसानों के खिलाफ जो होने वाली कार्यवाही है, उसे रोकने का काम किया जायेगा या नहीं। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर)

'श्री तेजपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिन नहर बम्बों की सफाई हो रही है, उनको वह लेकर मिट्टी को नहर और बम्बों की पटरियों पर डाल देते हैं। सिंचाई विभाग वाले पटरियों को एक सा नहीं करते किसान के आने जाने के रास्ते भी बन्द हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं और जब किसान उनको उठाने के लिए जाता है तो एस0डी0एम0 यह कहता है कि परमिशन लो, तब उठायेंगे और अगर बिना परमिशन के उठाता है तो पुलिस बन्द कर देती है तो क्या सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करेगी कि वह जो टीले बना दी है, जो खुदाई की मिट्टी निकली है उसको किसानो को उठाने की छूट देगी या एस0डी0एम0 को इस तरह का कोई निर्देश जारी करेगी कि वह खुदाई की मिट्टी के ढेर को उठाने के लिए किसानों को परमिशन दे। यह हम सरकार से जानना चाहते हैं।

श्री गायत्री प्रसाद–

जो सदस्य अवगत करा रहे हैं उस पर सिंचाई विभाग द्वारा कानून बना और कैबिनेट से पास होकर सरकार ने उस पर कार्यवाही करनी चाही और जिसमे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया कि न हम उसे निलाम कर सकते हैं और न उससे रायलटी ले सकते हैं और न उसे ले जा सकते हैं, कोर्ट में विचाराधीन है।

'श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तव में किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान अपनी खेती के कार्य के लिए अपने एक खेत से दूसरे खेत में मिट्टी को ऊंचा नीचा करने के लिए समतलीकरण करता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 ट्रैक्टर ट्राली तक उसको उस सीमा में नहीं लाते। आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि क्या खेती किसानी के काम को माननीय मंत्री जी अवैध खनन प्रक्रिया से बाहर करेंगे।

श्री गायत्री प्रसाद–

मान्यवर, हमने पढ़कर बता दिया कि हमारे अध्यादेश में किसानों को अपने द्वारा कृषि भूमि के समतलीकरण हेतु भूमि में स्थित मिट्टी और टीले का निस्तारण, मान्यवर, स्वतः वह बराबर कर सकता है, मिट्टी लाकर डाल सकता है उस पर कार्रवाई नहीं है। अगर वह उद्योग करता है, व्यवसाय करता है तब उस पर कार्रवाई है। यह तो हमने छूट दिया ही है किसानों को।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

ऐसा नहीं है अगर ऐसा है तो आप दे दीजिए, तो हम दिखवा लेंगे। अगर ऐसा कहीं है कि वह समतलीकरण के लिए अपने खेत में ले जा रहा है मिट्टी तो उसे हम दिखवा लेंगे, कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)

हम कह तो रहे हैं कि आप हमें अवगत कराइये अगर कहीं ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, गांव में एक समस्या यह है कि जैसे जो गरीब व्यक्ति थे वह गड्ढे से मिट्टी निकालकर अपना दरवाजा पाट लेते थे, अपनी दीवाल खड़ा कर लेते थे उस पर छप्पर रख लेते थे या कोई आदमी घर बना रहा है और प्लिन्थ तक ले आया है उसमें मिट्टी पाटना चाहता है तो इस पर भी अधिकारी आपके रोक लगाते हैं, पकड़ते हैं तो इसके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे। श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने छूट दिया है और जहां भी ऐसी शिकायत मिली है तो अधिकारियों के खिलाफ मैने कार्रवाई भी किया है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे, वह जवाब दे रहे हैं जवाब तो सुनते नहीं हो, हल्ला करने से हो जायेगा आपके।

श्री गायत्री प्रसाद–

मान्यवर, हमारी सरकार और हम किसान के हिमायती हैं जितना हमने छूट दिया है वह किसान के हित की है। अगर वह अपने निजी कार्य के लिए मिट्टी ले जाता है और उसको ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता है तो उसका वह शुल्क जमा करे बहुत कम शुल्क है, वह जमा करके कर सकता है।

अब एक आदमी बोले तो हम उसका जवाब दें। अब किसका जवाब दें अध्यक्ष जी, यह पहले तो बतायें कि किसका जवाब दें।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका यह किसान अगर एक ट्रैक्टर ट्राली अपने घर में डालता है तो उसको तो पकड़ा जाता है, लेकिन खुले आम पुलिस की शह पर, प्रशासन की शह पर खुले आम खनन हो रहा है कोई भी व्यवस्था माननीय मंत्री जी नहीं है। जब तक मथुरा में 5–5 बार पकड़े गये हैं पैसे देते हैं छूट जाते हैं। अगर किसान पकड़ा जाता है वह थोड़ी मिट्टी लेकर जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि खनन विभाग की स्थिति अगर जिलों में जाकर देखें इतनी गम्भीर स्थिति है कि भू–माफिया, खनन–माफिया उसको लेकर के बरबाद किये बैठे हैं और कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मैं इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब चाहता हूं।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह आरोप निराधार है इसमें अभी दो महिने हुए 2 माह से वहां पट्टा था, बाधित अवधि थी हमने लीगल कराया है और लीगल पट्टे चल रहे हैं। जो आपने आरोप लगाया है वह निराधार गलत है।

(विपक्ष से कई सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है और सारी बातें भी आ गई हैं। अब आप लोग कृपया बैठ जाईये, अब हो गया।[४]

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डग्गामार वाहनों के स्थानों पर सरकारी बसों की संख्या में वृद्धि विषयक

'01–श्री मनीष असीजा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे डग्गामार वाहनों को रोकने एवं सार्वजनिक यातायात को सुचारु करने हेतु सरकारी बसों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री यासर शाह)–

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अनधिकृत संचालन/डग्गामार वाहनों को रोकने के लिये निरन्तर चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त अनधिकृत संचालन पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं ताकि सुगत एवं सुरक्षित परिवहन सम्भव हो सके।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को सुचारु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक वर्ष बसों की आवश्यकता का आंकलन कर बसों की संख्या यथा अपेक्षित निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

'श्री मनीष असीजा–

---

† uksV %&uRFkh ^[k* ds rkjkafdr iz'u la0&4 ds mijkUr uRFkh ^d* ds rkjkafdr iz'u la0&2 fy;s tkus ds mijkUr iz'uksa dk le; lekIr gqvkA

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न हम सब विधायकों से सम्बन्धित है और पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की जो बदहाल स्थिति है, इसके सन्दर्भ में मेरे द्वारा पूछा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 'अनधिकृत संचालन/डग्गामार वाहनों को रोकने के लिए निरन्तर चेकिंग की जाती है।' इसी प्रश्न में मेरा जो दूसरा सवाल है कि प्रदेश में इस वक्त जो बसों की संख्या है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है ? इस पर भी उत्तर है कि 'प्रत्येक वर्ष बसों की आवश्यकता का आंकलन कर बसों की संख्या यथा अपेक्षित निर्धारण किया जाता है।' माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न सीधे–सीधे मा0 मंत्री जी से पूछता हूं। यह जो आप आंकलन कर रहे हैं, इसका क्या आधार है और पिछले चार वर्षों में कितनी नयी बसें सार्वजनिक परिवहन विभाग में बढ़ायी गयी हैं ? मान्यवर, पहले इसका उत्तर आ जाए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूं।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को सुगम यात्रा सुचारू रूप से कराने के लिए मा0 सदस्य, मनीष असीजा जी ने जो पूछा है कि बसों की संख्या को बढ़ाने का हमारे यहां क्या बेस होता है ? मान्यवर, हमारे यहां जो बेस माना जाता है, वह लोड फैक्टर माना जाता है और 2013–14 में लोड फैक्टर 67 परसेंट था। रोड फैक्टर का मतलब होता है, बसों में कितनी परसेंट जो सीट अवलेवल हैं, उसके सापेक्ष कितने पैसेंजर उसमें ट्रैवेल कर रहे हैं ? 2013–14 में 67 परसेंट रोड फैक्टर था, 2014–15 में 70 परसेंट रोड फैक्टर हो गया था और वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय मनीष असीजा जी को जानकारी दे रहा हूं कि 72 परसेंट रोड फैक्टर है। मान्यवर, असीजा जी ने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि बसों की संख्या कितनी बढ़ाई जाती है या घटायी जाती है ? मान्यवर, हर वर्ष रोड फैक्टर के सापेक्ष बसों की संख्या निर्धारित की जाती है, 04 वर्षों में जो इन्होंने पूछा है कि बसों की संख्या कितनी बढ़ी है ? अध्यक्ष जी, इसका जवाब मैं अलग से दे दूंगा क्योंकि हर 04–05 महीने पर हम लोग आंकलन करते हैं कि कितनी बसें बढ़ानी हैं या कितनी घटानी हैं, उसकी आधार पर बढ़ायी जाती हैं। मनीष असीजा जी ने जो पूछा था कि 04 साल में कितनी बसें बढ़ायी गईं तो इस अवधि में 02 हजार के आसपास बसें बढ़ायी गयीं हैं और इस बेड़े में जो सरकारी बसें होती हैं, वह भी जोड़ी जाती हैं और जो बसें अनुबन्ध की जाती हैं, वह भी जोड़ी जाती हैं, अनुबन्धित बसें भी राज्य परिवहन निगम के बेड़े में ही मानी जाती हैं।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम सब लोग जानते हैं कि बसों की कितनी किल्लत है, किस तरीके से सवारियां निजी वाहनों का उपयोग करती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, यह पूरे प्रदेश का सीन है और इसके बाद जो आपने मुझे बताया है कि 04 साल में मात्र 02

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हजार बसें बढ़ायी हैं, उसमें अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं। मान्यवर, सरकार कितनी गम्भीर है।

श्री यासर शाह–

मा0 असीजा जी, इसकी बहुत लम्बी डिटेल है कि हर महीने कितनी बढ़ायी गयीं, कितनी घटायी गयीं, वह सूचना मैं अलग से आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, जब यह मान रहे हैं कि डग्गामार वाहन चल रहे हैं तो इनका यह लोड फैक्टर कैसे निकल सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं इनको स्पेसिफिक सूचना दे रहा हूं, मथुरा से इटावा, औरैया के बीच में, इटावा की 75 नम्बर के रजिस्ट्रेशन की बसें और मैनपुरी की 84 नम्बर से रजिस्ट्रेशन की बसें हैं। यह मथुरा से इटावा के बीच में डेढ़ सौ बसें चलती हैं और लगभग आप यह मानकर चलिये कि यह एक बस दिन में आने–जाने का दो चक्कर लगाती हैं। परिवहन विभाग को कम से कम 10 हजार रुपये की चपत लगती है। 10 लाख रुपये से ऊपर की चपत रोज लग रही है। उस क्षेत्र में यह कभी भी जांच कर लें। डेढ़ सौ बसें कम नहीं होती। यहां शासन का क्या संदेश जाता है और वहां पर आपने रोकने के लिए क्या कार्रवाई की और अगर केवल जुर्माने की बात बताना चाहते हैं तो मैं यह पूछता हूं कि उस क्षेत्र में क्या किसी बस का अब तक कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ?

श्री यासर शाह–

मान्यवर, इसका संज्ञान लेकर जांच करा लेंगे।

'श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक यातायात को सुचारु करने हेतु सरकारी बसों की संख्या बढ़ायी जाएगी ? हमारा प्रश्न सरकार से यह है कि जो तहसील मुख्यालय हैं उस तहसील मुख्यालय से रोजाना लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। और सुबह को जाना होता है शाम को आना होता है। अधिकांश तहसील मुख्यालय पर उस समय पर सरकारी बसों की समस्या है। क्या सरकार एक ऐसी नीति बनायेगी कि तहसील मुख्यालय से सुबह जाने और शाम को आने के लिए एक–एक, दो–दो बसें या सिटी बस चलायेंगे। क्योंकि कहीं 20 किमी0, कहीं 30 किमी0, कहीं 40 किमी0 की दूरी है। जिससे जिन लोगों को जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय पर जाना होता उनको इस तरह से सरकारी रोडवेज विभाग की बसों की सुविधा प्रदान करायेंगे ?

श्री यासर शाह–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की थी वह इसी सोच के साथ शुरू की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो तहसील स्तर पर रहते हैं उनको 20–30 किमी0 चलना पड़ता है। उनके लिए 200 लोहिया ग्रामीण बसें अभी चल रही हैं। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि हम लोग 100 लोहिया ग्रामीण बस सेवा की बसें और लाने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल एक छोटा सा सवाल मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 12 के स्थान पर अगर 18 सवारी बैठे तो ड्राइवर और बस मालिक के खिलाफ कोई दण्ड की व्यवस्था को बढ़ाने पर विचार करेंगे। मान्यवर, 8–8 लोग इस डग्गामार वाहन में एक साथ मर गये। लेकिन 304–ए ही लगती है। एक्सीडेंट की स्थिति में 304–ए के स्थान पर क्या 302 या 304 को लगाने पर विचार करेंगे अगर 12 के स्थान पर अगर 16 या 18 सवारी बैठा लें ?

श्री अध्यक्ष–

यह एक्ट तो पार्लियामेंट से पास है। मोटर वेहिकिल एक्ट भारत सरकार का एक्ट है। तो यह उसमें क्या कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसमें स्टेट एमेंडमेंट एलाउड हैं और इस सम्बध में उत्तर प्रदेश का भी एक्ट है। स्टेट एमेंडमेंट जिसमें एलाउड है उसमें यह विचार कर सकते हैं। मान्यवर, यह भारत सरकार को रिकमेंड भी कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे शाहजहांपुर में 8 लोग एक साथ मर गये। इसी डग्गामार वाहन के चक्कर में। मान्यवर, आखिरकार उनके ऊपर 304–ए लगी। ड्राइवर कूदकर भाग गया। आखिरकार इस पर कोई प्रतिबंध लगाने के कोई प्रभावी योजना अभी तक मा0 मंत्री जी से उत्तर से निकलकर नहीं आयी। कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं है। मान्यवर, हमने सीधा सा सवाल पूछा कि क्या दण्ड को बढ़ाने पर विचार करेंगे। कोई ऐसी संस्तुति करेंगे जिससे दण्ड को बढ़ाने पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना यह है कि डग्गामार बसें चलती हैं यह एक्सीडेंट कर देती हैं। 7–8–10–20 लोग मर जाते हैं और उनके ऊपर वही वेहिकल एक्ट लग जाता है जो मोटर वेहिकल एक्ट है। आपका कहना है कि क्या इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन पर 302 या अन्य धारायें लगें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

दण्ड को बढ़ाने की कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

दण्ड को बढ़ाने की कोई व्यवस्था करेंगे, अलग से दण्ड के प्राविधानों में। नहीं करेंगे।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, खन्ना साहब ने पिछली बार बताया था, मम्मी पेट में दर्द है, वाला एक वाकया सुनाया था, तो यही सेण्ट्रल मोटर व्हीकल ऐक्ट में है, मा0 खन्ना साहब कह रहे हैं कि हम स्टेट गवर्नमेण्ट से रिकमण्ड कर दें, तो हम रिकमण्ड कर देंगे और इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि अगर कोई ऐसी स्पेशफिक चीज पकड़ी गई या होता है तो इसमें हम लोग।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्राविधान यह है वैसे तो जाहिर है यह केन्द्र का कानून है, केन्द्र ही इसमें बदलेगा, लेकिन क्योंकि हर मामले में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें गैर इरादतन हत्या में बेल मिल जाती है, सजा कम होती है या नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐक्सीडेण्ट हत्या करने के लिए किया गया है तो 302 में परिवर्तित होता ही होता है, तो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सरकार के पास है ही, उसमें अगर कहीं हत्या के लिए ऐक्सीडेण्ट किया जाता है, तो उसे हत्या में बदलते हैं, आगे भी ऐसा ही रहेगा।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जनपद शामली और मुजफ्फरनगर ऐसी जगह स्थित हैं जहां दो–तीन प्रदेशों से सम्पर्क जुड़ा हुआ है, जनपद शामली और मुजफ्फरनगर से हरियाणा में पानीपत, करनाल और उत्तरांचल जाने के लिए सवारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना होता है, बसों की भारी कमी है, करनाल और पानीपत तक बस जा नहीं पाती है तो क्या इस सन्दर्भ में यात्रियों को सुविधायें देने के लिए दूसरों प्रदेशों से बसों को बढ़ाने और सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार क्या बात करेगी और इसमें कोई सुविधा उपलब्ध करायेगी।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

'02–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के वर्ष 2012 से 9 नवम्बर, 2015 तक कुल स्थापित उद्योग एवं उनमें कार्यरत कर्मियों की संख्या विषयक

'03–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से दिनांक 09 नवम्बर, 2015 तक कुल कितने और कितनी लागत के मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए तथा इन स्थापित उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (श्री नितिन अग्रवाल)–

अप्रैल, 2012 से नवम्बर, 2015 तक कुल रु0 14737.06 करोड़ लागत से 168327 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुये तथा इन स्थापित उद्योगों में 1452353 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, तीन छोटे–छोटे सवाल हैं और प्रश्न भी नहीं हैं कोई, एक तो यह जो उद्योग लगे हैं, हमने प्रदेश को चार आर्थिक जोन में बांटा हुआ है, पूर्वी, पश्चिमी, बुन्देलखण्ड और केन्द्रीय, क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह उद्योग, यह जो 168327 उद्योग लगे हैं, इनका क्षेत्रीय विवरण, किस क्षेत्र में कितने उद्योग लगे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, लिस्ट बहुत बड़ी है, सेक्टर वाईज लिस्ट है मेरे पास अगर आप कहें तो मैं सब पढ़ दूं, खाद्य उत्पाद उद्यमों की संख्या 3806 प्रस्तावित पूंजीनिवेश 833 करोड़ रुपये, वास्तविक पूंजी निवेश 724 करोड़ रुपये। यह लम्बी लिस्ट है, अगर आप कहें तो मैं सब पढ़ दूं और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं पूरी लिस्ट आपको भिजवा दूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

आप लिस्ट दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है यह लिस्ट आप इन्हें दे दीजिएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

लेकिन अध्यक्ष जी मेरा सवाल यह नहीं था, लिस्ट तो मैं ले ही लूंगा, काम की चीज है, सवाल मेरा यह था कि पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय और मध्य उत्तर प्रदेश यह जो चार आर्थिक जोन हैं, यह उद्योग इन जोनों में बंट कर के कहां–कहां कितने मूल्य के लगे हैं, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास मण्डल वाईज सूची है।

श्री अध्यक्ष–

आप मण्डल वाईज ही बता दें, आर्थिक जोन बना लेंगे डा0 साहब होशियार आदमी हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मान्यवर, आपको किस साल की जानकारी चाहिए, 2012–13 की चाहिए, 2013–14 की चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

2012 से लेकर 2015 तक टोटल बता दीजिए।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, 2012–13 में 30847 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे, मध्यम 43 कुल योग 30890, 2013–14 में 44986 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे, मध्यम 178 कुल 45164, 2014–15 में 51835 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे, मध्यम 198 कुल योग 52033 और 2015–16 में 40099 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम 141 कुल संख्या 40240, इसमें रोजगार भी बता देता हूं आपको। रोजगार 2012–13 में 2070061 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में 4 हजार 8 सौ 44 मध्यम उद्योगों में, कुल 21 लाख 19 सौ 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। 2013–14 में 47 लाख 25 हजार 70 लोगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में रोजगार मिला है। 9 हजार 1 सौ 25 लोगों को मध्यम उद्योगों में मिला है, टोटल इसका होता है 48 लाख 16 हजार 95 लोगों को। 14–15 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में 40 लाख 8 सौ 81 लोगों को रोजगार मिला। 8 हजार 5 सौ 43 लोगों को मध्यम उद्योगों में मिला है, इसका कुल 40 लाख 94 हजार 24 और 15–16 में सूक्ष्म एवं लघु में 34 लाख 10 हजार 49 लोगों को मिला और मध्यम में 8 हजार 2 सौ 80, कुल 34 लाख 93 हजार 29 लोगों को रोजगार मिला।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि अप्रैल 2012 से लेकर नवम्बर 2015 तक कुल 14 लाख 52 हजार 3 सौ 53 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। यह सरकार का लिखित जवाब है और माननीय मंत्री जी जो मौखिक जवाब दे रहे हैं, 2012–13 में 21 लाख, 13–14 में 48 लाख, 14–15 में 40 लाख और 2015 से अब तक 34 लाख यानि यह संख्या एक–आध करोड़ से अधिक जा रही है। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 21 लाख की जगह 2 लाख है, 48 लाख की जगह 4 लाख 81 हजार है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, डॉक्टर साहब अब हो गया। अब आगे प्रश्न लेने दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसान उससे परेशान हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न लेकर आने का उद्देश्य यह है कि प्रदेश की क्षेत्रीय विषमता दूर की जाये। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आप पूर्वांचल से आ रहे हैं, यह प्रश्न तो मैं आपके लिए पूछ रहा हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश

का विकास नहीं हो रहा है। बुन्देलखण्ड का विकास नहीं हो रहा है। अगर आप माननीय मंत्री के जवाब पर ध्यान दीजिए सरकार यह बताने की स्थिति में ही नहीं है कि किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ। बार–बार पूछने पर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। अर्थात् यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रीय विषमता दूर करना इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने वायदा किया था कि 12 लाख 51 हजार करोड़ का निवेश होगा। पंचवर्षीय योजना बारहवीं में 12 लाख 51 हजार करोड़ का निवेश होगा। कुल 14 हजार 7 सौ 37 करोड़ इसमें हुआ और 6 हजार करोड़ बड़े उद्योगों में हुआ, कुल मिला कर 20 हजार करोड़। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा, जब माननीय मंत्री जी स्वयं यह जान रहे हैं कि प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा है, कुल मिला करके आपके आंकड़े बता रहे हैं कि निवेश नहीं हो रहा है, क्या अपनी निवेश नीति पर यह सरकार पुनर्विचार करेगी कि आखिर हमने लक्ष्य दिया 12 लाख 51 हजार करोड़ का और 20 हजार करोड़ हुआ। निवेश क्यों नहीं हो रहा है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहना गलत है कि मेरे पास सूचना नहीं है। अब अगर माननीय सदस्य जी को जिलेवार सूचना चाहिए तो मैं इनको जिलेवार सूचना दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वह आप जिलेवार लिख कर दे दीजिएगा।

श्री नितिन अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, अब यह मान नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया आपकी बात वह मान जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे प्रश्न लेने दीजिए।

प्रदेश में राजधानी समेत अन्य मेट्रो शहरों में डीजल वाहन प्रतिबन्धित कर विकल्प के रूप में स्वच्छ ईंधन चालित वाहन लाने की योजना विषयक

'04–श्री नदीम जावेद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजधानी समेत अन्य मेट्रो शहरों में डीजल चालित वाहन अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वाहनों को प्रतिबन्धित कर सी0एन0जी0 एवं अन्य स्वच्छ ईंधन के वाहनों का विकल्प लाने के लिए योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

पेट्रोल अथवा सी0एन0जी0 ईंधन की अपेक्षा डीजल चालित वाहन में प्रदूषण ज्यादा होता है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गाजियाबाद में सार्वजनिक सेवायान केवल सी0एन0जी0 ईंधन पर

संचालित है। साथ ही साथ एन0सी0आर0 क्षेत्र के अन्य भागों में भी जैसे नोएडा, हापुड़ आदि शहरी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक सेवायान का संचालन सी0एन0जी0 पर आधारित है।

अन्य नगर निगमों यथा मुरादाबाद एवं बरेली शहरों के वाहनों के परमिट सी0एन0जी0 पर संचालित वाहनों पर दिये जा रहे हैं और इन शहरों में पूर्व से डीजल, पेट्रोल पर संचालित वाहनों का प्रतिस्थापन सी0एन0जी0 वाहन से किया जा रहा है।

शेष 04 बचे नगर निगमों के शहर यथा–सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद में अभी सी0एन0जी0 की उपलब्धता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

'श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। यह प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत सरकार की पोल्यूशन कण्ट्रोल की अन्तर राष्ट्रीय सन्धि वर्ष 2009 की है और सेण्ट्रल पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में जो नेशनल एयर क्वालिटी इण्डेक्स का सर्वे किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहर ऐसे हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड हैं। उनमें कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, सोनभद्र है, गाजियाबाद है और नोएडा है। अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें यह है कि सरकार सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में सी0एन0जी0 की उपलब्धता पर अभी कोई बात नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, इसमें वाराणसी जो मा0 प्रधानमंत्री जी की कान्स्टीट्युन्सी भी है और उसे क्योटो बनाने की चर्चा भी है लेकिन पूरे राज्य में जो सबसे अधिक पोल्यूशन है, वह वाराणसी में है। वहॉ पर अधिकतम 500 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर पोल्यूशन है और इसका जो मानक है वह 60 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर है। मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण शहर हैं जिनमें गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद हैं जो काफी पोल्यूटेड भी हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या कर रही है या क्या करेगी, योजना क्या है ?

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक परिवहन विभाग का अपना प्रश्न है तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाहिर है कि पर्यावरण के लिए हम सब परेशान है। सरकार एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर चुकी है लेकिन जहां तक प्रश्न इस बात का है कि हमारा अपना विभाग क्या कर रहा है तो हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रदेश के जो मेट्रो शहर हैं उनमें भारत स्टेज–4 की जो गाड़ियॉ हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा, पोल्यूशन जांच केन्द्रों के द्वारा निरन्तर यह कार्यवाही की जाती है जो कि 912 की संख्या में पूरे प्रदेश में हैं कि कोई भी गाड़ी प्रदूषण के मानकों के पार न चल पाए।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मेरा इस पर केवल प्रश्न यह है कि जो डीजल है वह पेट्रोल से और सी0एन0जी0 से लगभग 20 गुना अधिक प्रदूषण देता है और जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से लंग कैंसर और जो सांस की समस्याएं होती हैं वह बहुत अधिक होती हैं। उत्तर प्रदेश देश में मौतों के आधार पर चौथे स्थान पर है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि 2000 सी0सी0 से ज्यादा की जो गाड़ियां होंगी, उन पर दिल्ली जैसे शहरों में पाबन्दी लगेगी ताकि पोल्यूशन पर कण्ट्रोल किया जा सके तो क्या सरकार जो इस तरह की एस0यू0वीज़ हैं या बड़ी गाड़ियां हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं उनको रोकने की दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ताकि कम से कम जो बड़े शहर हैं वहॉ पर पोल्यूशन कण्ट्रोल किया जा सके।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा तो हम पूरे प्रदेश में बन्द कर देंगे। अभी तो ऐसा कोई आदेश उच्चतम न्यायालय का उत्तर प्रदेश के लिए नहीं आया है।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, क्या राज्य सरकार केवल उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में ही अपना काम करेगी या अपनी तरफ से भी कोई काम करेगी ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और केवल एक ही सवाल है। मा0 मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट, लिखित और बहुत अच्छा जवाब दिया कि शेष 4 बचे हुए नगर निगमों यथा सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में अभी सी0एन0जी0 की उपलब्धता नहीं है। मेरा प्रश्न गोरखपुर से सम्बन्धित है। मा0 मंत्री, सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि गोरखपुर में सी0एन0जी0 नहीं है और सरकार के अधिकारी चाहे वह आर0टी0ओ0 हों, चाहे अन्य अधिकारी हों। जो वहॉ छोटे–छोटे ऑटो चालक हैं जिनकी रोज की कमाई 200–300 रुपये होती है और वे उसी पर अपना पेट पालते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बाध्यता कर दी, ये मैं आपको कल तक का बता रहा हूं। उन्होंने वहां पर अपने मन से यह नियम बना दिया कि जब तक आप एल0पी0जी0 और सी0एन0जी0 कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक आप ऑटो नहीं चला सकते। अब जब सी0एन0जी0 और एल0पी0जी0 उपलब्ध नहीं है तो वे लें कहां से तो खाने की रसोई गैस है उसी गैस का उपयोग करके वे ऑटो को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन शहरों में स्पेशफिकली गोरखपुर जहां सी0एन0जी0 उपलब्ध नहीं है। यह जो जबरन रोक लगाई जा रही है कि आपको डीजल से चलाने नहीं देंगे आप सी0एन0जी0 ही चलाइये। सरकार सी0एन0जी0 की व्यवस्था कर लें, सी0एन0जी0 चलाइंगे। क्या जब तक आप सी0एन0जी0 की व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, इस रोक पर ढील देंगे ?

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, एल0पी0जी0 के लिए कहा गया है, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गयी है और केन्द्र सरकार से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार अनुरोध कर चुकी है कि इन शहरों में सी0एन0जी0 की उपलब्धता करवायी जाए। सी0एन0जी0 की व्यवस्था और पेट्रोल, डीजल यह सब केन्द्र सरकार के विषय हैं। इसमें राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है अनुरोध के अलावा और अनुरोध हमने बहुत सारे किये हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मेरा प्रश्न उस रोक पर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, आर0टी0ओ0 लगा रहा है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस जबरन रोक को आप हटाएंगे ?

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, एल0पी0जी0 के लिए कहा गया है और इसको हम स्पेशिफिकली दिखवा लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जब सिलेण्डर हैं नहीं, जब सप्लाई नहीं है तो फिर कैसी रोक लग रही है। जब एल0पी0जी0 और सी0एन0जी0 की सप्लाई नहीं है तो कैसी रोक लग रही है।

श्री यासर शाह–

ऐसी कोई रोक लगाई नहीं गई है डॉक्टर साहब। ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है कि केवल आपको सी0एन0जी0 ही चलाना है। सी0एन0जी0 उपलब्ध नहीं है इस बात को भी मानती है राज्य सरकार।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया डॉक्टर साहब, आप बैठिए।

'5–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'6–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

अतारांकित प्रश्न

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के निर्मित नर्सिंग कालेज में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की जानकारी

1–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के अन्तर्गत नर्सिंग कालेज हेतु लगभग रुपये 5–6 करोड़ की धनराशि व्यय से निर्मित पूर्ण सुसज्जित भवन पिछले 3–4 वर्षों से आवश्यक पदों के सृजन के अभाव में संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नर्सिंग कालेज हेतु आवश्यक पदों का सृजन कर

कालेज में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

जी हां।

मेडिकल कालेज, आगरा के अन्तर्गत नर्सिंग कालेज हेतु आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रचलित है। पद सृजन के उपरान्त नर्सिंग पाठ्यक्रम को संचालित करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला कारागार की क्षमता विस्तार करने की मांग

2–श्री मनीष असीजा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की संख्या जिला कारागार की क्षमता से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कारागार, फिरोजाबाद की क्षमता विस्तार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार के योजना की जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि को देखते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में

पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये है, जहां पर आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर आदि विषयों का एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

डा0 आर0के0 श्रीवास्तव (से0नि0), होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर, रमईपुर चिकित्सालय, कानपुर के सेवानिवृत्तिक लाभ यथा–पेंशन, ग्रेच्युटी के भुगतान विषयक

4–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 आर0 के0 श्रीवास्तव होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर, रमईपुर चिकित्सालय, कानपुर से दिनांक 30 जनू, 2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके सभी सेवानैवृत्तिक लाभ यथा–पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके सभी देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

डा0 श्रीवास्तव के सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान का विवरण निम्नवत् है :––

क्रमांक	देयकों का प्रकार	धनराशि	भुगतान की तिथि
1	2	3	4
1	जी0आई0एस0	1,12,657.00	15–10–2015
2	जी0पी0एफ0 90 प्रशिशत	20,13,599.00	15–10–2016
3	जी0पी0एफ0 10 प्रतिशत	3,26,521.00	11–02–2016
4	अवकाश नगदीकरण	10,42,000.00	28–10–2015
5	ग्रेच्युटी की स्वीकृति	15,00,000.00	21–11–2015
6	राशिकरण की	9,62,041.00	21–11–2015

	स्वीकृति		
7	पेंशन की स्वीकृति	14,676.00 राहत (प्रतिमाह)	21–11–2015

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त होने वाले मिट्टी के तेल की जानकारी

5–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ग्रामीण अंचल में गैस एवं ऊर्जा की कमी को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार तेल की आवंटित मात्रा में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त मिट्टी के तेल का आवंटन कम हो रहा है, इसलिए वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में सरकार द्वारा रिक्त जिलापूर्ति अधिकारियों के पदों पर नियमित नियुक्ति करने की जानकारी

6–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्त जिलापूर्ति अधिकारियों के पदों पर सरकार नियमित नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां।

प्रदेश में जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–1 के 29 तथा जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–2 के 46 अर्थात् कुल 75 पद स्वीकृत है।

जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–1 के सृजित 29 पद के सापेक्ष वर्तमान में 11 पद भरे एवं 18 पद रिक्त है। जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–1 के रिक्त पद चयन शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। पोषक संवर्ग (जिलापूर्ति अधिकारी ग्रेड–2) में अर्ह अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–1 के उक्त रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

जिलापूर्ति अधिकारी, श्रेणी–2 के स्वीकृत 46 पदों में 23 पद पदोन्नति कोटे एवं 23 पद सीधी भर्ती के हैं। पदोन्नति कोटे के 23 पदों के सापेक्ष 21 अधिकारी कार्यरत है तथा पात्रता क्षेत्र में आने वाले 02 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण 02 पद आरक्षित रखे गये हैं।

सीधी भर्ती के 23 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 12 पद भरे हैं एवं रिक्त 11 पदों में से 09 पदों पर चयन हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र संख्या–4747/ आ0पू0अधि0राज–05/85, दिनांक 18–11–2014 द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। शेष रिक्त 02 पदो पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

नगर फिरोजाबाद के सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित अपात्र गृहस्थियों को चिन्हित कर एवं उनके स्थान पर पात्र गृहस्थियों के नामांकन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की जानकारी

7–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चयन में अनेक अपात्रों का चयन हो जाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार नगर फिरोजाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में पात्र हो गये अपात्र गृहस्थियों को चिन्हित कर उनके स्थान पर नए पात्र गृहस्थियों के नामांकन हेतु विशेष अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी, जिसके क्रम में नगर निगम फिरोजाबाद के कार्मिकों की उचित दर विक्रेतावार ड्यूटी लगाते हुए लाभार्थियों का सत्यापन विशेष अभियान के तहत शुरू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा खनिजों की खुदाई की रायल्टी दरों को संशोधित कर कम करने की मांग

8–श्री अजय कपूर–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनिजों की खुदाई की रायल्टी पहले से दो गुना कर दिये जाने के कारण भवन निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री मिट्टी, बालू, मौरंग आदि काफी महंगी हो जाने की वजह से आम

आदमी को भवन बनवाना बहुत महंगा हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार खनिजों की खुदाई हेतु बढ़ायी गयी रायल्टी की दरों को संशोधित कर कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रायल्टी की दरों में किया गया संशोधन नियमानुसार है।

बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र में कोटेदारों को आर0एफ0सी0 केन्द्रों से आवंटित अनाज में घटतौली विषयक

9–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र में कोटेदारों को आर0एफ0सी0 केन्द्रों से आवंटित अनाज में घटतौली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

जनपद बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं ने लिखित बयान दिया है कि उन्हें तौल कर उचित गुणवत्ता का खाद्यान्न प्राप्त होता है।

वर्तमान समय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराकर कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

10–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में बिना सर्वेक्षण के पुराने राशन कार्डधारकों की सूची में से उनके नाम हटा कर अपात्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन0एफ0एस0ए0 के तहत चयन कर लिये जाने से पात्रता श्रेणी के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या–क–5 नं0 452841, दिनांक 04–02–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

मा0 प्रश्नकर्ता विधायक का सन्दर्भगत पत्र जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी, जिसके क्रम में नगर निगम, फिरोजाबाद के कार्मिकों की उचित दर विक्रेतावार ड्यूटी लगाते हुए लाभार्थियों का सत्यापन विशेष अभियान के तहत शुरू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं कार्डधारकों के सत्यापन की नीति

11–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान बी0पी0एल0 कार्डधारकों का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष समय–समय पर बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करती है ? यदि हां, तो उसका क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्डधारकों के सत्यापन हेतु बनायी गयी नीति के अनुसार सत्यापन कर कार्ड बनाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पूर्व बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या–6584500 है, जिसकी जनपदवार सूची संलग्न है।[†]

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि भारत सरकार स्तर से ही की जा सकती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में ब्लास्टिंग की अनुमति एवं अवैध ब्लास्टिंग को रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

12–श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मडिहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढेखवा बांध क्षेत्र बी का सिंचाई का एक मात्र साधन है, के आस–पास खनिज पट्टेदार बिना अनुमति के अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर बांध को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर के किन–किन क्षेत्रों में सरकार द्वारा ब्लास्टिंग की अनुमति दी गयी है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हो रही अवैध ब्लास्टिंग को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद–

जी नहीं।

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^d* 246&247 vkxs i`"B ij½

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा के अन्तर्गत ढेकवा बांध क्षेत्र बी के आस–पास खनन पट्टाधारक द्वारा कोई ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। खनन पट्टाधारकों द्वारा हस्तचालन विधि से कार्य किया जाता है।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो किसानों को मिट्टी खुदाई करके और भरने की बात कह रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई सर्कुलर जारी करेंगे जिससे आने वाले दिनों में किसानों को मिट्टी काटकर भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और क्या यह सर्कुलर हर जगह पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मात्र इस बात का जवाब दिला दिया जाये।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति किसान विरोधी है, गरीब लोगों के विरोध में माननीय मंत्री जी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और यह किसानों को अनर्गल रूप से परेशान करने की साजिश है, इसलिये कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में सदन से बर्हिगमन करती है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, आपके नेता तो सब आगे बैठे हैं और आप बर्हिगमन कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बर्हिगमन कर गये)

[12-10] स्टिंग आपरेशन प्रकरण पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदन की आगे की कार्यवाही स्थगित करने एवं न्यायालय में याचिका के सापेक्ष उत्तर दाखिल करने हेतु चार माह का समय दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुजफ्फरनगर में हुये दंगों के विषय में किए गए स्टिंग आपरेशन संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रम में सदन द्वारा निर्णय लेते हुए दण्ड निर्धारित किया जाना था। यह प्रश्न दूसरा था। इसमें स्टिंग आपरेशन का जो प्रकरण आज सदन में पेश होना था, उसमें टी0वी0 टुडे नेटवर्क के पदाधिकारियों की ओर से

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमे आज प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामलें में सदन की आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है तथा चार माह का समय न्यायालय में याचिका के सापेक्ष उत्तर दाखिल करने के लिए दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात इस मामलें में आज एक सर्वदलीय बैठक आहूत की जायेगी जिसमें कि आगे की कार्यवाही के विषय में विचारोपरान्त मत स्थिर किया जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें साग्रह निवेदन है कि ऐसी हालत में जब स्टिंग आपरेशन के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सदन में विचाराधीन है और स्टिंग आपरेशन के दोषीजनों के द्वारा विगत निश्चित तिथि पर इस बात का आवेदन पत्र दिया गया कि हमें पूरी तैयारी के लिए और अगली सुनवाई के लिए एक अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। अभी सदन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी नहीं दी। यहां तक कि अभी प्रतिपक्षीगणों का यहां पर कोई अभिमत भी प्राप्त नहीं हुआ और साथ ही साथ सदन इस समय चल रहा है, ऐसी हालात में यह सदन की भी अवमानना है और पीठ की भी अवमानना है। मान्यवर, हमारी किसी कार्यवाही पर रोक लगाना, किसी चर्चा पर रोक लगाना, आपके निर्देश के क्रम में इस कार्यसूची में दिए गए मद पर रोक लगाना, हम समझते हैं कि अव्यवहारिक भी है, असंवैधानिक भी है, सदन की अवमानना भी है और साथ ही साथ पीठ की अनदेखी भी है। स्टे किस बात का, जब अभी किसी प्रकार के दण्ड का प्राविधान किया नहीं गया तो ऐसे हालात में बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया जाना चाहिये। सदन की किसी कार्यवाही पर किसी भी माननीय न्यायालय को रोक लगाने का अधिकार तो भारतीय संविधान ने भी नहीं दिया है। यह भारतीय संविधान के नियमों की अनदेखी है और जो इस प्रकार की संवैधानिक संस्थायें हैं, उनके भी अस्तित्व पर ऐसे निर्णय सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो मान्यवर, हम संविधान का सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, यहां तक कि सभी प्रकार की न्यायपालिकायें चाहे जिला स्तर की हों, प्रदेश स्तर की हो या देश स्तर की हों, उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस निर्णय को कदाचित उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये और इस बात का, इस आशय का पत्र भी या अन्य जो भी प्रभावी का कार्रवाई की आवश्यकता है, उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बात भी करना चाहिये और पत्राचार भी करना चाहिये। हम समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखने के साथ–साथ इस सदन की भी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखा होता तो ज्यादा उचित होता। इसलिये यह गंभीर और विचारणीय प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय में अब हम नेताओं की बैठक बुलायेंगे, उसमें बात करेंगे, तब उसके बाद फिर यहां कोई बात होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश जो आपके द्वारा सदन के समक्ष सुनाया गया उसमें एक लीगल पक्ष इन्वाल्व है। मान्यवर, मेरा तो अनुरोध यह है कि उस पर पहले कानूनी राय ली जानी चाहिये और कानूनी राय लेने के बाद ही उस पर कोई मत हमको व्यक्त करना चाहिये। जहां तक नेता विरोधी दल ने जो विचार रखे हैं, मैं उससे अपने आपको असम्बद्व करता हूं और मैं इस बात पर बल देता हूं कि कानूनी राय लेने के बाद ही हमको प्रोसीड करना चाहिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल जी के जो विचार हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। क्योंकि विधान सभा में जिस तरह से विधायिका की अस्मिता का मामला है और अभी उस पर विधायिका द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी, सजा नहीं सुनायी गयी, उसके बावजूद भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया यह औचित्यपूर्ण नजर नहीं आता । यह गंभीर मामला है और यह केवल मंत्री की अस्मिता का मामला नहीं है बल्कि यह 403 विधायकों की अस्मिता का मामला है। तो इसलिये यह बहुत ही गंभीर मामला है इसमें आप दलीय नेताओं को बुलाइये, इस पर चर्चा करिये, जैसा आपने कहा है और उस पर विचार करने के बाद जो भी सही निर्णय हो उस पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं उससे सहमत हूं। माथुर साहब ने भी इसे अपनी सहमति दी है। मैं केवल इसमें अपना एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से यह रिलीफ मिला है, हो सकता है उस पार्टी ने हमारे इस सदन में जो कार्यवाही चल रही है, उससे उन्हें अनभिज्ञ रखा हो और सुप्रीम कोर्ट को यह सब जानकारी न दी हो कि वहां हमारे खिलाफ इस तरह की कार्यवाही हो रही है तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसमें हमारे जो वकील हैं, उनसे विधिक राय लेकर हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट में अगर उचित समझें तो विधिक राय लेकर यह निर्णय हो जाय तो हमको भी उनके आदेश को चैलेन्ज करने के लिये वहां जाना चाहिये क्योंकि यह हम सब लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। जब यह इतना बड़ा हमारा हाउस ही इस पर कुछ निर्णय नहीं करा सकता और दंड नहीं दिलवा सकेगा तो फिर हम कहां जायेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, सारा सम्मान मा0 न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का ही नहीं बल्कि हर न्यायालय का लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसे पूरा देश देख रहा है। हमारे यहां रोज आदेश आते हैं यदि किसी अधिकारी को हम छोटी भी सजा देते हैं, यहां तक कि अगर ससपेंड भी करते हैं तो रोक आ जाती है और यहां तक आदेश आ जाता है कि इन्हें कहां नियुक्त किया जाए, अब यह अधिकार भी सरकार के पास बहुत

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कम जगहों पर रह गया है लेकिन उसे माना जाता है क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़े–लिखे, ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार लोग हैं। अभी हमारे सामने एक चैनल का पूरा करिश्मा पूरे देश के सामने आया, उस चैनल ने एक विश्वविद्यालय के बारे में कुछ दिखाया, गिरफ्तारियां हुईं और दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मामला गया, बेल हुई और कंडीश्नल बेल हुई और यह जिक्र भी आया क्योंकि एक अमुक चैनल ने ऐसा दिखाया था। उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बना, जो लोग जमानत पर रिहा हुए हैं और जिनसे पुलिस ने इंटेरोगेशन किया है उनके बयान अखबारों में भी हैं और कल से टेलीविजन चैनल्स पर वह पूरी बात दिखाई जा रही है। यह कहां जा रहा है हमारा पूरा सिस्टम, बिल्कुल चरमराने के कगार पर खड़ा है। क्या मानना है और क्या अवमानना है यह बाद की बात है लेकिन इतना जरूर हुआ कि पूरा देश यह समझ रहा था कि दंगा मैंने कराया और मैंने दंगाइयों की मदद की। हालांकि समाचार–पत्रों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जितनी प्राथमिकता से इस खबर को देना चाहिए था वह नहीं दी गई, न सिर्फ यह कि नहीं दी गई बल्कि इस खबर को दबाने और छिपाने की पूरी कोशिश की गई और यह लोकतन्त्र का बहुत बड़ा नुकसान है। हम कहीं गलती करें और उसका एहसास कर लें तो यह ज्यादा बड़ापन है न कि हम ढीठ हो जाएं और ढीठों की तरह अपनी टी0आर0पी0, अपने कारोबार और धन्धे के लिए, मैं शब्द धन्धा इस्तेमाल कर रहा हूं और धन्धा सब लोग करते हैं कोई लकड़ी का धन्धा करता है कोई कोयले का करता है, यह भी एक धन्धा है अपने धन्धे के लिए इस हद तक चले जाना उचित नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय का सम्मान है लेकिन मुझे कम से कम यह तसल्ली है कि इस सदन ने, भारतीय जनता पार्टी के अनेक साथी हैं जो मुझसे बाहर कहते हैं कि आप सही हैं, हमारी पार्टी की मजबूरियां हैं, उनका धन्यवाद। क्योंकि उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ उनका जमीर भी है। खन्ना साहब भी जो कहते हैं वह दिल से नहीं कहते, जबान से कहते हैं, मैं उनके दिल से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और उस दल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वह अपने मिजाज से भी शरीफ हैं अच्छे लोग भी हैं। हमारी राजनैतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि हम कहां रहें लेकिन यह एक बड़ा हादसा है, एक बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से दखल देना स्वायत्ता में, यह एक बड़ा मामला है, जिसमें पूरा सदन एक राय हो। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जायेगी, लोग पता नहीं इसके क्या–क्या मतलब निकालेंगे और मुझे दुःख होगा कि अगर लोग इसके दूसरे मतलब भी निकालेंगे क्योंकि ऊंगली उधर भी उठ रही है। मेरे व्यक्तिगत का मामला नहीं है, मुझसे कहिये तो मैं आज शिकायत वापस ले लूं, मैंने तो अपने खिलाफ खुद जांच बिठवाई थी। मा0 नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस ने कहा, नेता लोकदल ने कहा और खुद नेता सदन ने कहा कि अगर सुई की नोक के बराबर भी कुछ निकल आया होता तो मेरा तो राजनैतिक जीवन ही खत्म हो गया होता। मुझे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए था, मर जाना चाहिए था डूब करके कहीं, मेरे परिवार को मर जाना चाहिए था, मुझे अगली नस्ल को जिन्दा रखने का हक ही नहीं था, मुझे चाहिए था कि मैं इतिहास ही खत्म कर देता अपने परिवार का। एक ऐसे अपराध के बाद उसका एहसास पूरी तरह से किया गया इस सदन में, वही मेरी कमाई है, वही मेरे जीवन की कमाई है, मैं तो आज भी उसी मोहल्ले में रहता हूं जहां से पहली बार चुनकर इस सदन

में आया था। आज भी मेरे पास नई मोटर नहीं है, आज भी मेरे पास कोई बंगला नहीं है लेकिन जो कुछ मैंने किया है वह इतना है कि खुद मेरे जमीर को मुतमईन करने के लिए बहुत काफी है। मैं इसमें दोषी नहीं था इसे सदन ने मान लिया है, मैं सदन का धन्यवाद करता हूं और जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला लेता है हमारे लिए मजबूरी है उसे मानना। लेकिन एक बार इस पर गौर जरूर होना चाहिए कि ऐसे मामलात पर भी, मीडिया के मामलात पर जिसमें अभी एक ताजा मामला चल रहा है जे. एन.यू. विश्वविद्यालय का। एक चैनल की वजह से पूरे लोकतंत्र की और पूरे न्यायतंत्र की साख दांव पर लगी है। इसके नतीजे मान्यवर, पता नहीं लोग अहसास क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? कितनी बेचैनी है, कितने लोगों के मन में अजीब से हालात पैदा होने की कसक महसूस की जा रही है। अगर अभी नहीं करेंगे तो मैं भा0ज0पा0 के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा देर हो जाए। तो समय रहते अगर हम इस पर निर्णय लें, बजाय इसके कि न्यायालय में हमारा अपमान हो, मैं समझता हूं कि एक रेज्योलूशन लाकर सदन खुद अपने किये हुए फैसलों को वापस ले ले ताकि न्यायालय में इस सम्मानित सदन का, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां से न सिर्फ एक देश धड़कता है बल्कि देश का दिल धड़कता है, जहां से बहुत प्रधानमंत्री मिले, आज भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस से चुने गये हैं। इसलिए पूरी दुनिया का इतिहास कहीं शर्मिन्दा न हो और ऐसा न लगे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने कुछ ऐसा तय कर दिया जो कानून, अखलाख और सच्चाई के खिलाफ था इससे पहले कि कोई और उंगली उठाये हमें चाहिए कि हम अपनी ऊंगली को वापस ले लें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अभी एजेण्डे के कुछ आइटम लेने के बाद दलीय नेताओं की बैठक करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या मा0 उच्चतम न्यायालय हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरुप चल रही विधान सभा की प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे फिर बात करके मा0 न्यायालय को भी इन सारी भावनाओं से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद इस पर विचार किया जायेगा जिसमें सभी मा0 नेताओं को बुलाया जायेगा।

(मद संख्या–3 पुकारे जाने और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के खड़े होने पर)

[12-32] जनपद फिरोजाबाद में अधिक गृहकर वसूली का प्रकरण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 मंत्री जी, एक मिनट रुक जाईये। माननीय अध्यक्ष जी, एक इश्यू माननीय असीजा जी का था, मैंने उस दिन कहा था कि जब 04 तारीख को हम बैठेंगे तो इस पर मैं आपके सामने रिपोर्ट रखूंगा। मान्यवर, फिरोजाबाद में जो कर की वसूलयाबी की गयी, उसमें बहुत ही अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वहां के अधिकारियों ने बहुत बेहूदा हरकत की है और यह कहकर हम अपने आपको बरी–ओ–जिम्मा नहीं कर सकते। जो कानून बना, जो नियम बने तीन सितारा होटल, बड़े कॉम्पलेक्सेज और

छोटी–मोटी दुकानें जो उस परिसर में आते हों, अगर हमारे अधिकारी और कर्मचारी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तीन सितारा होटल क्या होता है और एक जूता टांकने वाली की दुकान क्या होती है ? तो अगर मेरे वश में होता तो मैं अभी नौकरी से बर्खास्त करता ऐसे लोगों को। लेकिन क्योंकि सीधे बर्खास्त नहीं किया जा सकता लिहाजा हम उन सबको निलंबित करते हैं और आपको सूचित करते हैं कि इस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं और पूरा सिस्टम बदलेंगे और किसी से कोई किराया अभी नहीं लिया जायेगा तावक्त इसको बिल्कुल ठीक न कर लें। छोटी दुकान से छोटा किराया, बड़े से बड़ा किराया और तीन सितारा से तीन सितारा का किराया लिया जाए यह सुनिश्चित किया जायेगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी) फर्क इतना है कि अगर हमसे या हमारे कारिन्दों से कोई गलती होती है तो उसे हम यह नहीं देखते कि यह शिकायत किधर से आयी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलायी। अभी एक ही शहर में ऐसा हुआ था, सब जगह रोक है, अब कहीं ऐसा नहीं होगा जब तक पूरे तौर पर हम इसको तय नहीं कर देते और उन सबको जिन्होंने गलत पैसा लिया है सबको निलंबित करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, अब तो धन्यवाद दे दीजिए।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी,..

श्री अध्यक्ष–

अब तो धन्यवाद दे दीजिये।

श्री मनीष असीजा–

आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं और मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो फिरोजाबाद में इस प्रकार की वसूली जिन लोगों से ज्यादा कर ली गई है उसको आने वाले जो उनके कर लगेंगे उसमें मुजरा (एडजस्ट) करा लिया जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

बिल्कुल करायेंगे। यह तो बिल्कुल मोटी सी बात है जिनसे ज्यादा लिया गया है हम पूछ लेंगे अगर वापसी हो सकती होगी तो वापसी करायेंगे वरना आगे मुजरा करायेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद सं0–3 पुकारे जाने पर माननीय मंत्री व सदस्य मौ0 इरफान के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, इनको कह लेने दीजिये।

जनपद सम्भल–मुरादाबाद में एम0एल0सी0 चुनाव में हुई अनियमितता का प्रकरण

'श्री मौ0 इरफान–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, कल एम0एल0सी0 के चुनाव में 67 वोटर जिसमें 22 प्रधान और 45 बी0डी0सी0 थे जो वैद्य मतदाता थे उनको साजिशन सम्भल और मुरादाबाद के उस विवाद ने कि सम्भल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको सूची मुरादाबाद को भेजनी थी। उन्होंने सूची नहीं भेजी इसलिये 67 वैद्य मतदाता मतदान करने से रह गये। मैंने चूंकि मेरी विधान सभा का मामला है, बार बार कहा लेकिन उसके बावजूद नहीं किया गया। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। जब यह बी0एस0पी0 शासन काल में नया जिला सम्भल बना था तो 28 गांव पंचायतें सम्भल जिले की मुरादाबाद जिले के ब्लाक बिलारी में हैं और 38 गांव पंचायतें मुरादाबाद जिले की बनियाखेड़ा ब्लाक सम्भल में हैं। अगर उनको यह न बदला गया, यह प्रक्रिया नहीं की गई तो यह लगातार इतना बड़ा लॉस हो रहा है, उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। इस बार पंचायत के चुनाव में भी हमारे वोटर बने वह 2001 के हिसाब से हुआ, बीच में नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला जो है इलेक्शन कमीशन में आपको ले जाना चाहिए वहां उनका कार्यालय है।

[12-35] श्री मौ0 इरफान–

नहीं साहब वोटर्स को। माननीय अध्यक्ष जी, वोटर्स को वंचित रखना तो उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना है। यह तो नहीं रखा जा सकता था। इसमें प्रशासनिक लापरवाही है, इसकी जांच कराई जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। दोनों जिलों के अधिकारी शामिल हों। मुरादाबाद के भी और सम्भल के भी और उन्होंने जानबूझकर इन्टेंशनली ऐसा किया है और कई जगह ऐसा किया है। उन्होंने विशेष तौर से उन्हें रोकने की कोशिश की है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां–जहां की ऐसी शिकायतें हों मेरे ख्याल से आप इसमें अलग से बैठक कर लें क्योंकि यह शिकायत कई जगह से आई है और हैरत यह है कि (खन्ना जी के यह कहने पर कि हम इसका समर्थन करते हैं) मैं खुद ही जो कह रहा हूं और आपका भी समर्थन हो रहा है। जरूरी थोड़ी है। हम तो हर सही बात का समर्थन करते हैं, आप नहीं करते हैं। मुझे भी यह शिकवा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने और एक पुलिस अधिकारी ने बकायदा एक राजनैतिक दल का कहकर लोगों से रोका और वोट डालने के लिये कहा। मैं इसमें नेता सदन से भी बात करूंगा और यह बहुत बुरी बात है कि हम सिर्फ निष्पक्ष के नाम पर सत्ता पक्ष को अपमानित करें, जलील करें और उनके वोट डालने से रोकें, यह निष्पक्ष चुनाव की परिभाषा नहीं होती तो इसमें मैं नेता सदन मौजूद हैं, आप भी रहें, नेता सदन भी रहें इस पर बात करेंगे क्योंकि चुनाव तो आगे भी होंगे। अब 2017 का चुनाव है, अगर यह मानसिकता पनप गई, आगे बढ़ गई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 माननीय शिक्षा मंत्री जी, अब तीसरी बार उठ रहे हैं, अबकी मत बैठिये, पढ़िये।

[12-38] उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2011 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2011(उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (ठाकुर मूलचन्द्र चौहान)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–3–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[12-40] वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा[४४]

श्री अध्यक्ष–

अब मुख्य मंत्री जी आपका भाषण होना है आप बोलेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहते हों।

श्री अध्यक्ष–

कोई बोलना चाहेगा इधर से, सब तो बोल चुके हैं कोई बाकी तो बचा नहीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

---

† Nkik ugha x;kA

† Nkik ugha x;kA

†† fnukad 24 Qjojh] 2016 dh dk;Zokgh lsA

आप जब बोल लेंगे उसके बाद कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं है आप स्पष्टीकरण पूछेंगे।

श्री अखिलेश यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने विचार रखे, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी सुरेश कुमार खन्ना जी ने, नेता कांग्रेस प्रदीप माथुर जी ने, राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय दलवीर सिंह जी ने और बहुत बड़ी सूची है जिसमें माननीय सदस्यों ने बजट 2016–2017 पर अपने विचार रखें हैं इसमें सभी दल के हैं माननीय सदस्य, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं और जो अच्छे सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूं। यह सरकार का पांचवां बजट है और पांचवें बजट में सरकार ने कोशिश की है कि पिछले चार साल के जो कार्य चल रहे थे उन कार्यों को पूरा किया जाए और आगे के लिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया था जनता के बीच में, अपना घोषणा–पत्र उसको लागू करना, और प्राथमिकता पर किसान, नौजवान, कहीं न कहीं संतुलन बना रहे गांव के विकास का, और शहरों के विकास को लेकर, अगर हम तुलना करें कि नई योजनायें कितनी शुरू की हैं पुरानी सरकार से, तो माननीय अध्यक्ष महोदय आप पायेंगे कि बड़े पैमाने पर ऐसी योजनायें जो शहरों के लिए और गांव के लिए हैं लगातार नई शुरूवात की है सरकार ने, और कुछ पूरा भी किया और कुछ जमीन पर उतारी भी हैं। जो बातें बजट में आई हैं अब तो केन्द्र सरकार का भी बजट आ गया है क्योंकि मा0 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत सारे सवाल रखे थे और यहां तक कहा कि हमारी केन्द्र सरकार के बन जाने के बाद प्रदेश सरकार को ज्यादा धन मिला है। बहुत सारे मा0 सदस्यों ने उसी बात को अलग–अलग रूप में कहा। अब तो बात सामने है हमारे आंकड़े भी आपके सामने होंगे कि पैसा कितना मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने नेता प्रतिपक्ष का पांचवां बजट भी पढ़ा जो पांचवें बजट का भाषण था उसको भी पढ़ा। मैंने सोचा मैं जानूं कि आखिरी वक्त पर, जब चार साल पूरे हो गए पांचवें साल के बजट में क्या लिखा होगा। किसके लिए पैसा दिया गया होगा। तो जो पांचवां बजट था उसमें वही पुरानी चीजें, स्मारक पार्क पत्थर उन्हीं पर धन का आवंटन हुआ। लेकिन समाजवादी सरकार ने अपने पूरे बजट में कोशिश की है कि किसान नौजवान और इस प्रदेश की तमाम समस्यायें हैं उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए। क्यों सवाल बहुत सारे पूछे थे, पानी को लेकर के है, हैण्डपम्प को लेकर के है, माननीय बहुत सारे सदस्यों ने उस बात को रखा, बिजली को लेकर सवाल पूछा गया, कुछ सवाल अच्छे भी थे कि प्रदेश भर में परीक्षा चल रही है समय पर बिजली पहुंचे, मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने अब तक धन्यवाद नहीं दिया होगा कम से कम अब तो धन्यवाद दे दें कि उनकी बात मान ली गई। परीक्षा के समय बिजली निरन्तर जा रही है और पहुंच रही है। जहां नहीं पहुंच रही है मुझे बता दें एक आध जगह पर है उस पर भी मैं अभी बोलूंगा। इसी तरह से गन्ना पेराई को लेकर सवाल पूछे गए कि

गन्ने का भुगतान कैसे कितना दिया गया है। किसान दुर्घटना बीमा को लेकर सवाल किए गए कुछ सुझाव भी आए उस पर बहुत सारे लोग सहमत थे लेकिन और कुछ जोड़ दिया जाय उस बिन्दु को भी रखा गया। बजट के आकार को लेकर भी चिन्ता जताई गई और यह भी चिन्ता जताई गई कि बजट खर्च कम हुआ है। अध्यक्ष महोदय मैं नहीं जानता कि यह खर्च का कहां से हिसाब–किताब निकालकर लाए इधर खर्च तो ज्यादा हो रहा है काफी पैसा खर्च हो रहा है। मेट्रो को लेकर सवाल पूछे गए कि लखनऊ की मेट्रो तो सबको दिखाई दे रही है लेकिन कई लोगों ने कहा कि जो कानपुर की है और शहरों की मेट्रो है उसमें जो बजट का प्राविधान किया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरा है और अब तो केन्द्र सरकार का भी बजट आ गया है हमने तो कम से कम शुरूआत करने की बात की थी बताओ केन्द्र के बजट ने अभी तक क्या दिया अगर कानपुर के लिए कुछ दिया हो तो बता दें वाराणसी के लिए दिया गया हो तो बता दें। हमारे बहुत सम्मानित सदस्य सामने हैं उस इलाके में बहुत पुरानी मांग है एम्स को लेकर। स्मार्ट सिटी के बारे में कहना है कि वह इतने स्मार्ट निकले कि कुछ स्मार्ट नहीं मिला। अब एम्स सामने आ गया है बजट भी आ गया हमें जो इंतजाम करना है वह हम करने जा रहे हैं सड़क को लेकर और बिजली को लेकर जमीन दे ही चुके हैं अब तो बात सामने आ गई है कि बजट में एम्स मिला है कि नहीं मिला। वह बात भी साफ हो जाएगी इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है जो हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। इन्सेफ्लाइटिस को लेकर बात हुई एम0एम0आर, आई0एम0आर0 के बारे में चर्चा हुई है बहुत सारे सवाल हैं पी0जी0आई0के बेड को लेकर बात हुई कि पी0जी0आई में बेड कैसे बढ़ेंगे यह तो समाजवादी सरकार लगातार बढ़ा रही है। पी0जी0आई को मौका भी दिया है कि अगर वह लोन लेकर भी करना चाहेंगे तो सरकार ने परमीशन दी है उस बात को लेकर । इधर बड़ी संख्या में बेड भी बढ़ रहे हैं इन्सेफ्लाइटिस के लिए पांच सौ बेड का अस्पताल बन भी रहा है।

बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि माननीय सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्र की भी बात रखी है लैपटाप को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लैपटाप देने की बात तो कही गई थी लेकिन अब लैपटाप नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब लैपटाप तो दिया जा रहा है खर्च करने की बात बहुत जोर शोर से उठाई गई क्योंकि पांच साल ऐसी आदत पड़ गई थी कि पत्थर घिसने के अलावा कुछ नहीं हुआ था तो डिपार्टमेंट जिनको वाकई में काम करना चाहिए था उनकी आदत छूट गई थी काम करने की कम से कम समाजवादी सरकार ने उस आदत से दूर ले जाकर बजट ज्यादा किया है उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। काम पूरे भी हो रहे हैं और रिकार्ड टाइम में हो रहे हैं इसलिए बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने रखे गए हैं बजट को लेकर यह कहा गया कि पूर्वांचल निधि को बजट ही नहीं है मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह कहा उन्होंने बजट ध्यान से नहीं पढ़ा होगा बजट उसमें है। बुन्देलखण्ड के लिए बढ़कर दिया है बुन्देलखण्ड को मण्डी से लेकर हर व्यवस्था बेहतर कैसे हो उस दिशा में भी काम किया है। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने और नेता प्रतिपक्ष और

तमाम माननीय सदस्यों के सामने इस बात को कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के बजट में उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम हुआ है। निरन्तर काम किया है नए समय के हिसाब से जो परिवर्तन लाना चाहिए था वह भी हम लोगों ने परिवर्तन करने की कोशिश की है। कम से कम मैं उदाहरण पेश कर सकता हूं अपने तमाम माननीय सदस्यों के सामने कि जहां शहरों के विकास के लिये अगर मेट्रो है तो हमारे गांव कैसे खुशहाल हों, उसके लिये भी काम हुआ है और सरकार काम कर रही है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे बन रहा है जो मैं समझता हूं कि देश की सबसे बड़ी एक्सिस कंट्रोल सड़क होगी। उन सड़कों को भी हम जोड़ रहे हैं जहां तमाम ग्रामीण अंचल का इलाका है। बहराइच, श्रावस्ती जो बहुत पिछड़ा इलाका है उसको हमनें फोर लेन से जोड़ा है। बुन्देलखण्ड के हमारे तमाम मा0 सदस्य बैठे होंगे, वह जानते होंगे कि कालपी से लेकर जालौन तक कैसी सड़क थी, उसको हमनें फोर लेन से जोड़ दिया है। जालौन, उरई को लेकर औरैया तक का मार्ग फोर लेन बनने जा रहा है, उधर हम राठ की तरफ लेकर के जा रहे हैं और सम्भल–मुरादाबाद मार्ग पहले ही शुरू हो चुका है। बरेली के मा0 सदस्य जानते ही होंगे कि बरेली में अभी बहुत बड़ी रैली की थी, शायद बरेली को ही कुछ मिल गया होता। अगर खूब मिला है तो कोई जाना नहीं कि पता नहीं क्या मिला है ? पूरा प्रदेश इस बात को जाना ही नहीं कि मिला क्या है? मा0 सदस्य जो बरेली के आसपास के हैं वह जानते होंगे कि अल्मोड़ा वाली फोर लेन सड़क किसने बनाई, समाजवादी सरकार ने बनाई। बरेली से लेकर के बदायूं तक फोर लेन सड़क बन रही है, वह समाजवादी सरकार ने बनाई है। बाईपास को लेकर इन्होंने झगड़ा जरूर किया था, क्योंकि कुछ धार्मिक स्थान उसके बीच में आ रहे थे तो झगड़ा जरूर कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसका भी रास्ता निकाला और बरेली का बाईपास भी हमनें बनवा दिया। आपने बरेली में क्या दिया ? कुछ दिया हो तो बता दीजिये, क्योंकि अगर बगल के जिले में जायेंगे तो वहां तो कुछ नहीं देंगे, रामपुर को तो नहीं देंगे, शायद बरेली को कुछ दिया हो तो बता दें। बहुत सारी सड़कें जो कभी फोर लेन नहीं बनी थीं, केवल एक मुख्य सड़क नहीं, उसके अलावा जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें भी। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी के मा0 नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि आपकी तो 5 साल सरकार रही, 5 साल सरकार में आपने एक सड़क के अलावा और कौन सी सड़क बनवायी है और वह जो सड़क बनाई है वह किस रूप में बनाई है, किस तरीके से बनाई है वह देश के सामने है। देश में कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता जो कोशिश आपने की है, जहां किसानों को लाठी मारी हो, किसानों को जेल भेज दिया हो, मुकदमें लगाये हों, सालोंसाल किसान नेता जेल में रहे हों। बतायें कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे में कहीं लाठी चलानी पड़ी हो या कहीं किसी को जेल भेजना पड़ा हो।

आज आगरा के मा0 सदस्य बैठे हैं, बतायें कि आपके यहां जो टूरिस्ट आते हैं वह सड़क पर उतरने के बाद कितना जाम में फंस जाते हैं ? जब सड़क बन जायेगी उसके बाद शायद जाम समाप्त हो जायेगा। आगरा जहां टूरिज्म के मामले में अंतरराष्ट्रीय केंद्र तो है ही, व्यापार में भी आगे है। बतायें कि वहां पर हमनें कितना काम किया है ?

वहां पर जूते का बड़ा व्यापार है। वैट किसने कम कर दिया ? भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मा0 नेता हमारे सामने बैठे हैं, दोनों लोग बतायें। जेवर में एयरपोर्ट बनाना चाहते थे, हमनें तो आपके पास प्रस्ताव भेज दिया और फिरोजाबाद में हिरण्यगॉव का प्रस्ताव भी भेज दिया है। बजट सामने हैं बतायें कि दोनों मिले हैं कि नहीं मिले हैं। हमें दोनों ही एयरपोर्ट नहीं दिये हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें परमिशन दे दें हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट से बना लेंगे, लेकिन उसके लिये भी यह परमिशन नहीं दे रहे हैं। सरकार ने जहां बुनियादी काम किये हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिये भी काम किया है। कांग्रेस के जमाने में तो इन्दिरा आवास मिला करता था, कम से कम हम लोगों ने नई योजना लाकर के लोहिया आवास की योजना शुरू की है और जिस गरीब को मिल जाता है तो कम से कम उसका पूरा घर बन जाता है, बिजली का इंतजाम हो जाता है। हम लोगों ने कम से कम वह व्यवस्था तो दी है। हमने नये जनेश्वर मिश्र गांव मण्डी से बनाये हैं। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने मण्डी में गांव ठीक किये होंगे, कितनी सी0सी0 रोड बनाई होंगी। इनकी भी सरकार पांच साल रही है। आपने तो आदर्श गांव तय किये, लेकिन आदर्श गांव में क्या होगा, यह किसी को पता ही नहीं। उन आदर्श गांवों में क्या–क्या काम होंगे, यह किसी को पता ही नहीं। कम से कम हम यह कह सकते हैं कि अगर लोहिया ग्राम चिन्हित हो जायेगा तो उसके अन्दर यह–यह काम होंगे। जनेश्वर मिश्र गांव चिन्हित हो जायेगा तो यह–यह काम होंगे। समय बदला है, जमाना बदला है तो हमनें कहा कि अगर आपने आदर्श गांव बनाये हैं और स्मार्ट सिटी बनाने की बात की है। आदरणीय आजम खां साहब ने कई बार अखबारों के माध्यम से कहा और हम लोगों ने उस बात को सोंचा कि जहां शहर स्मार्ट बन रहे हों तो हमारे गांव क्यों न अच्छे हों, गांव क्यों न सुन्दर हों ? इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों ने, किसी ने बजट में पढ़ा ही नहीं, एक आई–स्पर्श करके भी गांव हम लेकर आ रहे हैं और वह आई–स्पर्श गांव जो चिन्हित होंगे, उनमें जो तमाम समस्याएं हैं, उनको खत्म करने का काम करेंगे। अगर उनकी कोई समस्या है, अगर उनकी कोई सड़क है, नाली है, कई बार होता है, अगर धन कम पड़ जाए तो वह योजना पूरी नहीं हो पाती है। सी0सी0 रोड नहीं बन पाती, नाली नहीं बन पाती या स्कूल का अभाव, स्कूल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह छूट जाती हैं तो आई–स्पर्श योजना लाकर ताकि कम से कम यह सब हो और इसके लिए 300 करोड़ रूपये रखे हैं। तो उनके गांव की कोई भी समस्या होगी, उनकी अपनी तो उस समस्या का निदान करेंगे और वहीं अगर उनके पास कोई सुझाव हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं, जहां अपने आप करोबार हो रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, बुलन्दशहर सिकन्दराबाद का, उसके आसपास, लोग गाजर का काम कर रहे हैं और यही समाजवादी सरकार है, उससे पहले बहुत घूमे वह, क्योंकि खेत में, अपनी जगह पर अगर कोल्ड स्टोर बनाना हो, पैकेजिंग का प्लान्ट लगाना हो तो आपको लैण्ड यूज का पैसा देना पड़ता था, लैण्ड यूज के लिए चक्कर काटना पड़ता था। समाजवादी सरकार के सामने किसान की वह समस्या आयी, हम लोगों ने उसका रास्ता निकाला। आज कोई

किसान अगर अपनी जमीन पर कुछ बनाना चाहेगा, कोल्ड स्टोर या उससे सम्बन्धित कारोबार तो उसे लैण्ड यूज चेंज करने के लिए परमीशन नहीं मांगनी पड़ेगी, वह स्वतः कर सकता है। अगर उस क्षेत्र के रहने वाले माननीय सदस्य यहां पर होंगे तो वह जानते होंगे कि कितना बड़ा कारोबार बढ़ गया है। वह अपने आप कर रहे हैं, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से। इसी तरह से गाजीपुर की समस्या हमारे सामने आयी थी, वहां के बहुत सारे लोग दूध पैदा करते हैं, दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन जब वह शहर में, बाजार में ले जाना चाहते हैं तो उनके सामने संकट था, दिक्कत थी। अगर वह बस में ले जाना चाहें तो बस यात्री बैठने नहीं देते थे। वह अगर अपने साथ बाल्टा लेकर चलें तो बाल्टा कहां रखेंगे ? उसे छत पर रखेंगे कि अन्दर कोई रखने नहीं देगा। इसलिए समाजवादी सरकार ने उस समस्या को समझा और पिछले डेढ़–दो साल से मैं समझता हूं और माननीय सदस्य जानते होंगे कि उनको हम मण्डी की तरफ से फ्री बस सेवा दे रहे हैं, जो गांव से सुबह चलती हैं, बाजार पहुंचती हैं और बाजार से शाम को उन्हें वापस लाने का काम करती हैं। तो इसलिए आई–स्पर्श में कम से कम हमने इतना खोला है कि गांव के समूह के लोग या गांव के लोग अगर कुछ करना चाहें, उनके पास अगर कुछ करने की व्यवस्था है, वह अपने गांव के लोग मिल करके अपनी अर्थ व्यवस्था के लिए, अगर खेती से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहेंगे तो कम से कम उसके लिए धन उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार और आई–स्पर्श गांव के माध्यम से होगा। यह सुझाव आपके पास क्यों नहीं आया ? कम से कम हम लोग एक नयी योजना लेकर आए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे काम है जो अपने आप होने चाहिए, उसमें मौका मिलेगा, उनको, तो एक तो गांव और शहर का संतुलन बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। बिजली को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए क्योंकि बिजली आए और बिजली पर्याप्त मिले, यह बड़ा सवाल है और बिजली को लेकर अभी दिल्ली के बजट में और दिल्ली सरकार के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आने वाले समय में हम बिजली उपलब्ध करा देंगे और कितने घण्टे ? 24 घण्टे, गांव को बोला लेकिन उस गांव की परिभाषा क्या होगी ? उस गांव में बिजली मिलेगी कैसे ? हमारे दादा श्यामदेव राय चौधरी साहब तो जानते होंगे, बनारस में बिजली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है लेकिन बिजली कौन दे रहा है ? प्रदेश सरकार दे रही है, इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया, केन्द्र सरकार ने इस बात को कह तो दिया कि हम बिजली देश भर में इतनी कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सौ दिन में।

श्री अखिलेश यादव–

वह तो काला धन था, सौ दिन में।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं, बिजली भी थी। बिजली, 02 करोड़ नौकरियां और काला धन। लेकिन तीनों में फुस्स।

श्री अखिलेश यादव–

तो बिजली को लेकर मैं समझता हूं कि जितनी चिन्ता आपको है, उतनी हमें भी है क्योंकि बिजली के क्षेत्र में काम अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष की पार्टी ने किया होता तो उस काम को मैं आगे बढ़ा सकता था और कोई प्रोजेक्ट अगर इनके समय में लग रहा था तो उसको मैंने तेजी से आगे बढ़ाया है। कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि समाजवादी पार्टी ने या समाजवादी सरकार ने उस काम को रोका हो। आपने कुछ जगह शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाया, तमाम समस्याओं का निराकरण किया तो बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और पहली बार मैं समझता हूं आजादी के बाद इन चार वर्षों में सबसे ज्यादा बिजली बनाने का इन्तजाम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है और इसीलिए मैंने कहा कि कितने मेगावाट बिजली की जरूरत होगी और बढ़ाने का काम और जो बजट है क्योंकि बजट में केन्द्र सरकार की उदय योजना को भी ले करके कह सकते हैं, लेकिन सब भार तो हमारे ऊपर है, वह तो प्रदेश सरकार को ही करना है पूरा, जो बजट आठ हजार करोड़ रुपये होता था, जो 2011–12 में आठ हजार करोड़ था उस बजट को समाजवादी सरकार 66 हजार करोड़ रुपये ले करके गई है, क्योंकि बिजली का इन्तजाम तब बेहतर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और आप तो कह रहे हैं 2019–2022, सरकार बनी है आपकी पांच साल के लिए, लेकिन आपने अपने जो टारगेट फिक्स किये हैं, वह 2019 के बाद के सब फिक्स कर दिये हैं, रेलवे का देखिये तो 2020–2025 के बाद के हैं सब, बिजली में जाने कब से हैं, आपने कहा कि 2018 तक शत–प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 2018 आपने रखा है केन्द्र सरकार ने, शत–प्रतिशत बिजली का अब उसकी परिभाषा है मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वह परिभाषा जानते होंगे गांव की, वहीं समाजवादी सरकार ने जो टारगेट रखा है, वह आपसे दो साल पहले 2016 में गांवों को 14–16 घण्टे बिजली और शहर को 20–22 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का, कम से कम तेजी से बिजली लगाने का काम तो किया, यह बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष के दल के लोग, यह बतायेंगे कि कितनी गांव में बिजली लगाने का काम किया है और बिजली कैसे बढ़ी है, ललितपुर का प्लाण्ट, उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में तीन यूनिट हैं यहां 660 मेगावाट की, तीनों चालू हो जायेंगी तो लगभग 2000 मेगावाट ललितपुर के पावर प्लाण्ट से मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को बिजली, बारा का क्योंकि शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के दल के माध्यम से हुई थी, तमाम ट्रान्शमिशन, तमाम और चीजों का किसी ने निराकरण किया रास्ता निकाला, समाजवादी सरकार इतना उलझा कर आप लोग गये सब मामले कि रास्ता निकालते–निकालते सब चीज का हमे तीन साल लग गये, अब कम से कम वहां से 1320 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगी, अनपारा–डी एक यूनिट हम लोग शुरू कर दिये थे, दूसरी यूनिट भी शुरू हो गई है, वहां से भी 1000 मेगावाट बिजली मिलने जा रही है, हरदुआगंज का हमने शुरू कर दिया है, हमारे कानपुर

के लोग जानते होंगे पनकी का, उसका भी टेण्डर हो गया है, हरदुआगंज का 660 तो लगना शुरू हो गया और अगर जगह पर्याप्त होगी आने वाले समय में मौका फिर जनता दे देगी, तो 660 की एक यूनिट और हरदुआगंज में समाजवादी लोग लगवा देंगे। पनकी में लगने जा रही है, पनकी में बहुत जल्दी शिलान्यास हो जायेगा, पनकी में भी शुरुआत कर देंगे, एक बहुत बड़ी योजना है जवाहरपुर वाली एटा, उसका भी टेण्डर है तो उसकी भी शुरुआत बहुत जल्दी कर देंगे, तो कम से कम उत्पादन बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी सरकार कर रही है और केस वन वीडिंग में भी हम लोगों ने इन्तजाम किया है जिससे कि आने वाले समय में 14 से लेकर के 16 घण्टे गांवों में और शहरों में 20 से लेकर के 22 घण्टे बिजली उपलब्ध करा दें, ऐसा इन्तजाम करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा इन्तजाम करने के लिए आपको जरूरत है कि बहुत सारे सब–स्टेशन बनें, बहुत सारे ट्रान्समिशन लाइन का इन्तजाम हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष जानते होंगे कि उनके जमाने में कितने सब–स्टेशन बने थे, कितने सब–स्टेशन तेजी से बनते थे, कम से कम हम लोगों ने तेजी से सब–स्टेशन तो बनाये हैं, ट्रान्समिशन लाइन तो बिछाई है और जब सरकार बनी ही बनी थी, सबसे बड़ी समस्या आती थी हमारे मा0 सदस्य सब जानते होंगे कि ट्रान्सफार्मर फुंक जाते थे, ट्रान्सफार्मर लगा नहीं फुंका नहीं। कम से कम वह शिकायत तो हम लोगों ने दूर की है। अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो कम से कम 72 घण्टे में उस ट्रांसफार्मर को बदलने का काम सरकार की तरफ से हो जाता है। मैं समझता हूं, इधर किसी माननीय सदस्य ने अभी तक मुझे एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारा ट्रांसफार्मर फुंक गया है, इसको बदलवा दीजिए। चूंकि एप्लीकेशन मिलती है, हम जानते हैं कि प्रदेश में क्या समस्या चल रही है। कम से कम उसमें सुधार लाए हैं। किसानों के कनेक्शन के लिए कितनी वेटिंग होती थी, आदरणीय दलवीर सिंह जी ने बताया है, अब तो वह भी समस्या हम लोगों ने खत्म कर दी है। फीडर सेपरेशन का काम चल ही रहा है।

वहीं हमारे शहर भी ठीक दिखे और जो बिजली का लॉस है, जो तमाम और तरीके से बिजली बर्बाद हो जाती है, उसके लिए अंडर ग्राउन्ड केबलिंग शुरू कर दी है। केवल शहरों में और बड़े शहरों में अंडर ग्राउन्ड केबलिंग होती थी लेकिन इधर समाजवादी सरकार ने उन शहरों को भी लिया है, जो छोटे शहर हैं। वहां भी केबलिंग शुरू कर दी है। क्योंकि मैं खुद कन्नौज से चुनकर आता हूं, कन्नौज तो प्राथमिकता पर है ही, बदायूं में भी शुरू कर दिया है। रामपुर भी शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले समय में चित्रकूट भी होगा। कानपुर नगर में भी गोवर्धन का कुछ हिस्सा ले लिया है, जहां पर टूरिस्ट का इलाका है। इसी तरह से आजमगढ़ में शुरू हो गया है और वहां खत्म भी होने वाला है, मऊ में खत्म होने वाला है। लखनऊ में कुछ हिस्सों में, जहां अखबारों में बहुत सारी तस्वीरें आती थीं, तारों का जाल बुना रहता था, वह खत्म कर दिया है। बहुत सारे जिले लिए गए हैं, हम चरखारी करने जा रहे हैं, हम बाराबंकी शहर करने जा रहे हैं और बुन्देलखण्ड का मैं समझता हूं एक–आध ही शहर छूटेगा, वरना कोई शहर नहीं छूटेगा, जिस जिले को, मुख्यालय को अंडर ग्राउन्ड केबलिंग से न जोड़ दिया जाये।

चाहे वह महोबा हो, हमीरपुर हो, चाहे जालौन हो क्योंकि हम लोग इस पर काम करने जा रहे हैं। मैनपुरी शहर का हो ही चुका है और दूसरे हिस्से का भी हम करने जा रहे हैं। गाजीपुर का भी हम बहुत जल्दी कर देंगे क्योंकि अगर बनारस का हो रहा है, सारनाथ में हो रहा है, आजमगढ़ में, मऊ में, तो दो ही शहर और बचते हैं एक बलिया और एक गाजीपुर। हम उधर भी ले करके जा रहे हैं। जहां तक बात देवरिया की है, हमारे देवरिया के माननीय सदस्य जानते होंगे, सड़क हमारी प्राथमिकता पर है। गोरखपुर से देवरिया 4 लेन और देवरिया से सलेमपुर 4 लेन हम लोग बनाने जा रहे हैं। जहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे है, कुछ माननीय सदस्यों ने तो पूर्वांचल के लिए तारीफ की है क्योंकि सड़क जब बनती है तो विकास अपने आप उसके साथ–साथ चलता है। जो कहावतें हैं, इकोनॉमिस्ट जो हमेशा कहते हैं कि अगर रफ्तार बढ़ा सकते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। तभी मैंने पिछली बार भी कहा था 'इफ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी'। जो एक्सप्रेस–वे आगरा से लखनऊ तक बन रहे हैं उसमें हमने कोई बिल्डरों को जमीन नहीं दी। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, जहां हमें लाठी चलानी पड़ जाएं। यह भी हम रिकार्ड टाइम में बनाने जा रहे हैं। यह देश के सामने उदाहरण होगा कि कोई प्रदेश सरकार जमीन लेने से ले करके उसको पूरा करना जा रहा है। मैं समझता हूं यह ऐसा उदाहरण है जिसे केन्द्र सरकार भी इस बात को मानेगी। हालांकि उनके सड़क वाले मंत्री तो कई बार मिले हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम अच्छा किया है। वह देश के लिए एक उदाहरण है। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया तो केन्द्र भी बनाएगा और दूसरे प्रदेश भी इसकी नकल करेंगे, ऐसे एक्सप्रेस–वे की, जो केवल लखनऊ तक जुड़ रहा है और आने वाले समय में हम उसको गाजीपुर और बलिया तक जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि यह हिस्सा तो खुल जायेगा। इसके आस–पास मण्डी बनने जा रही है। इस दूसरे हिस्से को भी खोल देंगे और कहीं आंदोलन नहीं होने दिया। हम तो माननीय सदस्यों से कहेंगे कि जहां पर यह जा रहा है अगर हमारा सहयोग होगा क्योंकि डेढ़ हजार करोड़ रुपये इस बजट में रखा है, हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसकी भी शुरुआत कर दें जिससे कम से कम यह दिखा सकें कि जो समय बचा है या कितनी तेजी से काम हो सकता है, उस जमीन पर दिखाने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उस हिस्से में भी जाये। आप कह रहे हैं कि हम उस हाई–वे की नकल कर रहे हैं। वह आपका गंगा वाला एक्सप्रेस–वे, आप अपना नोएडा वाला एक्सप्रेस–वे देख लें, आपने कैसा बनाया है ? हमारे एक्सप्रेस–वे में कुछ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बड़ा वाला पैकेज दे दिया हो, या कोई बहुत ज्यादा स्वीटनर दे दिया हो। यह सरकार का एक्सप्रेस–वे है, वह प्राइवेट एक्सप्रेस है। हमारे और आपके एक्सप्रेस–वे की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि वह जो टोल लग रहा है वह सरकार पर नहीं आ रहा है, वह किसी और पर जा रहा है। अगर इस पर टोल लगेगा तो वह सरकार पर आएगा और हम लोग कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं। हम किसानों की मण्डियां बना रहे हैं क्योंकि हम किसानों को सुविधा देना चाहते हैं, आपने बिल्डर्स को

सुविधा देने का काम किया है। ये फर्क है आपमें और हम में। दुनिया भर में आप किसी भी देश की इकॉनमी उठा कर देख लीजिए। वे देश तब ही खुशहाल हुए हैं जब उन्होंने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। जब सड़कें बनाई हैं, अच्छी सड़कें बनाई हैं क्योंकि वह सड़क ही है जो हर चीज का रास्ता खोल देती है। कम से कम यह एक्सप्रेस–वे जो उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से शुरू होगा और दिल्ली राजधानी से लेकर आपके उत्तर प्रदेश का जो आखिरी कोना है वहां तक पहुंचा है और उसके बाद इसके अगल–बगल कैसे जोड़ें। हमने वह अपने बजट की स्पीच में पढ़ा है कि आजमगढ़ से मऊ जोड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ से जौनपुर जोड़ने जा रहे हैं, इलाहाबाद तक फोर लेन वे करते जा रहे हैं। अगर यह मेन सड़क बन जाएगी तो फिर उसके आस–पास जोड़ने का काम शुरु हो जाएगा। हालांकि हमने अपने क्षेत्र में तिरवा जोड़ा है, आने वाले समय में और भी जिले जोड़ेंगे। सड़क के किनारे हम जिला मुख्यालयों तक कैसे और पहुंचे, इसका रोड नेटवर्क बनाने का काम भी समाजवादी सरकार का है। ये सोच आपकी क्यों नहीं थी क्योंकि आपकी सोच दूसरी थी। आपकी सोच में काम दूसरे तरीके से होते थे इसलिए यहां सड़क बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इनकी सोच के साथ नोच भी थी। (सदन में हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

मैं सोलर इनर्जी पर कहूं तो हम सोलर पॉलिसी लेकर आए और उसका परिणाम यह है कि समाजवादी लोग सौर ऊर्जा नीति लेकर आए। परिणाम यह है कि आज 500 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में लग गई हैं जिसमें कि उन हिस्सों में जहां पर लोग इन्वेस्ट करने नहीं जाते तो कम से कम महोबा में सोलर प्लाण्ट लग गया है। आपके ललितपुर में सोलर प्लाण्ट लगे हैं, जालौन में लगे हैं। झांसी में सरकार की तरफ से हम अपना सोलर प्लाण्ट लगाने जा रहे हैं। गन्ने को लेकर बहुत बात हुई। मैं यह कह सकता हूं कि सरकार बनने के बाद, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय बाजार में चीनी का भाव अच्छा था। उसका परिणाम यह हुआ कि हमने उस समय ही किसानों के लिए इकट्ठा रेट बढ़ा दिया जिससे कि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। हमने गन्ने का 40 रुपये बढ़ाने का काम किया है लेकिन उसके बाद लगातार चीनी का भाव बाजार में गिरा और उसका परिणाम यह हुआ कि चीनी मिल मालिकों के सामने संकट आ गया कि चीनी मिल चलेंगी कि नहीं चलेंगी और सरकार ने किसानों के लिए जो पैसा तय किया था वह पैसा कैसे दे पाएंगे इसलिए पहली बार ऐसा हुआ होगा, चाहे हमें बजट से पैसा देना पड़ा हो, हम लोगों ने, सरकार ने किसानों को 280 रुपये प्रति कुण्टल के भाव का पैसा किसानों को देने का काम किया है। अभी तक का सबसे ज्यादा भुगतान एक साल में अगर किसानों को सीधा–सीधा कभी भी हुआ होगा तो वह समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है जिसमें 77 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कराया जा चुका है। हम जब सरकार में आए थे तो हम पर कई हजार करोड़ का बकाया था, वह पैसा भी इसमें शामिल है। हम सदन को

विश्वास दिलाते हैं कि गन्ना किसानों का जितना भी बकाया है, वह पूरा का पूरा किसानों को भुगतान कराने का काम सरकार के माध्यम से होगा, सरकार कराएगी और चीनी मिल मालिकों से दिलाने का काम करेगी। आपकी सरकार में तो चीनी मिलें बन्द हो रही थीं, खत्म हो रही थीं, उन्हें बेचा जा रहा था।

(सदस्य वीरपाल राठी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अखिलेश यादव–

ये बागपत वाले मा0 सदस्य हैं, हम जान रहे हैं। दो चीनी मिलें हैं। एक बागपत वाली और एक कोई दूसरी चीनी मिल का मामला है। इन दो के अलावा सभी चीनी मिल मालिक भुगतान कर रहे हैं और हम इन मा0 सदस्य को भरोसा दिलाते हैं कि पिछली बार का भी भुगतान हुआ था। पिछले साल का भी भुगतान हुआ और इस बार भी किसानों का भुगतान कराने का काम सरकार करेगी। आपके समय चीनी मिलें बन्द हो रही थीं, आप चीनी मिलें बेच रहे थे लेकिन हमने चीनी मिल बचा भी लीं और कुछ चला भी दीं। हमारे आजमगढ़ के मा0 सदस्य जानते होंगे जो हमारे साथ हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में कई वर्षों के बाद हुआ होगा कि जहां सरकार की इतनी माडर्न चीनी मिल लगी हो और जो कम समय में लगा करके खड़ी कर दी गई हो। इतने कम वक्त में कभी नहीं लगी होगी। एक माडर्न प्लाण्ट और वह बिजली भी देगा, जो 09 महीने के अन्दर लग करके तैयार हो गया और उसमें किसानों ने भी सहयोग दिया, वे अच्छा बीज पैदा कर रहे हैं, वहां पर अच्छा बीज लग रहा है। हमने कम से कम आजमगढ़ में एक लगा तो दी। आप बतायें आजमगढ़ के आस–पास कोई चीनी मिल लगाई हो आपने या नेता जी ने लगाई थी चीनी मिलें या इस समाजवादी सरकार ने लगाईं। आपने तो सब चीनी मिलें बेच दीं और जो बचा पाये वह हमने कम पैसे में चालू कर दीं। बहुत मामूली पैसा लगाकर वह चीनी मिलें चला दीं। शाहजहांपुर वाले हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे और मोदी नगर में जो चीनी मिल थीं मोइद्दीनपुर वाली वह भी चालू कर दी। जब बहुत बड़ा संकट था और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी नेता हैं वह जानते होंगे कि किस बड़े पैमाने पर चीनी इम्पोर्ट हुई थी। मैं तो एक माननीय सदस्य को कहूंगा कि एक ही माननीय सदस्य था, वह नारा लगाता था कि चीनी महंगी करो। एक ही सदस्य है जो नारा लगाता था मैंने सुना है, यहां वेल में आकर। वह बात समझते हैं कि अगर चीनी महंगी होगी तो किसानों का भी भला होगा लेकिन कहीं न कहीं सरकार को संतुलन बनाना पड़ेगा कि आपकी चीनी मिल भी चलती रहें और किसानों का भी भुगतान हो जाए। कहीं अगर चीनी महंगी हो जाएगी तो भी सामने संकट है। लेकिन इम्पोर्ट किसने कर दी, वह चीनी इम्पोर्ट किये थे उसकी वजह से पूरा बाजार बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा–बहुत रोका लेकिन यह दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप किसानों को बता देते कि दाल पैदा कर दें तो किसान दाल पैदा करने लगते। आपने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, इम्पोर्ट करने से पहले बता देते। अगर पहले बता देते आप तो किसान हमारा तैयार हो जाता हम जानते हैं कि बुन्देलखण्ड के लोग यहां बैठे होंगे, तिल पर हम लोगों ने जब सब्सिडी बढ़ा दी तो

उसका परिणाम यह हुआ है कि तिल का उत्पादन ज्यादा हुआ है बुन्देलखण्ड में। तिल का उत्पादन ज्यादा हुआ है। आपने आर्गेनिक खेती की बात की कि आर्गेनिक खेती होनी चाहिए। खाद दूसरी वाली होनी चाहिए लेकिन आप प्रदेश को क्या देने जा रहे हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी उस दिशा में सोच तो रही है कि हमीरपुर को हम आर्गेनिक डिस्ट्रिक बनाएंगे अगर हमारे किसान सहयोग करेंगे तो वह डिस्ट्रिक होगा जहां आर्गेनिक पैमाने पर खड़ा कर–करके आर्गेनिक खेती करने का काम करेंगे। डेयरी को कितना बढ़ावा दिया हम लोगों ने। अगर किसान खुशहाल हो सकता है तो वह चीनी से भी हो सकता है और डेयरी से भी हो सकता है। आपने पराग को बर्बाद कर दिया। पराग जो उत्तर प्रदेश में बहुत पुराना कारोबार कर रहा था, उसको बर्बाद कर दिया। किसान दूध ही नहीं देते थे, क्योंकि उनका भुगतान ही नहीं हो पा रहा था। कम से कम उस स्टेज पर हम लोग लेकर आये हैं एक भरोसा पैदा किया है कि किसान का भुगतान भी होगा और कैसे हम इसको पूरा ठीक कर लें। उसके लिए व्यवस्था दी है और व्यवस्था के साथ–साथ उसका बजट में भी इंतजाम किया है। आपकी सरकार थी, कोई नहीं आया अमूल तो आया ही नहीं, अमूल क्यों आता, आप चाहते तो और अमूल का प्लांट ले आते, वह तो गुजरात वाला है। हम तो चाहते हैं कि आप और उत्तर प्रदेश में लगवायें लेकिन आप वह भी नहीं लाना चाहते। कम से कम हम तो ले आये, दो जगह अमूल का प्लांट लगने जा रहा है 5–5 लाख लीटर का और वह दोनों इसी साल शुरू हो जाएंगे तो यह लाभ किसानों को होगा। डेयरी का इंतजाम किया, किसान कैसे कामधेनु डेयरी चला रहे हैं आपने भी कुछ नाम दिया था बहुत अच्छा, जानवर बढ़ाने वाला, डेयरी लगाने के लिए नाम मैं अभी नहीं जान रहा हूं, बहुत अच्छा नाम दिया है आपने, क्योंकि आप समझदार लोग हैं, नाम देने में आप बहुत अच्छा नाम दे देते हो। कुछ नाम दिया है, आपने बहुत अच्छा–सा अभी मेरे दिमाग में वह नाम नहीं आ रहा है।

श्री प्रदीप चौधरी–

डेयरी में बैंक बहुत परेशान कर रहे हैं। बैंक आसानी से इसके लिए लोन नहीं दे रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव–

जहां तक बैंक के सपोर्ट की बात है, हमने जिलाधिकारी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर मीटिंग करवाकर बैंक से सपोर्ट दिलवाया है, कुछ रास्ता निकालेंगे। जहां और हैं, वहां कैसे डेयरी जल्दी उनको मिल जाए, लोन जल्दी मिल जाए उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। अगर खाते का आप लोग दावा करते हैं कि खाते ज्यादा खुले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से खाते ज्यादा खुले होंगे क्योंकि साढ़े तीन–चार हजार के आस–पास अगर किसी ने बैंकों की ब्रांचेज खोली हैं उत्तर प्रदेश में तो वह समाजवादी पार्टी सरकार ने खोली हैं। चार हजार के लगभग ब्रांचेज खोल दीं गांव–गांव में और उसी का परिणाम है कि एकाउण्ट खुल गए और उसी का परिणाम है कि डायरेक्ट ट्रान्सफर बेनिफिशियरी स्कीम में भी उत्तर प्रदेश आगे आ गया। समाजवादी पेंशन को लें, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 'हमारी योजना थी उसकी नकल कर

ली' हम लोगों ने। हमारी एक योजना थी, उसकी नकल कर ली वे कह रहे हैं। आप लोग देते ही कितने लोगों को थे और जो आप फार्म भरवाते थे, आप पहले ही तय कर लेते थे कि देना किसको है, लेकिन अध्यक्ष जी, कम से कम समाजवादी पार्टी ने जो गरीब हैं, उनको गरीबी के आधार पर तमाम महिलाओं को देने का काम किया, समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया (मेजों की थपथपाहट)। पिछली बार 45 लाख लेकर गये थे, इस बार 55 लाख समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने जा रहे हैं और यह मैं समझता हूं कि यह देश की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी और उसमें खासकर बुन्देलखण्ड में कह दिया है कि प्राथमिकता पर जितनी भी गरीब महिलायें हैं, हम बुन्देलखण्ड की हम गरीब महिला को समाजवादी पेन्शन से जोड़ने का काम करेंगे। यह सबसे बड़ी योजना है 55 लाख। लैपटाप इसलिए नही बोलेंगे क्योंकि लैपटाप नेता प्रतिपक्ष जी को समझ मे नही आता। बुन्देलखण्ड मे चन्द्रावल नदी जो दिखाई नही देती थी, कम से कम वह खुदना शुरू हो गयी। हम लोगों ने नदियां जिन्दा कर दीं अगर एक भी उदाहरण हो नेता प्रतिपक्ष के पास जहां पर नदी जिन्दा की गयी हो, तो बतायें। कम से कम समाजवादी पार्टी इस दिशा मे काम तो कर रही है और मै वहां के किसानों को बधाई दूंगा कि हमे पूरा सहयोग मिल रहा है और बजट का इन्तजाम अगर कोई कर रहा है तो सरकार कर रही है, पूरा बजट दे रही है। चन्द्रावल नदी को ठीक कर रहे हैं जो महोबा से चलकर हमीरपुर तक खत्म हो जायेगी, हमीरपुर में भी ठीक कर रहे हैं और जो नाले जुड़ रहे हैं, उनको भी ठीक करने का काम कर रहे हैं क्योंकि बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा है कम से कम लोगों को काम मिल जायेगा और जो पानी के स्रोत हैं कम से कम वह ठीक हो जायेंगे इसलिए तालाब और नदियों को खोदने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। सरकार ने मेडिकल कालेज बढ़ायें हैं, आपके पांच साल रहे होंगे कितने मेडिकल कालेज आपने बनाये होंगे, आप बेहतर समझते होंगे। जो बने थे, उनको भी चालू नहीं कर पाये। कम से कम समाजवादी सरकार बनने के बाद, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर चारो के चारो मेडिकल कालेज चल रहे हैं वहां बच्चे एडमिशन पा रहे हैं और बदायूं, बांदा, चन्दौली, बिजनौर में चार मेडिकल कालेज और बहुत जल्दी कुछ जगहों पर जो एम0सी0आई0 की प्राथमिकता में जो कण्डीशन्स होती हैं उनको पूरा करके, निरीक्षण करके, उनको भी चालू करने का प्रयास सरकार करेगी। कन्या विद्या धन जैसी योजना आपके पास नही थी, थी भी तो आप कहेंगे कि हम लोग नकल कर रहे थे हालांकि नेता जी ने शुरू की थी इस बार भी बजट मे 300 करोड़ रुपये उसके लिए है। कृषि विभाग में भी कोशिश कर, उस विभाग को क्योकि बजट पर हमारे मंत्री जी भी बोलेंगे लेकिन कम से कम कृषि विभाग में भी सुधार लाने का काम समाजवादी सरकार ने किया है और 4016 पम्प को लगाने का फैसला सरकार ने लिया है, लग चुके हैं। सड़कों के मामले में आप मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से फोर लेन सड़कें बनी हैं, समाजवादी सरकार ने बनाई हैं इसकी आधी भी आपने फोर लेन नहीं बनाई थी और सड़कें भी ठीक कर रहे हैं क्योकि फोर लेन एक बार ठीक कर रहे हैं क्योंकि फोर लेन एक बार ठीक हो जायेगी उसके बाद दूसरी सड़कों पर भी बड़ी तेजी

से काम चल रहा है। बिजली के बारे में मैं बोल ही चुका हूं। हैण्ड पम्प को लेकर आपने कितना बजट दिया था केन्द्र सरकार ने कितना काट दिया इसके बारे में भी आपकी जानकारी होगी क्योंकि बजट आ गया है। सेन्टर्स स्पान्सर स्कीम कितने बड़े पैमाने पर काट दी हैं, उससे पैसा रुक गया है।

सरकार को और खास कर उत्तर प्रदेश को इसमें घाटा हुआ है। जो पैसा बढ़ना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगभग 8000 करोड़ रूपया उत्तर प्रदेश का कम हो गया है। किसान दुर्घटना बीमा आपकी सरकार में तो चलती नहीं थी अगर किसी किसान की मदद की हो तो बतायें ? कम से कम किसान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की और उसका दायरा बढ़ा दिया कि अगर विकलांग हो जायेगा या बीमार हो जायेगा तो किसान की मदद करने काम का सरकार से होगा। इसलिए क्योंकि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष यह सोच रहे होंगे कि मैं बैठ जाऊंगा तब वह सवाल पूछेंगे, सवालों को लेकर मैं तैयार होकर आये होंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह सकता हूं 2016–2017 का जो बजट है, वह गांव, गरीब और किसान के लिए बजट है इसमें तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। एक समाजवादी रास्ता कैसे आगे बढ़े उसका पूरा इन्तजाम इस बजट के माध्यम से है। नेता प्रतिपक्ष यह सोचते होंगे कि यह बजट केवल कौन सा पुलिन्दा है ? लेकिन यह भी स्वीकार करेंगे कि यह बिल्कुल सच्चाई का पुलिन्दा है। जहां तक आपने कहा कि शेरो शायरी के मामले में आप, हमने तो ठीक ठाक शेर लिखा था क्योंकि शेरो शायरी ज्यादा करते नहीं हैं इसलिए पूरा लिख कर लाये आप लिख करके भी लाये लेकिन लाये आप जुगाड़ वाला। इसलिए नेता प्रतिपक्ष यह जानते हैं कि यह बजट सच्चाई वाला बजट है और यह जमीन पर उतरेगा तो इसके परिणाम दूसरे होंगे, प्रदेश की खुशहाली और तरक्की वाला बजट। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए काम न हो रहा हो। चाहे वह साहित्यकार हो, कवि हों, साहित्यकार और कवियों के प्रस्ताव आपने बन्द कर दिये थे उन्हें सम्मान देना बन्द कर दिया था आपने, उनसे क्या नाराजगी थी आपको। मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से कि कितने साहित्यकारों को आप सम्मान दे रहे थे कितने कवियों का सम्मान कर रहे थे, आपने कितने संस्कृत विद्वानों को सम्मान किया, आपने कितने खिलाड़ियों का सम्मान किया होगा, कितने लोगों को यशभारती के समान कोई सम्मान दिया हो तो बता दें। कम से कम समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया। रानी लक्ष्मी बाई पोस है कम से कम उससे भी सम्मान करने का काम बड़े पैमाने पर, प्रदेश की तमाम लड़कियां बिटियां हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उसको सम्मान करने का काम किया है। यह सरकार तो ऐसी है कि अगर कहीं कोई जान लें कहीं से कोई सूचना मिल जाय कि फलां व्यक्ति ने अच्छा काम किया है। यह सरकार उसके पास पहुंच जाती है उसकी मदद करती है। मैं एक नहीं तमाम उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार के पास अगर जानकारी आ गयी सरकार ने मदद कर दी आप हमें उदाहरण बताओ कहीं ऐसी कहीं सरकार आपकी रही हो। आपकी सरकार का काम करने का तरीका ही अलग था और भारतीय जनता पार्टी तो कमाल की है, कमाल की पार्टी है ।

(श्री पूरन प्रकाश के द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठो, यह ठीक नहीं है। बैठिये पूरन प्रकाश जी, बात सुन लो।

श्री अखिलेश यादव–

लेकिन जो सवाल हैं इस प्रदेश के सामने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है यहां किसान, यहां नौजवान, आने वाले समय में किसानों को सुविधा क्या दी जाय, किसान कैसे खुशहाल हो इस पर चिन्ता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे उसको मैं शामिल करूंगा और जो–जो सुझाव अच्छे आयें हैं उस पर जरूर सरकार विचार करेगी। नौजवानों को रोजगार देना या नौकरी देना यह बड़ी समस्या है बड़ा संकट है देश के सामने केवल प्रदेश के सामने नहीं देश के सामने यह बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो समझ गये होंगे कल रात के बाद कि किसी नौजवान से टकराओगे तो क्या हाल हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

जो बात कांग्रेस नहीं कर पाई दिन खत्म होते–होते वह आपके किसी नौजवान ने कर दिखाया। हलांकि वह मौका कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस नहीं कर पाई लेकिन आखिर में शाम होते–होते आपको जवाब तमाम मिल गये कि किसी देश का रास्ता सेक्युलर होना चाहिए सोसलिस्ट होना चाहिए लेकिन आप, मैं कह रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं महाना जी को, माननीय सदस्य महाना जी को मैं जानता हूं आप दोबारा देख लीजिए।

(श्री सतीश महाना के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, आप बैठिये, सुन लीजिए।

श्री अखिलेश यादव–

भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए नुकसान हो रहा है कि जानकारी पूरी रखते ही नहीं हैं और अगर जानकारी पूरी रखें तो शायद नुकसान न हो आपका। क्या हुआ आपके सामने, क्या हुआ। हमें तो तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमारी सरकार को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कहीं कानून–व्यवस्था का सवाल हो क्योकि यह नोएडा की हैं हो सकता है वह लड़की वाली बात उठा रही हों। कई बार ऐसे मामले आते हैं जो अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं बड़े बड़े सवाल माननीय सदस्य उठाते हैं उसमें प्रेस के लोग कई बार हमारा साथ नहीं देते हैं और हम तो भुक्तभोगी हैं समाजवादी लोग, बताओ बदायूं वाले मामले में कितना बदनाम किया था आपने, क्या मामला था क्या सच्चाई थी कोई नहीं जानता लेकिन कहां–कहां तक बात लेकर गई, लखनऊ में भी एक घटना हुई व्यापारी के साथ लेकिन जब खबर बनी तो बहुत बड़ी बनी बहुत दिन चर्चा हुई उस पर लेकिन जब पुलिस ने खोज निकाला, सच्चाई सामने ला दी तो क्या समाजवादी पार्टी की तारीफ हुई होगी या मान लीजिये कि

गाजियाबाद की एक बेटी जो काम करने जाती थी, वह चली गई कहीं, कितनी बुराई का सामना करना पड़ा हम लोगों को, लेकिन जब मिल गई, वापिस आ गई तो बताओ कहीं पुलिस की तारीफ हुई हो एक जगह पर, अभी नोएडा वाला मामला जो सामने आया है, हम ही जानते हैं कि दो दिन से क्या चल रहा है, खबरें क्या–क्या आ रही हैं सामने, लेकिन वह भी सच्चाई सामने आ गई। हां पुलिस काम करे, आप भी चाहते हो काम करे, हम भी चाहते हैं काम करे और जितना आपको भरोसा है पुलिस पर, उतना हमें भी भरोसा है पुलिस पर, अनन्ततोगत्वा अगर कोई मदद करेगा, तो पुलिस ही मदद करेगी। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। आप कानून का सवाल उठाते हैं, कानून–व्यवस्था का सवाल उठाते हैं क्योंकि विकास के मामलें में यह लोग पीछे चले गये हैं। विकास के मामलें में यह हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। नेता, प्रतिपक्ष और उनके दल के लोग कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बता सकता हूं कि एक–एक जिले में सरकार क्या–क्या काम कर सकती है। एक–एक जिले का मुझे याद है। विकास के नाम पर आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और पता नहीं क्या हुआ आपकी नेता को कि जब विकास की बात आई तो कहा कि अब हम प्रतिमा और मूर्तियां नहीं लगायेंगे, अब हम विकास करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश को पांच साल में दस या बीस साल पीछे छोड़ दिया है। अगर आपने काम किया होता, तो शायद हम लोगों को भी तेजी से काम करने का मौका मिल जाता। फिर उठाते हैं कानून और व्यवस्था लॉ एण्ड आर्डर, कम से कम नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को भाषण में नहीं कहा कि साढ़े पांच मुख्य मंत्री या पांच मुख्य मंत्री हैं। कम से कम यह नहीं कहा, कम से कम याद दिलाया कि तलवार कहीं और है।

श्री मोहम्मद आजम खां (किताब दिखाते हुये)–

लाया हूं टीपू को सुल्तान बनाने वाली किताब और यह मैंने नहीं लिखी है।

श्री अखिलेश यादव–

क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पूरी बात नहीं जानते हैं और जानबूझकर जानना भी नहीं चाहते हैं। शेर के ऊपर और शेर के नीचे क्या लिखा था, यह वह पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अपने मतलब की बात केवल निकाल ली और यहां भी आपने कहा कि टीपू सुल्तान बना दिया, लेकिन तलवार नहीं दी, तो आप तो पुराने नेता हैं, आप तो रामपुर के बारे में जानते होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस किताब में वैसे आंखे इन्हीं (नेता प्रतिपक्ष) की तरफ हैं।

श्री अखिलेश यादव–

आप तो रामपुर के बारे में जानते होंगे, रामपुर में तलवार नहीं बनती। रामपुर में क्या होता है वह कहीं छिपा ही होगा, मेरे पास या इनके पास। यह सच है कि नेता विरोधी दल यह भी जानते होंगे कि जहां से यह नारा लगा था और जहां से यह नारा दिया था आपने क्योंकि नारा आपने ही दिया था तथा वह गली–गली में नारा चला था और उसी का परिणाम है कि मैं पहले मेम्बर ऑफ पार्लियामेण्ट बना और आज मुख्य मंत्री बन गया। शायद मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेण्ट नहीं बनता, तो हमारी भी शुरुआत नहीं

होती और आपने तो उस समय भी कोशिश की थी। किससे मिल गये थे आप। अगर गलियों में यह नारा लगा था कि टीपू को सुल्तान बना दो, तो गलियों में एक और भी नारा लगा था और यह नेता प्रतिपक्ष जानते होंगे कि आप प्रत्याशी कौन ढूंढ़ कर लाये थे और आपने क्या नारा लगवाया था कि 'पत्थर रख लो, छाती पर' यह किसका नारा था। आप पहले बताओ कि दोनों दल के लोग कन्नौज के उप चुनाव में मिले थे अथवा नहीं मिले थे। अध्यक्ष जी, दोनों ने मिलकर कन्नौज में चुनाव लड़ा था और यह बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती है कि वह नहीं मिले थे। यह दोनों मिल करके इधर लड़े थे और यह कब मिल जायेंगे पता ही नहीं। तो यह हमें न बतायें कि राजनीति कैसे करनी है और क्योंकि सुल्तान बनाया है तो उसी का असर है कि अभी तक सुल्तान हैं। पांच बजट पेश किये हैं और छठवां भी बजट भी समाजवादी लोग पेश करेंगे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री मोहम्मद आजम खां–

सुल्तान हैं और सुल्तान–ए–हिन्द का इंतजार करो।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी पार्टी है, आप जैसे नहीं हैं कि स्मारक बनाये हैं। मैं जानता हूं कि आप सोचते होंगे कि आपको जन समर्थन मिल गया है। आपका समर्थन कहां है, आप धरने पर बैठे थे दीवाल टूटने पर, आपके साथ कोई जनता नहीं आई। जिस समय जनता जान जायेगी कि स्मारक बन जायेंगे, प्रतिमायें लग जायेंगी तो कौन आपका समर्थन करेगा। अध्यक्ष महोदय, और यही नहीं मैंने पहले भाषण में कहा था कि इनके पास तो कई प्रतिमायें स्पेयर में रखी हुई हैं। एक प्रतिमा टूट गई थी, नई–नई सरकार बनी थी, वो तो अच्छा हुआ कि एक अधिकारी ने राय दे दी, सुझाव दे दिया कि एक प्रतिमा रखी हुई है कि एक प्रतिमा रखी है, वही उठा कर लगा दो और हमने वही काम किया, एक रखी हुयी थी वही लाकर रख दी और बाद में जाते–जाते मैनें पूछा कि यह बताओ स्पेयर में और रखी है तो बोला कि हां एक और रखी है स्पेयर में। आप कब से सोचने लगे कि आप प्रतिमा नहीं लगाओगे। पुरानी कहावत है अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में नहीं कहूंगा क्योंकि हिन्दी में वह अलग तरीके से बन जाती है। अंग्रेजी में तो यह है कि 'ओल्ड हैबिट्स हार्ट टू डाई' यही है शायद। हिन्दी की कहावत दूसरी है मैं नहीं समझता हूं अध्यक्ष महोदय हो सकता है अनपार्लियामेंटरी हो जाये बात। तो आप अगर आ जाओगे तो प्रतिमा नहीं लगाओगे, कौन यकीन करेगा आपका। आप पैसा नहीं बरबाद करोगे, कौन यकीन करेगा आपका। आप किस दिशा में प्रदेश को ले जा रहे थे, कम से कम समाजवादी लोग विकास की दिशा में लाने का तो काम किये हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत भरोसा था, पता नहीं कितना बदलाव ला देंगे प्रदेश और देश के अंदर। आपके तो सबसे ज्यादा एम0पी0 हैं 73। मैंने कोशिश की याद दिलाने की और माननीय रेलवे मंत्री जी को भी, कि आपका बजट आने वाला है और मैं याद दिला दूं, मैंने तो बहुत पहले पत्र लिखा था, अखबार में तो एक दिन पहले छपा

था। पत्र तो मैनें बहुत पहले लिख दिया था जिससे माननीय रेल मंत्री जी को मौका मिल जाये उत्तर प्रदेश को कुछ देने के लिये। बताओ क्या मिला है आपको। कितने रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं आपके। आज जिन लोगों ने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि न्यूयार्क में कितना अच्छा शानदार मेट्रो का स्टेशन बना है, अरे कम से कम आप उत्तर प्रदेश में भी एक बना देते, आपको तो 73 एम0पी0 मिले हैं । 73 एम0पी0 भी ले लिये आपने और उत्तर प्रदेश को क्या दिया आपने और अभी जब बजट पेश हुआ तो बताइये कि बजट में क्या–क्या मिल गया, एम्स मिला कि नहीं मिला हम तो जगह देने को तैयार हैं एम्स लेकर आइये आप। उन्होंने तो सैनिक स्कूल हमें दिये थे हमने जगह दे दी और बनाना शुरू कर दिया। आप सैनिक स्कूल दीजिये, कुछ तो दो प्रदेश को। हम कोई इसलिये नहीं मांग रहे हैं कि हमें मांगना है आपसे। यह संघीय ढांचे में हमको मिलना चाहिये और जनता का आप पर भरोसा है। 73 एम0पी0 जिता दिये और यू0पी0 को खाली छोड़ दिया। आप कुछ दे ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि एक्सप्रेस–वे पूर्वांचल के इलाके में बना रहा हूं आपको भी दुख है कि पूर्वाचंल तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाये। हमने कहा कि हम अपने बजट से बना रहे हैं कुछ तो हमारी भी मदद कर दो आप। आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो पता नहीं देश के किस हिस्से में ला रहे हो। हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेस वे है, जमीन खाली पड़ी है, बना दो जो बनाना चाहते हो बुलेट ट्रेन। आप बुलेट ट्रेन पर पैसा लगाना चाहते हो तो लगाइये। आपने स्मार्ट सिटी की बात की पता नही कहां से स्मार्ट सिटी आयेगी और स्मार्ट सिटी कैसी होगी। इसीलिये अगर आपने बजट को ध्यान से पढ़ा हो तो हमने कहा कि बजट पेश कर रहे हैं हम लोग पांचवा और आने वाले घोषणा–पत्र की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग अपनी एक ग्रीन फील्ड सिटी भी बनाये ताकि हमारा कोई शहर तो ऐसा बने, अच्छा शहर बने। लखनऊ वाले या दूसरे शहर वाले समाजवादियों को यह नहीं कह सकते कि शहरों में काम नहीं किया है। कानपुर के हमारे माननीय सदस्य है आप बताओ कि शहर में बिजली का इंतजाम ठीक है। (बहुत अच्छा की आवाजें) इसी तरह हम गांव में करना चाहते हैं। आपने तो जाने कब का कहा है लेकिन कम से कम 14 से 16 घन्टे बिजली हम आने वाले समय में देंगे और दो साल पहले आपसे हम दे देंगे बिजली और तब जब नेता प्रतिपक्ष ने कुछ काम ही नहीं किया बिजली के क्षेत्र में, जितना उन्हें करना चाहिये था। क्योंकि सबस्टेशन नहीं बने होंगे तो इंतजाम नहीं हो सकता। बुन्देलखंड में जब हमीरपुर में मैं गया तो मैनें पूछा कि बिजली कितनी आ रही है तो बताया गया कि लो–वोल्टेज है बिजली नहीं आ रही है। मैनें जानकारी की कि क्यों नहीं आ रही है तो पता लगा कि जिस सबस्टेशन से बिजली आ रही है वह 90 किमी0 दूर है। इन्होंने तो इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया है और प्रदेश को आप दिखा रहे हो सपने, कि हम ये ये कर देंगे लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर कहॉ हैं आपके पास। अगर बिजली पैदा हो जायेगी तो तार पर आयेगी कैसे। वह इंतजाम क्यों नहीं किया आपने। कम से कम उन तमाम चीजों को हमने किया है। इसलिये यह विकास का हमारा बजट है, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर हम ले जाना चाहते

हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े बेहतर होगें तो देश के आंकड़े बेहतर होंगे अगर उत्तर प्रदेश पीछे छूट जाये हमारे माननीय सदस्य राधा मोहन अग्रवाल जी जानते होंगे कि प्रदेश के आंकड़े ठीक नहीं होंगे तो देश के आंकड़े ठीक नहीं हो सकते। कम से कम एम0एम0आर0 और आई0एम0आर0 में हम लोगों ने काम किया है, उनको बेहतर किया है फोर्टीफाइड साल्ट के लिये पैसा डाला है, मदर एंड चाइल्ड के लिये पैसा डाला है आज क्यों हम लोग न्यूट्रीशियन मिशन चला रहे हैं, यह सवाल ऐसे हैं जो बड़े सवालों में छिप जाते हैं लेकिन इन सवालों में बहुत जरूरी है कि न्यूट्रीशियन मिशन हो। हमारी मां का स्वास्थ्य बेहतर हो बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो तब जा करके फ्यूचर का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर मॉ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एनैमिक है या और कोई परेशानी है तो वह कैसे बेहतर होंगी। बुन्देलखण्ड में परेशानी है यह मैंने स्वीकार किया है, पहले ओलावृष्टि से नुकसान हुआ अब जा करके नुकसान हो गया सूखा से। हमें टी0वी0 पर दिखाया गया कि वहां पर घास की रोटी खाई जाती है, कई बार वह सीजन ऐसा होता है, मौसम ऐसा होता है, उसके बारे में दूसरे लोगों ने भी लेख लिखा कि वह ऐसा मौसम है उस समय ऐसी चीजें होती हैं, बुन्देलखण्ड के लोग इस बात को बेहतर जानते होंगे यदि आज कोई बथुआ खाना चाहे या साग खाना चाहे तो क्या मिलेगा वह तो समय होता है जब वह चीज बुन्देलखण्ड में उपलब्ध होती है। लेकिन बुन्देलखण्ड की इस परेशानी को समझते हुए कम से कम गरीब को हम लोग आटा भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, आलू भी दे रहे हैं और घी तथा मिल्क पाउडर भी देने का काम कर रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं मस्टर्ड ऑयल भी दे रहे हैं।

अब बात तेल की हो तो बड़े–बड़े उद्योग घराने भी तेल बेच रहे हैं मैं तो जब हाउस से निकलता हूं, सचिवालय आ रहा होता हूं तो राइट साइड में बोर्ड देखता हूं कि तेल जाने कहां का बिकने जा रहा है। पानी के लिए भी हमने इन्तजाम किया है, हैण्डपम्प वाला मामला आखिरी दिन 8 तारीख को होगा लेकिन जहां तक मा0 सदस्य ने बात कही है बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या है इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर गांव के लिए निश्चित कर देंगे कि यह टैंकर होगा। 12 सौ, 15 सौ टैंकर हम लोगों ने चिन्हित कर लिये हैं और टैंकर का हेड खोल दिया है जिससे कि अगर हमें टैंकर खरीदने पड़ें, हालांकि पैसा दो करोड़ ही है लेकिन हेड खुल गया है तो हम पैसा और भी खर्च कर सकते हैं, टैंकर दे करके हम गांव में पानी भी पहुंचायेंगे। हम बिजली को बेहतर कर रहे हैं लेकिन बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो इस प्रकार से बुन्देलखण्ड ही नहीं बल्कि हर जगह पर समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। अस्पताल के क्षेत्र में, मरीज बढ़ गये, मदद बढ़ गई इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बजट उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली का बजट है, यह किसानों और नौजवानों का बजट है। जिस प्रदेश में इन्वेस्टर नहीं आते थे, टूरिस्ट कम आते थे, टूरिस्ट तो पहले से आते थे लेकिन समाजवादियों ने कम से कम उनकी संख्या बढ़ा दी है। आपने टूरिस्ट क्षेत्र के लिए क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया कम से कम हम लोग वह काम कर रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनाया है और इन्वेस्टर आने लगे हैं उत्तर प्रदेश

के अन्दर और बड़े पैमाने पर आये हैं। आपने मेक–इन–इंडिया का नारा तो बड़ा दिया था। अब हम भी देखेंगे कि मेक–इन–इंडिया से मेक–इन–यूपी कितना होगा, यह आने वाला समय ही बतायेगा। आपने याद दिला दिया कि जो वायदा किया था हम लोग उस वायदे से पीछे मुड़ गये। आप और हम और पूरा सदन जानता है कि आरक्षण अगर देना होगा तो कम से कम हमें दिल्ली के दरबार में जाना पड़ेगा, केन्द्र के संविधान की तमाम व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। 17 जातियों के आरक्षण की बात हमने की थी कि उनको शामिल कर दिया जाए, एक तो मा0 नेता प्रतिपक्ष का दल सरकार में आया और आपने प्रस्ताव वापस मंगा लिया और अभी हमने प्रस्ताव भेजा तो वहां से वापस भेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार को। जहां तक मुस्लिम भाइयों की बात है तो समाजवादी पार्टी जिसके लिए लड़ती रही है उसके लिए लड़ती रहेगी कि उनको कैसे हम लोग मौका दें और समाजवादी लोगों ने जितनी भी हमारी लाभकारी योजनाएं हैं उनमें 20 प्रतिशत उनको लाभ देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें हम लोग मदद न दे रहे हों। इसलिए यह तरक्की और खुशहाली का बजट है, यह बजट ऐसा है जिससे किसानों और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यह बजट हर वर्ग के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम मा0 सदस्यों का जिन्होंने सुझाव दिये हैं, को धन्यवाद् देता हूं, उनके सुझावों को कितना शामिल कर सकता हूं इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि उनको शामिल करूं, कई मा0 सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, स्पष्टीकरण पूछ लें, भाषण इस पर बहुत नहीं होता है। मा0 सदस्य, आप लोग क्या झुके–झुके वहां खड़े हैं, मौर्या जी कुछ पूछ रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा के दौरान हमारे सभी दलीय नेताओं के साथ–साथ विपक्ष के....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, यह राज्यपाल के अभिभाषण पर आश्वासन देते हैं तब इस तरह से होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है मान्यवर। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन बातों पर यहां पर चर्चा की गयी है उसका तो कोई जवाब दिया ही नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नेता विरोधी दल ने मांग रखी थी कि इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले 73 लाख छात्र और छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सायं 7.00 बजे से 12.00 बजे तक और सुबह 4.00 बजे से 8.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जाए और आपने अभी सूचित किया कि सरकार ने करने का निर्णय लिया है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता

हूं। और दूसरी चीज मैंने यह भी उस दिन यह मांग की थी कि बुन्देलखण्ड के लिए आप बजट में वृद्धि कितना भी क्यों न कर दें लेकिन जिस तरीके से वहां पर पलायन हो रहा है, किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, भूखों मरने के लिए मजबूर हैं ऐसी हालात में वहां त्वरित राहत पैकेज की आवश्यकता है। अभी 03 रुपये प्रति किलो चावल और 02 रुपये प्रति किलो गेहूं की योजना आपने शुरू की, योजना कल्याणकारी है लेकिन मान्यवर, इसकी शुरुआत भी बुन्देलखण्ड से होनी चाहिए थी। अभी भी आप कह रहे हैं कि राहत पैकेज देंगे, यहां अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। जैसे यहां आपने आज घोषणा किया, यहां आज आप अवगत कराते कि मैंने बुन्देलखण्ड में यह व्यवस्था लागू कर दी है, एक चीज। दूसरी चीज, मान्यवर, यह सही है कि वायदे बहुत अच्छे होते हैं और स्वप्न भी बहुत अच्छा होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट वायदों और स्वप्न पर आधारित ढपोरशंखी बजट है इसीलिए मान्यवर, जनहित के मुद्दों से इन्होंने बचते हुए केवल फोर लेन रोड बनेगी, आगरा में फोर लेन रोड बनेगी, उत्तर प्रदेश में फलां–फलां जगह फोर लेन रोड बनेगी ये केवल घोषणायें हैं, वायदे हैं। जब इसके पहले के सारे वायदे आज रद्दी की टोकरी में चले गये। अगर वाकई में अपने वायदे के प्रति आप ईमानदार थे तो लैपटॉप और कन्या विद्याधन में आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। अन्य जो भी आपकी घोषणायें थी साड़ी, कम्बल और साथ ही साथ टैबलेट, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई ये भी पूरा करना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि फोर लेन रोड हमने पीपीपी के माध्यम से बनायी थी। मान्यवर, आपने पी0पी0पी0 के माध्यम से 04 बार टेण्डर किया, आपकी साख इतनी खराब थी कि कोई आपका टेण्डर लेने वाला तैयार नहीं हुआ, यह इनकी सरकार की हैसियत है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ पी0पी0पी0 के तहत जो सड़क बनी है चलिये उस पर तो अपने क्षतिपूर्ति, भरपायी के लिए वह वसूली कर रहे हैं लेकिन आपकी सरकार में वाराणसी–शक्तिनगर उपसा के द्वारा बिना पूर्ण कराये गये, वसूली जारी हो गयी, 50 लाख, 60 लाख रुपया प्रतिदिन वसूली हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या इसका संज्ञान लेते हुए यह भी जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे कि वह पैसा सरकार के खाते में जा रहा है या किसी अन्य संस्था के खाते में जा रहा है। इसके साथ ही साथ आवासीय योजना, गरीबों के लिए बनायी जाती है। लोहिया ग्राम योजना के तहत पहले आपने जितने भी बी0पी0एल0 कार्ड धारक थे आपने उनकी संख्या घटा करके मात्र 25 कर दी तो स्वाभाविक रूप से अन्धा बांटे रेवड़ी अपन अपन का देय। इस तरीके से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण पूछिये ना, आप भाषण कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं और आपने यह कहा बिजली उत्पादन में बड़ी आपने अपनी पीठ थपथपाई। अच्छा होता उत्पादन हो गया होता तो मैं उसका स्वागत करता।

अभी इसी पिछले प्रश्न प्रहर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि लगभग 3800 मेगावाट बिजली आप पैदा कर रहे हैं जबकि हमारी सरकार में जब 2012 में मैं छोड़ कर गया था उस समय 4200 मेगावाट बिजली पैदा होती थी उत्तर प्रदेश में। आपको तो जो दिया था उसको भी आप नहीं सम्भाल पाये।

श्री अध्यक्ष–

आप जो भाषण में बोल चुके हैं उसको क्यों दोहरा रहे हैं। स्पष्टीकरण पूछना है तो वह पूछें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब अगर आप फोर लेन बना ही रहे हैं तो एक सड़क मैं भी आपकी बात मैंने मान लिया देखें यह कहां तक मानी जाती है। जनपद कुशीनगर मुख्यालय पडरौना से तम्कुही तक की रोड बहुत खराब है। काम शुरू हुआ था लेकिन बीच में रूक गया। नतीजा यह है कि वह चलने लायक नहीं है। इसलिये इसको पूरा कराने का काम करेंगे और कुल मिलाकर चूंकि जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वायदों से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लुभे कि नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वायदों में तो यह 2012 में आ गये और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले गये लेकिन अब यह आपके वायदों और झांसों में कोई आने वाला नहीं है इसलिये अगला बजट कौन पेश करेगा यह उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और साथ ही साथ आपने चीनी मिल...

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, अब खत्म करिये। आज बहुत बजट हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, खत्म कर रहा हूं। आज हम बोलेंगे नहीं। चीनी मिल की बात आपने की। अगर किसान का भुगतान बेहतर तरीके से हो रहा है तो आज गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल में कमी क्यों आई ? आपकी ही सरकार के मंत्री ने जवाब दिया अभी प्रश्न प्रहर में इसी सत्र में। क्षेत्रफल में कमी इस बात को इंगित करती है कि गन्ना किसान पीड़ित है। रही बात बगलवालों की, तलवार वालों की...

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण पूछना था। आप तो उत्तर का उत्तर दे रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नहीं मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चक्कू छुरिया तक तो गनीमत थी। चक्कू छुरियां वहां बनती थीं, चक्कू छुरियां रखें तो बात समझ में आती लेकिन तलवार उठा ले गये और वह भी टीपू सुल्तान का तो स्वाभाविक रूप से जब हनक नहीं, इकबाल नहीं, तलवार नहीं तो सरकार किस बात की और साथ ही साथ टीपू सुल्तान किस बात का। धन्यवाद मान्यवर।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक बुन्देलखंड की बात है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि अगर लागू होना था तो बुन्देलखंड से लागू होना था। चूंकि यह सदन चल रहा था और बहुत जल्दी मैं बुन्देलखंड जाऊंगा और जो 2 रुपये 3 रुपये देने पड़ेंगे बुन्देलखंड क्षेत्र के लिये वह भी सरकार देगी और पूरा का पूरा माफ किया जायेगा। बहुत जल्दी शुरू कर देंगे लेकिन जो वाकई में गरीब है उस तक पहुंचे इसमें आप हमारी मदद करेंगे। धन की कहीं दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहली बार सरकार राहत देने जा रही है। या लागू करने जा रही है, उसके लिये इंतजाम पूरे हो जायं, हमारी तैयारी पूरी हो जाय हम बहुत जल्दी बुन्देलखंड आकर बांटेंगे। जहां तक लैपटाप डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। यह सही है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी सरकार ने लैपटॉप नहीं बॉटा होगा। 17 लाख लैपटॉप बांट दिये। आप ही नेता प्रतिपक्ष थे कहते थे कि लैपटॉप बांटकर क्या करोगे। अब जब हमने लैपटॉप उनको दे दिये तो अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सबको क्यों नहीं दे रहे हैं। यह लैपटॉप वाली बात हम पर छोड़ दीजिये आप उसके चक्कर में मत पड़िये। दूसरा कन्या विद्या धन की जहां तक बात है, माननीय अध्यक्ष जी, कन्या विद्या धन इसलिये कर दिया अंको को ले करके क्योंकि पहले बहुत शिकायत मिलती थी और बहुत जगह यह सुझाव आया जो बेटियां अच्छे नम्बर प्राप्त कर रही हैं उनकी मदद की जाए। क्योंकि जब गरीबी वाला प्रमाण–पत्र बनाना पड़ता था तो कई बार बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था। कम से कम जिस तरीके से अब हम देने जा रहे हैं कोई भ्रष्टाचार पर ऊँगली नहीं उठा सकता है। आय प्रमाण–पत्र की अब कहीं किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है।अगर आपके अच्छे नम्बर हैं आपके, उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको प्राप्त होगा। जहां तक पी0पी0बी0 की बात है यह जो मॉडल है पी0पी0बी0 वाला इनका मॉडल अगर चले तो पूरे किसानों की जमीन छिन जाएगी। जो सदस्य वहां से चुनकर आते होंगे वह जानते होंगे सदस्यगण, कि कितने बड़े–बड़े पैकेज इन्होंने दे दिए और जो हम पी0पी0बी0 पर कर पाए वह बात भरोसे की नहीं थी बात बाजार की थी क्योंकि जो भी उद्योगपति आएगा हम और आप सब जानते हैं उद्योगपति इसलिए आएगा कि मुनाफा ज्यादा मिल जाए। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा निकाल ले। क्योंकि उन्हें लगा कि आपके में मुनाफा ज्यादा है स्वीटनर ज्यादा बड़ा है लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वीटनर पाने के बाद भी वह कितने हजार करोड़ घाटे में चला गया इतने हजार करोड़ में कि आप सोच नहीं सकते हैं, वह आंकड़े आने नहीं चाहिए सदन में, तो पी0पी0बी0 पर जरूर, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से बनाया है, जो शक्तिनगर का है क्योंकि किसी ने अगर इन्वेस्ट किया पैसा,

तो जो इनवेस्ट करेगा, जहां सड़क वाईपास में दिक्कत थी, वाइपास का रास्ता निकाल दिया शहर के अन्दर निकल रहा था, तमाम कमियां थीं उसको दूर किया है, तो वह तो टोलरोड है, क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया है उससे सड़क बनी है सरकार का पैसा नहीं लगा है इसलिए पैसा तो लेगा ही वह, और सड़क भी पूरी तैयार है और जब सड़क पूरी तैयार हो जाएगी तो मैं समझता हूं उस पर टोल लगेगा। तो यह सारी कंडीशन होती हैं उसके तहत काम होता है। जहां तक आपने कहा कि साड़ी कम्बल नहीं बांटे, हमने समाजवादी पेंशन इतनी बड़ी कर दी कि अब महिला जो पेंशन प्राप्त करेगी उस पर छोड़ दिया कि वह अपने बच्चे की देखभाल, खाने पीने के लिए खर्च करे, चाहे वह साड़ी ले ले, चाहे वह कम्बल ले ले हालांकि कम्बल बंटे हैं लेकिन साड़ी वाला जो मामला था, इसीलिए मैं समाजवादी पेंशन लेकर आया। क्योंकि साड़ी वाली में झगड़ा हो जाता क्योंकि अगर हम साड़ी देते लाल रंग की, तो यह कहते कि नीले रंग की साड़ी क्यों नहीं दी, हरी दे देते तो कहते पीली वाली क्यों नहीं दी,इसलिए हमने समाजवादी पेंशन देकर के उस महिला पर ही छोड़ दिया कि वह क्या लेना चाहती है किस तरह का रंग लेना चाहती है तो हमने वह तमाम चीजें शामिल की हैं। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष का कि उन्होंने सवाल पूछे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे छोटे–छोटे से स्पष्टीकरण हैं। एक–एक लाइन के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस चेयर से कहा था कि लोहिया गांव में विधायकों की संस्तुति को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। दूसरी बात पहली जनवरी से 27 जिले और पहली मार्च से 48 जिले फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर कर रहे हैं। उसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया लेकिन अभी तक राशन कार्ड़ों का डाटा डिजिटलाइजेशन कम्पलीट नहीं हुआ राशन कार्डों की चेकिंग भी पूरी नहीं हुई और उसको लागू कर दिया गया। इसमें 65 परसेन्ट से लेकर 80 परसेन्ट तक लोग लाभान्वित होंगे गरीब लोगों की योजना है। तो कब तक राशन कार्डों का डाटा डिजिलाइलेशन पूरा हो जाएगा और राशनकार्डों की चेकिंग कब तक पूरी हो जाएगी। तीसरा स्पष्टीकरण मान्यवर, पी0जी0आई0 में हार्ट के, लीवर के और किडनी के पेशेन्ट जाते हैं दो दिन इमरजेंसी में भर्ती होते हैं और लौटाल दिए जाते हैं। मैं मान्यवर, यह सवाल सात साल से विधान सभा में उठा रहा हूं। मान्यवर, जब पी0जी0आई0 बना था तो 1700 बैड का इनीशियेट हुआ था और मेरी निश्चित जानकारी है कि आज भी वहां एक हजार बैड से ज्यादा फंगशनल में नहीं हैं। मान्यवर, अगर उसमें पांच सौ बेड बढ़ा दिए जाएं तो पूरे प्रदेश की जनता को फायदा होगा। हर सेशन में हम इस बात को उठाते हैं लेकिन समुचित उत्तर हमें उस बात का नहीं मिल पाता कि कब तक बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अन्तिम बात इस सरकार ने शराब तो सस्ती कर दी शराब किन लोगों के लिए सस्ती कर दी मुख्य मंत्री जी जरा इस बात की जानकारी दे दें। 25 प्रतिशत शराब के ऊपर छूट दे दी आखिरकार कौन सी मजबूरी है जो शराब सस्ती कर दी और शिक्षा के मामले में एक भी लाइन नहीं बोले बेसिक शिक्षा के मामले में हमने विशेष रूप

से कहा था एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बारे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपने बहुत सवाल पूछ लिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने अपनी बात केवल डेढ़ मिनट में कह दी। मान्यवर, हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री अध्यक्ष–

अगर वह जवाब देना चाहें ।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के लिए तो धन्यवाद देता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के बेंच की मांग पुरानी है यहां पश्चिम के जितने भी विधायक बैठे हुए हैं उसका कोई भी जिक्र बजट में नहीं किया गया। इस बात की घोषणा नहीं की गई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच खोली जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सरकार तो रही है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर इसी तरह से यह पांचवा साल है इसके बाद हम लोग इलेक्शन में जाएंगे आपके आदरणीय पिता जी जब विनियोग विधेयक पर बोलते थे तो प्रत्येक विधायक को दो सौ हैण्डपम्प दिया करते थे, विधायकों की सेलरी बढ़ाने की बात किया करते थे सात कि0मी0 की सड़कें दिया करते थे पांच गांव विद्युतीकरण के लिए देते थे क्षेत्रीय विकास निधि भी बढ़ाने की बात करते थे

श्री अध्यक्ष–

फिर आप भाषण दे रहे हैं। स्पष्टीकरण पूछा जाता है खन्ना जी ने एक मिनट में पूछ लिया।

श्री प्रदीप माथुर–

जिस दिन विनियोग विधेयक आएगा उस दिन आप यह सौगातें इन 403 विधायकों को देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कितना पूछेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी बोलने दिया करिए। मेरी बात पर आप टोका–टाकी शुरू कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब भाषण में कह चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपका संज्ञान चाहूंगा पिछले चार साल से मैं बजट के भाषण में बोल रहा हूं कि हमारे जनपद मथुरा में यू0पी0ए0 सरकार द्वारा गैंस सेंक्शन कराई गई एक गैस पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात आई चार बार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अधिकारियों से आपने कहा।

माननीय मुख्य मंत्री जी विधायक जी से कह दीजिए कि वह आपसे बातें बाद में कर लें। बड़ा इम्पार्टेंट मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपके संक्षिप्त में बात पूछनी चाहिए थी।

श्री प्रदीप माथुर–

गैस पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात करते तो अच्छी बात होगी। इसी तरह से हमारे पश्चिम में दो शुगर फैक्ट्री हैं छाता हमारे इलाके में हैं साठा इनके इलाके में है आपने पिछली बार घोषणा की थी कि छाता शुगर फैक्ट्री चलवाएंगे उस अपनी घोषणा पर अमली जामा तो पहनाइए। इसी तरह से मथुरा बृंदावन में गिरने वाले नालों को ट्रैप कराने के लिए कोई घोषणा बजट में कर देते। इसी तरह से ताज ट्रिपेजियम जोन में 24 घण्टे बिजली देने की बात है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब मान ही नहीं रहे हैं। आप भाषण कर रहे हैं। यह तरीका नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद 24 घण्टे बिजली नहीं आ रही है। सौगात नकुल क्षेत्र से निकलने वाली नहर को भी अपने बजट में शामिल किया जाय आपने इसे शामिल नहीं किया क्योंकि वहां का वाटर लेबिल बहुत नीचे हो गया है। यह सहारनपुर के प्रदीप चौधरी की मांग है। आपने जो भी विकास का आइना दिखाया है परन्तु यदि 403 विधायकों के बारे में सोचते आपने पी0डब्लू0डी0 के बजट में कोई ज्यादा विस्तार नहीं किया सड़कें इतनी सारी हैं कि पूछिए मत।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब अब बैठिए।

श्री दलबीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी वैसे परम्परा तो सदन की यह है कि हम स्पष्टीकरण मांगे लेकिन मुझे स्पष्टीकरण मांगना कुछ अटपटा सा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो पहले ही बहुत लम्बे सुझाव दे चुके हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं तो उसी पर एक–दो शब्द बोलकर अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम नहीं है। नियम यह है एक–दो प्वाइंट अगर कहीं होते हैं तो लोग पूछ लेते हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दे देते हैं। आप लोग उसी विषय पर पूरा भाषण कर रहे हैं जबकि आप लोग बोल चुके हैं और कोई प्वाइंट छूटा नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सबसे पहले अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की। मैंने अपने भाषण में भी आपसे निवेदन किया और आप और मा0 शिवपाल सिंह जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी शायद सहमत भी हो गये थे कि आज शायद आप घोषण करेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से उस पर स्पष्टीकरण क्या मैं उस पर घोषणा ही चाहता हूं। मैंने एक सुझाव भी दिया था। स्व0 मा0 चौधरी चरण सिंह जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे, उनके नाम से एक योजना चलाने के लिये मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था। मैं चाहूंगा कि आप उनके नाम से कोई घोषणा जरूर करें, उससे पूरे प्रदेश के किसानों को खुशी होगी, उनको अच्छा लगेगा। मा0 शिवपाल सिंह जी भी कई बार कह चुके हैं कि इस संबंध में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। किसानों के बिजली के बिल में आपने सरचार्ज समाप्त करके उनको काफी राहत दी है। सूखा राहत और ओलावृष्टि के लिये जो भी आप वितरण कर रहे हैं, इसमें अगर किसानों का बिजली का बिल माफ हो जाये तो किसानों को बहुत राहत मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप जब अपने भाषण में बोल रहे थे तो सब कह चुके हैं तो फिर उसी बात को क्यों दोहरा रहे हैं ? उसको मा0 मुख्य मंत्री जी ने सुन लिया था और उन्होंने उसका जो जवाब दिया उसको सुनिये।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, काफी समय से पूरे सदन की यह मांग है। सभी विधायक आज के दिन के लिये पूरा मन बनाकर बैठे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 शिवपाल सिंह जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हम लोगों के लिये क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि यह लास्ट साल है। मैंने कहा था कि विधायक निधि की, नये सदस्यों को प्लाट या फ्लैट मिलने चाहियें, जिन पुराने सदस्यों को नहीं मिले हैं उनको मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रिविलेज मा0 नेता विरोधी को है कि वह जब तक चाहें तब तक बोलें। सभी लोग नेता विरोधी दल बन रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी सुनना चाह रहे हैं और उनका ध्यान मेरी तरफ है। नये विधायकों को जरूर मिलना चाहिये, पुराने विधायक जिनको नहीं मिले हैं उन्हें मिल जायें। हम लोगों को बिल्कुल न मिलें, क्योंकि हम लोगों को मिल गये हैं। दूसरा यह है मैंने निवेदन किया था कि सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त पैसा खर्च किया जाये, क्योंकि यह प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 शिवपाल सिंह जी बैठे हैं। सभी जे0ई0 और ए0ई0 हड़ताल पर हैं। आपके द्वारा सड़कों हेतु स्वीकृत पैसे से एक भी काम नहीं हो रहा है। आप दोनों से मेरा निवेदन है कि इस पर शीघ्रता से निर्णय हो जाये जिससे कि पूरे प्रदेश में काम चालू हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये नया पैकेज, एक एम्स की व्यवस्था चाहे नोएडा में, चाहे गाजियाबाद में की जाये और हाईकोर्ट की बेंच के लिये बड़े लम्बे समय से हमारी मांग होती चली जा रही है। साथा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई जाये और छाता चीनी मिल को पुनः चालू किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मा0 सदस्यों के लिये विधायक निधि, वेतन पेंशन, पूर्व सदस्यों की पेंशन, हैण्डपम्प, बिजली की व्यवस्था और यूनिवर्सिटी के संबंध में अवश्य घोषणा हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा सही नहीं है। आप भाषण दे चुके हैं तो स्पष्टीकरण क्या चाहिये। यह गलत परम्परा पड़ रही है। मा0 नेता विरोधी दल को यह प्रिविलेज है कि वह जब चाहें तब बोल सकते हैं। आप लोग जब चाहते हैं तब खड़े हो जाते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें ?

श्री अखिलेश यादव–

मान्यवर, आप आगे बढ़ें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोक दल के कई सदस्य, मुख्य मंत्री से जवाब देने का आग्रह करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

जब मुख्य मंत्री जी, जवाब नहीं देना चाहते तो मैं क्या करूं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, आप मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हम जवाब नहीं दिलवा सकते। आप बैठिए, आप मिनिस्टर रहे हैं, आप जानते हैं। मुख्य मंत्री जी जब नहीं जवाब दे रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं तो मैं कैसे बोलवा दूंगा, आप बैठिए।

अब मद संख्या–8, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति।

(कई सदस्यों के मा0 मुख्य मंत्री से जवाब देने का आग्रह करते रहने पर)

श्री अखिलेश यादव–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता, दलवीर सिंह जी, इनके तो सुझाव हम मान ही लेते हैं, तो 08 तारीख तक तो इन्तजार करिए, 08 को कुछ कहेंगे। जहां नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल, उसकी तैयारी आधी–अधूरी है, मैं समझता हूं कि जो तैयारी की है, उसे पूरी करके हर चरण में बहुत तेजी से काम करेंगे, जिससे इसे लागू कर सकें क्योंकि बड़े पैमाने पर गरीबों को इससे लाभ मिलेगा। राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उस पर काम चल रहा है और उसमें जितनी तेजी आ सकती है, उसमें हम लोग तेजी लायेंगे। जो बात नेता, भारतीय जनता पार्टी हर बार कहते हैं, हर सदन में कहते हैं, मैंने उनका दुःख सुना है कि पी0जी0आई0 में बेड बढ़ने चाहिए। माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि बहुत जल्दी 180 बेड पी0जी0आई0 में बढ़ जायेंगे। (मेजें थपथपाई गईं) और आपने कहा कि शिक्षा पर हमने कुछ नहीं किया, हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं कि समान शिक्षा लागू हो, जो बेसिक शिक्षा की हालत है, उसको हम और आप से बेहतर कोई नहीं जानता जो क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मैं जब मैनपुरी के एक गांव में गया और मैंने स्कूल का निरीक्षण किया, अध्यक्ष महोदय, केवल 09 बच्चे उसमें मिले, बाकी सभी बच्चे सिटी माण्टेसरी या जिस तरीके के गॉवों में स्कूल खुल गए हैं, वहॉ सब पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अभी, नेता, आर0एल0डी0 ने कहा कि कुछ लोग धरने पर हैं, आन्दोलन में हैं। अब शिक्षा विभाग में हमारा कितना बड़ा बजट है, बेसिक शिक्षा में कितना बड़ा बजट है ? लेकिन हमारी क्वालिटी, एजूकेशन की क्या है? तमाम रिपोर्टें हैं, उसको ले करके, लेकिन उस दिशा में कैसे बेहतर काम हो, उस पर जरूर काम करेंगे क्योंकि यह जरूरी है। यदि बेसिक शिक्षा अच्छी होगी तो मैं समझता हूं कि आने वाली पढ़ाई जो उनको पढ़नी पढ़ेगी, उसमें भी कुछ रिजल्ट अच्छे आयेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजूकेशन कैसे बेहतर करें, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप भी कुछ हमारा सहयोग करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है, शिक्षकों को अच्छा पढ़ाने के लिए तो वह आप हमें जरूर देना, हम उस सुझाव को जरूर मानेंगे। लेकिन सुझाव जल्दी दे देना, उसमें देरी मत करिएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने खुद कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कौन आएगा, यह जनता तय करेगी। लेकिन हमें भरोसा है कि जो काम जनता के लिए हम लोगों ने किया है और जब जनता तुलना करेगी, बहुजन समाज पार्टी के कामों की और भारतीय जनता पार्टी ने दो साल में जो बजट पेश किए हैं और जनता में क्या उतारा है ? जनता सबसे बेहतर अगर किसी को पायेगी तो समाजवादी लोगों को पायेगी। (सत्तापक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाई) और यह बात मैं मानता हूं, नेता प्रतिपक्ष

और आपके सदस्य जो कहते हैं कि सरकार नहीं बनेगी, बसपा आयेगी। मैं चाहता हूं, यह सपना आप बड़ा देखो, इससे भी बड़ा सपना देखो, आप, देखना चाहिए सपना, सपना देखने में तो कोई पाबन्दी है नहीं, न मैं रोक सकता हूं और न आप रोक सकते हैं। तो यह सपना बना रहे, इतना मैं कह सकता हूं, आपका सपना बना रहे। अगर कोई लौटेगा और मैं सदन में सभी मा0 सदस्यों के सामने कह सकता हूं, कोई लौटेगा तो वह समाजवादी लोग लौटेंगे और वह परिणाम दिखाई दे रहा है क्योंकि दावा ठोंका था, इन लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया था कि पंचायत के चुनाव में सब जीत गए यह लोग। आपको तो पता होगा, पंचायत चुनाव में क्या परिणाम रहा है ? कहीं दखल नहीं दिया सरकार ने और परिणाम आपके सामने है। अरे, प्रधानी में क्या दखल दिया होगा, क्या प्रधानी में सरकार ने दखल दिया है ? लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष को कुछ बोलना है तो वह तो बोलेंगे ही, वह नौकरी इसी बात की है, बोलने की। अगर कोई बड़ा सुझाव मांगेंगे तो जाना पड़ेगा सदन से कि यह सुझाव है, सरकार का, पार्टी का। इसलिए हमें और आपको जनता के बीच में जाना है लेकिन बजट के माध्यम से कम से कम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता है।

[02-15] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (वर्ष 2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री विशम्भर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' (वर्ष 2015–2016) उक्त समिति का प्रथम प्रतिवेदन जो संसदीय कार्य विभाग से सम्बंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच में डिग्री कालेज खोलने विषयक डा0 जे0 बी0 सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच में डिग्री कालेज खोलने विषयक डा0 जे0 बी0 सिंह व श्री राजालाल सिंह निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत जवहीदयाल के तिवारी घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शंकर साहनी आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत जवहीदयाल के तिवारी घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शंकर साहनी व श्री दिनेश गुप्ता निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत धोकरहा घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल प्रसाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत धोकरहा घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल प्रसाद व श्री सत्तधारी प्रधान निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आसिफ खां आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आसिफ खां व श्री फिरोज खां निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत रामेश्वर विद्यालय के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक डा0 असलम आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत रामेश्वर विद्यालय के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक डा0 असलम व श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के इल्मास बाग अजीत गैस गोदाम के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमीर अहमद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के इल्मास बाग अजीत गैस गोदाम के पास की कच्ची

सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जमीर अहमद व श्री आफाक अली निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–सिमरावारी के मजरा–मखड़याऊ, डुबी तथा बादली में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री मनीराम राजपूत आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झॉसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–सिमरावारी के मजरा–मखड़याऊ, डुबी तथा बादली में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री मनीराम राजपूत व श्री सज्जन सिंह निवासीगण जनपद झॉसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–रक्सा के मजरा–जनकपुर भरतेले का डेरा, सिमरइयन का डेरा तथा पुरतनयाबांध में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री अशोक मिश्रा आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झॉसी के विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत–रक्सा के मजरा–जनकपुर भरतेले का डेरा, सिमरइयन का डेरा तथा पुरतनयाबॉध में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री अशोक मिश्रा व श्री धर्मेन्द्र सिंह निवासीगण जनपद झॉसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के चिनहट में स्थित कमला नेहरू नगर कमता इस्माइलगंज वार्ड–2 के मकान नं0–18 से 25 तक गड्ढायुक्त सड़क एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक सुश्री सुजाता उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अभय नारायन सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के चिनहट में स्थित कमला नेहरूनगर कमता इस्माईलगंज वार्ड–2 के मकान नं0–18 से 25 तक गड्ढायुक्त सड़क एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक सुश्री सुजाता उपाध्याय व मनी राम यादव निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13, 14 व 15 कुछ नहीं है। अब मद संख्या–16

[02-20] उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तर दायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016†

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

---

† fnukad 29 ekpZ] 2016 ds vlk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V easa Nik gSA

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 कार्यस्थगन के पहले मा0 कांग्रेस के एक सदस्य हैं, उनको शपथ लेना है। वह आये हैं ?

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आये हैं वह हमारे पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, हम उन्हें अभी बुलवा लेते हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, उनके आने में समय लगे तो पहले मद संख्या–22 ले लें, उसके बाद उन्हें शपथ दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन कार्य–स्थगन लम्बा चलेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य आ गये हैं।

[02-25] नवनिर्वाचित श्री माविया अली द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले इन्हें शपथ दिला दें, उसके बाद मद संख्या–22 लेते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्य श्री माविया अली को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई।)

[02-26] कार्य–स्थगन का प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 04–03–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, इसको क्रम से लेते चलते हैं, थोड़ा–थोड़ा करके ज्यादा नहीं क्योंकि बजट बहुत है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री उमेश पाण्डेय, श्री मो0 आसिफ, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्रीमती पूजा पाल, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री संतराम कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री सुल्तान बेग, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, गजेन्द्र सिंह, श्री मो0 अलीम खां, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की प्रदेश सरकार के कतिपय विभागों में अनुसूचित जाति/जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की गलत व्याख्या के आधार पर पदावनत किए जाने के संदर्भ में है।

इस पर मौर्या जी आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, संक्षेप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने का अवसर आपने प्रदान किया इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–04–2012 की गलत व्याख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने राजनीतिक द्वेष भावना व प्रतिशोध के चलते उत्तर प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारियों/अधिकारियों को असंवैधानिक तरीके से पदावनत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोशन में आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के खिलाफ यह कार्यवाही की गयी होती तो शायद यह प्रश्न यहां पर प्रस्तुत नहीं किया गया होता लेकिन ऐसे भी अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी, जो सामान्य परीक्षा, विभागीय परीक्षा तथा वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत प्राप्त किए हैं, उनको भी पदावनत करने का काम किया जा रहा है और अब लगभग बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 हजार अधिकारियों/कर्मचारियों को पद से पदावनत करने का काम किया गया और पौने तीन लाख अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता से पदावनत करने का काम किया गया। इससे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समाजवादी विचार पर आधारित समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार का असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी/अधिकारी आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है, इससे सरकार को बाज आ जाना चाहिए लेकिन इस संबंध में अनेकों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी सरकार इस पर हीला–हवाली रवैया अपना रही है। अध्यक्ष जी, जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हैं, अगर वह निर्णय अपने में यथावत् सही उसका अनुकरण करते तो उत्तर प्रदेश में आज अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को इस प्रकार से पदावनत हो करके अपमानित होने का अवसर नहीं प्राप्त होता। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर दुर्भावना से ग्रसित हो करके, इस प्रकार से बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि देश के किसी भी अन्य प्रदेश में इस प्रकार का घिनौना कृत्य नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि मान्यवर, जिस तरीके से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी सड़कों पर हैं, अनुसूचित जाति के लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश है, आंदोलन करने के लिए वह आज कभी भी सड़कों पर आ सकते हैं और लगातार 3 महीने से उनका यह आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरीके से चल भी रहा है लेकिन सरकार हीलाहवाली के रवैये से बाज नहीं आ रही है इसलिए मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकमहत्व का विषय है। साथ ही साथ

तात्कालिक है और इससे पूरे प्रदेश में अराजकता की जिम्मेदारी भी सरकार पर जाती है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार इस पर तत्काल प्रभावी निर्णय लेते हुए ऐसे लोग जो आज अवैध तरीके से पदावनत किए गए हैं। गैर संवैधानिक, असंवैधानिक तरीक से पदावनत किए गए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार अपनी वचनबद्धता दोहराए और उनको तत्काल अपने पदों पर बहाल करने का काम करे जिससे आज बड़े पैमाने पर जो अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों का मनोबल गिर रहा है उस पर विराम लग सके और वे भी ईमानदारी से प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी मा0 मौर्य जी अनुसूचित जाति–जनजातियों के विषय पर नियम–56 में बोल रहे थे तो क्या उस पर जवाब देंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसका परीक्षण कराना पड़ेगा, देख लेते हैं। मैंने कहा कि इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के इस उत्तर से असहमति नहीं है क्योंकि वे यही उत्तर देंगे। इस विषय को मैंने इसलिए उठाया कि प्रकरण पूरा का पूरा मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इस असंवैधानिक पदावनति पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दे रखा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय का भी इस प्रकार का आदेश है कि असंवैधानिक तरीके से की गई पदावनति को तत्काल उस पर विचार कर बहाल करने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी, 3 महीने से सभी विभागों में पीड़ित कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है लेकिन उसके बावजूद बिना उस प्रतिवेदन का निस्तारण किए सरकार केवल हीलाहवाली और बहानेबाजी का सहारा ले रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर मा0 मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसा नहीं है क्योंकि यह लीगल मैटर है। जो कार्यवाही हुई वह भी न्यायालय के आदेश की रोशनी में हुई। अब अगर न्यायालय का कोई आदेश है इस तरह का तो हमें विधि विभाग से उस पर राय लेनी पड़ेगी क्योंकि यह कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी विधिक रूप से न्यायोचित होगा वही कार्यवाही होगी और यह कैसे सम्भव है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना हो। हमारा सम्मान चला गया तब भी अवहेलना नहीं हुई, पूरे सदन का सम्मान चला गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार सदन के अन्दर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27–04–2012 में एक निर्णय दिया था जिसमें केवल पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) व ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली के नियम–8(क) को अल्ट्रा वायरिस घोषित किया है। मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूं। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो संवैधानिक तरीके से विधिवत सामान्य परीक्षा पास करके किसी पद पर गए हैं, विभागीय परीक्षा पास करके गए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की है उनको भी पदावनत किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा एतराज इस बात का है कि इसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय होता तो हम उस बात को यहॉ पर प्रस्तुत करते ही नहीं। इस प्रकार का कोई भी निर्णय मा0 सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है इसलिए सरकार इसका संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल न्याय दिलाने का कष्ट करे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं तो यही कह रहा हूं न कि जो विधिक रूप से सम्भव होगा उसको करेंगे। इसमें कहां दो राय है। जो विधिक रूप से सम्भव होगा वही करेंगे। लॉ डिपार्टमेण्ट की राय लिए लेते हैं। आपकी बात आ गई है जो विधिक रूप से सही होगा वही करेंगे, कोई गलत बात क्यों करेंगे, क्यों न्याय नहीं करेंगे। अब तो धन्यवाद कह दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पिछले पांच महीने से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी उनकी बहाली सुनिश्चित नहीं की जा रही है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह बात रख रहा हूं कि आपके निर्देश के बावजूद उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, इसकी जवाबदेही माननीय मुख्य मंत्री जी खुद सुनिश्चित करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ये पता नहीं क्या हो गया मौर्या जी को। आप वॉकआउट तो नहीं करने वाले हैं, अगर वॉकआउट न करें तो मैं जवाब दूं। वॉकआउट करना ही है तो काहे मुझे थकायें, काहे खुद थकें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप इनको इंसाफ दीजिए, मैं वॉकआउट नहीं करूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिए वॉकआउट नहीं करेंगे तो बात सच्ची यही है कि कोई भी आदेश या निर्देश मुख्य मंत्री जी का अगर होता है तो उसे लागू करने के लिए भी सारे नियम देखे जाते हैं। उसको नियमानुसार बनाने के लिए कुछ न कुछ समय लगता है, तो देखेंगे उसे

और जो भी नियमानुसार और जो भी न्यायसंगत होगा, विधि विभाग से परामर्श करके जो भी न्यायसंगत होगा, वह कार्रवाई करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दलित विरोधी समाजवादी पार्टी सरकार अभी भी 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है, अपनी जवाबदेही से भाग रही है, राजनैतिक द्वेष भावना से उनको प्रताड़ित कर रही है इसलिए दलित विरोधी समाजवादी पार्टी सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप तो कह रहे थे कि नहीं जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देख लिया मान्यवर, आपने इनकी कहनी और करनी में कितना फर्क है देख लिया आपने। अभी कहा था कि नहीं करेंगे वॉकआउट और वॉकआउट कर गये। अच्छा करा ही था तो मुझे भी साथ लेकर चलते।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मौर्या जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं। अगला पंडित सुदेश शर्मा जी का है, एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए। लंबा भाषण न करिये, टू दी प्वाइंट बात रख दीजिए।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 के तहत इस महत्वपूर्ण जो किसानों से जुड़ा मामला है, उसे उठाने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं बीच में नहीं बोला था। माननीय मुख्य मंत्री जी, अपना जो बजट भाषण पढ़ रहे थे, उसमें गांव, गरीब, किसान की बात कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ काम किसानों के लिए ऐसा हुआ जैसे कि मोहद्दिनपुर का शुगर मिल चलाना, वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए वह बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसके लिए हम दिल से उनको शुक्रिया करना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है और सरकार के आदेशों की खुली धज्जियां उड़ रहीं हैं। मान्यवर, मोदी नगर के अंदर मोदी शुगर मिल के अंदर जो टैगिग आदेश हैं, उसमें जो आर0सी0 जारी हो चुकी है और तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन के वह अधीन आ रहा है। उसके बावजूद आर0सी0 जारी होने के बावजूद वहां से पिछले चार दिनों में सवा पांच करोड़ रुपये का शीरा निकालकर बेच दिया गया, जिसमें मिल प्रबंधक, वहां का एस0डी0एम0 और जिला के क्लेक्टर तीनों मिले हुए हैं। वहां के प्रबंधन से मिलकर और यह बात

जिला गन्ना अधिकारी से, गन्ने के अधिकारियों से पूछ लिया जाए जिले में। इसमें एक नियम है अध्यक्ष जी कि यदि कोई भी मिल की सम्पत्ति या प्रोडक्शन बेचा जाता है तो उसमें से 85 प्रतिशत भुगतान किसानों को किया जायेगा और 15 प्रतिशत का भुगतान मिल के काम आयेगा लेकिन इसमें से 5 पैसे का भी भुगतान किसान को नहीं दिया गया और वह तमाम नम्बर दो में चोरी करके बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ आप किसान की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ जो अभी उनके थे, उनको जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं लेकिन ये खुले आम माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार की छवि जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से जनपद के अधिकारी कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं लेकिन सरकार को बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस पर ध्यान देने की। इस पर जवाब दिलवा दें कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मोदी ने शीरा बेच लिया, इस पर तो आप बोल नही रहे। जो आप अप्लीकेशन दिये हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब ले लीजिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मोदीनगर में अपना शीरा बेच लिया, गन्ने का दाम नही दिया, इनका कहना है कि चुपके–चुपके बेच लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें एक बात तो यह कही कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किये किसानों के लिये तो अगर कहीं कोई किसान परेशान है तो आप अपने ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की तो नहीं कर रहे। पूरे प्रदेश में तो किसान, सुखी है सरकार से खुश हैं।

श्री सुदेश शर्मा–

मेरे क्षेत्र मे मोहदिद्नपुर शुगर मिल जो चालू किया वह अच्छा काम किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये यह स्पष्टीकरण तो हो जाये कि प्रदेश के किसानों की तो शिकायत नहीं है।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, भुगतान तो रुका हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपके क्षेत्र का।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, इसमें बेइमानी की है और सवा पांच करोड़ के शीरा को चोरी–चोरी बेच दिया। इसमे एफ0आई0आर0 करा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सरकार के संज्ञान मे आ गया, इतना बहुत है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

रिकवरी होनी थी इसलिए बेचना तो नही चाहिए था क्योंकि अगर आप सब सामान बेच देंगे तो रिकवरी किस चीज की होगी। इसे दिखवा लेंगे। जो भी सख्त कानूनी कार्यवाही होगी, करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। माननीय शर्मा जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इसे अग्रहाय करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रेम की नगरी आगरा मे आज कल सौहार्द का वातावरण बिगाड़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी दिनांक 25 फरवरी को हमें बड़ा दुःख है कि मनटोला थाना में विश्व हिन्दु परिषद् आगरा के महानगर उपाध्यक्ष अरुण महावर की कुछ अज्ञात हत्यारों द्वारा हत्या कर दी जाती है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस सारे मसले को पूरे आगरा में हालात बहुत खराब थे, उसे कन्ट्रोल किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्य मंत्री जी के कहने पर पांच लाख रूपये जिलाधिकारी ने और दिये। परन्तु जब उनकी शोकसभा होती है तब जिस तरह के कार्यकलाप और जिस तरह के भाषण वहां के केन्द्रीय राज्य मंत्री राम शंकर कठेरिया देते हैं, उसमे समुदाय विशेष को चैलेंज करते हैं, उनको मारने की बात करते हैं और उनको देख लेने की बात करते हैं। इसी तरह से उनके इशारे पर भाजपा के अन्य नेता भी, इनके वहां के विधायक भी, वहां के सांसद भी कार्यवाही करते हैं, शहर में तोड़फोड़ की जाती है, अराजकता का माहौल फैलाया जाता है और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। वह ताज की नगरी, प्रेम की नगरी में यह सब होता है भाषणों की जांच कराई जाये और जो इस तरह के अराजकता फैलाने के भाषण हैं, भड़काऊ भाषण हैं, केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाये और जो भी अन्य नेता थे उन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाये। वहां के हालात इतने बद से बदतर हो गये हैं, कभी भी वहां की स्थिति विस्फोटक हो सकती है। सरकार के विरोध में एक समुदाय विशेष हरकत मे आ सकता है। इसके खिलाफ जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराया जाये। यह बहुत गम्भीर मामला है।

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय के वेल में आने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये अपनी सीट पर। आप यहां कहां आ रहे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास किये जाने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इनका नाम लिया गया है इनको सुन लिया जाय।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में आकर एक साथ अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पंकज मलिक (वेल से)–

मान्यवर, यह धमकी दे रहे हैं इन्होंने हमारे नेता को धमकी देने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

जो धमकी दी जा रही है उसको हमको लिखकर देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपनी सीट पर जायें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे ''सपा, बसपा, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई'')

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

रघुनन्दन आपका गया नियम–56, अब आप यहां हो खत्म, जाओं हम बन्द कर देंगे तो नियम–56 नहीं लेंगे।

डा0 साहब इन लोगों को ले जायें। वहां चलों चलकर कहो।

(वेल में आये हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के फ्लोर में बैठ गये और ''कठेरिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो'' के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने अपने आसन पर जायें। यह प्रदर्शन की जगह नहीं है नहीं तो आप लोगों को याद आ जाता इस प्रदर्शन का।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया तथा मो0 अयूब ''कठेरिया को गिरफ्तार करो या भाजपा से रिश्ता स्वीकार करो'' का नारा लिखा हुआ पोस्टर सदन के वेल से दिखाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

नदीम जी, अपनी सीट पर जायें। यह दोनो लोग मिलकर लड़ रहे हो कांग्रेस और भाजपा।

(सदन के वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ''अफजल के रिश्तेदार को एक झटका और दो, और दो'' के नारे लगाने लगे)

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा वेल से लगातार नारेबाजी करते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलें।

मैं 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं और इसके बाद मैं बजट लूंगा।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(03 बजकर 05 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(03 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।)

(03 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, इस विषय पर मेरा पद, नाम आया था इसलिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब फिर उसी पुराने इश्यू को चलाया जाए।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, उन्होंने कहा था कि क्षेत्र का विधायक, मैं उस क्षेत्र से विधायक हूं। मा0 विधायक श्री माथुर ने क्षेत्र के विधायक को भी घसीटा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मा0 सदस्य सदन की वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, राम शंकर कठेरिया के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप लोग लड़ लीजिए तब हम आगे बढ़ें।

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय सदन की वेल में आ गये।)

मा0 कठेरिया जी ने कोई भड़काऊ बात नहीं कही और जो इस सदन में नहीं है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष–

उपाध्याय जी अपनी सीट पर चलकर वहां से अपनी बात कहिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय वापस अपनी सीट पर आ गये।)

(श्री प्रदीप माथुर जी खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करते रहे।)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं। राम शंकर कठेरिया को गिरफ्तार करो।

श्री अध्यक्ष–

आप 06 लोग रोको न, यहां क्यों खड़े हो ?

(वेल में आये हुए सदस्य राम शंकर कठेरिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो के नारे लगाने लगे।)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, इनको शांत करिये, मेरा विषय आने दीजिए। आपने मुझे अनुमति प्रदान की।..

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

कहां अनुमति प्रदान की, आपका नाम नहीं लिया है।

(श्री प्रदीप माथुर जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

उपाध्याय को कह लेने दीजिए तब आप अपना कहियेगा।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, इस विषय पर दो–तीन बिन्दुओं पर चर्चा होनी चाहिए, पहली बात जब ये आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि उस क्षेत्र का विधायक हूं, मैं चुनौती देता हूं उनको कि अगर मेरी सी0डी0 मंगवा लें जो मैंने बोला है। अगर आज आगरा में शांति है तो भा0ज0पा0 की वजह से है। उ0 प्र0 अगर सोचता हो कि शांति उसने की है तो मुगालते में है। अगर आगरा का प्रशासन समझता हो कि शांति उसकी सफलता है तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। आगरा में शांति है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, ये मैंने बोला था वहां पर। मान्यवर, ये लोग रोहित वेमुला की हत्या पर आंसू बहाने वाले लोग हैं। माथुर साहब बतायें कि दलित अरुण माहौर की हत्या पर आपने आंसू बहाने वह आगरा क्यों नहीं आ रहे।

(वेल में आये हुए सदस्य राम शंकर कठेरिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी आप लोग अपनी सीटों पर चलो, आपने अपनी बात कह ली है और सरकार की तरफ से भी उत्तर आ जाने दो।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने सीट पर चलिये। अब हम निर्देश नहीं कर सकते, अगर सरकार उत्तर नहीं देती तो मैं बाध्य नहीं कर सकता, वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिये, अपनी सीट पर चलिये। मेरे अधिकार में जो है वो मैं प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं चलते–चलाते।

(सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर जोर जोर से बोलते रहे)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया सदन के वेल से–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं आप सरकार को निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीटों पर चलें आपने अपनी बात कह ली है। सरकार की तरफ से भी उत्तर आ जाने दीजिये। अब मैं सरकार को निर्देशित नहीं कर सकता। अभी किसी और टेबिल के पास नहीं जाना है आपको। इसी बहाने चले जाइये संसदीय कार्य मंत्री के पास। जाइये। चलिये आप लोग अपनी सीटों पर चलें। माथुर साहब अब बुलाओ ना। अरे पहले अपनी सीट पर जाइये ना।

(सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

(डा0 मो0 अय्यूब, श्री प्रदीप माथुर के बोलने का प्रयास करने व अन्य कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनका भी सुन लेने दीजिये ना।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मैं यह बताना चाहता हूं। मैं इस सदन में यह चुनौती दे रहा हूं मेरे बयान की सी0डी0 निकलवा लें। अगर उस सी0डी0 में कोई भी शब्द ऐसा मिले तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो राजनीति से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने जो कहा उसको मैं दोहराता हूं। मैंने कहा अगर अखिलेश शासन आगरा की शान्ति को अपनी सफलता मानता है तो दिमाग से निकाल दें।

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अरे इनका नाम आ गया इसलिये बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, यह वह लोग हैं जो रोहित की हत्या पर यह रोते हैं। एक दलित अरूण माहौर की हत्या पर दो आंसू तो बहा लें आगरा आकर। वहां नहीं जायेंगे, यहां पर रोयेंगे। माथुर साहब उन कारणों पर प्रकाश डालें कि वे और उनके नेता एक दलित की

निर्मम हत्या पर आगरा क्यों नहीं आ रहे हैं ? रोहित पर रोने वालों को आगरा आने से रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष–

उपाध्याय जी, आप भी बैठ जायं, आपकी बात भी आ गई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन्होंने यह नियम–56 में दिया है माथुर साहब कुछ ज्यादा बोल गये हों उसी में घाल मेल हो गया होगा। कुछ अगर आप समझें हों तो उसका जवाब दे दीजिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा हो जो सदस्य सदन की सदस्य नहीं हैं मौजूद नहीं हैं उनके बारे में सदन में न बोला जाय।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये ना अय्यूब साहब। जवाब सुनिये। वही बात उन्होंने कही। बैठिये अय्यूब साहब। दोनों लोगों का एक साथ लिया था आपका और उनका। एक आदमी बोल गया, अब आप बैठो। ससंदीय कार्य मंत्री जवाब दीजिये, यह लोग नहीं चलने देना चाहते। अब क्या कहेंगे ? दोनों लोगों का साथ कर दिया था। अरे डाक्टर अय्यूब चलते चलाते दुनिया का क्यों बवाल रच रहे हो। आप कठेरिया पर ही तो बोलना चाहते हैं। यही तो आपने लिखकर दिया है कि वहां पर उन्माद भड़का रहे हैं। ससंदीय कार्य मंत्री का जवाब सुनिये। बैठिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, नेता कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया है जाहिर है उसकी अपनी एक एहमियत है। लेकिन चूंकि ऐसी चीजें अब बहुत आम हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार लोग यहां तक कि उजरा ऐसी जबान बोल रहे हैं जो कि अच्छी तो नहीं है। अब बदला तो लेते रहते हैं आगे भी लेंगे, तो कानून है उसके लिये लेकिन अगर एक विचारधारा ही ऐसी बन रही है तो उस विचारधारा से कोई सरकार नहीं लड़ सकती। उस विचारधारा से बहुत से लोगों को लड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर 2/3 दिन के अन्दर जो चीजें सामने आईं हैं जिस तरह से देश को एक नये रास्ते पर ले जाने की अब बहुत ही जबरदस्त तैयारी है लेकिन उस तैयारी का मुकाबला करने के लिये भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं और उसके लिये नौजवान आगे आ रहे हैं चाहे उन पर आप कुछ भी ठप्पा लगा लीजिये। उनको आप किसी भी दल से, विचार धारा से आप जोड़ दीजिये लेकिन लगता यह है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब दो विचारधाराओं में कोई न कोई फैसला जरूर हो जायेगा। यह बहुत निन्दनीय है और जितनी भी इसकी निन्दा की जाय खून का बदला खून, उसका बदला ये और उसका बदला वो। इसीलिये मान्यवर, कई बार कहा है मैंने कि जब दिल बंटते हैं तो घर बंटता है और जब घर बंटता है तो जमीन बंटती है 1947 में भी ऐसे ही हालात हुए थे और उसके नतीजे आज तक भुगत रहे हैं और अब अगर कोई नया मन्सूबा है तो उसके नतीजे भी देश ही भुगतेगा कोई विदेश तो भुगतेगा नहीं। अच्छा था मैंने आज ही कहा था कि समय रहते हुए अगर हम इसका

एहसास कर लें तो शायद किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं जो भाषा बोली जा रही है सभ्य समाज तो दूर असभ्य समाज में भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। आप भी संयम बरतिए।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

एक तरफ पत्रकार को बन्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं बैठिए आप।

श्री प्रदीप माथुर–

भड़काऊ भाषण दिया जाता है पलायन की बात करते हैं ..

श्री अध्यक्ष–

बैठिए आप, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जहां तक विशेष समुदाय की बात है तो उन पर बहुत वर्षों से दबाव था कि वह अपने आप को दो नम्बर का शहरी मान लें उन्होंने मान लिया। अब अगर तीन नम्बर का शहरी बनने की बात है तो यह नई बात आनी चाहिए तो तीन नम्बर का मान लेंगे। इसमें क्या बहस है। जब हम खुद ही कह रहे हैं कि हम अपने को नम्बर एक का शहरी मानने से तकल्लुफ करते हैं क्योंकि मारेंगे, तो पहले तो जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है मालूम है कि जिन्दगी महफूज नहीं है इज्जत आबरू महफूज नहीं है अब जब इतने बड़े–बड़े लोग बदला लेने की बात करें और सिर्फ एक शब्द की बहस हो कि नहीं साहब आप नम्बर एक के शहरी नहीं हैं आपको चुनाव प्रक्रिया से हट जाना चाहिए वाकायदा जब यह मांग होने लगे, कि जिन अमुक की बात आप कर रहे हैं कि इनका वोट अधिकार ले लेना चाहिए तो फिर रह क्या गया, तो यह मान लेने में कोई परेशानी नहीं है। अब नम्बर दो का शहरी होने में क्या घाटा है क्या घाटा है बताइए, हम खड़े तो हैं यहां, बैठे तो हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

लोकतंत्र में कोई एक नम्बर या दो नम्बर का नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कहां है लोकतंत्र।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप बैठिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जब देश का प्रधानमंत्री अमरीका जाकर यह कहे कि हमें हिन्दुस्तानी होने पर शर्म आती थी, 125 करोड़ के हिन्दुस्तान में, 125 करोड़ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं।

एक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हर हिन्दुस्तानी विदेश में जाकर यह कहेगा कि उसे शर्म आती है क्या शकल रह जाएगी देश की, क्या मैं यह बात गलत कह रहा हूं ? क्या पूरी दुनिया नहीं जानती तो ऐसे हालात में जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है सिवाय इसके कि मैं यह कह दूं कि कानून अपना काम करेगा, तलाश हो रही है ऐसा कहने वालों की, लेकिन केन्द्र सरकार के मंत्रियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा जो हैं उन पर कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, कोई भी विषय हो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत विद्वान हैं और घुमा फिराकर प्रधानमंत्री जी की ओर ले जाते हैं पूरा सदन जानता हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बैठिए आप। बैठिये चार और पांच पर मैंने शासन का ध्यानाकर्षण कर दिया है बैठिये आप। डा0 राधा मोहन दास की नियम–56 की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। योगेन्द्र उपाध्याय की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

[03-43] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री अध्यक्ष–

देखिए एक विधेयक है पहले इसको ले लेते हैं तब बजट पर चर्चा कराते हैं।

राजस्व मंत्री जी का विधेयक है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, डा0 राधा मोहन दास जी पहले इस पर संशोधन रख दो। मद संख्या–24 के बाद बजट पास कराते हैं। डा0 साहब आप बोलना चाहेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक एक बार पुनः इस सदन के सामने आया है। कितनी बार आता है और कितनी बार जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग इस विधेयक पर और इस विधेयक के बहुत से हिस्से पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वह समय मुझे याद है मैंने इस सदन में क्या कहा था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, 2015 वही जमीन अनुसूचित वर्ग की।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट रुक जाएं। मंत्री जी इसे रख दें प्रस्ताव रख दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी पहले प्रस्ताव रख दें।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी तो मैं यह कह रहा था कि इसके पहले भी एक विधेयक आया था उत्तर प्रदेश जमीदारी विनास और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2015 मुझे याद है और वह इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा है मैंने उस समय क्या कहा था मैंने उस समय कहा था कि इसके पूर्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 29 नवम्बर, 2012 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद विधेयक 08 नवम्बर, 2012 बन चुका और बनने के बाद जो निरसित विधेयक की सूची थी उस निरसित विधेयक की सूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनास भूमि व्यवस्था विधेयक था और मैंने कहा था कि जो निरसित विधेयक है उसमें किसी प्रकार का संशोधन मत लाइए क्योंकि जो जिन्दा है ही नहीं आप उसमें संशोधन कैसे करेंगे सरकार ने वह बात नहीं मानी संख्या है संख्याबल पर यहां क्या–क्या होता है वह हम सब लोग रोज देख रहे हैं। जबरन उसको पास करवा लिया गया फल यह हुआ कि लौटकर यह फिर यहां चला आया यहीं आना भी उसे था उसे अब राजस्व संहिता के माध्यम से फिर लाया गया है प्राविधान फिर वही हैं मूलतः सारी लड़ाई उस समय भी इस बात की हुई थी कि जो अनुसूचित वर्ग की जमीन है क्या उन्हें उसको बेचने का अधिकार दिया जाय या न दिया जाय क्योंकि पहले एक सीमा थी कि 1.26 हेक्टेयर से कम अगर जमीन है तो कोई अनुसूचित वर्ग का आदमी उसको बेच नहीं सकता है। उस संशोधन के माध्यम से सरकार ने एक ब्लैंकेट प्राविधान कर दिया कि जिसको चाहे कलेक्टर अनुमति दे दे और उसे बेचने का अधिकार मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय जब वह नहीं पारित हुआ तो सरकार ने एक अध्यादेश ला दिया चूंकि तत्समय राजस्व संहिता, 2006 लागू हो गई थी इसलिए उस राजस्व संहिता, 2006 में एक संशोधन अध्यादेश ला दिया गया और संशोधन अध्यादेश मात्र नहीं लाया गया एक नियमावली भी प्रवृत्त कर दी गई अध्यादेश के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई वही आज हमारे बीच में विधेयक के माध्यम से आई है। अब जो मूल बिन्दु है धारा–98 (1) इस अध्याय के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को विक्रय दान, बंधक और पट्टे पर अनन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। 1.26 का क्लाज हटा दिया गया था अब सरकार को खुद महसूस हो रहा है कि हम जो विधेयक लाए थे या जो अध्यादेश लाए उसमें कुछ गलती हो गई। अब उन्होंने इसमें आगे क्या जोड़ दिया परन्तु यह कि कलेक्टर के द्वारा यह अनुज्ञा तभी दी जा सकती है जब दो स्थितियां हैं अध्यक्ष जी क और ख क में है अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खण्ड क और 110 की धारा खण्ड क

यह प्राधिकार कैसे–कैसे प्राप्त होगा उसके संदर्भ में यह धारा है विर्निदिष्ट कोई उत्तराधिकारी जीवित न हो अर्थात जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है उसका खण्ड क में विनिर्दिस्ट कोई उत्तराधिकारी जीवित न हो वह जमीन लिख सकते हैं दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय यह और शब्द नहीं है या शब्द है अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अनन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है उससे भिन्न किसी जिले या राज्य में किसी नौकरी व्यापार व्यवसाय, कारोबार के निमित्त बस गया हो और बसने पर भी संतोष नहीं है या सामान्य रूप से रह रहा हो अब अध्यक्ष महादेय इसी विधेयक के संशोधन को अगर देख लिया जाय तो धारा–108 में भूमिधर किसान के उत्तराधिकार का स्तर तय किया गया है क में क्या है क में वह अधिकार सिर्फ यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को उसके पुत्र को उसके पुत्र के पुत्र को और उसके पुत्र की पत्नी को दिया गया है। इसके बाद एक लम्बी श्रृंखला है ख के अन्तर्गत, जिसमें अन्य बहुत सारे रिलेटिव्स जो उस उत्तराधिकार की सीमा में आते हैं, उन्हें उस उत्तराधिकार को देने का अधिकार दिया गया है। अब जब आपने यह प्राविधान कर दिया कि किसी अनुसूचित जाति की जमीन यदि उसके खण्ड–क अर्थात् मृतक व्यक्ति की पत्नी या उसके बच्चे सिर्फ बच्चे, यदि वह जीवित नहीं हैं तो यह जमीन किसी गैर अनुसूचित को बेची जा सकती है। अगर इस प्राविधान को मान लिया जाए तो यह जो धारा–108 का प्राविधान है जिसके अंतर्गत यह पूरा एक क्रम बनाया गया, ख माता और पिता, ग अविवाहित पुत्री, घ विवाहित पुत्री, ग भाई और अविवाहित बहन, पुत्र की पुत्री, पिता की माता और पिता के पिता, पुत्री का पुत्र, सौतेली बहन, विवाहित बहन, बहन का पुत्र, हमने इन सारे परिवार के सदस्यों को इस संशोधन के माध्यम से शून्य घोषित कर दिया। यह विधेयक यह बताता है कि समाज के सामान्य वर्ग की जमीन का जब उत्तराधिकार होगा तो यह जमीन इस क्रम में उत्तराधिकार में लिखी जायेगी और फिर यह बताता है कि अगर अनुसूचित वर्ग की कोई जमीन है तो यह जो बाद के उत्तराधिकारी हैं वह लोप हो गये। सिर्फ अगर विधवा पुत्र और पौत्र नहीं हैं तो वह जमीन को बेचने का अधिकार पा सकता है। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। समाज के, हमारे देश के नागरिकों के दो वर्ग में इतना बड़ा अन्तर करना पूरी तरह अन्यायपरक है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, क और ख के बीच में 'और' की शर्त नहीं है 'या' की शर्त है अर्थात् यदि गोरखपुर का कोई अनूसूचित देवरिया जाकर बस जाए, उसके घर में कोई भी हो, उसका लड़का हो, उसकी पत्नी हो, उसके पौत्र हों, उसके परिवार का कोई सदस्य हो, वह गोरखपुर में रहा करें, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि गोरखपुर का कोई नागरिक देवरिया जाकर बस गया तो उसके परिवार के लोग गोरखपुर में पड़े रहें, वह देवरिया में बैठे–बैठे उस जमीन को किसी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम से बेचने का अधिकार पा जायेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सिर्फ इस क्लॉज के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इनके दो–तीन क्लॉज के बारे में मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा। इन्होंने एक नियमावली बना दी। अध्यादेश जो लागू हुआ उस अध्यादेश को कार्यान्वित करने के लिये एक नियमावली बना दी गयी। अब उस

नियमावली का जो रेलिवेंट हिस्सा है उसको मैं पढ़ता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को स्वयं नहीं मालूम है कि उसने अपना अध्यादेश क्या लागू किया और नियमावली क्या बताई। अध्यादेश यह कहता है कि दो बिन्दुओं पर अगर परिवार का उत्तराधिकार पिता, विधवा और पुत्र जिन्दा हैं तब तो नहीं दे सकता, उसके अलावा सबको दे सकता है, लेकिन जो नियमावली बनाई उसमें क्या बनाया, खातेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है जिसके संदर्भ में संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ किसी फिजीशियन अथवा शल्य चिकित्सक के द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है और बीमारी के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अनन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक है अर्थात एक्ट कुछ और कह रहा है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक्ट यह शर्त लगा रहा है कि सिर्फ दो आधार पर जब अनुसूचित व्यक्ति के परिवार की विधवा या पुत्र जिंदा न हो तो वह बेच सकता है, लेकिन जो नियमावली बनाई गयी और व्यवहारिक जीवन में कोई भी अधिकारी एक्ट देखकर नहीं नियमावली देखकर काम करता है। उस नियमावाली में यह अधिकार दे दिया गया कि यदि बीमारी के नाम पर बेचना चाहे तो भी उसको बेचने का अधिकार है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी विसंगति एक एक्ट और एक नियमावली के भीतर इस माध्यम से लाने का काम किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, अब एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षेप में कह दीजिये, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कितने वर्षों से चल रहा है। यह विधेयक 1977 से प्रवर समिति फिर 1980 कब से चल रहा है। यह बहुत लम्बा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे यहां एक पढ़ौर मुनि थे, बहुत पढ़ते थे, लेकिन जब पढ़ाने बैठते थे तो ठीक उल्टा पढ़ा देते थे। तो एक दिन वह अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, उनके बगल में उनकी पत्नी बैठी थी, उनके गर्भ से बच्चा बोला– 'सर्वा रात्रि मध्यैनम् करोति, नेदः पिताहि सम्यति योग वर्तते' सारी रात पढ़ते हो, पिता जी, इसके बाद भी ठीक से नहीं पढ़ाते हो। जब से चल रहा है, तब से लेकर आज तक भी यह संशोधन ठीक से नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक मुद्दा है, उस पर यह विषय आ जाना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, बजट तो हो जायेगा, लेकिन यह कानून बन रहा है, गरीबों के लिए, गरीबों की जमीन को सस्ते में खरीद लेने के लिए भू–माफियाओं के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी चीज है, पूरे राजस्व न्यायालय के बारे में टिप्पणियां बहुत स्पष्ट हैं, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि यह जुडिशियल क्वैट्री हो रही है। मैं एक बार इस सदन में राजस्व का विषय लेकर आया था, जब मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, हमारा बच्चा बीमार हो और इंजीनियर आकर इलाज करे, हम करायेंगे क्या ? हमें अपना घर बनवाना हो, किसी डाक्टर से हम नक्शा बनवायेंगे क्या ? यह बड़ा मौलिक प्रश्न है, पूरी की पूरी न्याय

व्यवस्था के साथ हमने खिलवाड़ किया हुआ है और खिलवाड़ तब किया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, जब लगातार इसके बारे में हमको कहा जा रहा है। हमने अधिकारियों के माध्यम से जो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जो राजनैतिक लोगों के दबाव में होते हैं, उनके द्वारा प्रेसराइज हो करके ढेरों निर्णय नीचे के न्यायालय में इसी प्रकार के होते हैं और इसीलिए जब वह न्याय होता है, न्याय होता तो है लेकिन न्याय होता दिखता नहीं है, असंतोष होता है, आक्रोश होता है, मार–पीट होती है, हत्याएं होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट के जितने मुकदमें हैं, आधे से ज्यादा मुकदमों की जन्म दात्री यह रेवेन्यू कोर्ट है। इसीलिए लगातार और बार–बार इस बात को कहा गया कि राजस्व कोर्ट और कन्सॉलिडेशन कोर्ट की जो न्याय व्यवस्था है, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो निष्पक्ष हो, जिसको न्याय शास्त्र का ज्ञान हो, उसे इस चीज का अधिकार और दायित्व दिया जाना चाहिए। सरकार ने इसके बावजूद ऐसा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, बार–बार फैसले हुए है, 2006 में फैसला हुआ है, जब यह कहा गया कि जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग चीज है। कार्यपालिका को न्यायपालिका का कार्य नहीं करना चाहिए। तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक के अधिकारियों को नागरिकों को न्याय देने का काम नहीं करना चाहिए, यह 2006 का निर्णय है। लेकिन अगर हम उस निर्णय को न भी मानें, एक जो अन्तिम निर्णय अभी आया है, जिसे हम, आप नहीं भूल सकते क्योंकि इस निर्णय में सरकार की सहभागिता है। यह निर्णय है, अध्यक्ष महोदय, एक पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन हुआ था, जिसमें माननीय न्यायपालिका ने कुछ निर्देश पारित किए और किस आधार पर पारित किए, उसमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने अपना एक एफिडेविट दिया और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने एफिडेविट में कहा–'हमने सरकार को पत्र लिखा है। हम इस बात को मानते हैं कि न्यायपालिका अधिकारियों की स्वतंत्र नियुक्ति की जानी चाहिए। हमने इस स्वतंत्र नियुक्ति के सन्दर्भ में प्रपोजल बना करके सरकार के पास भेज दिया है', मान्यवर, यह सारे तथ्य हमारे पास हैं, आप जानते हैं कि बिना कागज के मैं कुछ नहीं बोलता। यह सरकार के अपने रिवेन्यू बोर्ड का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिया गया एफिडेविट है तो 26 फरवरी, 2016 अर्थात् आज से 08 दिन पहले। 26 फरवरी को रिवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि हम मानते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक एमेकिशक्यूरी नियुक्त किया था, एक डिस्ट्रिक्ट जज को तो डिस्ट्रिक्ट जज से उन्होंने कहा कि एक बार आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि इस रिवेन्यू कोर्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है? उस मा0 डिस्ट्रिक्ट जज ने जो रिपोर्ट दी, 'प्रिसाइडिंग आफिसर ऑफ द रिवेन्यू कोर्ट आर ड्रान फ्राम दि एक्जीक्यूटिव, रिवेन्यू कोर्ट के प्रिसाइडिंग आफिसर एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका से लिए जाते हैं, एण्ड हैव देयर ओन सेन्स ऑफ द प्रियारिटी। इनकी अपनी प्राथमिकता को लेकर अपनी अलग सोच होती है, फार इन्सटान्स फार लास्ट वन मन्थ, मतलब पिछले एक महीने के लिए। दि प्रीसाइडिंग आफिसर वाज बिजी इन कन्डक्टिंग पंचायत इलेक्शन। प्रीसाइडिंग अफसर पंचायत इलेक्शन कर रहा था। एज इस रिजल्ट द वर्क ऑन द ज्यूडिशियल साइड हेज सफर्ड। प्रतिफल में ज्यूडिशियल साइड में न्याय

नहीं मिल पाया है। दि वास्ट टू प्रपोशन आफ दि डिस्प्यूट बिफोर द रेवन्यु कोर्ट रिलेट टू द एग्रीकल्चर प्रापर्टी। रेवन्यु कोर्ट में जितने मुकदमे हैं उनमें से अधिकांश एग्रीकल्चर प्रापर्टी और जमीन को लेकर हैं। इट हेज बीन रिपोर्टेड दि प्रीसाइडिंग आफिसर आफ दि रेवन्यु कोर्ट डू नॉट आब्जर्व द रेगुलर एण्ड डिसिप्लीन सिटिंग इन द रेवन्यु कोर्ट। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि रेवन्यु कोर्ट में सही तरीके से और अनुशासित तरीके से नहीं बैठते हैं। बिकाउस आफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीस एण्ड लॉस एण्ड आर्डर रिस्पांसिबिलिटी। दे डू नाट गेट मछ टाइम टू डिवोट एण्ड सो द सेपरेशन द रिपोर्ट सजेस्ट द आप्शन इज टू क्रियेट ए सप्रेट कैडर। अब अध्यक्ष महोदय, मा0 न्यायपालिका इसको कह रही है। रेवन्यु बोर्ड इसको कह रहा है। रेवन्यु बोर्ड चिटठी को लिखकर भेज रहा है। सरकार एक संशोधन ला रही है। और अध्यक्ष महोदय, अगर संशोधन का उद्देश्य पढ़िये तो समझ में नहीं आता। यह मैं बार–बार कहता हूं कि संशोधन या विधेयक लाते समय गंभीरता बरतनी चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ इस सदन में बार–बार संशोधन विधेयक प्रस्तुत होते हैं। और फल क्या है अध्यक्ष महोदय, यह एक अतिउत्तम विधेयक है जिसके उद्देश्य व कारण में लिखा है कि पिछली राजस्व संहिता, 2006 जिसको राष्ट्रपति महोदय ने सहमति दे दिया उसमें बहुत सारी भाषायी 98 त्रुटियां हैं। उनको ठीक करने के लिए हम यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम अगर विधेयकों को इतनी गैरजिम्मेदारी के साथ लेंगे तो स्वाभाविक दृष्टि से जो आप 85 की बात कर रहे हैं। अभी यह 85 के बाद न जाने कितने 85 तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमें न्याय करते हुए दिखना चाहिए। और एक बार कहा था कि एक कदम आपको बहुत बड़ा बना सकता है और एक छोटी सी भूल आपको बहुत छोटा कर सकती है। जिस दिन सरकार यह स्वतंत्र राजस्व न्यायपालिका लेकर आयेगी पूरे गांव में चारो ओर प्रदेश में एक अलग प्रकार का माहौल होगा। लोग उस न्याय को स्वीकार करेंगे और उन्हें लगेगा कि उनके जमीनी विवाद को लेकर जो निर्णय हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वह न्यायसंगत हो रहे हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उसकी किसी प्रकार से कोई आलोचना नहीं की जा सकती। मेरा जो कुछ भी अनुग्रह है वह यही है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश राजस्व सहिंता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जो संशोधन दिया था उस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, मैंने इसको गंभीरता से पढ़ा है। मान्यवर, इसमें पुराने संहिता की धारा–22, धारा–24, धारा–136 और धारा–186 इसके संबंध में हमें एक–एक बिन्दु रखना है। मान्यवर, आज अगर सामान्य किसान यह चाहे कि वह अपने खेत की नाप करा ले और वह दर्खास्त लेकर तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक घूमता रहे तो वह नाप नहीं करा सकता। हमारी जमीन किसी दूसरे के खेत में दबी है। हम अपनी जमीन निकलवा नहीं सकते। हमारी जमीन है

04 बीघा, पड़ोसी की जमीन है दो बीघा। अगर वह दबंग है और वह हमारी जमीन नहीं छोड़ता है तो हमारे पास मान्यवर, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसके माध्यम से हम उस जमीन को छुड़वा लें। जब यह नई संहिता आयी थी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल और इससे संबंधित कई लोगों ने इस बात के लिए सम्पर्क भी किया। और मैंने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया था कि इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास टूथ और नेल्स जरूर हों। जो लोग इसमें कम से कम नाप करा सकें और कब्जे को छुड़वा सकें। आज गांव में लड़ाई की जो बहुत सी वजहें हैं उसमें सबसे बड़ी वजह है कि हमारी खेती जोत दी, हमारी मेड़ जोत दी, हमारे खेत के ऊपर कब्जा कर लिया। दो बीघा, चार बीघा, छह बीघा जो भी हो मान्यवर। तो मैं विशेष रूप से धारा–22 के ऊपर आता हूं मान्यवर जो पुराने संहिता की धारा–22 है मैं उसमें संशोधन की बात करता हूं, मान्यवर जो मैं प्रस्ताव करता हूं कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिले तो नायब तहसीलदार को सम्बन्धित लेखपाल विद्–इन फिफ्टीन डेज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे और 15 दिन के अन्दर नायब तहसीलदार उसका मौके का निरीक्षण कर के उस पर कार्रवाई शुरू कर दे मान्यवर और हर हालत में दोनों पक्षों को सुनकर 90 दिन के अन्दर उस मामले को निस्तारित कर दे, तो धारा–22 और धारा–24 का संशोधन हमारा ये है नम्बर–एक, मान्यवर 90 दिन विशेष रूप से इस बात के लिए कह रहे हैं कि इसमें कोई दिन निर्धारित नहीं है, तत्काल का शब्द है, तत्काल वर्षों, महीना, दो महीना, छः महीना, एप्लीकेशन डिसाईड नहीं होती है मान्यवर महीनों तक, जिलाधिकारी के लिखे हुए पर नाप नहीं होती है।

तीसरी बात मान्यवर, धारा–136 पर है, जब नक्शा बनता है, चकबंदी होती है, तो चकबंदी में घूरे और बटिया का स्थान निर्धारित हो जाता है कि इस स्थान पर खलिहान होगा, इस स्थान पर सामान्य रूप से घूर और बटिया रखे जायेंगे, होना यह चाहिए जिसका पजेशन है वहां पर पूरे गांव सभा का एक सीमांकन होना चाहिए और उसका जी0आई0एस0 बनना चाहिए, जब तक जी0आई0एस0 नहीं बनेगा, आन्ध्र प्रदेश में सबसे पहले बना और उन्होंने जमीन सम्बन्धी विवाद को 75 परसेण्ट साल्व कर दिया, मैं 2000 में देख कर आया था, मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्री के पास वहीं से उनके कम्प्यूटर पर आ गया कि भई अगर यहां पर इतना सीमांकन आपका है, दूसरे का इतना सीमांकन है और यदि किसी ने किसी के खेत पर कब्जा कर लिया तो उसको वह वहीं पर बैठे–बैठे निस्तारित कर देते हैं, वहीं से निर्देश दे देते थे मंत्री, सम्बन्धित अधिकारी, यह सन् 2000 में आन्ध्रप्रदेश ने पहले कर लिया था और हम कई बार इस बात पर बल देते रहे, लेकिन अभी तक यहां पर वह सिस्टम लागू नहीं हो पाया। घूरे बटिया हमने रखे, उस स्थान पर रखे कि जहां पर उसके लिए स्थान चिन्हित किया गया मान्यवर लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर 122बी का मुकदमा ठोंक दिया जाता है, सम्बन्धित लेखपाल रिपोर्ट दे देता है कि इन्होंने जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसका कोई निस्तारण नहीं होता और वर्षों तक मान्यवर वह पिटीशन चलता रहता है और उसके बाद उसी के ऊपर जुर्माना हो जाता है, तो मेरा इसमें सुझाव यह है कि 136 पर जो एक्सिंग पजेशन है जिसका जहां पर घूरे और बटिया के लिए, खलिहान की जो जमीन है जो उसके लिए चिन्हित की गई है, अगर उसके ऊपर वह अपना घूरा, बटिया रखता है, जो

हमारे घर के सामने है तो उस पर किसी भी प्रकार से 122बी नहीं आरोपित की जानी चाहिए। नम्बर–तीन मान्यवर, 186 यह किसी भी कर्जे में हमारी जमीन नीलाम होती है, हमारे ऊपर पांच लाख रुपये का कर्जा है और हमारी तीस लाख रूपये की जमीन है अब हमारे पॉच लाख के कर्जे में हमारी जमीन नीलाम हो गई, यह भी नहीं देखा गया कि वहां पर सर्किल रेट क्या है, वहां पर एक्जिस्टिंग उसकी वैल्यू कितनी है, वहां पर मार्केट वैल्यु कितनी है, हमारी तीस लाख की जमीन उसमें चली जाती है और फिर उसके बाद उसको कन्फर्मेशन का एक महीने का जो समय मिलता है मान्यवर, उसमें तमाम तरीके की सौदेबाजी होती है, तो मेरा इस सम्बन्ध में 186 पर एक सुझाव यह है कि 186 को किसी भी हालत में सर्किल रेट से कम पर उसको नीलाम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसमें दरअसल होना तो यह चाहिए था कि इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, उसमें भी स्टेट अमेंडमेण्ट आना चाहिए था और लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में भी अमेडमेण्ट आना चाहिए था।

कलेक्टर की यह मर्जी है मान्यवर, हमारे यहां 10–10 हजार रुपये गज की जमीन और वह उसके ऊपर 38–38, 40–40 हजार रुपये सर्किल रेट निर्धारित कर दिया, उसमें जन प्रतिनिधियों से राय लेने के बाद सर्किल रेट निर्धारित होना चाहिए, लेकिन उसका कोई वह नहीं, कहीं पर उसकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, जितना चाहा उन्होंने उठा कर दिया। उसके लिए जो गाईड लाईन्स हैं मान्यवर वह पर्याप्त नहीं है, वह फूलप्रूफ नहीं है, इसलिए उसमें भी इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट में भी स्टेट अमेंडमेण्ट होना चाहिए और अन्तिम बात मान्यवर, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में पूरी की पूरी पावर जिलाधिकारी को दे रखी है और जिस प्रकार से ये फैसले होते हैं मान्यवर वह बहुत ही तकलीफदेह हैं, सर्किल रेट कुछ कहता है, लैण्ड हमारी चली गई, हम बरसों तक उसके पीछे पड़े हुए हैं, 20–20 साल से मान्यवर हाई कोर्ट में, एक–एक पैसा मुआवजा नहीं मिला, हमारे यहां ओसवाल फैक्ट्री का कारखाना लगा, 25–25 साल से लोग आंसू पीते हैं, हाईकोर्ट में मुकदमा पेण्डिंग है, आज तक वह पार्टी नहीं बन पाये, उन्होंने बेच के चले गये ओसवाल का खाद का कारखाना, वह पार्टी नहीं बन पाये, 25 एकड़ जमीन चली गई, एक रूपया मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि कलेक्टर ने जो मुआवजा तय किया, वह वायवल नहीं था, 55 हजार रुपये एकड़ तय कर दिया। अब 55 हजार रूपये एकड़ वाली आज कहां जमीन रखी है लेकिन किसी को कुछ नहीं है। जो लीगल प्रक्रिया से इसको अलग रख हट कर चाहे आर्बीट्रेटर नियुक्त करके, चाहे एक कमेटी बनाकर जितने भी लैण्ड एक्विजिशन के मामले हैं इन सबका निस्तारण एक साथ कराया जाये आपने संशोधन के लिए हमें मौका दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका तो नाम इसमें नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, नहीं मेरा नाम सबमें है। सब पर बोलने का है।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और गांव खेत–खलिहान से जुड़ा हुआ मसला है। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़े लम्बे अरसे के बाद जो जनता के गरीब लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की भावना थी, उसकी कद्र करते हुए बहुत दिनों के बाद उनके विचारों पर ध्यान दिया। आज वह कह सकते हैं कि हम इस जमीन के मालिक हैं, फिर भी इसमें कुछ न कुछ लैकुना लगाए हैं। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सीधा–सपाट, बिना किसी लाग–लपेट के उनको अपनी जमीन बेचने का अधिकार दिया जाये। पूरे प्रदेश में इसमें कानून बनने के बाद सबमें खुशी है। न जाने हमारे साथी इसका कैसे विरोध कर रहे हैं, या तो पार्टी लाइन पर कर रहे होंगे या कोई और कारण होगा। वरना इससे बढ़िया विधेयक कोई हो नहीं सकता। दूसरा इसमें जो प्रोविजन किया गया है, बेटी के लिए, मैं इसमें कुछ संशोधन चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बेटियों को आपने अधिकार दिया, बहुत अच्छा काम किया। स्वाभिमान, सम्मान के साथ वह अपने मायके में अपने मां–बाप के घर रहें क्योंकि उनका नाम भी उस जमीन में आ जायेगा इसीलिए उनको सम्मान मिलेगा लेकिन शादी होने के बाद जब बेटी दूसरे के घर में चली जाती है, तो जब वह पैतृक संपत्ति को लेकर वहां जायेगी और उधर पति के हिस्से में जो जमीन आयेगी उसमें भी उसे हिस्सा मिलेगा। इधर यहां से भी लेकर जायेगी, तो पैतृक संपत्ति जहां की है, वह संपत्ति वहीं रहनी चाहिये शादी के बाद उस बेटी का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। उसका अधिकार ससुराल पक्ष की तरफ हो जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। जहां तक केसों की हियरिंग का सवाल है, आपने जो कोर्ट बनायी है, सभी तहसीलों में बड़े लम्बे समय से पैन्डेंसी चल रही है। इससे शीघ्रता से मुकदमों का निस्तारण होगा। इसमें मैं चाहूंगा कि आप एक टाइम बाउंड पॉलिसी बना दें कि इतने समय से पैन्डिंग केसों को प्राथमिकता से रिपोर्टो में री–साइट किया जायेगा जिससे कि उनका कोई न कोई डिसीजन हो जाये। राजस्व विभाग के वकील साहब भी बैठे हैं, राजस्व के केसों में इतनी पैन्डेंसी चल रही है, इस कोर्ट के बनने के बाद उसमें यह फिक्स कर दिया जाये कि इतने वर्षों से चल रहे केसों का निस्तारण शीघ्रता से हो जाये। लोग बुड्ढे हो गए भागते–भागते, जिससे कि कम से कम उसमें उनको न्याय मिल जाये। इसमें मेरे दो–तीन सुझाव हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसानों को उनके दरवाजे पर ही न्याय दें। इसके लिए वह बरसों तहसील व जिला कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इस दिशा में इस संहिता में यथा निवारण हेतु राजस्व समिति का हमने गठन किया है। उस समिति में जो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह होने वाली बैठक में

उपस्थित रह कर विवादित मामलों का निस्तारण मौके पर ही करा देगी। विवादित मामलों में पक्षों के बीच मध्यस्ता कर सुलह–समझौते से निपटाने का प्रयास करेगी। यदि इस सुलह–समझौते से मामले नहीं सुलझते हैं, तभी पक्षकार न्यायालय में जाएंगे। जहां तय समय–सीमा के अंतर्गत विवादों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अलावा खतौनी में खातेदारों को उनके भू के रकबे का हिस्सा अलग–अलग अंकित न होने के कारण तथा एक खाते में कई खातेदारों के जुमला नम्बर होने के कारण अक्सर किसानों में विवाद होते थे और अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी में फॅसना पड़ता था। इस कारण इस संहिता में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक खातेदार की खतौनी में उसका हिस्सा अंकित होगा। मिन जुमला नंबर समाप्त कर उसके हिस्से का अलग नंबर देकर नक्शे में संशोधन कर दिया जायेगा। इससे छोटे–छोटे विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत जानकारी है इस सम्बन्ध में। आपने कई बार विधान सभा में इस राजस्व संहिता को लागू करने कई बार यहॉ आपने विधान सभा में रखा है। वैसे तो समय परिवर्तनशील है, जैसे–जैसे समय के अनुसार कई पुरानी वस्तुयें अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं वैसे ही समय के साथ यह आवश्यक है कि कानून भी समय की कसौटी पर खरा उतरे। समय के साथ–साथ खेती सम्बन्धी कुछ कानून अप्रासंगिक हो गए थे और कुछ प्राविधान अव्यावहारिक हो गए थे इस कारण जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950, भूमि–राजस्व अधिनियम–1901 सहित 39 अधिनियमों को समाप्त कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहित–2006 विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ जिस पर 29 नवम्बर, 2012 को महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 12 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश के राजकीय गजट में प्रकाशित किया गया। वर्ष 2006 से वर्ष 2012 की अवधि में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 में कई संशोधन हुए तथा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों पर उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई व्यवस्थायें दी गईं, जिनके प्रभाव को यथास्थान, यथोचित संशोधन करना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय की यह मांग है कि आज जहां विश्व कम्प्यूटरीकरण और संचार क्रांति से ओत–प्रोत है, वहां यह चुनौती थी हमारे लिए कि हम ग्रामीण जनता को भी इस कम्प्यूटरीकरण और संचार क्रांति के लाभ का भागीदार बनाये तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तकनीकी समझ की असमानता डिजीटल डिवाइड को भी हम कानून के माध्यम से कम कर सकें। हमारे समक्ष दूसरी चुनौती यह थी कि हम किसानों को उनके दरवाजे पर न्याय दिला सकें तो इसलिए आज हम इस राजस्व संहिता को आज हम लाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक साल मुझे इसमें लगा है और जो इसके लिए हमने जो समिति बनाई थी विद्वानों की, जो राजस्व के बारे में बहुत ज्ञाता थे और जो अधिकारी भी उस समिति में थे, उन्होंने पूरा घूम–घूमकर और कोई भी दल का नेता नहीं बचा है। मैंने माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के पास भी उस समिति को भेजा, खन्ना साहब के पास भी भेजा, नेता विरोधी दल के पास भी भेजा और पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो वहां पर

उस समिति को भेजा, किसानों से लेकर के सबसे राय लेकर के आपके पास भी भेजा था। आपने भी राजस्व संहिता के बारे में बहुत से सुझाव दिये लेकिन आज जो राधामोहन दास अग्रवाल जी कह रहे थे, अगर उस समय हमारी समिति को कुछ सुझाव दे देते तो अच्छा होता। सुझाव दे देना चाहिए था लेकिन आपको तो कुछ न कुछ विवाद में ही फॅसाये रहना था। हमेशा विवाद में फंसाये रहना। सीधा–सीधा कभी बात नहीं करेंगे और जो उदाहरण दे रहे थे पंडित जी, बस वही इनका हाल है। वही हाल इनका है। जो पढ़कर आते हैं, बोलने लगते हैं कुछ और इसमें हमने जितनी किसानों की जरूरतें थीं उन सबको रखा है। जब यह राजस्व संहिता लागू हो गई है जो कमियां थीं उसको भी हम ले आये हैं। उन कमियों को जो अभी.....

(श्री दलवीर सिंह द्वारा कहा गया कि हमारे सुझावों को तो उसमें शामिल करें माननीय मंत्री जी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है।)

आपके सारे सुझाव आ गये हैं, आपने जो मांग रखी है, सभी इस राजस्व संहिता में आ गये हैं। राजस्व संहिता में आपने बहुत चिन्ता जाहिर की है उसमे मैंने संशोधन कर दिया है अब कहीं परेशानी नहीं होगी और जो दलितों की बात करते हैं ये दलित विरोधी हैं। जो दलितों की जमीन, जो जितना चाहता था बेच नहीं सकता था और बेचते तो थे आपको अध्यक्ष जी पता है जिस दलित के पास ज्यादा जमीन होती थी, उसको बेचा जाता था, फिर वह जमीन बेचता था दूसरे तीसरे को, उससे उसे सही पैसा नहीं मिल पाता था। अब इस कानून से दलित को इतना फायदा होगा उसे सही कीमत मिलेगी।

यह तो दलित विरोधी हैं, ये केवल दलित का फायदा उठाते हैं। यह केवल दलित का फायदा जरूर उठाना चाहते है, लेकिन हमने घूम कर देखा है कि दलित लोग इतना खुश हैं, वे सबसे ज्यादा खुश हैं। बेच नहीं पाते थे उनकी जो भी जमीन थी वह कोने में चली जाती थी, यह हम उसमे संशोधन लाये हैं और इस पर बहुत विचार हुआ है। बहुत गम्भीरता से विचार हमने किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम–घूम कर के सबसे राय ली है। इस पर बहुत लम्बे समय से विचार हो चुका है यह बहुत लाभकारी है, किसानो के लिए बहुत लाभकारी है इसके साथ–साथ हमने जो न्यायिक व्यवस्था भी कर दी है जिसमें जो विवाद होंगे वह सुनेगा और जहां तक यह चारागाह है, तालाब है, पोखर जैसी धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचाये रखना, उन्हें सौपना, सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि राशि की विकास कार्यहित में बिठाते हुए संहिता मे व्यवहारिक प्रावधान किये हैं। आवश्यकता पड़ने पर सड़कों के अधीन राज्य सरकार की भूमि को श्रेणी परिवर्तन कर सकेगी और बहुत सी इसमें जो भी कमियां थी उन संशोधनों का भी इसमें लाकर सुधार कर दिया है। इसमें बहुत विचार हो चुका है। आप इसे पास करायें।

(भाजपा के एक सदस्य के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना संशोधन वापस ले लें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, दो मिनट कहने का तो हक है मुझे। व्यवस्था के अन्तर्गत मुझे अधिकार है, बोल लेने दीजिये। अध्यक्ष जी, जितनी आपत्तियां मैने दी थीं उनमें से किसी भी आपत्ति का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। नम्बर दो उन्होंने चर्चा किया उस अधिकारी की जो हम लोगों के पास आये थे, डबल ऐ0जी0 मेरे पास आये थे मैने उनका पूरा विधेयक पढ़ा था और पढ़ने के बाद मैंने उसी समय स्पष्ट कह दिया था कि माननीय मंत्री जी से मेरी बात करा दीजिये, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं हूं, मै इसका समर्थन नहीं करूंगा क्योकि इसमें स्वतंत्र राजस्व न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं है और वह अधिकारी डबल ऐ0जी0 कोई थे, मुझे नाम नहीं याद आता। उन्होंने माननीय मंत्री जी से मेरी बात भी कराई थी और मैंने माननीय मंत्री जी से अपने विचार साफ–साफ बता दी थी कि अगर स्वतंत्र राजस्व न्यायालय नहीं है तो मैं इससे सहमति नहीं दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके दबाव में मैं कहना भूल गया मुझे कह लेने दीजिये नही तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा मै क्या कह रहा हूं उसको सुनियेगा, जब कोई पुरूष मरता है तो उसकी सम्पत्ति का पहला अधिकार विधवा और पुत्र, पौत्र आदि क्रम मे उनजातिय वंसज प्रति शाखा के अनुसार यानि इस हायरकी में मिलेगा बाकी सब नीचे हैं, उसको नही मिलेगा लेकिन जब कोई स्त्री मरती है तो उसकी सम्पत्ति का अधिकार पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व पुत्रमित्र की विधवा, पूर्व मित्रपुत्र के पूर्व मित्रपुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार और नम्बर दो पर उसका पति। अर्थात कोई आदमी मरेगा तो सम्पत्ति बटेगी तो विधवा पर और उसके बच्चों पर समान रूप से बटेगी। कोई औरत सम्पत्तिवान मरेगी तो उसकी सम्पत्ति पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होगा अगर उसका एक भी पुत्र, पुत्रादि पुत्रादि पुत्रादि कहीं से उस हायरिकी में कोई भी जिन्दा हो यह इतनी बड़ी असहमति का बिन्दु है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने न्याय का बड़ा सम्मान किया है मैं इससे सहमत हूं क्योंकि इसके साथ एक दूसरी अनुसूची लगी हुई है और उस दूसरी अनुसूची में उन सारे विषयों को बताया गया है जिसे सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर का कर दिया यानि यह जुडीशियल क्वैकरी भी कराये होंगे और यदि कोई व्यक्ति क्वालीफाइड न्यायपालिका में जाकर न्याय लेना चाहे तो उसको भी रोकेंगे और वह सारे प्राविधान कर दिये गये हैं जमीन से संबंधित, जमीन के बटवारें के, चिन्हांकन, उत्तराधिकार के जितने भी विवाद होंगे, पट्टे के आवंटन के यह सारे विवाद अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने न्यायपालिका की परिधि के बाहर कर दिया है यानि यह न्याय करेंगे भी नहीं और न्याय लेने भी नहीं देंगे। मैं राजनीतिक बाते अक्सर बोलता नहीं हूं लेकिन एक आरोप लगा दिया गया दलित विरोधी होने का, बहुत अच्छा लगा ऐसा आरोप, ऐसा आरोप अगर हम लोगों पर रोज लगे हम उनकी लड़ाइयां रहे तो इस अपमान के घूंट को तो सहना पड़ेगा क्योंकि यह घोषित लोग हैं दलित विरोधी जो बैकवर्ड कोटे से निकाल निकाल कर अनुसूचित जाति में आरक्षण भेजने वाले लोग हैं यह तो आज से नहीं कल से हैं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इस साइड की चुप्पी पर, बसपा ने इसमें संशोधन विधेयक दिया और बसपा संशोधन विधेयक देने के बाद आज इतने बड़े

परिवर्तन पर चुप क्यों हैं मैं इसको बार–बार कहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी बहुत बोल चुके हैं यह लोग वेल में भी आये हैं बहुत बोल चुके हैं मौर्य जी बहुत बोले हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

रोम जल रहा है गाइये आप, चैन की बंशी बजाइये आप, आप है तटस्थ या नीरो हैं, अपनी सूरत जरा दिखाइये आप।

श्री उमा शंकर–

मान्यवर, आरोप लगाया है बहुजन समाज पार्टी पर ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे पता है, मौर्य जी नहीं हैं उन्होंने संशोधन भी दिया है।

श्री उमा शंकर–

इसमें हमारे नेता विरोधी दल कई बार इस बात को रख चुके हैं इस पर बहिर्गमन भी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं यह दलित के बड़ा समर्थक बनने जा रहे हैं और इस तरह का आरोप बसपा पर लगा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिये हैं, मान्यवर, हम भी उठाये थे, माननीय राधा मोहन जी ने भी उठाये थे और जो उत्तर माननीय सरकार ने कहा है वह संतोषजनक नहीं है। यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की पक्षधर नहीं है। यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है उसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–234 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह 16 दिसम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है–

(क) धारा 4, 64, 68, 72 एवं 126 को छोड़कर, शीर्षकों, दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना, पार्श्वांकित शीर्षकों, अनुसूचियों को सम्मिलित करते हुये, शब्द 'ग्राम सभा' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द 'ग्राम पंचायत' रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द 'ग्राम निधि' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''गांव निधि'' रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द 'जिला' या शब्द 'जिले' या शब्द 'जिलों', जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द 'जिला' या ''जिले'' या ''जिलों'', रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द 'गाँव', जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''गांव'' रख दिया जायेगा; और

(ङ) शब्द ''बाकीदार'' या शब्द ''बकायादार'' या शब्द ''बकायेदार'', जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द 'व्यतिक्रमी' रख दिया जायेगा।

धारा 1 का संशोधन

3–उक्त संहिता की धारा 1 की उपधारा (3) में, शब्द ''करें'' के स्थान पर शब्द ''करे'' रख दिया जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

4–उक्त संहिता की धारा 3 की उपधारा (3) में, शब्द ''उपान्तरण परिवर्तन'' के स्थान पर शब्द ''उपान्तरण या परिवर्तन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

5–उक्त संहिता की धारा 4 में–

(क) खण्ड (8) के उपखण्ड (ख) में, शब्द ''किसी कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' रख दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (13) के उपखण्ड (चार) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''निर्माण''; के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''निर्माण; और '' और उसके उपखण्ड (पाँच) में शब्द ''पुननिर्माण'' के स्थान पर शब्द ''पुनर्निर्माण'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (16) में, शब्द ''असिस्टेन्ट कलेक्टर, बन्दोबस्त

अधिकारी और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से है'' के स्थान पर शब्द ''मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेन्ट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) और नायब तहसीलदार से है'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (17) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(17) ''राजस्व अधिकारी'' का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक से है।''

(ङ) खण्ड (19) में शब्द ''बन्द रोपण प्रणाली'' के स्थान पर शब्द ''वनरोपण प्रणाली'' रख दिये जायेंगे;

(च) खण्ड (20) में शब्द व विराम चिन्ह ''करें।'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''करें;'' रख दिया जायेगा;

(छ) खण्ड (21) में शब्द व विराम चिन्ह ''है।'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''है;'' रख दिया जायेगा;

(ज) खण्ड (22) में शब्द ''गांव निधि'' और ''ग्राम सभा'' के स्थान पर शब्द ''गांव निधि'', ''ग्राम सभा'' और ''ग्राम पंचायत'' और विराम चिन्ह श।श के स्थान पर विराम चिन्ह '';'' रख दिये जायेंगे;

(झ) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(23) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरम्भ होकर जून के तीसवें दिन पर समाप्त होता है। इसे 'फसली वर्ष' भी कहा जाता है;

(24) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी

आस्थान से हो, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार से है;

(25) 'पट्टा' के अन्तर्गत, जब उसका सम्बन्ध खानों या खनिज पदार्थों से हो, शिकमी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या शिकमी उठाने के अनुबन्ध भी हैं और 'पट्टेदार' की भी व्याख्या तद्नुसार ही की जाएगी;

(26) 'डिक्री' का वही अर्थ होगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) की धारा 2 में इसके लिये समनुदेशित है;

(27) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(28) 'केन्द्रीय सरकार' का अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 3 में इसके लिये समनुदेशित है;

(29) 'मिनजुमला संख्या' का तात्पर्य सैद्धान्तिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली 'शजरा संख्या' से है।''

धारा 5 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 5 में शब्द ''राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा जो मण्डलों में विभक्त होगा जिसमें एक या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिले में एक या अधिक तहसील हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगनें में दो या उससे अधिक गाँव हो सकेंगे।'' के स्थान पर शब्द ''राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मण्डलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) के अन्त में, विराम चिन्ह '';'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''।'' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''निरीक्षक के मुख्यालयों'' के स्थान पर शब्द ''निरीक्षक के मुख्यालय'' रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

8—उक्त संहिता की धारा 7 में—

(क) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द व विराम चिन्ह ''जब तक कि उसने ऐसा पद धारण किया हो जो आयुक्त के पद से निम्न श्रेणी का न हो।'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो;'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''जब तक कि वह राजस्व अधिकारी न रहा हो'' के स्थान पर शब्द ''जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द ''न्यायिक कारबार'' के स्थान पर शब्द ''न्यायिक कार्य'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

9–उक्त संहिता की धारा 8 में उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(क) वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बन्धित सभी मामलों में; और''

धारा 10 का संशोधन

10–उक्त संहिता की धारा 10 में,–

(क) उपधारा (2) में, शब्द ''विभाजित हो'' के स्थान पर शब्द ''विभाजित हों'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''मण्डल पीठ'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड पीठ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

11–उक्त संहिता की धारा 11 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।'' के स्थान पर शब्द ''कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(2) राज्य सरकार एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।''

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर आयुक्त को, अपर आयुक्त (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर आयुक्त (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर आयुक्त (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा, निदेशित किया जाये।''

धारा 12 का संशोधन

12—उक्त संहिता की धारा 12 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर कलेक्टर (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।''

धारा 13 का संशोधन

13—उक्त संहिता की धारा 13 में :—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।''

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी कहा जायेगा।''

(ग) उपधारा (4) में, शब्द ''सहायक कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(6) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक या एक से अधिक तहसीलों के लिये उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप जिलाधिकारी (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा उप जिलाधिकारी (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।''

14—उक्त संहिता की धारा 16 में, शब्द ''विनिर्दिष्ट करें,'' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''विनिर्दिष्ट करे,'' रख दिये जायेंगे। धारा 16 का संशोधन

15—उक्त संहिता की धारा 18 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :— धारा 18 का संशोधन

''(2) यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार पालन नहीं करता है, तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि निदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, यह कि यथास्थिति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोजन या धन, कागज.पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली, से विवर्जित नहीं करेगा।''

16—उक्त संहिता की धारा 20 की उपधारा (1) में, शब्द ''सर्वे संख्याओं'' के स्थान पर शब्द ''सर्वे गाटा संख्याओं'' और शब्द ''जायेगी'' के स्थान पर शब्द ''जायेंगी'' रख दिये जायेंगे। धारा 20 का संशोधन

17—उक्त संहिता की धारा 22 की उपधारा (1) में, शब्द ''लेखपाल के हल्के'' के स्थान पर शब्द ''लेखपाल के हलके'' रख दिये जायेंगे। धारा 22 का संशोधन

18—उक्त संहिता की धारा 24 में— धारा 24 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''स्व—प्रेरणा'' के स्थान पर शब्द ''स्वप्रेरणा'' और शब्द ''जांच द्वारा विनिश्चय कर सकता है'' के स्थान पर शब्द ''जांच द्वारा कर सकता है'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''छः माह '' के स्थान पर शब्द ''तीन माह'' रख दिये जायेंगे।

19—उक्त संहिता की धारा 25 में, शब्द ''अवरोधों के निराकरण'' के स्थान पर शब्द ''अवरोधों को हटाने'' और शब्द ''ऐसे निराकरण की लागत'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत'' रख दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

20—उक्त संहिता की धारा 26 में, शब्द ''ग्राम सभा'' के स्थान पर शब्द ''गांव'' रख दिया जायेगा। धारा 26 का संशोधन

21—उक्त संहिता की धारा 27 में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''ः'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :— धारा 27 का संशोधन

''परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना—पत्र, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।''

धारा 30 का संशोधन

22—उक्त संहिता की धारा 30 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।''

धारा 31 का संशोधन

23—(क) उक्त संहिता की धारा 31 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा।

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द ''अपने—अपने हितों का प्रकार'' के स्थान पर शब्द ''उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''दायित्वों या शर्तें'' के स्थान पर शब्द ''दायित्व या शर्तें'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (घ) में, शब्द ''राज्य सरकार, ग्राम सभा'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे;

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(2) सहखातेदारों के अंश विहित रीति से निर्धारित किये जायेंगे।''

धारा 32 का संशोधन

24—उक्त संहिता की धारा 32 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''समस्त संव्यवहार'' के स्थान पर शब्द ''समस्त संव्यवहारों'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह '':'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

''परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।''

धारा 33 का संशोधन

25—उक्त संहिता की धारा 33 में—

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) को, उपधारा (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (3), में शब्द ''खण्ड (क) या (ख) के अधीन'' के स्थान पर शब्द ''उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन'' रख दिये जायेंगे;

(ख) विद्यमान उपधारा (3) को उपधारा (4) के रूप में पुनः

संख्यांकित कर दिया जायेगा।

26—उक्त संहिता की धारा 34 में— धारा 34 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''मामले'' के स्थान पर शब्द ''मामलों'' रख दिया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण के पहले का वर्तमान प्रावधान, उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और स्पष्टीकरण में शब्द ''या जोत या उसके भाग का विनिमय'' को निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द ''परिवार'' के स्थान पर शब्द ''पारिवारिक'' रख दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिये शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।''

27—उक्त संहिता की धारा 35 में— धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,

(एक) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।''

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है।''

28—उक्त संहिता की धारा 36 की उपधारा (1) में, शब्द ''रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या कराया गया समझा गया है'' के स्थान पर शब्द ''रजिस्ट्रीकृत कराया गया है'' रख दिये जायेंगे। धारा 36 का संशोधन

29—उक्त संहिता की धारा 38 में— धारा 38 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, उपधारा (2), उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और अन्तः स्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात् :—

''(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप

जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् मामले का निर्णय किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) की कोई फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि को इस धारा के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है।

(6) इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच, जो विहित की जाय, करने के बाद ठीक कर सकेगा।''

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द ''लोप को सुधार'' के स्थान पर शब्द ''लोप का सुधार'' रख दिये जायेंगे।

धारा 39 का संशोधन

30—उक्त संहिता की धारा 39 में, शब्द ''धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 38 की उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द ''धारा 38 की उपधारा (4)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 40 का संशोधन

31—उक्त संहिता की धारा 40 में शब्द ''ग्राम के नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) में'' के स्थान पर शब्द ''अधिकार अभिलेख (खतौनी) में'' दिये जायेंगे।

धारा 41 का संशोधन

32—उक्त संहिता की धारा 41 में—

(क) उपधारा (3) में, शब्द ''सह—खातेदारों को दी जाय।'' के स्थान पर शब्द ''सह—खातेदारों को दी जाय जो इसके लिये आवेदन करें।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(4) खातेदार किसान बही के लिये ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।''

(ग) उपधारा (6) में, शब्द ''ऐसे प्रयोजनों के लिये खातेदार द्वारा ऐसी संस्था को केवल मूल किसान बही न कि अनुलिपि, प्रस्तुत की जायेगी।'' का लोप कर दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द ''किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अन्तरित किया है'' के स्थान पर शब्द ''किसी अन्य रीति चाहे जो भी

हो से, अन्तरित किया है'' रख दिये जायेंगे।

धारा 43 का संशोधन

33–उक्त संहिता की धारा 43 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण क्रियाओं'' के स्थान पर शब्द ''अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों विहित रीति से की जायेगी।''

(ग) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।''

धारा 44 का संशोधन

34–उक्त संहिता की धारा 44 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझें।'' के स्थान पर शब्द ''अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द एवं अंक ''धारा 43 की उपधारा (1)'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 43 की उपधारा (1) या उपधारा (2)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन

35–उक्त संहिता की धारा 45 में, पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''अभिलेख सर्वेक्षण क्रिया'' के स्थान पर शब्द ''अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया'' रख दिये जायेंगे।

धारा 46 का संशोधन

36–उक्त संहिता की धारा 46 में, शब्द ''अधिकार अभिलेख (खतौनी)'' के स्थान पर शब्द ''अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख'' रख दिये जायेंगे।

धारा 47 का संशोधन

37–उक्त संहिता की धारा 47 में, शब्द ''क्षेत्र पंजी (खसरा) अधिकार अभिलेख (खतौनी)'' के स्थान पर शब्द ''यथास्थिति क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 48 का संशोधन

38–उक्त संहिता की धारा 48 में, शब्द ''सीमा चिन्ह'' जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर शब्द ''सीमा चिन्हों'' और शब्द ''गांवों और क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये'' के स्थान पर शब्द ''गावों और क्षेत्रों की सीमाओं को

सीमांकित करने के लिये'' रख दिये जायेंगे।

39—उक्त संहिता की धारा 49 में— धारा 49 का संशोधन

(एक) उपधारा (2) में, शब्द ''गल्तियों'' के स्थान पर शब्द ''गलतियों'' और शब्द ''भूलों और विवाद का उल्लेख'' के स्थान पर शब्द ''भूलों और विवादों का उल्लेख'' रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(5) नायब तहसीलदार—

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले, पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।''

(तीन) उपधारा (8) में शब्द ''आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है'' के स्थान पर शब्द ''आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है'' रख दिये जायेंगे।

40—उक्त संहिता की धारा 52 में— धारा 52 का संशोधन

(क) धारा 52 के विद्यमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में, पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द ''होगें'' के स्थान पर शब्द ''होंगे'' रख दिया जायेगा;

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—

''(2) इस अध्याय के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे।''

41—उक्त संहिता की धारा 53 में, शब्द ''उपधारित की जायेगी'' के स्थान पर शब्द ''उपधारित की जायेंगी'' रख दिये जायेंगे। धारा 53 का संशोधन

42 उक्त संहिता की धारा 54 में, शब्द और विराम चिन्ह ''जल और समस्त, भूमि'' के स्थान पर शब्द ''जल और समस्त भूमि'' और परन्तुक में, शब्द ''बात से किसी ऐसी सम्पत्ति पर निर्भर रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से तत्काल पूर्व प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।'' के स्थान पर शब्द ''किसी बात से, किसी ऐसी सम्पत्ति पर इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले, विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार, प्रभावित धारा 54 का संशोधन

नहीं समझे जायेंगे।'' रख दिये जायेंगे।

43—उक्त संहिता की धारा 55 में— धारा 55 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''(विनियमन और विकास)'' के स्थान पर शब्द ''(विकास और विनियमन)'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर,निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

''(2) किसी खान या खनिज की कार्यप्रणाली या उसके उत्खनन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए, और इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को क्रियाशील, इस संहिता द्वारा निरसित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा, उपर्युक्त पट्टा के निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे किराये के संदाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनाक को प्रवृत्त था, बना रहेगा।''

44—उक्त संहिता की धारा 56 में— धारा 56 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जाएगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''ऐसे व्यक्तियों से संयुक्त रूप से सम्बन्धित समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के प्रत्येक ओर जोतों को धारण करते हों'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी ओर जोतों को धारण करते हो'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''वृक्षों झाड़ जंगल, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या आरोपित हों,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''वृक्षों, झाड़, जंगल, या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों,'' रख दिये जायेंगे।

45—उक्त संहिता की धारा 57 में— धारा 57 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''यथास्थिति किसी तहसीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभियन्ता की श्रेणी'' के स्थान पर शब्द ''यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियन्ता की श्रेणी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) व उपधारा (2) में, शब्द ''नहर के प्रत्येक ओर'' के स्थान पर शब्द ''नहर के किसी ओर'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द ''कोई व्यक्ति या कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''कोई व्यक्ति कलेक्टर'' रख दिये जायेंगे।

46—उक्त संहिता की धारा 58 में, उपधारा (2) में, अंक एवं शब्द ''दो धारा 58 का

माह'' के स्थान पर शब्द ''तीस दिन'' रख दिये जायेंगे। संशोधन

धारा 59 का संशोधन

47—उक्त संहिता की धारा 59 में—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (दो) में, शब्द ''सेक्टर मार्गों'' के स्थान पर शब्द ''सेक्टर मार्ग'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (छः) में, शब्द ''निरवात निधि'' के स्थान पर शब्द ''निखात निधि'' और विराम चिन्ह ''ः'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (क) और खण्ड (ख) में, विराम चिन्ह ''ः'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''ः'' रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (4) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द ''अन्य चीज स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर'' के स्थान पर शब्द ''अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द ''ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय वापस ले सकती है'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाएं वापस ले सकती है'' रख दिये जायेंगे।

धारा 61 का संशोधन

48—उक्त संहिता की धारा 61 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात्ः—

''स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'तालाब' में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है।''

धारा 63 का संशोधन

49—उक्त संहिता की धारा 63 में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द व विराम चिन्ह ''भूमि;'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''भूमि।'' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भूमि;'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि;'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्ः—

''(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) और भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिये अर्जित कोई भूमि।''

50—उक्त संहिता की धारा 64 में— धारा 64 का संशोधन

(क) उपधारा (3) में, शब्द ''ऐसी निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जायगा जो विहित की जायें।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह '';'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह.आवंटी होगी।''

51—उक्त संहिता की धारा 65 में— धारा 65 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द ''खाली कराये जाने के पश्चात्'' के स्थान पर शब्द ''बेदखल कराये जाने के पश्चात्'' और परन्तुक में, शब्द ''दोषी को'' के स्थान पर शब्द ''अभियुक्त को'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में,—

(एक) शब्द एवं अंक ''जहां उक्त उपधारा (2)'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''जहां उपधारा (2)'' और शब्द ''शपथ.पत्र या अन्यथा द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''शपथ.पत्र द्वारा या अन्यथा'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में, शब्द ''दोषी व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''अभियुक्त'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) व उपधारा (5) में शब्द ''दोषी व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''अभियुक्त'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द ''परगना मजिस्ट्रेट'' के स्थान पर शब्द ''उप जिला मजिस्ट्रेट'' रख दिये जायेंगे।

52—उक्त संहिता की धारा 66की उपधारा (1) में, शब्द ''कलेक्टर स्वप्रेरणा से और धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है'' के स्थान शब्द ''कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा'' रख दिये जायेंगे। धारा 66 का संशोधन

53 —उक्त संहिता की धारा 67 में— धारा 67 का संशोधन

(क) शब्द ''उप जिलाधिकारी'' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''सहायक कलेक्टर'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरूपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरूपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।''

(ग) उपधारा (3) में, शब्द ''बकाये के रूप में की जा सकती है।'' के स्थान पर शब्द ''बकाये के रूप में की जाय।'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द ''अपील करेगा'' के स्थान पर शब्द ''अपील कर सकता है'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (6) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''होगा, और'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''होगा।'' रख दिया जायेगा।

नई धारा 67–ए का अन्तः स्थापन

54–उक्त संहिता की धारा 67 के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

''67–क–कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त–(1) यदि धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तो पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

(2) जहां धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2000, को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके

अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।''

धारा 69 का संशोधन

55—उक्त संहिता की धारा 69 में—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द ''नियुक्ति'' के स्थान पर शब्द ''नियुक्त'' और खण्ड (ग) में शब्द ''समान उपयोगिता'' के स्थान पर शब्द ''सामान्य उपयोगिता'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द ''इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों'' के स्थान पर शब्द ''इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—

''(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीति से स्थापित की जायेगी।''

धारा 70 का संशोधन

56—उक्त संहिता की धारा 70 की उपधारा (2) में, शब्द एवं अंक ''वे तत्काल आदेशों को कार्यान्वित करें और उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करें'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''वे तत्काल उपधारा (1) अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें'' रख दिये जायेंगे।

धारा 71 का संशोधन

57—उक्त संहिता की धारा 71 में—

(क) खण्ड (क) में शब्द ''क्षमा याचना के बिना'' शब्द ''प्रतिहेतु के बिना'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''रू'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत किसी निदेश को जारी करने के पहले भूमि प्रबन्धक समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।''

(ग) धारा 71 के अन्त में शब्द ''जैसा कि विहित किया जाय'' के स्थान पर शब्द ''जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाय।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 72 का संशोधन

58—उक्त संहिता की धारा 72 में—

(क) उपधारा (1) में,—

''(एक) शब्द ''निर्बधन'' के स्थान पर शब्द ''निबन्धन'' रख दिया जायेगाय

(दो) खण्ड (क) में, शब्द ''एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)'' के स्थान पर शब्द ''एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)'' रख दिये जायेंगेय

(तीन) खण्ड (ख) में , शब्द ''एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)'' के

स्थान पर शब्द ''एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)'' रख दिये जायेंगेय

(चार) खण्ड (ग) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''मण्डलीय मुख्यालय के लिये एक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''मण्डलीय मुख्यालय के लिये एक या एक से अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और'' रख दिये जायेंगेय

(पांच) खण्ड (घ) में, शब्द ''जिला मुख्यालय के लिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)'' के स्थान पर शब्द ''जिला मुख्यालय के लिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और एक या एक से अधिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)'' रख दिये जायेंगेय

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''निर्बन्धन और शर्तों'' के स्थान पर शब्द ''निबन्धन और शर्तों'' और शब्द ''जैसा'' के स्थान पर शब्द ''जैसी'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द ''ग्राम सभा, पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति'' के स्थान पर शब्द ''ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति'' रख दिये जायेंगेय

(घ) उपधारा (5) में, शब्द ''विधि व्यवसायी द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल'' रख दिये जायेंगेय

(ङ) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्ः–

''(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता या इसके द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उनके विरूद्ध दाखिल प्रकरणों की निगरानी और नियुक्त नामिका अधिवक्ताओं के निष्पादन आधारित वार्षिक मुल्यांकन तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी, निदेश जारी कर सकती है।''

धारा 76 का संशोधन

59–उक्त संहिता की धारा 76 में–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) खण्ड (ग) एवं खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्ः–

''(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित होय

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित होय

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः–

''(घघ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के दिनांक

से ठीक पहले, धारा 77 के अन्तर्गत न आने वाली भूमि का कब्जेदार असामी था और 1407 फसली के वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) की श्रेणी–3 में इस रूप में दर्ज थाः

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगाय''

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दस वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''पाँच वर्ष'' रख दिये जायेंगेय

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्ः–

''(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, अंसंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।''

(घ) उपधारा (4) में,–

(एक) शब्द व अंक ''उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन'' के स्थान पर शब्द व अंक ''उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन'' रख दिये जायेंगेय

(दो) शब्द एवं अंक ''जोत आरोपण अधिनियम, 1960'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960'' रख दिये जायेंगे।

धारा 77 का संशोधन

60–उक्त संहिता की धारा 77 में–

(क) विद्यमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित कर दिया जायेगाय

(ख) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) में, खण्ड (च) और खण्ड (छ) में शब्द ''किसी अन्य प्राधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी'' रख दिये जायेंगेय

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के परन्तुक का लोप कर दिया जायेगा और स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराओं को अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

''(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिये क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किये गये भू–खण्ड या भू–खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी

को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिये उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी :

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिये या विनिमय किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है,तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा की उपधारा (2) में पद 'लोक प्रयोजन' का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, भूमि अर्जन, पुनर्वासान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित 'लोक प्रयोजन' से है।''

धारा 78 का संशोधन

61–उक्त संहिता की धारा 78 में–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(क) इस संहिता की धारा 76 की उपधारा (1) के खण्ड (घघ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था;''

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''असामी के रूप में कोई भूमि स्वीकार की गयी हो'' के स्थान पर शब्द ''असामी स्वीकार किया गया हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

62–उक्त संहिता की धारा 80 में–

(क) शीर्षक एवं उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''80–औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनो के लिये जोत का उपयोग–(1) जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करता है, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर, यथाविहित जांच करने के पश्चात्, या तो यह घोषणा कर सकता है कि

वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना–पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के अन्दर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगाः

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जायेगी कि जोत या उसका भाग चाहरदीवारी से घिरा है या मौके पर ''परती'' है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये, भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह–भूमिधर द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा, जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह–भूमिधरों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।''

(ख) उपधारा (4) में, शब्द ''सार्वजनिक उत्पाद'' के स्थान पर शब्द ''सार्वजनिक न्यूसेन्स'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''(5) राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न–भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में लाता है तो इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।''

धारा 81 का संशोधन

63–उक्त संहिता की धारा 81 में–

(क) शब्द एवं विराम चिन्ह ''परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे।'' के स्थान पर शब्द और विराम चिन्ह ''परिणाम होंगे :–'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह '';'' रख दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द ''अध्याय नौ'' के स्थान पर शब्द ''अध्याय ग्यारह'' एवं शब्द ''कृषि वर्ग'' के स्थान पर शब्द ''कृषि वर्ष'' तथा शब्द ''दिंनाक'' के स्थान पर शब्द ''दिनांक'' रख दिये जायेंगे।

धारा 82 का संशोधन

64–उक्त संहिता की धारा 82 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''कृषि प्रयोजन से सम्बद्ध किसी

अन्य प्रयोजन'' के स्थान पर शब्द ''कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (ख) के परन्तुक में, शब्द ''पुनर्निधारित'' के स्थान पर शब्द ''पुनर्निर्धारित'' रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द ''इस संविदा के उपबन्धों'' के स्थान पर शब्द ''इस संहिता के उपबन्धों'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) के परन्तुक में, शब्द ''प्रतिभूति देय'' के स्थान पर शब्द ''देय एवं प्रतिभूत'' रख दिये जायेंगे।

धारा 83 का संशोधन

65–उक्त संहिता की धारा 83 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''83–धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा।''

धारा 84 का संशोधन

66–उक्त संहिता की धारा 84 के परन्तुक में, शब्द ''टौगिया बागान'' के स्थान पर शब्द ''टौंगिया बागान'' रख दिये जायेंगे।

धारा 85 का संशोधन

67–उक्त संहिता की धारा 85 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''वाद के आधार पर'' के स्थान पर शब्द ''वाद पर'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''इस संहिता किसी'' के स्थान पर शब्द ''इस संहिता के किसी'' और शब्द ''वाद के आधार पर'' के स्थान पर शब्द ''वाद पर'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''कार्य के लागत'' के स्थान पर शब्द ''कार्य की लागत'' और शब्द ''क्षतियों '' के स्थान पर शब्द ''क्षति'' रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन

68–उक्त संहिता की धारा 89 में–

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थातः–

''उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा, जहां ऐसे अर्जन के परिणामस्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है जोकि ऐसे अंतरिती द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को मिलाकर और जहां पर ऐसा अंतरिती प्रकृत व्यक्ति है, उसके परिवार द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को भी मिलाकर

उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है।''

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''अन्य निगम, शिक्षण संस्था'' के स्थान पर शब्द ''अन्य निगम या शिक्षण संस्था'' रख दिये जायेंगे।

धारा 90 का संशोधन

69—उक्त संहिता की धारा 90 में शब्द ''रीति में'' के स्थान पर शब्द ''रीति से'' रख दिये जायेंगे।

धारा 92 का संशोधन

70—उक्त संहिता की धारा 92 में—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना या भूमि को दान देना'' के स्थान पर शब्द ''अंसक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द ''ऐसी सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रित'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 94 का संशोधन

71—उक्त संहिता की धारा 94 के खण्ड (ख) में, शब्द ''कृषि में प्रशिक्षण देने वाले'' के स्थान पर शब्द ''कृषि में प्रशिक्षण देने वाली'' रख दिये जायेंगे।

धारा 95 का संशोधन

72—उक्त संहिता की धारा 95 में, उपधारा (1) में—

(क) शब्द ''किसी ग्राम सभा से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई भूमिधर या असामी'' के स्थान पर शब्द ''कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई असामी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ङ) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् से रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), (ख) वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''या अपने पति या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (छ) में, शब्द ''पच्चीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''पैंतीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

''(ज) भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसके साथ रह रही उसकी पत्नी या उसके साथ रह रहा उसका पति;''

(ङ) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

(झ) कोई अन्य व्यक्ति जो विहित कारणों से अपनी जोत में खेती करने में असमर्थ है;''

धारा 96 का

73—उक्त संहिता की धारा 96 में,—

संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''निःशक्ताओं'' के स्थान पर शब्द ''निःशक्तताओं'' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''ऐसा अंशधारक'' के स्थान पर शब्द ''ऐसा असामी या सह.अंशधारक'' रख दिये जायेंगे।

धारा 97 का संशोधन

74—उक्त संहिता की धारा 97 में,—

(क) शब्द ''पट्टा या के रजिस्ट्रीकृत'' के स्थान पर शब्द ''पट्टा, रजिस्ट्रीकृत'' रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द ''अनुपालन नहीं करता है इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लघंन में इस कारण से'' के स्थान पर शब्द ''अनुपालन नहीं करता है इस कारण से इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में'' रख दिये जायेंगे।

धारा 98 का संशोधन

75—उक्त संहिता की धारा 98 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''98—(1) इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को, कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगाः

परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब—

(क) अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा धारा—110 के खण्ड (क), जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो; या

(ख) अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, उससे भिन्न किसी जिले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है; या

(ग) कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अन्तरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।''

धारा 99 का संशोधन

76—उक्त संहिता की धारा 99 में शब्द एवं विराम चिन्ह ''विक्रय, दान या पट्टेदारी'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 101 का संशोधन

77—उक्त संहिता की धारा—101 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''101—(1) संहिता की धारा—77 में किसी बात के होते हुये भी, कोई

भूमिधर उप जिलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमयः–

(क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से, या

(ख) धारा–59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गयी भूमि से कर सकता है।

(2) उप जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इन्कार कर देगा, अर्थात्:–

(क) यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है; या

(ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति से अवधारित मूल्याकनों के मध्य का अन्तर निम्नतर मूल्यांकन के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(ग) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं; या

(ङ) यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न होः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित भूमि से विनिमय की अनुज्ञा विहित शर्तों पर और विहित रीति से दे सकती है।

(3) इस धारा में दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुयी नहीं समझी जाएगी सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908), में दी गयी कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

धारा 102 का संशोधन

78–उक्त संहिता की धारा 102 में, खण्ड (क) में, शब्द ''पक्षकारो'' के स्थान पर शब्द ''पक्षकारों'' और खण्ड (ख) में शब्द ''अधिकारों के अभिलेखों (खतौनी)'', के स्थान पर शब्द ''अधिकार अभिलेख (खतौनी)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 103 का संशोधन

79–उक्त संहिता की धारा 103 में,–

(क) शब्द ''जहां तक धारा'' के स्थान पर शब्द ''जहां धारा'' और शब्द ''हो तो वहां'' के स्थान पर शब्द ''हो वहां'' रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में और खण्ड (ख) में, शब्द एवं अंक ''5.04 हेक्टेयर'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''5.0586 हेक्टेयर'' रख दिया जायेगा।

धारा 104 का संशोधन

80—उक्त संहिता की धारा 104 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''104—धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा, किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का किया गया प्रत्येक अन्तरण, जो इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो, शून्य होगा।''

धारा 105 का संशोधन

81—उक्त संहिता की धारा 105 में—

(क) खण्ड (1) में,—

(एक) शब्द ''निम्नलिखित परिणामों से यह सुनिश्चित किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द ''निम्नलिखित परिणाम होंगे'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

''(क) ऐसे अन्तरण की विषय.वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;''

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''कुंआ और अन्य सुधारों को, सभी भार से मुक्त, राज्य सरकार में निहित समझा जाएगा'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''कुएं और अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे'' रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (घ) में, शब्द ''अंतरिती के हित के निर्वापन'' के स्थान पर शब्द ''अंतरक के हित की समाप्ति'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के अन्त में, विराम चिन्ह'';'' के स्थान पर विराम चिन्ह''।'' रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''ऐसी भूमि और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिसम्मत होगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन हो, बेदखल होने वाली ऐसी भूमि या सम्पत्ति के कब्जे का निदेश दे सकता है'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''कलेक्टर के लिये ऐसी भूमि और अन्य सम्पत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन हो, को उससे बेदखल करने का निदेश देना विधिसम्मत

होगा'' रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 106 के पश्चात और धारा 107 के पहले शीर्षक का बढ़ाया जाना

82—उक्त संहिता की धारा 106 के पश्चात और धारा 107 के पहले शीर्षक ''न्यागमन'' बढ़ा दिया जायेगा।

धारा 108 का संशोधन

83—उक्त संहिता की धारा 108 मय पार्श्वंकित शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''108—पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम (1) धारा 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धान्त के अनुसार होगाः—

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात् खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ग) में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे, आदि;

(तीन) भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्वमृत पुरूष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवायें हों तो ऐसी समस्त विधवायें एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी;

(चार) विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्वमृत पुरूष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यसीन पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्:—

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र—पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसारः

परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व

मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यायगत होता;

(ख) माता और पिता;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ड) पिता के पिता का पुत्र;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;

(ण) माता की माता का पुत्र।''

धारा 109 का संशोधन

84—उक्त संहिता की धारा 109 में—

(क) शब्द ''किसी पुरूष भूमिधर, असामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार'' के स्थान पर शब्द ''किसी जोत में पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार'' और शब्द ''ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय,'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाय,'', शब्द ''पुर्नविवाह'' के स्थान पर शब्द ''पुनर्विवाह'' तथा शब्द ''होता''। के स्थान पर शब्द ''होगा।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री, जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हैं, की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगा।''

धारा 110 का संशोधन

85—उक्त संहिता की धारा 110 में,—

(क) पार्श्वंकित शीर्षक में, शब्द ''भू—धारक का उत्तराधिकारी'' के

स्थान पर शब्द ''भू–धारक का उत्तराधिकार'' रख दिये जायेंगे;

(ख) पुत्र अविवाहित पुत्री का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अशों में:

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगाः

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो, अपवर्जित हो जाएगी;

(ग) खण्ड (ग) में शब्द ''अविवाहित पुत्री'' का लोप कर दिया जायेगा;

(घ) खण्ड (ज) में, शब्द ''और प्रति शाखा अनुसार भाई का पुत्र'' के स्थान पर शब्द ''और भाई का पुत्र प्रति शाखा अनुसार'' रख दिये जायेंगे।

धारा 111 का संशोधन

86–उक्त संहिता की धारा 111 में, शब्द ''डिबटर सम्पत्ति'' के स्थान पर शब्द ''देवोत्तर सम्पत्ति'' और शब्द ''ऐसे वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होते हों'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होती हों'' रख दिये जायेंगे।

धारा 112 का संशोधन

87–उक्त संहिता की धारा 112 की उपधारा (1) में, शब्द ''प्राप्त करे'' के स्थान पर शब्द ''प्राप्त करें'' और शब्द ––''सह–विधवायें को'' के स्थान पर शब्द ''सह–विधवाओं को'' रख दिये जायेंगे।

धारा 113 का संशोधन

88–उक्त संहिता की धारा 113 में शब्द ''भूमि का अर्जन या उसमें किसी हित का हकदार होगा।'' के स्थान पर शब्द ''भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 114 का संशोधन

89–उक्त संहिता की धारा 114 में,–

(क) खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (घ) में शब्द ''भूमिधर या असामी'' है, के स्थान पर शब्द ''भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार'' रख दिये जायेगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''पाय'' के स्थान पर शब्द ''पाये'' रख दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''जाएगा।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जाएगा;'' रख दिया जायेगा;

(घ) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात्'–

''स्पष्टीकरण–इस धारा में पद ''हत्या'' का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 304–ख, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है।''

धारा 115 का संशोधन

90—उक्त संहिता की धारा 115 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''भूमिधर या ग्राम सभा से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकार'' के स्थान पर शब्द ''भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''के निबन्धन और शर्तें'' के स्थान पर शब्द ''की निबन्धन और शर्तें'' रख दिये जायेगे;

(ग) उपधारा (4) में शब्द ''अपने अधिकार'' के स्थान पर शब्द ''अपने अधिकारों'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (6) में, खण्ड (ग) में, शब्द ''अन्तिम निस्तारण'' के स्थान पर शब्द ''अन्तिम खारिजा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 116 का संशोधन

91—उक्त संहिता की धारा 116 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।''

धारा 117 का संशोधन

92—उक्त संहिता की धारा 117 की उपधारा (1) में, शब्द ''कलेक्टर न्यायालय'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर का न्यायालय'' और खण्ड (क) में, शब्द ''अनुश्रवण'' के स्थान पर शब्द ''पालन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का संशोधन

93—उक्त संहिता की धारा 119 में शब्द ''असामी किस जोत'' के स्थान पर शब्द ''असामी किसी जोत'' रख दिये जायेंगे।

धारा 120 का संशोधन

94—उक्त संहिता की धारा 120 की उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''समर्पण दिनांक'' के स्थान पर शब्द ''समर्पण के दिनांक'' रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''जायगा'' के स्थान पर शब्द ''जायेगा'' रख दिया जायेगा।

धारा 122 का संशोधन

95—उक्त संहिता की धारा 122 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''इसका कृषि के लिये प्रयोग न करे'' के स्थान पर शब्द ''उस भूमि का कृषि के लिये प्रयोग न करे'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द ''प्रवृत्त रही हों'' के स्थान पर शब्द ''प्रवृत्त हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 123 का संशोधन

96—उक्त संहिता की धारा 123 में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''पूर्णता'' के स्थान पर शब्द ''पूर्णतया'' और शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायगी'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायेगी;'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''जायगा'' के स्थान पर शब्द ''जायेगा'' रख दिया जायेगा।

धारा 124 का संशोधन

97—उक्त संहिता की धारा 124 की उपधारा (2) में शब्द एवं अंक ''उपधारा (2) किसी'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी'' रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 124 के पश्चात और धारा 125 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

98—उक्त संहिता की धारा 124 के पश्चात और धारा 125 के पहले शीर्षक ''ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा'' अन्तरू स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 125 का संशोधन

99—उक्त संहिता की धारा 125 में शब्द ''भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 126 का संशोधन

100—उक्त संहिता की धारा 126 में,—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''भूमि प्रबन्ध समिति'', के स्थान पर शब्द ''भूमि प्रबन्धक समिति'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द एवं अंक ''किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 125 के अधीन असामी के रूप में'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द ''सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवहित पुत्रिया'' के स्थान पर शब्द ''सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवहित पुत्रियां'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द ''सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही में पूर्णतया विकलांग हो गया हो'' के स्थान पर शब्द ''सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो'' रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ज) में, शब्द एवं अंक ''संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1947)'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (1) के स्पस्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (एक), खण्ड (तीन) और खण्ड (पांच) के अन्त में, विराम चिन्ह '।' के स्थान पर विराम चिन्ह ';' रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (दो) का लोप कर दिया जायेगा;

(तीन) शब्द ''आवंटन के दिनांक की या उक्त दिनांक को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (चार) के अन्त में, विराम चिन्ह ''.'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''; '' रख दिया जायेगा;

(पाँच) खण्ड (पांच) में शब्द ''अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1'' के स्थान पर शब्द '' अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची–1'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (2) में, शब्द ''से कम हो'' के स्थान पर शब्द ''से अधिक न हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 127 का संशोधन

101– उक्त संहिता की धारा 127 में –

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''ऐसे वृक्ष या सुधार की भूमि सहित सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''रू'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्रू–

''परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह.आवंटी होगी।''

धारा 128 का संशोधन

102– उक्त संहिता की धारा 128 में –

(क) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वतः जाँच कर सकता और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जाँच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी एक के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा को, यदि कोई

हो;–'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''कलेक्टर किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (क) और खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्रू–

''(1–क) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई प्रार्थना.पत्र इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।''

(घ) उपधारा (2) में,

(एक) शब्द ''निरसित किया जाए'' के स्थान पर शब्द ''निरस्त किया जाए'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द ''ऐसी भूमि में और उसके विद्यमान प्रत्येक वृक्ष'' के स्थान पर शब्द '' ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष '' और शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायेंगे।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायेंगे;'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (3) में, शब्द ''जायगा'' के स्थान पर शब्द ''जायेगा'' रख दिया जायेगा।

धारा 129 का संशोधन

103– उक्त संहिता की धारा 129 की उपधारा (1) में, शब्द ''स्वप्रेरणा से'' के स्थान पर शब्द '' स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है'' रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 130 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

104–उक्त संहिता की धारा 129 के पश्चात और धारा 130 के पहले शीर्षक ''बेदखली'' अन्तरू स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 131 का संशोधन

105–उक्त संहिता की धारा 131 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ङ) में शब्द ''तीन माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''।'' रख दिया जायेगा।

धारा 132 का संशोधन

106—उक्त संहिता की धारा 132 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द ''रीति में कार्यवाही करेगा'' के स्थान पर शब्द ''रीति से कार्यवाही करेगा'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में शब्द ''जाएगें'' के स्थान पर शब्द ''जायेंगे'' रख दिया जायेगा;

(तीन) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (दो) में शब्द ''यथा नियत प्रतिपूर्ति का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों को देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित या हटाये या मृत या काटे नहीं जाते।'' के स्थान पर शब्द ''यथा नियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित किये या हटाये या काटे नहीं जाते या वे मृत नहीं हो जाते।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''देय प्रतिपूर्ति'' के स्थान पर शब्द ''देय प्रतिकर'' रख दिये जायेंगे।

धारा—133 का संशोधन

107—उक्त संहिता की धारा—133 में शब्द ''वाद चलाने के बदले में'' के स्थान पर शब्द ''वाद चलाने के बजाय'' और उसके खण्ड (ग) में, शब्द ''नुकसान की मरम्मत हेतु'' के स्थान पर शब्द ''नुकसान की भरपाई हेतु'' रख दिये जायेंगे।

धारा—135 का संशोधन

108—उक्त संहिता की धारा—135 निकाल दी जायेगी।

धारा—136 का संशोधन

109—उक्त संहिता की धारा—136 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् रू—

''(1) इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुये भी उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।''

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) में, विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''।'' रख दिया जायेगा;

(ग) स्पष्टीकरण में, शब्द ''पेड़ और सुधार'' के स्थान पर शब्द ''पेड़ और अन्य सुधार'' रख दिये जायेंगे।

धारा–137 का संशोधन

110–उक्त संहिता की धारा–137 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द ''उपबन्धों के अनुसार से भिन्न किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली की प्रत्याशा के भय से'' के स्थान पर शब्द ''उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (एक) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''भूमि के कब्जे के लिए;'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''भूमि के कब्जे के लिए; या'' रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा–143 के पश्चात और धारा–144 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

111–उक्त संहिता की धारा–143 के पश्चात और धारा–144 के पहले शीर्षक ''घोषणात्मक वाद'' अन्तरू स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा–144 का संशोधन

112–उक्त संहिता की धारा–144 की उपधारा (2) में, खण्ड (2) में, शब्द ''पक्षकार होंगे'' के स्थान पर शब्द ''पक्षकार होगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा–145 का संशोधन

113–उक्त संहिता की धारा–145 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्रू–

''145–ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद–विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा–34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।''

धारा–146 का संशोधन

114–उक्त संहिता की धारा–146 में,–

(क) शब्द ''शपथ–पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है'' के स्थान पर शब्द ''शपथ–पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''हटाने बेच देने'' के स्थान पर शब्द ''हटाने या बेच देने'' और शब्द ''अस्थायी आदेश'' के स्थान पर शब्द ''अस्थायी व्यादेश'' रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा–146 के पश्चात और धारा–147 के पहले अध्याय एवं शीर्षक का जोड़ा जाना

115–उक्त संहिता की धारा 146 के पश्चात और धारा–147 के पहले ''अध्याय–दस'' और शीर्षक ''सरकारी पट्टेदार'' अन्तरू स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा–149 का संशोधन

116–उक्त संहिता की धारा–149 में शब्द ''निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार'' के स्थान पर शब्द ''निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों'' रख दिये जायेंगे।

धारा–152 का संशोधन

117–उक्त संहिता की धारा–152 के शीर्षक में, शब्द ''भू–राजस्व के बकाया की वसूली देयों की तरह'' के स्थान पर शब्द ''भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय'' रख दिये जायेंगे।

धारा–153 का संशोधन

118–उक्त संहिता की धारा–153 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व विराम चिन्ह ''किया जा रहा हो। भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''किया जा रहा हो, भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, शब्द ''भवन द्वारा कब्जे की भूमि'' के स्थान पर शब्द ''भवन द्वारा आच्छादित भूमि'' रख दिये जायेंगे।

धारा 154 का संशोधन

119–उक्त संहिता की धारा 154 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –

''154–भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व–(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू–राजस्व देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुरूप, जैसे विहित किये जायें, अवधारित भू–राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।''

धारा 155 का संशोधन

120–उक्त संहिता की धारा 155 में शब्द ''नहीं क्रिया या'' के स्थान पर शब्द ''नदी क्रिया या'' रख दिये जायेंगे।

धारा 157 का संशोधन

121–उक्त संहिता की धारा 157 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान

माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।''

धारा 159 का संशोधन

122—उक्त संहिता की धारा 159 के खण्ड (क) में, शब्द व विराम चिन्ह ''जाएगा;'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''जाएगा; और'' रख दिये जायेंगे।

धारा 165 का संशोधन

123—उक्त संहिता की धारा 165 में शब्द एवं विराम चिन्ह ''ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 168 का संशोधन

124—उक्त संहिता की धारा 168 में शब्द एवं विराम चिन्ह ''बाकीदार हो, निश्चायक होगा।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''व्यतिक्रमी हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।''

धारा 170 का संशोधन

125—उक्त संहिता की धारा 170 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द एवं विराम चिन्ह ''भू—राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है, अर्थात्;'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू—राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात् :—'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द ''गिरफ्तारी या निरूद्ध'' के स्थान पर शब्द ''गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द ''विक्रय करने'' के स्थान पर शब्द ''विक्रय करके'' रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ग) में, शब्द ''लाकर'' के स्थान पर शब्द ''लॉकर'' रख दिया जायेगा;

(पॉच) खण्ड (ङ) में, शब्द ''या बिक्री करके'' के स्थान पर शब्द ''या उसकी बिक्री करके'' रख दिये जायेंगे;

(छः) खण्ड (छ) में, शब्द ''व्यतिक्रमी किसी'' के स्थान पर शब्द ''व्यतिक्रमी की किसी'' और शब्द ''रिसीवर नियुक्ति करके'' के स्थान पर ''रिसीवर की नियुक्ति करके'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''भूमिधर या असामी'' के स्थान पर शब्द ''भूमिधर'' रख दिया जायेगा।

धारा 171 का संशोधन

126—उक्त संहिता की धारा 171 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द ''एक बार में'' का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड

रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95(1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;''

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''के विरूद्ध'' के स्थान पर शब्द ''में निरूद्ध'' और शब्द ''बाध्य नहीं करेगा'' के स्थान पर शब्द ''बाध्य करेगा'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

''(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जायेगा, जब वसूली के लिये ईप्सित धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो।''

धारा 172 का संशोधन

127–उक्त संहिता की धारा 172 में,–

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।''

(ख) उपधारा (3) में शब्द ''अधिकारी की ऐसी प्रतिभूति'' के स्थान पर शब्द ''अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''जब की अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि के लिए दायी होगा।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा।'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द ''रीति में'' के स्थान पर शब्द ''रीति से'' रख दिये जायेंगे।

धारा 173 का संशोधन

128–उक्त संहिता की धारा 173 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''लाकर'' के स्थान पर शब्द ''लॉकर'' रख दिया जायेगा;

(ख) शब्द ''अधिकाधिक रीति में'' के स्थान पर शब्द ''अधिकथित रीति से'' और शब्द ''लाकर'' के स्थान पर शब्द ''लॉकर'' रख दिये जायेंगे।

धारा 174 का संशोधन

129–उक्त संहिता की धारा 174 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''उप जिलाधिकारी'' कें स्थान पर

शब्द ''कलेक्टर'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''कुर्की की हों'' के स्थान पर शब्द ''कुर्की की गयी हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 175 का संशोधन

130—उक्त संहिता की धारा 175 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''उप जिलाधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द ''अनुगामी जुलाई'' के स्थान पर शब्द ''ठीक आगामी जुलाई'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द ''पट्टादार'' के स्थान पर शब्द ''पट्टेदार'' और शब्द ''प्रक्रिया'' के स्थान पर शब्द ''प्रक्रियाओं'' एवं शब्द ''अवधारित'' के स्थान पर शब्द ''समाप्त'' रख दिये जायेंगे;

धारा 176 का संशोधन

131—उक्त संहिता की धारा 176 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द ''उप जिलाधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' रख दिया जायेगा;

(दो) शब्द ''अवधारित'' के स्थान पर शब्द ''समाप्त'' और शब्द तथा अंक एवं विराम चिन्ह ''ऐसी रीति से बेच सकता है, जैसा कि धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम समुचित रूप में विहित किये जायें।'' के स्थान पर शब्द तथा अंक एवं विराम चिन्ह ''विहित रीति से बेंच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''उप जिलाधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' और शब्द ''कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''राजस्व परिषद'' रख दिये जायेंगे।

धारा 177 का संशोधन

132—उक्त संहिता की धारा 177 में—

(क) शब्द ''कुर्की'' और बिक्री की वसूली'' के स्थान पर शब्द ''कुर्की और बिक्री करके वसूली'' रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में, शब्द और विराम चिन्ह ''किसी कृषक की उससे एकदम संलग्न मकान, अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 178 का संशोधन

133—उक्त संहिता की धारा 178 में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द ''दस्तावेजों का'' के

स्थान पर शब्द ''दस्तावेजों का निष्पादन'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द ''रिसीवर कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''रिसीवर, कलेक्टर'' और शब्द ''समझें'' के स्थान पर शब्द ''समझे'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (7) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''जान बूझकर व्यतिक्रम अवज्ञा, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गम्भीर लोप, या दुर्विनियोग के आधार पर'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जान बूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गम्भीर लोप या किसी सम्पत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (8) में, शब्द ''कलेक्टर को रिसीवर की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आवधारण करने कि'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने कि,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 179 का संशोधन

134—उक्त संहिता की धारा 179 में शब्द ''इस अध्याय के अनुसार बकायों या भू—राजस्व के रूप में वसूली योग्य भू—राजस्व या अन्य देयों को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ'' के स्थान पर शब्द ''इस अध्याय के अनुसार भू—राजस्व अथवा भू—राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 180 का संशोधन

135—उक्त संहिता की धारा 180 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''उपायों का व्यय'' के स्थान पर शब्द ''प्रक्रियाओं का व्यय'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''उसी रीति में'' के स्थान पर शब्द ''उसी रीति से'' रख दिये जायेंगे;

धारा 181 का संशोधन

136—उक्त संहिता की धारा 181 में,—

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है और जिसका विधिवत् निस्तारण नहीं हुआ है।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है।'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''प्रतिभूत'' के स्थान पर शब्द ''प्रतिभू'' और शब्द ''स्वयं बाकीदार रहा हो'' के स्थान पर शब्द ''स्वयं व्यतिक्रमी हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 182 का संशोधन

137—उक्त संहिता की धारा 182 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''प्रत्येक प्रक्रिया'' के स्थान पर शब्द ''प्रत्येक आदेशिका'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह ''नियम 54, आदेश 21'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''आदेश 21 के नियम 54'' रख दिये जायेंगे।

धारा 183

138—उक्त संहिता की धारा 183 में,—

का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक में, खण्ड (ग) में, शब्द ''या जहां कुर्की'' के स्थान पर शब्द ''जहां कुर्की'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''तीन माह'' के स्थान पर शब्द ''साठ दिनों'' रख दिये जायेंगे।

धारा 184 का संशोधन

139—उक्त संहिता की धारा 184 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द ''उप कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''ऐसे सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट;'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (छ) में, शब्द ''जैसा कि कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''जिन्हें कि कलेक्टर'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द ''विक्रय किये जाने हेतु'' के स्थान पर शब्द ''जहां विक्रय किये जाने हेतु'' रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द एवं अंक ''5.04 हेक्टेयर'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''5.0586 हेक्टेयर'' रख दिये जायेंगे।

धारा 185 का संशोधन

140—उक्त संहिता की धारा 185 में,—

(क) शब्द ''प्रत्येक स्थानों'' के स्थान पर शब्द ''प्रत्येक स्थान'' और शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायेगी।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''जायेगीः—'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के अन्त में, विराम चिन्ह '';'' अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द ''कुछ अन्य'' के स्थान पर शब्द ''कोई अन्य'' रख दिये जायेंगे।

धारा 186 का संशोधन

141—उक्त संहिता की धारा 186 में,—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''किसके द्वारा किया गया'' के स्थान पर शब्द ''किसके द्वारा किया जाय'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।''

धारा 188 का संशोधन

142—उक्त संहिता की धारा 188 की उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''विक्रय की गयी सम्पत्ति, के लिए बोली नहीं लगायेगा या को अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा या उसमें कोई रुचि नहीं लेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''विक्रय की गयी सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगायेगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 189 का संशोधन

143—उक्त संहिता की धारा 189 में,—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''क्रेता द्वारा जमा राशि और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय'' के स्थान पर शब्द ''क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द ''पुनः विक्रय में मूल्य में होने वाली किसी कमी या कमी'' के स्थान पर शब्द ''पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी'' रख दिये जायेंगे।

धारा 190 का संशोधन

144—उक्त संहिता की धारा 190 में,—

(क) शीर्षक में शब्द ''क्रय धन का जमा'' के स्थान पर शब्द ''क्रय धन का जमा किया जाना'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।''

धारा 191 का संशोधन

145—उक्त संहिता की धारा 191 में,—

(क) शब्द ''अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करता है'' के स्थान पर शब्द ''अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिये क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है'' रख दिये जायेंगे;

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि जहाँ पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में, इस धारा के अन्तर्गत अधिमानता के कारण, पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।''

धारा 192 का

146—उक्त संहिता की धारा 192 में,—

संशोधन

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द ''अपास्त करने के लिए कलेक्टर को कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उस कोषागार में आवेदन कर सकता है'' के स्थान पर शब्द ''अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द ''पांच प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''एक प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द ''प्रक्रिया'' के स्थान पर शब्द ''प्रक्रियाओं'' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''तो वह'' के स्थान पर शब्द ''वहां वह'' रख दिये जायेंगे।

147–उक्त संहिता की धारा 193 में,– धारा 193 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''किसी तथ्यपरक अनियमितता या प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर विक्रय को'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''पुनर्विलोकन'' के स्थान पर शब्द ''पुनरीक्षण'' रख दिया जायेगा।

148–उक्त संहिता की धारा 194 में,– धारा 194 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''विक्रय के दिनांक से'' के स्थान पर शब्द ''यदि विक्रय के दिनांक से'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''अधिक हो सकती है'' के स्थान पर शब्द ''अधिक है'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम;'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी सम्पत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम हो;'' रख दिये जायेंगे।

149–उक्त संहिता की धारा 195 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :– धारा 195 का संशोधन

''195– धारा 192, धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते

हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने, की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।''

धारा 197 का संशोधन

150—उक्त संहिता की धारा 197 में, शब्द ''पांच प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''एक प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

151—उक्त संहिता की धारा 198 में, उपधारा (2) के अन्त में, विराम चिन्ह ''।'' अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 199 का संशोधन

152—उक्त संहिता की धारा 199 की उपधारा (1) में, शब्द ''उपभोग कर'' के स्थान पर शब्द ''उपयोग कर'' रख दिये जायेंगे।

धारा 200 का संशोधन

153—उक्त संहिता की धारा 200 में शब्द ''उपभोग'' के स्थान पर शब्द ''उपयोग'' और खण्ड (क) में शब्द ''संग्रह प्रभारी'' के स्थान पर शब्द ''संग्रह प्रभारों'' रख दिये जायेंगे।

धारा 201 का संशोधन

154—उक्त संहिता की धारा 201 में शब्द एवं विराम चिन्ह ''तो कलेक्टर द्वारा सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा जो ऐसा बल, जैसा आवश्यक समझा जाय का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 202 का संशोधन

155—उक्त संहिता की धारा 202 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''202—वाद का वर्जन— धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू—राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।''

धारा 203 का संशोधन

156—उक्त संहिता की धारा 203 में—

(क) कोष्ठक एवं अंक ''(1)'' का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) शब्द ''अध्याय के अधीन शुरू की जाय'' के स्थान पर शब्द ''अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय'' और शब्द ''भुगतान वसूली अधिकारी को करेगा'' के स्थान पर शब्द ''वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है'' तथा शब्द एवं विराम चिन्ह ''वाद कर सकता है।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''वाद दायर कर सकता है।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 204 का संशोधन

157—उक्त संहिता की धारा 204 में शब्द ''इस निर्मित'' के स्थान पर शब्द ''इस निमित्त'' और शब्द ''व्यक्ति का'' के स्थान पर शब्द ''व्यक्ति को'' रख दिये जायेंगे।

धारा 206 का संशोधन

158—उक्त संहिता की धारा 206 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''प्रार्थना—पत्र कार्यवाही'' के स्थान पर ''प्रार्थना—पत्र या कार्यवाही'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द व अंक ''स्तम्भ 4'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 3'' और शब्द एवं अंक ''स्तम्भ 3'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 2'' और शब्द ''प्रार्थना–पत्र कार्यवाही'' के स्थान पर ''प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2) (ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, न की गयी हो और जब तक कि न्याय पारिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।''

धारा 207 का संशोधन

159–उक्त संहिता की धारा 207 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व अंक ''स्तम्भ 3'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 2'', शब्द व अंक ''स्तम्भ 5'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 4'' और शब्द एवं अंक ''स्तम्भ 4'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 3'' और उपधारा (1) में, शब्द ''आदेश डिक्री'' के स्थान पर शब्द ''आदेश या डिक्री'' और शब्द ''विनिर्दिष्ट न्यायालय'' के स्थान पर शब्द ''में विनिर्दिष्ट न्यायालय'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह ''दाखिल किये जाने प्रथम अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से 30 दिन के भीतर होगी।'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 208 का संशोधन

160–उक्त संहिता की धारा 208 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व अंक ''स्तम्भ 3'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 2'' और शब्द व अंक ''स्तम्भ 6'' के स्थान पर शब्द व अंक ''स्तम्भ 5'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द ''अवधि की परिसीमा'' के स्थान पर शब्द ''परिसीमा की अवधि'' और अंक व शब्द ''90 दिन के भीतर होगी'' के स्थान पर अंक व शब्द ''90 दिन होगी'' रख दिये जायेंगे।

धारा 209 का संशोधन

161–उक्त संहिता की धारा 209 में–

(क) शब्द ''किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री'' के स्थान पर शब्द ''किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द ''अध्याय पांच''के स्थान पर शब्द ''अध्याय ग्यारह'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द ''पुनरीक्षा'' के स्थान पर शब्द ''पुनरीक्षण'' रख दिया जायेंगा;

(घ) खण्ड (च) में, शब्द ''आदेश डिक्री'' के स्थान पर शब्द ''आदेश या डिक्री'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड व परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(छ) पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित; या

(ज) जहां ऐसा आदेश एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित किया गया है :

परन्तु यह कि एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के अन्दर उस आदेश, को अपास्त कराने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है, उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए, पहले समन किये बिना उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।''

धारा 210 का संशोधन

162–उक्त संहिता की धारा 210 में–

(क) अंक एवं शब्द ''210–परिषद'' के स्थान पर अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''210–(1) परिषद'' और शब्द ''हुयी'' के स्थान पर शब्द ''होती है'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''जहां अपील होनी है परन्तु प्रस्तुत नहीं की गयी है,'' का लोप कर दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात और उपधारा (3) के पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

''स्पष्टीकरण–शंका के निवारण के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को, उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।''

(घ) उपधारा (3) में, शब्द ''तीस दिन'' के स्थान पर शब्द ''साठ दिन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 211 का संशोधन

163—उक्त संहिता की धारा 211 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द ''अपने द्वारा या संबंधित अपने द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''अपने द्वारा'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''की धारा (1)'' के स्थान पर शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''का उपधारा (1)'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द ''किसी गलती'' के स्थान पर शब्द ''कोई गलती'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

''(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन का प्रार्थना—पत्र ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।''

धारा 213 का संशोधन

164—उक्त संहिता की धारा 213 में,—

(क) शीर्षक में, शब्द ''पक्षकार होगा'' के स्थान पर शब्द ''पक्षकार होगी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''तद्धीन'' के स्थान पर शब्द ''तदधीन'' और शब्द ''या के'' के स्थान पर शब्द ''या उसके'' रख दिये जायेंगे।

धारा 214 का संशोधन

165—उक्त संहिता की धारा 214 में शब्द ''इस संहिता द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द ''इस संहिता द्वारा या इसके अधीन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 215 का संशोधन

166—उक्त संहिता की धारा 215 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''215—प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे— किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान, सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो।''

धारा 216 का संशोधन

167—उक्त संहिता की धारा 216 में,—

(क) खण्ड (ख) में, शब्द ''पता लिखे रजिस्टर्ड डाक द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया

जायेगा, अर्थात् :–

''(ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में, उसी कम्पनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या''

(ग) खण्ड (घ) में, शब्द ''दिए गए किसी अन्य रीति से'' के स्थान पर शब्द ''दी गयी किसी अन्य रीति से'' रख दिये जायेंगे।

धारा 217 का संशोधन

168–उक्त संहिता की धारा 217 में शब्द ''ऐसे मामलों'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे मामले'' रख दिये जायेंगे।

धारा 219 का संशोधन

169–उक्त संहिता की धारा 219 में शब्द ''अपने से अधीनस्थ'' के स्थान पर शब्द ''अपने अधीनस्थ'', शब्द ''जिसका प्रयोग'' के स्थान पर शब्द ''जिनका प्रयोग'', शब्द ''निर्बन्धनों'' के स्थान पर शब्द ''निबन्धनों'' तथा शब्द ''विनिर्दिष्ट की जाय'' के स्थान पर शब्द ''विनिर्दिष्ट की जायें'' रख दिये जायेंगे।

धारा 220 का संशोधन

170–उक्त संहिता की धारा 220 में, शब्द ''निर्बन्धनों और शर्तों'' के स्थान पर शब्द ''निबन्धनों और शर्तों'' और शब्द एवं विराम चिन्ह ''आवश्यक समझें, किसी भी समय किसी को ग्रहण कर सकता'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता'' रख दिये जायेंगे।

धारा 221 का संशोधन

171–उक्त संहिता की धारा 221 में शब्द ''कोई व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''कोई भी व्यक्ति'' और शब्द ''भाग की प्रतिलिपि'' के स्थान पर शब्द ''भाग की सत्यापित प्रतिलिपि'' रख दिये जायेंगे।

धारा 222 का संशोधन

172–उक्त संहिता की धारा 222 में–

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''झाँसी मण्डल,'' के स्थान पर शब्द ''झाँसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल,'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में, शब्द ''बलाई (पहाड़);'' के स्थान पर शब्द ''(बलाये पहाड़);'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में, शब्द ''और भगवत'' के स्थान पर शब्द ''और भगवत तथा तहसील मड़िहान का परगना भगवत'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ङ) में, शब्द ''साकेतगढ़'' के स्थान पर शब्द ''सकटेशगढ़'' रख दिया जायेगा।

धारा 223 का संशोधन

173–उक्त संहिता की धारा 223 में शब्द ''या के द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''या उनके द्वारा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 224 का संशोधन

174–उक्त संहिता की धारा 224 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''भूमि के कब्जादार

किसी व्यक्ति से,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति से,'' और शब्द ''जैसा विहित किया जाय'' के स्थान पर शब्द ''जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''जो ऐसी भूमि में, प्रकृति और विस्तार सहित, कोई रूचि रखता हो,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह '' जो ऐसी भूमि में, हित रखता हो, जिसके अन्तर्गत हित की प्रकृति और विस्तार भी शामिल है,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 225 का संशोधन

175—उक्त संहिता की धारा 225 के शीर्षक में, शब्द ''परित्राण'' के स्थान पर शब्द ''संरक्षण'', और उसकी उपधारा (1) में शब्द ''यह'' के स्थान पर शब्द ''वह'' तथा शब्द ''द्वारा या के अधीन'' के स्थान पर शब्द ''द्वारा या इसके अधीन''रख दिये जायेंगे।

नई धाराओं का अन्तःस्थापित किया जाना

176—उक्त संहिता की धारा 225 के पश्चात, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

''225—क—संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण— इस संहिता के अन्य प्रावधानों में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस संहिता के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए उद्भूत सभी प्रश्नों को शपथ.पत्रों पर, विहित रीति से तय किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी, जिसने शपथ पत्र दाखिल किया है, की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है, वहां वह ऐसी प्रतिपरीक्षा के लिए उस साक्षी को पेश करने हेतु निदेश दे सकेगा।

225—ख—कैवियट दाखिल करना—(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिये जाने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके सम्बन्ध में उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैवियट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैवियट दाखित कर सकता है।

(2) जहां पर कोई कैवियट दाखिल किया गया है और उसकी नोटिस तामील कर दी गयी है, वहां पर आवेदक, न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते समय, इस बात का प्रमाण देगा कि उस दिनांक, जिस पर प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, की लिखित पूर्व सूचना कैवियेटर या उसके अधिवक्ता को दे दिया है।

(3) यदि इस धारा के अधीन कोई कैवियट दाखिल की जाती है तो उसकी प्रविष्टि कैवियट के रजिस्टर में विहित रीति से की जायेगी।

225—ग— समिति का गठन—(1) संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी समिति, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यथाओं के निवारण में विहित रीति से सहायता करने के लिए, गठित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे जो विहित रीति से नामित या पदनामित किये जायेंगेरू

परन्तु यह कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होगा।

225–घ– सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियां–सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो किसी जिले के परगने का प्रभारी नहीं है, परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता हैं, जिसे कलेक्टर समय–समय पर निपटारे के लिए उसके पास भेजे।

225–ङ–सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां–सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐसे मामलों की जांच करने एवं उस पर आख्या देने के लिए प्राधिकृत है जो किसी जिले का कलेक्टर या परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर समय–समय पर जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन करने के लिए उसके पास भेजे।

225–च–मामलों का समेकन–(1) जहां निर्धारण के लिए सारतः समान प्रश्न से युक्त एवं समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक मामले भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, वहां किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, जिसके अधीन सभी सम्बन्धित न्यायालय हैं, एक ही न्यायालय में अन्तरित एवं समेकित किये जायेंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

(2) जहां दो या दो से अधिक वाद या कार्यवाहियां एक ही न्यायालय में विचाराधीन हैं, और वह न्यायालय इस राय का है कि न्याय के हित में समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त परीक्षण का निदेश दे सकता है, जिस पर ऐसे सभी वाद और कार्यवाहियां सभी या किसी ऐसे वादों या कार्यवाहियों में साक्ष्य पर विनिश्चित की जा सकेंगी।''

धारा 226 का संशोधन

177–उक्त संहिता की धारा 226 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये'' और शब्द '' एक सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच सौ रुपये से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच हजार रुपये से अधिक'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पाँच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 227 का संशोधन

178—उक्त संहिता की धारा 227 में—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''सीमा चिन्हों की नुकसानी या नाश'' के स्थान पर शब्द ''सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी'' रख दिये जायेंगेय

(ख) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द ''इस प्रकार नष्ट की गयी, क्षति पहुँचायी गयी'' के स्थान पर शब्द ''इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षति पहुँचाये गये'' रख दिये जायेंगेय

(दों) शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 228 का संशोधन

179—उक्त संहिता की धारा 228 की उपधारा (1) में, शब्द ''काम ले लाता है,'' के स्थान पर शब्द ''काम में लाता है'' और शब्द '' माँगी हो'' के स्थान पर शब्द '' भागी हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 229 का संशोधन

180—उक्त संहिता की धारा 229 के खण्ड (ग) में, शब्द ''कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकारी,'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 230 का संशोधन

181—उक्त संहिता की धारा 230 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द ''उत्तरांचल'' के स्थान पर शब्द ''उत्तराखण्ड'' रख दिया जायेगा।

धारा 231 का संशोधन

182—उक्त संहिता की धारा 231 की उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह ''अन्य रूप में हो,'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''अन्य रूप में हों,'' और शब्द एवं विराम चिन्ह ''पारित न हुयी हो, तो'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''पारित न हुयी होती।'' रख दिये जायेंगे।

धारा 232 का संशोधन

183—उक्त संहिता की धारा 232 की उपधारा (1) में, शब्द ''परिवर्तनों'' के स्थान पर शब्द ''परिवर्द्धनों'' रख दिया जायेगा।

धारा 233 का संशोधन

184—उक्त संहिता की धारा 233 में—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (चार) में शब्द ''सीमाओं के सीमांकन'' के स्थान पर शब्द ''सीमाओं के निर्धारण'' और शब्द ''इसके लागत'' के स्थान पर शब्द ''उनकी लागत'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (चार) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(चार—क) उपलब्ध आधुनिक तकनीक एवं अंकीकरण प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा सर्वे क्रिया और अभिलेख क्रिया जिसके अन्तर्गत आबादी का सीमांकन भी सम्मिलित है, के लिए प्रक्रिया;''

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:.

(सात) किसान बही को तैयार करने, उसकी आपूर्ति तथा उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित मामले

जिसमें उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है;''

(दो) खण्ड (आठ) में शब्द ''बेदखली भूमि'' के स्थान पर शब्द ''अनाध्यासित भूमि'' और शब्द ''सम्बन्धित विवाद'' के स्थान पर शब्द ''सम्बन्धित विवादों'' रख दिये जायेंगेय

(तीन) खण्ड (दस) में शब्द ''भू–राजस्व के सिद्धान्त'' के स्थान पर शब्द ''भू–राजस्व के निर्धारण के सिद्धान्त'' और शब्द ''नियुक्ति'' के स्थान पर शब्द ''प्रभाजन'' रख दिये जायेंगेय

(चार) खण्ड (ग्यारह) में शब्द ''जिसमें लागत नियत करना और संग्रहण प्रभार भी है'' के स्थान पर शब्द ''जिसमें लागत और संग्रहण प्रभार नियत करना भी शामिल है'' रख दिये जायेंगेय

(पाँच) खण्ड (बारह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(बारह) लगान नियत करने और उसके संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल है जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाते में डाला जा सकता हैयष

(छः) खण्ड (तेरह) में शब्द ''भूमि प्रबन्धक'' के स्थान पर शब्द ''भूमि प्रबन्धक समिति'' और शब्द ''विधि व्यवसायी'' के स्थान पर शब्द ''विधि व्यवसायियों'' रख दिये जायेंगेय

(सात) खण्ड (चौदह) में शब्द ''वाद, अपील और अन्य कार्यवाहियों'' के स्थान पर शब्द ''वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों'' रख दिये जायेंगेय

(आठ) खण्ड (अठारह) में शब्द ''कोई विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए'' के स्थान पर शब्द ''कोई कार्य किया जाना चाहिए'' रख दिये जायेंगेय

(नौ) खण्ड (इक्कीस) में शब्द ''पकड़ना, शिकार करना या गोली मारने'' के स्थान पर शब्द ''पकड़ने, शिकार करने या गोली मारने'' रख दिये जायेंगेय

(दस) खण्ड (बाइस) में शब्द ''नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता हो'' के स्थान पर शब्द ''नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों'' रख दिये जायेंगेय

(ग) उपधारा (3) में, शब्द ''इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व निरसित किन्हीं अधिनियमन के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाए गए'' के स्थान पर शब्द ''किन्हीं निरसित अधिनियमनों के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए'' रख दिये जायेंगेय

(घ) उपधारा (4) में, शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 234 का संशोधन

185–उक्त संहिता की धारा 234 में–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द व विराम चिन्ह ''है।'' के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह ''है–'' रख दिया जायेगाय

(दो) खण्ड (क) में शब्द ''वाद'' के स्थान पर शब्द ''वादों'' एवं शब्द ''राजस्व न्यायालय'' के स्थान पर शब्द '' राजस्व न्यायालयों'' तथा शब्द एवं विराम चिन्ह ''प्रक्रिया, और'' के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''प्रक्रियाय और'' रख दिये जायेंगेय

(ख) खण्ड (ग) के अन्त में विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह ''य'' रख दिया जायेगा और उसके पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(घ) याचिका लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रियाय

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो नियमावली द्वारा विहित किये जायें।''

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त, राजस्व न्यायालय मैनुअल, भू–अभिलेख मैनुअल, संग्रह मैनुअल और भू–राजस्व (सर्वे तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विखण्डित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।''

प्रथम अनुसूची का संशोधन

186–उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची की सूची–ख के शीर्षक में, शब्द ''उत्तरांचल'' के स्थान पर शब्द ''उत्तराखण्ड'' रख दिया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

187–उक्त संहिता की द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 11, 12 और 13 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

11. धारा 64 या धारा 125 में उल्लिखित भूमि के आवंटन या ऐसे आवंटन या ऐसे आवंटन को रद्द किए जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
12. धारा 71 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
13. धारा 124 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिए जाने या धारा 134 या धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किए जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

188–उक्त संहिता की तृतीय अनुसूची में–

(क) धारा 35 के स्तम्भ 5 में शब्द ''आयुक्त'' का लोप कर दिया जायेगाय

(ख) धारा 67 के स्तम्भ 3 में शब्द ''उप जिलाधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''सहायक कलेक्टर'' और उसके स्तम्भ 4 में, शब्द ''आयुक्त'' के स्थान पर शब्द ''कलेक्टर'' रख दिये जायेंगेय

(ग) हिन्दी पाठ में धारा 96(2) के स्तम्भ 2 में, शब्द ''अंशधारा'' के स्थान पर शब्द ''अंशधारी'' रख दिया जायेगाय

(घ) टिप्पणी में शब्द एवं विराम चिन्ह ''सहायक कलेक्टर,'' के

स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह ''सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी'' रख दिये जायेंगे।

189–उक्त संहिता की चतुर्थ अनुसूची में–

(क) सूची ''क'' में क्रम संख्या 4 पर, शब्द ''बंतरा'' के स्थान पर शब्द ''बंतारा'' रख दिया जायेगाय

(ख) सूची ''क'' में क्रम संख्या 7 पर, शब्द ''घोतवा'' के स्थान पर शब्द ''धोतवा'' रख दिया जायेगाय

(ग) सूची ''क'' में क्रम संख्या 8 पर, शब्द ''धुरही'' के स्थान पर शब्द ''धुराही'' रख दिया जायेगाय

(घ) सूची ''ख'' के स्थान पर निम्नलिखित सूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''सूची–ख'' परगना भगवत के ग्रामों की सूची	
1.	बन इमलिस
2.	जरगल महल
3.	सेमरा बरहो
4.	खटखरिया
5.	कोहराडीह
6.	तालर
7.	चित बिसराम
8.	पडरवा
9.	हिनौता
10.	निबिया
11.	रामपुर बरहो
12.	सोनबरसा
13.	बिसुमपुरा
14.	खम्हरिया
15.	पुरैनिया
16.	निकरिका
17.	धनसिरिया
18.	गढ़वा

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015

190–(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–234 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

अब आप बोलें। कुछ दो चार लाइन जो बोलना हो बोल दीजिए,अब तैयार ही नहीं हैं। आप ही बोल दें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी जो यह संशोधन लेकर के आये हैं, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस बात को रखा कि बी0एस0पी0 इस पर मौन रहीं है यह सच नहीं है। बी0एस0पी0 लगातार इस दलित विरोधी नियमावली का विरोध करती रही है। माननीय नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर लगातार इस बात की आपत्ति करते रहे हैं कि यह जो बिल आ रहा है इसके यह दलितों को भूमिहीन बना देगा बावजूद सरकार इसे लेकर आती है। पूर्व में जब मंत्री जी इसे लेकर आये थे तब भी बसपा ने कहा था कि पूरी तरह से यह दलितों के हित में नहीं है। इसमें एक तरफ माननीय मंत्री जी अगर यह कह रहे हैं कि इससे गरीबों की जमीन, दलितों की जमीन का रेट बढ़ जायेगा तो आप यह नहीं देख रहे हैं कि वहां ऐसे भी गरीब हैं जो दबाव में अपनी जमीनों को बेच देते हैं उनके साथ बहला फुसलाकर भूमिहीन स्थिति क्या होगी आप कानपुर एक पक्ष देख रहे हैं। इसका निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी दलित को भूमिहीन बनाने वाली इस राजस्व संशोधन का विरोध करती है, डटकर विरोध करती है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–234 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आज की कार्य–सूची में बजट अनुदान अधिक होने के कारण सभी अनुदानों को एक साथ रखे जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अगर आप सब लोग सहमत हो तो एक साथ सब बजट रखवा दें जिसको जिस पर बोलना हो बोलता रहेगा। ठीक है रखवा देते हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जैसे–जैसे माननीय मंत्री जी बजट रखते जायें वैसे–वैसे उसका कटमोशन भी रख दिया जाय, एक साथ रखवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

[04-32] वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र वर्मा)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48,62,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 68,46,43,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,68,92,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,70,57,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,86,81,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 91,87,69,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री काली चरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,80,25,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राजयपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,74,96,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,40,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन हेतु)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,51,75,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सडकें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,45,61,62,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सडकें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की

राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,48,28,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,06,52,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09–ऊर्जा

विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,87,89,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,69,83,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 88,06,74,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,14,52,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,96,64,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 49,88,00,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग

की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,59,78,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–02 आवास विभाग

लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 30,03,93,21,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

डॉ0 अरुण कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 17,23,78,16,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 1,07,67,14,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 2,62,74,85,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 2,47,77,56,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 22,75,33,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रषासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 14,21,13,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 1,69,79,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, सब पर बजट भी प्रस्तुत हो गया, कटमोशन भी प्रस्तुत हो गया। अब जो माननीय सदस्य जिस विषय पर बोलना चाहें या अपने–अपने कटमोशन पर बोलना चाहें तो बोलें। सबसे पहले सैनिक कल्याण पर कटमोशन रखने वाले मा0 सदस्य बोलें।

(श्री राजबली जैसल जी के खड़े होने पर)

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 24 विभागों का बजट है सरकार को जनता से जुड़ी समस्यायें भी सुननी चाहिए। आज कृषि, उद्योग, पंचायती राज, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, सिंचाई, आबकारी विभाग, राजस्व विभाग इत्यादि के महत्वपूर्ण बजट हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप सारे सिस्टम को जानते हैं कम से कम हम लोगों को किसी विषय पर जनता से जुड़े मुद्दे आते हैं तो उन पर अपनी बात रखनी होती है। आज लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा, सिंचाई, सहकारिता इत्यादि जैसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं उन पर कैसे हो पायेगा। आज आपने जिस तरीके से किया है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मपाल सिंह जी, यह हम नहीं तय करते हैं, यह नेता विरोधी दल और सभी दलीय नेताओं ने मिलकर तय किया था कि इतने बजट रखे जायेंगे। इस पर यह तय हुआ कि एक साथ रख दिया जायेगा, तो जिस विभाग पर जो कटमोशन रखेंगे वह मा0 सदस्य बोलेंगे या सब बोल लेंगे। हर आदमी जिस विषय पर बोलना चाहेगा, बोलेगा, मंत्री जी सबका जवाब दे देंगे। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग का जवाब दे देंगे। आप राजस्व पर बोलना चाहते हैं राजस्व पर बोलियेगा, कोई पी0डब्लू0डी0 पर बोलना चाहता है तो पी0डब्लू0डी0 पर बोलेगा। अगर एक–एक विभाग लेते तो हो ही नहीं पाता।

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी, आपने बजट रखवा दिया। मेरा आपसे निवेदन है जैसाकि आप कह रहे हैं कि कोई भी बोले क्योंकि 24 बजट है, 24 मदों के ऊपर चर्चा होनी है। जिस मा0 सदस्य ने कटौती जिस विषय पर रखी है वो बोलेंगे नहीं तो विवाद हो जायेगा कि मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं, मैं इस विषय पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इतने समय में तो एक मा0 सदस्य बोल लिये होते।

श्री सतीश महाना–

मेरा आपसे निवेदन है, जो व्यवस्था आप देंगे उसको मानेंगे। अभी आपने राजबली जैसल जी को बुला लिया। पहले मंत्री जी तो बतायें कि अपने विभाग में कौन–कौन सी योजना रखी है।

श्री अध्यक्ष–

यह बोल देंगे, उसके बाद मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री सतीश महाना–

फिर मंत्री जी के बोलने का क्या औचित्य रहेगा। जो मंत्री जी बोलेंगे उसी पर तो कटमोशन रखने वाले सदस्य सुझाव देंगे।

श्री अध्यक्ष–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

महाना जी, लिटरेचर सबको करीब–करीब मिल चुके हैं और सब पढ़ चुके हैं। अब सबको थोड़ा–थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री सतीश महाना–

लिखित दे दिया गया है इसका मतलब कि सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोलेंगे, सरकार उसका जवाब देगी। सबको लिटरेचर मिल गया, पढ़ लिया, विभाग के बारे में जो बोलना है वो बोलिये, मंत्री जी उसका जवाब देंगे और अपने विभाग के बारे में बतायेंगे।

श्री उमाशंकर–

मान्यवर, जो सदस्य न बोल पायें वह लिख करके दे देंगे उसे आप कार्यवाही में शामिल करा दीजिएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हम जानते हैं कि सरकार गूंगी भी है और बहरी भी है, न बोलती है, न सुनती है। इसके बावजूद जो कटौती का प्रस्ताव रखे हैं उनको तो कम से कम बोलने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ समय–सीमा भले ही आप बांध दें लेकिन जो सदस्य चूंकि सारे विभाग के एक साथ प्रस्ताव रखे गये इसलिए जो जिस पर भी बोलना चाहे संक्षिप्त समय में उस पर बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो कह रहा हूं कि जो जिस पर बोलना चाहे बोले।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे सादर अनुरोध है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण विभाग लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व, ऊर्जा जैसे विभागों का बजट प्रस्तुत हुआ है इन पर अधिक समय दे दिया जाए और यह जो सैनिक कल्याण और युवा कल्याण है इन पर थोड़ा कम समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इनका यह सुझाव है कि जैसे सिंचाई हुआ, पी0डब्ल्यू0डी0 हुआ, सहकारिता हुआ, आबकारी हुआ यह बड़े विभाग हैं इस पर बात कर ली जाय और जो छोटे–छोटे विभाग हैं उसको छोड़ दिया जाय, उस पर न बोला जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है मान्यवर। दलीय नेताओं के साथ बैठक में भी यह तय हुआ है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उस पर ज्यादा समय लोगों को मिले और जो कम महत्वपूर्ण हैं उस पर कम समय मिले। उसी परिप्रेक्ष्य में सभी पार्टियों ने अपने निर्देश दे रखे हैं और उसी के अनुसार बोला जायेगा। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और भी है। चूंकि एक ही दिन में 24 मद पास हो रही है इसलिये जो माननीय सदस्य बोलने का मौका न पाएं उनका लिखित ले लिया जाय और उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

हां, वह लिखित दे देंगे और वह कार्यवाही का अंग हो जायेगा। जिसको नहीं बोलना है वह लिख कर दे दें कल नहीं लिया जायेगा।

खाद्य औषधि प्रशासन मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

अध्यक्ष जी, सबसे लिखकर ले लीजिये और पास करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

जो नहीं बोलेगा वह लिखकर दे देगा उसको कार्यवाही का अंग बना लिया जायेगा। सैनिक कल्याण का छोटा सा है, कह लेने दीजिये।

'श्री राजबली जैसल–

सैनिक कल्याण विभाग का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए तथा उनके आश्रितों तथा अपंग सैनिकों के कल्याण के लिये तथा उनके पुर्नवास की व्यवस्था करने के लिये सैनिक कल्याण पुर्नवास कार्यालय के माध्यम से उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसीलिये पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व युद्ध के सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, जिन्हें किसी अन्य स्रोत्रों से पेंशन नहीं मिल रही थी राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त, 1990 से पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गई। जो धनराशि 2005 तक एक हजार रुपये मात्र थी उसको वर्ष 2008 में जब आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी तो एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस धनराशि को ढाई गुना बढ़ाकर एक हजार से 2500 रुपये कर दिया गया था जिससे इन पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को मिलने वाली जो पेंशन की राशि है उससे कुछ न कुछ उनके जीवकोपार्जन की व्यवस्था हो जाय। लेकिन आज लगभग 4–5 बार इस सरकार को मौका मिला अपने बजट को प्रस्तुत करने के लिये लेकिन इधर 2015–16 और 2016–17 में भी सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है लेकिन ऐसे पूर्व सैनिकों व उनकी विधवा पत्नियों को पेंशन की राशि को बढ़ाने की भी आवश्यकता है और हमें लगता है कि इसकी राशि को कम से कम डेढ़ गुना, दोगुना बढ़ाना चाहिए था जिससे उनका जीवकोपार्जन ठीक प्रकार से चल सकता। लेकिन इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी उन कर्मियों को जो अपनी वीरता के कारण राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न अलंकरण किये जाते थे उसको भी माननीय बहिन जी ने 2009–2010 में एक भारी वृद्धि करके जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सर्वोतम युद्ध सेवा में वीर चक्र आदि से अलंकृत किया जाता था उस राशि में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि की थी। उन पूर्व सैनिकों के लिये आज 2009–10 के बाद कोई वृद्धि नहीं की गई है। 2009–10 में बहिन जी ने इतनी बड़ी राशि की वृद्धि करी थी कि जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे उनको 25 लाख, महावीर चक्र से सम्मानित को 15 लाख, वीर चक्र में दस लाख, सर्वोतम युद्ध सेवा में वीर चक्र में डेढ़ लाख एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाने की व्यवस्था की थी। लेकिन 2009–10 के बाद आज 2016–17 का बजट प्रस्तुत हो रहा है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई इसलिए माननीय अध्यक्ष जी क्योंकि सैनिक कल्याण का जो बजट है

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रस्तुत किया गया है उसमें काफी कटौती की गई है। हम लोगों की सोच होनी चाहिए, वैसे हमें लगता है कि उसका उपभोग करने वाली जनसंख्या कम होती जा रही होगी लेकिन फिर भी जितनी भी संख्या है उन लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था में बढ़ोत्तरी करके क्योंकि चार हजार मासिक रुपया मासिक जो दी जा रही हो यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। चार हजार रुपये में उनका जीविकोपार्जन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की वीरता के कारण जो राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न रूप से अलंकृत किए जाते हैं उस राशि में भी बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी को इस सैनिक कल्याण विभाग को जिसका गठन हुआ है उसमें कुछ न कुछ राशि बढ़ाकर के जो पेंशन भोगी हैं कम से कम उनको दो गुना चार हजार की जगह आठ हजार रुपया करने का कष्ट करेंगे तो हमें लगता है कि उन सैनिकों के साथ आप अच्छा न्याय करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने कटौती पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सैनिक कल्याण मंत्री जी दो मिनट में अपनी बात कह दें।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा)–

मान्यवर, सैनिक कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए तमाम योजनायें चलाई जा रही हैं। जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक रहे हैं और आज जो हमारे बीच में हैं उनकी पेंशन राशि 2013 में 2500 से बढ़ाकर चार हजार कर दी गई थी। सैनिक कल्याण विभाग के साथ–साथ सैनिक कल्याण निगम के द्वारा पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं उनके आश्रितों और अपंग सैनिकों के हित में समय–समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में कैम्प भी लगाये जाते हैं उनके परिजनों को शादी में अनुदान दिया जाता है उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कोचिंग सिस्टम तमाम चीजें की जा रही हैं। निश्चित तौर पर हमारे पूर्व सैनिक के परिवार उनके वारिसों के संबंध में सैनिक कल्याण विभाग तथा निगमों द्वारा योजनायें चलाई जा रही हैं निश्चित तौर पर उससे उनको लाभ मिल रहा है। हम आग्रह करेंगे कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

यह भारी और मध्यम उद्योग पर बोलें।

श्री प्रदीप माथुर–

भारी एवं मध्यम उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जिस पर आपकी सरकार का पूरा फोकस रहता है उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगभग दुगुना बजट कर दिया गया है, बल्कि दुगुने से ज्यादा। टोटल परिव्ययों को चुकाने के लिए जो धनराशि है वह 68,46,43,90,000 रुपये है और इसी तरह से जो दूसरा अनुदान संख्या–08 है उसमें मुद्रण तथा लेखन सामग्री के परिव्ययों को चुकाने के लिए 1,68,92,06,000 रुपये का प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी बजट दुगुना कर दिया गया है यह बहुत ही

महत्वपूर्ण विभाग है और यदि आप उद्योग विभाग के अधिकारियों की संख्या देखें तो मैं समझता हूं कि प्रमुख सचिव ही उपस्थिति होंगे। आपके न तो एम0डी0यू0पी0एस0आई0टी0सी,न एम0डी0 पिकअप, न नोएडा के सी0ई0एम0 न ग्रेटर नोएडा के सी0ई0एम0 न यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0, मतलब सरकार इतना उद्योग के बारे में बात करती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती है परन्तु मैं यह नहीं कह रहा, हमारे भाई बहुत अच्छे मंत्री हैं और बहुत काबिल हैं परन्तु इस बजट को किसी हैवी वेट मंत्री को, यह भी हैवी वेट मंत्री हैं जो इन्ड्रस्टीज के बारे में जानकार हैं। उसको लगाया जाना चाहिए था तो इसमें सरकार की गम्भीरता दिखती है कि सरकार उद्योग के बारे में कितनी चिन्तित है। मुख्य मंत्री जी के पास पूरा विभाग है मैं समझता हूं कि भारी उद्योग में उनका कोई राज्यमंत्री नहीं है, उनका कैबिनेट मंत्री नहीं है जो उनको सहायता कर सके। सारी चीजें एक ही जगह सेन्ट्रलाइज हैं और सीधे सीधे ब्यूरोक्रेटिक चैनल पर आ जाती हैं। और मंत्री इसमें नहीं हैं जो इस बात का जवाब दे सकें और व्यवस्था को मानीटर कर सकें। अध्यक्ष जी कुछ बातें तारीफें काबिल हैं परन्तु अधिकतर बातें नाक कटाने वाली हैं। जैसे आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे बना रहे हैं काबिले तारीफ इशू है अब जेवर में एयरपोर्ट टूण्डला के पास एयरपोर्ट बनाने की बात थी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाले में बाल है मुझे लगता है कि इस बजट में भी उन्होंने एयरपोर्ट के मामले में क्लियरेंस नहीं दी तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा यह बात आज मुख्य मंत्री खुद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एन0डी0ए0 की सरकार को विकास के कामों में कोई इण्टरेस्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी अगर आप देखें दिल्ली, मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर की बात हो रही है वह हमारी सरकार के समय में था उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके आते हैं उसमें विकास की बात की जा रही है इसी तरह से इस्टर्न डेडीकेटेट कारीडोर फ्रण्ड की बात है इसी तरह कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट है अध्यक्ष जी अगर आप देखें इस सरकार का पांचवां साल चल रहा है चार–पांच स्कीम इस सरकार की थीं जो पांचों साल गाई गईं। सबसे फायदा समाजवादी पार्टी की सरकार में यह रहा कि कुछ योजनाओं को पूरे पांच साल पब्लिसिटी मिली पांच साल की पब्लिसिटी में उन्हीं बातों को दोहराया गया अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे बनकर तैयार हो जाएगा पता नहीं कितना तैयार हुआ है या नहीं हुआ है यह देखने वाली बात है इसके अलावा और कोई बड़े काम इण्डस्ट्रीज के नजर नहीं आते हैं। सिवाय आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से समिट कराई बाहर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया बाहर के लोगों को बुलाया एम0ओ0यू0 साइन हुए अब पूछने वाली बात है कि एम0ओ0यू0 जो साइन हुए हैं उनका एक्चुअल में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कितनी यूनिट इण्डस्ट्रीज की लग पाई हैं। पांच साल समिट करने के बाद पांच साल इण्डस्ट्रियल माहौल बनाने के बाद टोटल आउट कम क्या रहा यह देखने की बात है। आपकी सरकार ने इम्प्लाईमेंट देने की बात की थी अब इम्पलाईमेंट तो तभी देंगे जब यूनिटें लगेंगी। इतने एक्सरसाइज के बाद कितनी इण्डस्ट्रियल यूनिट लगीं कितना आउट कम आया कितनी इण्डस्ट्रीज चालू हुईं कितने लोगों को रोजगार मिला जिन नारों को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी

उन नारों के बारे में मैं बता रहा हूं पहले बेरोजगारी भत्ता दिया फिर बाद में वह बंद कर दिया गया उसके बाद युवाओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको रोजगार तो मिलना चाहिए था इन यूनिट्स के लगने के बाद माननीय अध्यक्ष जी लम्बी कहानी है यदि मैं बोलूं तो पांच छह घंटे लग जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी आज हालात आप देखिए।

(सत्तापक्ष के कुछ लोगों द्वारा टोकने पर)

डोंट डिस्टर्ब मी। माननीय अध्यक्ष जी हालात यह है कि यदि आप उद्योग बन्धु की तरफ जाएं उद्योगबन्धु सिर्फ एक आईवास है जिलास्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकें होती हैं जिलाधिकारी बैठते हैं उनके निर्णयों का अनुपालन नहीं होता है मिनट्स लिखी जाती हैं उसका अनुपालन बिल्कुल भी नहीं होता है उद्योग बन्धु एक मजाक बनकर रह गया है। आप आइए नोयडा एथारिटीज और ग्रेटर नोएडा एथारिटीज पहले पूववर्ती सरकार में मैं एक कमेटी का चेयरमैन रहा मुझे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एथारिटीज को करीब से देखने का मौका मिला आप विश्वास मानिए वहां कोई रूल्स एण्ड रेगुलेशन नहीं हैं अरबों खरबों का बजट है और बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग में अनुपालन हो जाता है हमने उस समय निर्देश दिए थे कि आप रूल्स एण्ड रेगुलेशन बनाइए नोयडा एथारिटीज और ग्रेटर नोएडा एथारिटीज यमुना एक्सप्रेस–वे जैसी बड़ी एथारिटीज जिनके पास जबरदस्त लैण्ड बैंक हैं वह एकदम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज की तरह हो गए हैं उनके सी0ई0ओज को जब मर्जी आता है बड़ा बजट पास कर लेते हैं और आडीटर्स के तमाम आब्जेक्सन होते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए रूल्स एण्ड रेगुलेशन इन एथारिटीज को कंट्रोल करने के लिए बनने जरूरी हैं यह मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहता हूं। वह इण्डस्ट्रियल एरियाज न बनकर नोयडा एथारिटीज और ग्रेटर नोएडा एथारिटीज इण्डस्ट्रियल एरियाज नहीं हैं आप जाएं तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वहां पर हैं 25–25 मंजिल की बिल्डिंग हैं वह रेजीडेंसिएल हब बन चुका है इण्डस्ट्रियल हब नहीं है वहां अच्छे शहरों की कल्पना की जाती है। वहां कोई उद्योग नहीं चलते और जो उद्योग चलते भी हैं वह इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्रीज हैं। हमनें ही प्रयास करके इंफोसिस को वहां प्लॉट दिलाया था, परन्तु आज स्थिति यह है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी बहुत मेहरबानी दिखाई तो इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी आई, परन्तु उसे मॉनीटर करने वाला तो कोई होना चाहिये कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनकी बिल्डिंग बननी शुरू हुई कि नहीं हुई ? इस सरकार के रहते हुये वह एक्सिसटेंस में आयेगी कि नहीं आयेगी ? 35000 लोगों को इम्प्लॉयमेंट देने की बात करने वाली इंफोसिस कंपनी के बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं है। 35000 लोगों को इम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा ? एक्शन–टेकन रिपोर्ट नहीं ली जाती। अनाउंसमेंट यहां हो जाते हैं, अखबारों में हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो जाते हैं और घोषणाएं हो जाती है और तालियां बज जाती हैं, परन्तु स्थिति क्या है कि सरकार को, उनके अधिकारियों को जो घोषणाएं हों या जो कारगुजारियां हों, उस पर एक्शन–टेकन रिपोर्ट लेनी चाहिये। उस एक्शन–टेकन रिपोर्ट को अमलीजामा पहनाया जाना चाहिये और उसमें क्या व्यवस्था निकलकर आ रही है वह देखने की बात होनी चाहिये।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का हाल देखिये। वहां पर आपने जो एम0डी0 बैठा रखे हैं वह सिर्फ एक गुड्डे की तरह बैठा रखे हैं, उनकी चलती नहीं है। वहां समानांतर सरकार चल रही है। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अंडर में जो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं वहां पर 100 परसेन्ट यूनिट्स सिक पड़ी हुई हैं, रूग्ण पड़ी हुई हैं। पिछले 4 सालों में हम कह–कह कर हार गये कि मा0 मुख्य मंत्री जी, इस तरह की योजना बनाईये, आप आगे भी बढ़िये, परन्तु पीछे भी देखिये कि आपके प्रदेश का क्या हाल है। मा0 अध्यक्ष जी, आप भी उन औद्योगिक क्षेत्रों में घूमकर आईये। वहां न तो ड्रेनेज है, न सीवर सिस्टम है, न सड़के हैं, न बिजली है। जो फैक्टरी वाले हैं वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हालात यह हैं कि वन टाईम सेटलमेंट की बात भी होती है, बैंक वाले बात नहीं करते हैं, उनकी रिकवरी निकली हुयी हैं वह भागे हुये हैं और आप इण्डस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण बनाने की बात करते हैं। 'आधी छोड़ पूरी को भागत, पूरी मिली न आधी पावत' वर्तमान में जो औद्योगिक इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उन इण्डस्ट्रीज की बात करिये। आपने पिछले साल घोषित किया था कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इण्डस्ट्रियल एरियाज को हम लोग लीजफ्री कर देंगे और फ्री–होल्ड बना देंगे, लेकिन, क्या हुआ ? यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में बैठे हुये अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि व्यवस्था आए, व्यवस्था कैसे बने, ट्रांसफर में व्यवस्थाएं कैसे हों, प्लॉट आवंटन में व्यवस्थाएं कैसे हों ? मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से कई बार कहा कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में भयानक भ्रष्टाचार है, उसे कंट्रोल करिये। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में जाने से आपके इंटरप्रिन्योर घबराने लगे हैं कि जायेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, यमुना एक्सप्रेस–वे पल्लवित होती हुई योजना है। इस पर यदि अभी से ही निगाह रखी गयी तो व्यवस्था ठीक बनेगी। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त आप देखें, लीडा की बात करें, आप गीडा की बात करें, आप सीडा की बात करें। इसमें पता करा लीजिये कि कितने इण्डस्ट्रियल एरियाज कितनी यूनिट्स सिक पड़ी हुयी हैं और कितनी यूनिट्स चल रही हैं। वहां के लोग तो सड़कों के लिये रोते रहते हैं। आपने इतने बड़े–बड़े नाम दे रखे हैं और मैं समझता हूं कि सरकार के बस का काम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की बात करिये, यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स की बात करिये, यू0पी0 सहकारी कताई मिल की बात करिये, सब बी0आई0एफ0आर0 में चली गयी हैं। आप लाल इमली की बात करिये। क्या सरकार की तरफ से कोई रिहैबिलिटेशन पैकेजेज इन इण्डस्ट्रीज को दिये जाते हैं ?

क्या सरकार ने यह सोचा कि पुरानी पड़ी हुई इकाईयां कैसे पुनर्स्थापित होंगी ? कैसे सैटलमेंट होगा ? कैसे ये यूनिट्स चलेंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, पिकप और यू0पी0एफ0सी0 का हाल यह है कि वह दलाली के अड्डे बन गये हैं और हालत यह है कि लोन्स नहीं दिये जाते हैं। वन टाईम सेटलमेंट की बात की जाती है फिर उसमें व्यवस्था मांगी जाती है और उद्यमी के साथ इतना टार्चर होता है कि वह भाग खड़ा

होता है। स्थिति बहुत गम्भीर है और हम कहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, बहुत उद्यमी आ रहे हैं, बहुत फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत इण्डस्ट्रियल डेवलॅपमेंट होगा, बहुत मैन्यूफैक्चरिंग होगी। मा0 मुख्य मंत्री जी 24 घंटे पावर सप्लाई की बात करते हैं। आपने औद्योगिक फीडर्स का हाल देख लिया, औद्योगिक फीडर्स में बिजली नहीं आती है। जब बिजली चली जाती है तो उद्यमियों का बनता हुआ माल बीच में खराब हो जाता है। ऊर्जा विभाग बड़ी–बड़ी बातें करता है कि हम यह कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं। इण्डस्ट्रीज को कितनी बिजली दे रहे हैं, कितनी पावर दे रहे हैं, जरा डाटा के साथ आ जाईये। वह इण्डस्ट्रीज अपने सेल्फ पावर जेनरेटिंग सेट्स से चल रही हैं न कि प्रदेश सरकार के द्वारा दी गयी बिजली से। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एस0ई0जेड0 बनाये थे और एस0ई0जेड0 बनाने के लिए तमाम इन्डस्ट्रियल हाउसेज ने 1500–1550 एकड़, 02–02 हजार एकड़ जमीन ली थी। आज आप पूछिए, उत्तर प्रदेश में कितने एस0ई0जेड0 कारगर हुए हैं? उन उद्यमियों को, उन उद्योगपतियों को फायदा हो गया, जिन्होंने औने–पौने दाम में सरकार की मदद से जमीनें एक्वायर करायीं थीं। आज उन्हीं जमीनों की कीमत करोड़ों रूपये में है और वह घर बैठे खरबपति बन गए हैं। पिछली बार भी मैंने सरकार को बोला था, मुख्य मंत्री जी को बोला था कि इन औद्योगिक घरानों की खबर तो लीजिए कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में एस0ई0जेड0 की जो 02 हजार हेक्टेयर जमीन उन्होंने ली और उसके मालिक बने बैठे हैं, उसमें इन्डस्ट्रीज लगायी कि नहीं लगायी ? यदि वह जमीनें उन्होंने इस्तेमाल नहीं की है तो उन जमीनों को किसानों को वापस कराइये। सरकार उनका आक्सन कराये और आक्सन कराने के बाद उन किसानों का पैसा ब्याज समेत वापस करे। तो इस तरीके के जो इन्डस्ट्री लगवाने के आपके सपने हैं तथा आपकी जो स्कीम्स हैं, वह पूरी नहीं होने वाली हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी रुकावट इन्डस्ट्रीज के मामले में पर्यावरण और वन विभाग है। स्थिति क्या है, जब कोई भी इन्डस्ट्री लगती है तो आधी प्राब्लम तो यह इनवायर्नमेण्ट डिपार्टमेंट और वन विभाग क्रिएट करता है, उनको एनओसी देने में। जब हम जिला मुख्यालय की सड़कों की बात करते हैं, मथुरा से गोवर्धन जाने वाली सड़क की बात करते हैं तो हजारों पेड़ बीच में आ जाते हैं और वह पेड़ तभी कट सकते हैं जब इनवायर्नमेण्ट डिपार्टमेंट की सहमति होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए और भी लोग बोलेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, बोल लेने दीजिए। अध्यक्ष जी, सूचना, प्रौद्योगिकी एण्ड इलेक्ट्रानिक विभाग भी इसी के अण्डर में आता है। यू0पी0 सिस्टम एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन जब बनाया गया था, तब सपने थे, आज आप उसके काम दूसरे को दे देते हैं, टाटा कन्सेन्टेंसी को काम दे देते हैं। आप यू0पी0 सिस्टम एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं ? आप उसे डायरेक्ट्रेट क्यों नहीं बनाते हैं ? उस तरफ

आपकी दृष्टि ही नहीं है। आप यू0पी0 सिस्टम एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन को फौरन कान्ट्रैक्ट लेने की बात करिए, क्या उसमें कैपेविलिटी नहीं है, क्या आपके कर्मचारी कैपेबल नहीं हैं ? आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां के लोग बाबू होकर रह गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से सेण्टर फार ई–गवर्ननेंस की बात है, वहां पर जाकर देख लीजिए, क्या हो रहा है ? वहां पर मोटी–मोटी किताबें दे दी जाती हैं, उसी में वर्णन होता है। अध्यक्ष जी, इसी तरीके से आप देख लीजिए, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, अत्यन्त सिक पड़ा हुआ है, क्रोनिका लि0 बेकार पड़ी हुई है, श्री क्रोनिका इण्डिया लि0 बेकार पड़ी हुई है। आपने ओमेन पॉवर लाइन की बात की है, 1090, वह भी इसी में गवर्न होता है। मैंने देखा है, 100 नं0 की बात होती है, वह भी इन्डस्ट्री के इसी विभाग में गवर्न होती है। आप देख लीजिए, इन दोनों नम्बरों का क्या पुरसाहाल है ? आप कानून–व्यवस्था को कन्ट्रोल करने की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इन्डस्ट्री और कानून–व्यवस्था का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। अगर कानून–व्यवस्था सही होगी तो उद्यमी इस प्रदेश में आयेंगे। मान्यवर, जो यह 1090 नम्बर की व्यवस्था की गयी है, उसमें भी एक ओमेन की अस्मिता सुरक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, अब आपका समय समाप्त।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रिल क्षेत्र बनाने के लिए इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो उज्जवल सपने आप दिखा रहे हैं, भविष्य के सपने, इन्डस्ट्रीज के सपने, वह लोग चीटेड महसूस न करें कि उन्हें धोखा दिया गया। आपके अधिकारियों को डी0पी0आर0 बनानी नहीं आती है, आप कन्सल्टेंट एप्वाइंट कर लेते हैं। आप पूरी इण्डिया को देखें, सदर्न स्टेट की पोजीशन यह होती है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट से कैसे पैसा ले आते हैं, उनके वहां एडवांस में डी0पी0आर0 तैयार होती हैं और बिल्कुल कैलकुलेटेड डी0पी0आर0 तैयार होती है। अध्यक्ष जी, डेरी भी एक इन्डस्ट्री है, आपने कामधेनु योजना लागू की है, उसकी डी0पी0आर0 आपके सरकारी अधिकारियों ने गलत बनायी है। 12 महीने पशुओं को दूध देता हुआ दिखाया है, उस पर वायविलिटी कहां निकलेगी ? तो आप की डी0पी0आर0 गलत बनती है और वह अधिकारी झूठे सपने दिखाते हैं और इन्टरप्रिन्योर्स को अपनी चाल में ले लेते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि वह उनकी चालों में फंस जाता है और फिर वह इधर से उधर भटकता रहता है। इंडस्ट्री चालू नहीं हो पाती और वह सिक हो जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

'श्री गुटियारी लाल दुवेश–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, चार वर्ष से मैं जूता उद्योग को लेकर यहां पर कई बार यह जिक्र कर चुका हूं कि पहले यह उद्योग आगरा में स्थापित हुआ था। हमारी सरकार में 900 बीघा का एक लेदर पार्क हमारी माननीय बहन जी द्वारा फतेहपुर सीकरी रोड पर स्वीकृत कराया था। ताकि वहां के 900 बीघा के लेदर पार्क में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट हब बने। वहां से उद्योग को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या वजह है कि आगरा में ताजमहल को देखने तो सभी जाते हैं। समिट करते हैं, वी0आई0पी0, वी0वी0आई0पी0 आते हैं। लेकिन आगरा के उद्योग के लिए कुछ नहीं किया जाता। आज वहां से 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और कई हजार करोड़ का डोमेस्टिक व्यापार होता है। मान्यवर, अगर वहां पर आगरा जूता उद्योग को ध्यान में रखा जाता तो कई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता। बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश में जूता पैदा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश आगरा से पैदा हुयी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वह जूता उद्योग आज आगरा से हटकर चेन्नई चला गया, दिल्ली चला गया। दूसरे प्रदेशों में चला गया। क्या वजह है कि लेदर पार्क को क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। हमने जूता मण्डी की स्थापना करायी थी, डोमेस्टिक के लिए, और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट के लिए वहां पर 900 बीघा का लेदर पार्क इसलिए स्टार्ट कराया था कि जो 25 सौ करोड़ का एक्सपोर्ट होता है वह कई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन चार साल से जिस स्थिति में वह लेदर पार्क है वह जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। मान्यवर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, वहां से जूता उद्योग उजड़ गया। आगरा में तीन उद्योग हैं। पाल्यूशन की वजह से वहां से सारा उद्योग बाहर चला गया है। केवल एक जूता उद्योग, दूसरा पेठा उद्योग तीसरा वहां पर ताजमहल को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक आता है। मान्यवर, अगर वह लेदर पार्क स्टार्ट नहीं हुआ अगर उसको ध्यान में नहीं रखा गया तो आगरा में जूता उद्योग दम तोड़ रहा है और वह दम तोड़ेगा। इस गंभीर बजट पर मा0 मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं और यहां पर उद्योग मंत्री जी भी नहीं हैं। वहां के वर्कर अगर अदर स्टेट में चले गये चेन्नई चले गये, दिल्ली चले गये। क्यों जूता उद्योग का ऐसा हाल हो रहा है। वह लेदर पार्क शीघ्र स्टार्ट किया जाये। सरकार को आगरा की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पेठा उद्योग। पेठा आगरा में पैदा हुआ, आगरा में बनता है। हमने बार–बार इस बात का जिक्र किया कि पेठा उद्योग के लिए अलग से जमीन हो। अलग से हब हो। शहर से बाहर जाकर पेठे के उद्योग को बढ़ावा दिया जाये। लेकिन पेठे के कारोबार के लिए आज तक सरकार ने कोई अलग से जगह निश्चित नहीं की। न कोई ध्यान दिया गया। बार–बार पर्यटन की बात आती है। मा0 मंत्री जी बार–बार जाते हैं। यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स ज्यादा हैं। वहां पर होटल हैं वहां पर होटल्स एरिया की मेम्बर की कमेटियां बनी हुयी हैं। वह बार–बार इस बात का जिक्र करते हैं कि राजस्थान चले जायें, मध्य प्रदेश चले जायें वहां पर टैक्स में छूट है। और जब आफ सीजन होता है तो वहां पर ज्यादा छूट है। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया।

मान्यवर, यह गंभीर बजट है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आगरा के जूता उद्योग के लिए लेदर पार्क स्टार्ट किया जाये।

(इस समय 05 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

जूता मण्डी पर ध्यान दिया जाये। जो एक्सपोर्ट 25 सौ करोड़ का होता है वह पचास हजार करोड़ का होना चाहिए। चेन्नई में कल जूता बनना पैदा हुआ है। वहां जाकर देखिये। एक–एक फैक्ट्रियां पांच–पांच हजार जूते प्रतिदिन बना रही हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आगरा की जो फैक्ट्री दो हजार पेयर प्रतिदिन बनाती थी आज वह पंन्द्रह सौ पेयर बनाती है। आज वहां वर्कर्स नहीं मिलते हैं, वर्कर्स बाहर चले गये हैं। वर्करों को आगरा में सुविधा नहीं मिलती। जब वर्करों को रोजगार नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी तो वह तो चेन्नई जायेंगे, वह दिल्ली जायेंगे, वह अदर स्टेट में जायेंगे। मान्यवर, आदमी कपड़े पहनता है। बहुत अच्छे कपड़े पहनता है लेकिन उसके साथ–साथ उसको जूता भी चाहिए। इस जूता कारोबार को आगरा में दम न तोड़ने दिया जाये। यह बहुत गंभीर मुददा है। दूसरा पेठा की बात रखी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बात पर ध्यान दिया जाये। बहुत–बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

श्री कपिलदेव अग्रवाल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उद्योग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद्, मान्यवर मैं मुजफ्फरनगर से हूं और मुजफ्फरनगर जनपद स्टील नगरी के नाम से पूरे भारत वर्ष में जाना जाता था और मुजफ्फरनगर का लोहा पूरे हिन्दुस्तान में सप्लाई भी होता था, लेकिन पिछले 3–4 वर्षों के अन्दर विद्युत की जो बहुत अधिक दरे बढ़ी हैं, 30 से 40 और 40 से 50 प्रतिशत तक उसके कारण से मुजफ्फरनगर का और उसके आस–पास के जनपदों का जो लौह उद्योग है वह बिल्कुल कमर तोड़ गया है और 60–70 फैक्ट्रियां वहां अभी पिछले दो–तीन वर्ष के अन्दर, एक वर्ष के अन्दर लगातार बंद हुई हैं, यह सूची मेरे पास है जिनके पास 3300 के0वी0ए0 से लेकर के 2500 और 4000 के0वी0ए0 तक के कनेक्शन थे, उन सब लोगों ने इस मार के कारण से अपने जो कनेक्शन हैं, वह सरेण्डर कर दिये हैं, अभी मा0 मंत्री जी ने 24 तारीख को कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई उद्योग पलायन नहीं हुआ है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उद्योग पलायन तो नहीं हुए, लेकिन उद्योग बंद हुए हैं बहुत तेजी के साथ, पलायन तो वह होते हैं, जो वहां विस्थापित होकर किसी और जगह चले जाते हैं, लेकिन जो उद्योग बंद हो गये हैं, वह तो पलायन होने की स्थिति में भी नहीं हैं, उनकी कमर इतनी टूट गई है, ये मेरे पास ग्राण्ड टोटल है, केवल मुजफ्फरनगर जनपद में 71 हजार 580 क0वी0ए0 के कनेक्शन लोगों ने सरेण्डर किये हैं और उसके आस–पास मेरठ में, गाजियाबाद में टोटल मिलाकर के 01 लाख 56 हजार 70 के0वी0ए0 के कनेक्शन लोगों ने सरेण्डर किये हैं और करीब 125 यूनिटें लगातार बंद हुई हैं। मान्यवर जो उद्योग बंधुओ की बैठक होती है, उसमें भी यह विषय जिलाधिकारी के सामने लगातार उद्योगपति रखते हैं, लेकिन वह केवल एण्ट्री तक होता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है और मुझे लगता है कि शासन को बताने की बात अधिकारियों के

द्वारा नहीं होती है। जो अधिकारी हैं वह भी केवल लीपा–पोती तक सीमित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तरांचल, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, गुजरात सभी के अन्दर ओपन ऐक्सिस पावर परचेज की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, उसकी परमीशन उन्होंने दी हुई है, लेकिन मान्यवर, यह पावर उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है, मा0 मुख्य मंत्री से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह ओपन ऐक्सिस पावर परचेज की स्वीकृति यदि उत्तर प्रदेश के अन्दर होगी तो यह यूनिट जो वर्तमान में साढ़े छः रुपये प्रति यूनिट पड़ती है,"नतबींतहम 3ण्00 त्र 9.50 प्रति यूनिट जिसके कारण से उद्योग बंद हो रहा है, उत्तरांचल जो बिल्कुल बराबर का प्रदेश है, हमारी सीमा लगी हुई है और मुजफ्फरनगर से मुश्किल से 25 किमी0 की दूरी पर है, वहां पर बिजली की दरे 04 रूपये प्रति यूनिट हैं और मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में यह यूनिट साढ़े छः रुपये पड़ती है, जिसके कारण से उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ओपन एक्सिस पावर परचेज करने की अगर स्वीकृति उत्तर प्रदेश के अन्दर होगी, तो यह यूनिट ढाई रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी, सरकार से चाहूंगा इस ओर ध्यान दें और अगर यह स्वीकृति आपने दी तो निश्चितरूप से यह बीमार पड़े उद्योग और जो बन्द उद्योग हैं, यह चलने की स्थिति में आ सकते हैं। दूसरी ओर जो मुजफ्फरनगर में पेपर मिले हैं, जिनकी संख्या 25 के करीब हैं, वह भी इसी पावर के कारण से लगातार कमर तोड़ने की कगार पर हैं, मेरा आपसे निवेदन है यह स्वीकृति देने के बाद निश्चित रूप से यह उद्योग चल पायेंगे, आपका पुनः बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखने का मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर और गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर भी नम्बर एक पर है। कृषकों के जीवन यापन एवं आय का मुख्य स्रोत गन्ना है और गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं अन्य अनेकों उत्पाद जैसे–गुड़, शक्कर, खांड, शीरा, शराब आदि बनाये जाते हैं, मान्यवर सबसे अधिक गन्ना और सबसे अधिक चीनी उत्तर प्रदेश में होता है और मान्यवर प्रदेश में करीब 30 लाख के लगभग किसान हैं, जिसमें से ज्यादातर किसान चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं और उनमें लगभग 85 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के किसान जिनकी तादात 85 प्रतिशत है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव रखना चाहता हूं कि यह गरीबों, गन्ना और किसानों के हक का मामला है। इसमें हम सभी दलों के लोगों को विस्तृत एवं खुले मन से चर्चा करनी चाहिए। हमारे जो सुझाव होंगे, वह आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे और उन सुझावों में जो गन्ना किसानों के हित में हो, वह स्वीकार किया जाये। मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गन्ने का इतिहास बड़ा पुराना है। हमारे अनेकों धार्मिक ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष

से ही गन्ना विश्व के कोने–कोने तक पहुंचा और इसी भारतवर्ष से किसानों को बाहर ले जाकर उनसे गन्ने की फसल उगवाई गई और आज वही देश गन्ने की पैदावार में काफी आगे है। मान्यवर, अब बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए विषय पर आने का प्रयास करता हूं। किसानों के मसीहा माननीय चौधरी चरन सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत सी नीतियां बनायीं और वह कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों–खलिहानों से होकर गुजरता है। मान्यवर, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उन्हीं की पार्टी का सदस्य भी हूं और आज मुझे इस सदन के माध्यम से किसानों की पीड़ा और आवाज को उठाने का मौका मिला। मैं थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित की बात रखने का प्रयास करूंगा ताकि और भी माननीय सदस्य अपने विचार रख सकें। मान्यवर, मैं वर्ष 2016–17 के विभागीय बजट में गन्ना विकास की योजनाओं को पढ़ रहा था। सरकार यह कह रही है कि चीनी मिलों की संख्या तथा पेराई क्षमता में औसत पैदावार में वृद्धि के बावजूद भी उत्पादन लागत का बढ़ना तथा कृषि जोत का सिकुड़ना कुछ ऐसे कारक हैं, जो चीनी मिलों को उनकी मांग के अनुसार सम्पूर्ण पेराई–सत्र में नियमित आपूर्ति करने में बाधक हैं। मान्यवर, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीनी मिलों की मांग के अनुसार गन्ना आपूर्ति में कुछ भी बाधक नहीं है। यदि बाधक है, तो सिर्फ इन निजी चीनी मिलों के मालिक स्वयं बाधक हैं और सरकार की ढुलमुल नीति और रवैए के कारण। यदि यह गन्ना किसान का भुगतान समय से कर दें तो साल दर साल गन्ने का क्षेत्रफल क्यों सिकुड़ेगा ? गन्ने से किसान का मोहभंग क्यों होगा ? मान्यवर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। मान्यवर, पेराई–सत्र 2014–15 में उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का क्षेत्रफल 21.32 लाख हेक्टेअर था जबकि पेराई–सत्र 2015–16 में घटकर 20.52 लाख हेक्टेयर रह गया। गन्ने का क्षेत्रफल साल दर साल घटना यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह हमारे प्रदेश का गन्ना उत्पादन अन्य उत्पादक राज्यों से पीछे क्यों है ? सरकार विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने के नाम पर काफी मात्रा में धन खर्च करती है। जिस प्रदेश के अंदर आज भी किसानों का पिछले वर्ष का और अब का मिला करके हजारों करोड़ रुपया बकाया हो कम से कम 8–9 हजार करोड़ रुपया आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बकाया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी भी मिलें हैं जिन्होंने अब तक जीरो प्रतिशत भी भुगतान नहीं किया है और यदि किया है तो मात्र 10 से 20 प्रतिशत के अंदर भुगतान किया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें। कई विभागों के बजट आने हैं, तो कृपया आप लोग समय का ध्यान रखें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, आज भी लगभग 8 हजार करोड़ से ऊपर किसानों का बकाया है। शामली, बृजनाथपुर, चिलवरिया, बिलारी, बघौली, हरदोई ऐसी चीनी मिलें हैं जिन्होंने कि किसानों का 10 प्रतिशत से कम भुगतान किया है। मोदी मलकपुर और

मोदी शुगर मिल इनका तो अभी पिछले साल का भी बकाया भुगतान नहीं हुआ है, और कई–कई सौ करोड़ रुपये पिछले सालों का भी बकाया है, इस साल की तो बात छोड़िए। अगर ऐसी नीति सरकार की रही और गन्ना मिल मालिकों पर लगाम नहीं लगायी गयी तो ऐसा नहीं लगता कि यह जो गन्ने का किसान है, वह फल–फूल पाएगा। मान्यवर, अभी तो जो सरकार ने रेट बढ़ाने की घोषणा की थी, आज जब किसान को भुगतान हो रहा है, चाहे वह अगेती प्रजाति का हो, चाहे वह सामान्य प्रजाति का हो और चाहे वह रिजेक्टेड करने का हो, वह मात्र 230 रुपये से हो रहा है। अभी तो 60 रुपये का जो डिफरेंस है, वह बकाया है। जिसके लिए सरकार ने जारी किया है कि जब भी जो गन्ना मिल बंद होंगी। उसके तीन महीने के अन्दर–अन्दर यह बकाया का जो डिफरेन्स है 60 रुपये का उसका आप भुगतान करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, अभी तो एक ही मिनट हुआ है, दो ही मिनट हुआ है। मान्यवर, यह तो बिल्कुल ज्यादती हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

कई विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मैं बस 5 मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, यह गन्ने की फसल कैश क्राप मानी जाती है। अब यह कैश क्राप कहां से रह गई। मुझे यह बताएं कि जब दो–दो, तीन–तीन साल का भुगतान नहीं हुआ तो इसको कैश क्राप नहीं कहना चाहिए और हाउस में भी इसको कैश क्राप कहकर पुकारा जाता है। मान्यवर, यह जो किसानों की पीड़ा है, आप सोंचे कि कोई आदमी जब कोई व्यापार करता है तो उसको 10 परसेण्ट, 20 परसेण्ट और 25 परसेण्ट का मुनाफा होता होगा और 280 या 290 के भाव में जब 60 रुपया उसका बकाया रह जाएगा जो मिल बन्द होने के तीन महीने बाद मिलेगा तो किसान ऐसा कितना बड़ा रईस है, उसकी ऐसी कितनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। जब कोई उद्योगपति एक नट बोल्ट भी अपनी फैक्ट्री के अन्दर बनाता है, एक मूंगफली वाला भी जब ठेले पर मूंगफली बेचता है तो वह भी नकद पैसे की बात करता है लेकिन यह किसान ही क्या इतना बड़ा रईस हो गया कि उसको साल–साल, दो–दो, तीन–तीन का उधार देना पड़ता है तो वह कहां से अपने घर परिवार को पालेगा और यही इसका कारण है कि आज जो गन्ने का क्षेत्रफल है, वह कम

होता जा रहा है। मान्यवर, बड़ी शर्म आती है जब हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि किसानों ने गन्ना के भुगतान न होने के कारण, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली तो सुनकर सीना छलनी हो जाता है और अपने आप में बड़ी शर्म आती है कि हम उनके नुमाइन्दे होने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, आप सोचें कि उनके परिवार पर क्या बीतती होगी कि अपनी रात–दिन की मेहनत से खेतों मे काम करके भी उसको समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले सोसायटी के माध्यम से लगभग 3 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था जो कि लगभग 8 रुपये प्रति कुण्टल बैठता था। वह जो सहकारी मिलें चलती थीं, उनके कर्मचारियों को पैसे देने के काम आता था, वह किसानों के लिए सम्पर्क मार्ग, सड़क इत्यादि में काम आता था लेकिन वह जो कि लगभग 8 रुपये प्रति कुण्टल बैठता था और आज उसको घटा करके मात्र 3 प्रतिशत जो उन चीनी मिलों का कमीशन बैठता था, उन चीनी मिलों को देने का प्राविधान था लेकिन अब उसको घटा करके 3 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 3 रुपये कर दिया गया है। इससे किसान का सीधे–सीधे 3 रुपये का नुकसान किया जा रहा है। मान्यवर, आखिर ये गन्ना किसान का पैसा समय पर क्यों नहीं देते। मान्यवर, इसी गन्ना किसान के खून पसीने से सींचे गए गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती बल्कि गन्ने से चीनी निकलने के बाद बगास, शीरा, खाद और बिजली भी बनती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

और ये ऊंचे दामों पर बिकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार कुछ करे क्योंकि इन गन्ना किसानों का गन्ने की खेती ही एक मात्र रोजी–रोटी व जीवन–यापन का साधन है। इसी किसान के बकाया भुगतान को रोककर चीनी मिलों के अलावा भी अनेकों व्यवसाय संचालित हैं। इन्हीं चीनी मिल मालिकों द्वारा मा0 न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, सरकार का एक आदेश है जिसके तहत शीरे व बगास से जो धनराशि चीनी मिल को प्राप्त होती है उसका 85 प्रतिशत भुगतान किसान को होना चाहिए और 15 प्रतिशत शुगर मिल की मेण्टीनेन्स और कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए किया जाना चाहिए लेकिन इस टैगिंग आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

(सदस्य सुदेश शर्मा एवं अधिष्ठाता द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुदेश शर्मा–

मैंने खुद भी आज इसे नियम–56 के अन्तर्गत उठाया कि खुद मोदी शुगर मिल ने वर्ष 2015–16 में सवा पांच करोड़ का शीरा व बगास बेचा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं केवल सुझाव दे देता हूं। अभी विद्युत के लिए बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गईं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि निजी चीनी मिलों को और जो सहकारी हैं और जो निगम की चीनी मिल हैं यदि उनको और भी प्रॉडक्टों के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूं कि अलीगढ़ के अन्दर हरदुआगंज में तापीय परियोजना, कासिमपुर यूनिट नं0–7 को सिर्फ 10 मेगावॉट विद्युत उत्पादन वृद्धि करने के लिए जो कि पहले 110 मेगावॉट की थी उसको केवल 120 मेगावॉट करने के लिए उसमें 4 साल तो प्रॉडक्शन बन्द रही और 246 करोड़ रुपये का उसमें खर्चा आया और वहीं से एक किलोमीटर दूर पर साठा मिल है अगर यही प्लान्ट यहां पर लगा दिया जाता तो 15 से 20 मेगावाट की बिजली उस शुगर मिल से प्रतिदिन बनाई जा सकती है जो कम से कम आधे शहर को रोशन कर देगी और माननीय अधिष्ठाता जी इसका प्राविधान भी दिया है वहां के जिलाधिकारी ने साठा मिल के जो अध्यक्ष हैं लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों को जो कीटनाशक और दवाइयां हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त नहीं करेंगे तो आपकी बात नोट नहीं की जायेगी। अब आप समाप्त कर दें।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें, अब आप समाप्त कर दें। माननीय सदस्या विमला बाथम जी अब आप बोलिये।

श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे उद्योग पर बोलने का अवसर दिया। मैं औद्योगिक नगरी नोयडा से विधायक हूं जहां पर खाली भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। वर्ल्ड मैप पर नोयडा है और औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जब नोयडा की स्थापना हुई तो वास्तव में वह औद्योगिक नगरी के रूप में ही हुई थी। जब हम लोगों ने नोयडा में उद्योग लगाने की बात की थी। आज से लगभग 30 साल पहले परन्तु धीरे–धीरे वहां पर इन सरकारों की अनदेखी से उद्योग तो पलायन करते गए और वहां पर रेजीडेन्सियल और इंस्ट्टीयूशनल ज्यादा आते गए और धीरे–धीरे, उद्योग वहां से समाप्त होते गए। सरकार की गलत नीतियों से, जो भी

सरकारें आईं उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जिस वजह से उद्योग उत्तरांचल और हिमांचल की तरफ पलायन कर गए। लगभग 25 परसेन्ट उद्योग नोयडा से पलायन कर गये। एक तो नोयडा में जमीन इतनी महंगी है कि नया उद्योग लगाना बहुत ही मुश्किल है और अगर कोई अपना उद्योग नहीं चला पा रहा है किसी प्रकार की अगर कोई उसकी मजबूरी है तो इतना ज्यादा जमीन बेचने पर जो टैक्स वसूला जाता है, वह बहुत ज्यादा है जिससे अलॉटी सोचता है कि मैं बजाय इस जमीन को खरीदने के नई जमीन खरीदूं। इसका मतलब जिसने जमीन खरीदी जो उद्योग नहीं लगा पाया, वह फैक्ट्री बन्द हो गई न तो वह बेच सकता है और न वह चला सकता है। इस तरह से बहुत–सी सिक यूनिट्स नोयडा में हैं, जिनको सरकार को चाहिए कि उनको तुरन्त राहत देकर, उन्हें पैकेज देकर चालू कराना चाहिए। मान्यवर, इण्डस्ट्री जब कहीं भी लगती है तो उद्योगपति तो एक होता है उसके पीछे 50–100 वर्कर्स काम करते हैं। नोयडा में जब उद्योग लगे, जब 1977 में नोयडा बना। 17 अप्रैल, 1970 में नोयडा की स्थापना हुई उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि नोयडा इतनी तेजी से विकसित होगा। उस समय मात्र इण्डस्ट्रीज का ध्यान रखा गया श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा गया जो किसी भी इण्डस्ट्री का बेस होता है, उसकी जान होती है। कोई उनके लिए स्कीम नहीं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं, स्वास्थ्य केन्द्र नहीं। हमें इस पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 1986 से एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक इण्डस्ट्री से सम्बन्धित होने के नाते मैंने इस ओर बहुत संघर्ष किया और उस समय से यह मांग रखी कि नोयडा में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए भी एक आवास योजना लाई जाए। कुछ आवास योजनाएं बाद में बनीं लेकिन वह नो–प्राफिट नो–लॉस पर बनी थी। यह कहा गया था कि जो कर्मचारी है उसको मात्र बहुत कम कीमत पर मकान मिलेगा। कुछ श्रमिक कुंजों का निर्माण हुआ लेकिन वह श्रमिक कुंज इस हालत में हैं कि वहां नोयडा के श्रमिक तो क्या कोई भी नहीं रह सकता। बहुत–बार मैंने अथॉरिटी के सामने यह अर्जी दी है और अभी भी अर्जी हमारी पेण्डिंग है कि जो श्रमिक कुंज हैं, उनका जो कॉमन एरिया है। कुछ का तो उनका मालिकाना हक है, जहां वह जिस कमरे में रहते हैं। एक–एक चौल में दो बाथरूम बनाये हैं, जैसे दो सीढ़ियां हैं, तो उनका रख–रखाव वहां की अथॉरिटी करे। ऐसी मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की और अथारिटी ने साफ मना कर दिया कि इनको बेचा जा चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते। वहां इतने गरीब लोग हैं, उनकी हालत इतनी दयनीय है वहां सीवर पानी टपकता है जिस हालत में वे रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं हैं। उनके बच्चों के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं हैं, जो ई0एस0आई0 में जो अस्पताल हैं वह बहुत दूर–दूर हैं अगर श्रमिक वहां जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, पूरी दिहाड़ी खराब होती है, पूरे–पूरे दिन लाइन लगती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इण्डस्ट्री तभी पनप सकती है जब वहां का मजदूर खुशहाल है तो। इसके अलावा दो–चार बाते हैं एक तो वहां जो पानी की समस्या है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, जल भी शायद आपके अण्डर में होगा। वहां हम लोंगो ने बहुत बार कहा कि इण्डस्ट्री में पानी का समय परिवर्तन कर दिया जाये। पानी का जो समय होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तो

रेजिडेन्स में ठीक है लेकिन इण्डस्ट्री शुरू 09 बजे होती है और शाम को जब पानी आता है तो इण्डस्ट्री बन्द हो जाती है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वहां का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, जितने मल्टीनेशनल्स हैं या पचास–पचास मंजिला इमारतें बना रहे हैं, यह डीप बोर करते हैं और चलता हुआ पानी छोड़ देते हैं। अगले दिन आकर उसी पाइप से फिर पानी भरना शुरू कर देते हैं। उनके यहां बन्द करने वाला स्विच नहीं है, पहले उनसे पैसे तो दिलवाइये इतनी बड़ी इमारतें बना लेते हैं हमें कुछ देते ही नहीं हैं। जब हमें देंगे तो फिर हम आपको देंगे।

श्रीमती विमला बाथम–

मान्यवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग देखिये क्योंकि आप ही एलॉट करते हैं आप ही उनको बढ़ावा देते हैं, आप ही इस चीज को कवर कर सकते हैं, आपही चेक कर सकते हैं सरकार के स्तर पर। कच्चे माल की मण्डी वहां नहीं है। अगर कोई कच्चा माल लेना चाहे या छोटी सी कोई चीज लेना चाहें तो हमें चावड़ी जाना पड़ता है या कहीं दिल्ली की किसी बाजार में जाना पड़ता है। जबकि नोएडा इण्डस्ट्रियल हब बन चुका है, वहां कच्चे माल की मण्डी का होना बहुत जरूरी है, एक ट्रेनिंग सेन्टर जिससे श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जा सके, आई0टी0 वह भी वहां पर नहीं है न ही कोई ऐसी जगह है जहां से श्रमिकों को हायर कर सकें। यह नोएडा मे बहुत बड़ी कमी है औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते सबसे पहले उनकी स्थापना होनी चाहिए थी, आई0टी0 बनता जहां ट्रेनिंग देते वहां से हम श्रमिकों को हायर कर सकते थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय एक सिंगल विन्डो सर्विस की बहुत आवश्यकता है। वहां हर तरह के उद्यमी हैं छोटे, मंझोले और बड़े जो स्माल स्केल का इण्डस्ट्रिलिस्ट है वह अपने यहां का चपरासी भी है अपने यहां का मालिक भी है। उसके लिए हर जगह दौड़ना बहुत मुश्किल है, बिजली डिपार्टमेण्ट, यहां–वहां इसके लिए सिंगल विन्डो सर्विस की हमारी डिमान्ड भी थी और सरकार और वहां की अथारिटी, अथारिटी का मतलब हम सरकार समझते हैं, राजी हो गये थे लेकिन आज तक सिंगल विन्डो का कान्सेप्ट आ नहीं पाया। इसके अलावा जो बिजली है अभी माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपनी बात रख रहे थे तो मैंने बड़े जोर–शोर से रखनी चाही लेकिन उनकी बात में हमारी बात दब गयी कि वहां नो पावर कट जोन होना चाहिए क्योंकि अगर नोएडा को जीवित रखना है और उद्योग चलाने हैं अब उससे सरकार का फायदा है, जो भी सरकार हो आपकी सरकार हो, कोई सरकार हो जब तक वहां उद्योग चलेंगे नहीं आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा। उद्योग चलने के लिए बेसिक जरूरत बिजली है। बिजली का कट अभी भी बहुत होता है। मैं अपने आफिस में बैठती हूं तो मैं देखती हूं कई–कई बार बिजली जाती है जरा सी आंधी आई बिजली चली गयी, जरा सा कुछ हुआ बिजली काट दी, कहीं किसी फैक्ट्री में कुछ हो गया तो पूरी लाइन की बिजली काट दी तो बिजली कट नहीं होना चाहिए चौबीस घण्टे नान स्टाप बिजली आनी चाहिए। अभी बहुत सी बाते हैं लेकिन समय सीमा है बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे इण्डस्ट्री पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कई विभागों की अनुदान मांगे आज प्रस्तुत होनी हैं इसलिए अभी अन्य विभागों की भी मांगे आयेंगी उस पर अपनी बात रख लेंगे। अब माननीय मंत्री जी को अपना जवाब देने दें।

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माथुर साहब उठकर चले गये। लगातार पांच साल से हम लोग सदन में हैं, इनका रटा–रटाया, उद्योग पर ही ये बोलते हैं और इनके पास रटे–रटाये शब्द हैं इसके अलावा इनके पास और कुछ नही है, यही यह बोलते हैं। उन्होंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग पूरी तरीके से बंद हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न लोगों को रोजगार मिल रहा है, न फैक्ट्रियां या छोटे–छोटे उद्योग लग पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमारी सरकार आई है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हुये हैं, हमारी सरकार वर्ष 2012 में एक उद्योग निवेश नीति लाई है और इस उद्योग निवेश नीति के चलते विभिन्न उद्योग/ निवेशकों को सरकारी ऋण और उत्पादन करो में विभिन्न छूट/सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। इस नीति का लाभ लेते हुए वर्ष 2012 से 2015 तक एक लाख तिरसठ हजार चार सौ इक्कीस उद्यम/उद्योग की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है और इससे दो खरब तैतालिस अरब अरसठ करोड़ तेरह लाख का निजी निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में उद्योग के मामलें में पूरी तरीके से पिछली सरकार में पांच साल तक चाहे उद्यमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अधिकारी हो, जिस तरीके से इसके पहले पांच साल तक लगातार शोषण हुआ, जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्थायें चौपट हुई हैं। लेकिन जब से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से इसमें लगातार काम हुआ है। अभी आगरा में भी सम्मिट हुई थी और तमाम ऐसी–ऐसी सम्मिट के माध्यम से उद्यमियों को लगा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से हमें सम्मान मिलेगा, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिये उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया है। आगरा एक्सप्रेस–वे जो लखनऊ तक बन रहा है, एक बार इन्होंने बस थोड़ा सा नाम लिया फिर उस पर कोई चर्चा नहीं की।

जब आगरा एक्सप्रेस–वे के माध्यम से दिल्ली से लखनऊ जुड़ेगा और इसके साथ–साथ आप इसी बजट में पढ़िये कि 1500 करोड़ रूपये का बजट प्रोवीजन लखनऊ–बलिया एक्सप्रेस–वे के लिए किया गया है जिससे पूर्वान्चल से हमारा लखनऊ जुड़ेगा तो फिर आप देखियेगा कि किस तरह से प्रदेश का और भी तेजी से विकास होगा। आज बड़ी अच्छी–अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। आप पूर्वान्चल के इलाके में चले जाईये, वहां पर सड़कें नहीं थी, तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को। आज आप फैजाबाद होते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र होते हुए, पूर्वान्चल चले जाईये, वहां पर कोई ऐसी रोड नहीं बची है, जो डबल लेन न हो गई हो। इसलिये बाहर के तमाम उद्यमी जो उत्तर प्रदेश में आना तो चाहते थे, लेकिन आते नहीं थे, क्योंकि यहां पर सड़कों का अभाव था, यहां बिजली की व्यवस्था गड़बड़ थी, यहां पर बड़े

पैमाने पर वसूली की जा रही थी, यह सारी चीजें इस सरकार में जाकर ठीक हुई हैं, इसलिये पूरे देश और प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश और देश में पूंजी–निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अभी माननीय माथुर साहब ने कहा कि मंत्री जी यहां पर तमाम डिपार्टमेण्ट से एन0ओ0सी0 लेने के लिए दौड़ना पड़ता है, इनको पता नहीं है। अभी श्रीमती बाथम जी बोल रही थी, इसी तरीके से तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को माननीय मुख्य मंत्री जी के कान में और समाजवादी पार्टी के कान में डालने का काम किया था, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट से लेकर इसमें सुधार करने की जितनी भी गुजांइस थी, उतनी उन्होंने की है। इस व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया गया है। निवेश के समय–समय पर विभिन्न विभागीय आदेशों, अनुमतियों, लाइसेंसों इत्यादि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए विभिन्न कठिनाईयों को समन्वय करते हुए व्यवस्था का सरलीकरण कराया गया है। इसमें सिंगल विण्डो की जो इन्होंने बात की है, आज की डेट में सिंगल विण्डो की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए किया है।

आप देंखे कि सिंगल विण्डो को और प्रभावी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयों को अब विभिन्न विभागों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उद्यमी अब उद्योग बन्धु पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें यह सारी फीस एक ही स्थान पर जमा करनी होगी, वहीं से सारी एन0ओ0सी0 उनको मिल जायेगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय विधायक साथी जूता उद्योग की बात कर रहे थे, आप बता दीजिये कि पिछली गवर्नमेण्ट किसकी थी, पिछली गवर्नमेण्ट बहुजन समाज पार्टी की थी और सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था कहीं लचर हुई थी तो आपकी सरकार के शासनकाल में व्यवस्था लचर हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई है चाहे जो भी उद्योग, चाहें जो भी व्यवसाय हों। आप देखते होंगे कि अगर किसी ने अपेक्षा की होगी, अगर किसी ने सुझाव दिये होंगे, तो सरकार उस पर अमल करती है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमारे अधिकारीगण यहां पर बैठे हैं चाहे वह जूता उद्योग हो, चाहे वह पेठा उद्योग हो, हमारे जो भी उद्यमी हैं, हमारे अधिकारियों से सम्पर्क करें, डिपार्टमेण्ट से सम्पर्क करें, पूरा–पूरा सहयोग जो भी हो सकता है, वह सहयोग सरकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हम उद्योग में बढ़ावा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इससे रोजगार मिलेगा लोगों को तमाम ऐसी–ऐसी हमारी योजनायें हैं माननीय माथुर साहब जो हमारी अच्छी योजनायें थीं, उनका इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। यह केवल हवा हवाई बोलकर और फार्मलती करके यहां से निकल गये और यह भी सही है कि यह मथुरा से आगे भी नहीं बढ़ते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं इनमें उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, इलाहाबाद नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी, औरय्या में प्लास्टिक सिटी, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, कानपुर में उन्नाव क्षेत्र में मेगा लेदर कलस्टर, बरेली में मेगा फूड पार्क इत्यादि महत्वपूर्ण परियोजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।

इसके लिये इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। क्योंकि इनको इसकी जानकारी नहीं थी इसीलिये यह सदन से उठकर भाग गये। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से जो छोटे–छोटे शहर हैं, वहां पर भी उद्यमियों को ला करके रोजगार के संसाधन मुहैया करा रहे हैं और जो हमारी घोषणायें थीं, जिस पर इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी केवल घोषणायें करते हैं, इनको पता नहीं है कि जो हमारी घोषणायें थीं वह सारी कम्प्लायेंस हुयी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सैकड़ों काम ऐसे हुये हैं जो हमारे घोषणा–पत्र में नहीं थे। लेकिन चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, जिन लोगों के बारे में सुविधा देने की बात आई, सुझाव देने की बात आई, उस पर हमारी सरकार ने अमल करने का काम किया है। इसलिये यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, वैसे तो यह सदन में हैं ही नहीं, इसका मतलब यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिये हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 आर0के0 वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा, अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग, होम्योपैथी चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, हमने चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा उपलब्ध कराई गयी कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका का बखूबी अध्ययन किया। मान्यवर, पूरी की पूरी पुस्तिका का अध्ययन करने के बाद चिकित्सा शब्द की जो उपेक्षा हुयी है और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, निश्चित रूप से वह हम सबके लिये शर्मसार करने वाली बात है। मान्यवर, इसमें बखूबी दर्शाया गया है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा तथा होम्योपैथिक चिकित्सा के लिये जो बजट की व्यवस्था की गयी है 8 अरब, 70 करोड़, 57 लाख की बजट व्यवस्था आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा के लिये की गयी है वहीं पर होम्योपैथी चिकित्सा के लिये 3 अरब, 86 करोड़, 81 लाख 98 हजार की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसी बजट पुस्तिका में लिखा है कि 1400 करोड़ रुपये औषधि के लिये व्यवस्था करने का काम सरकार ने किया है मान्यवर, 22 करोड़ प्रदेश की आबादी है और 14 करोड़ की दवाईयां तीन विभागों, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी से अगर 22 करोड़ लोगों में बांटी जाय तो एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिये मात्र 20 पैसे चिकित्सा के लिये दवाईयां उपलब्ध कराने के लिये धन आवंटित किया गया है। एक पैथी का केवल 4 करोड़ की दवाइयों की आपूर्ति होगी। मान्यवर, हर व्यक्ति एक वर्ष में कभी न कभी बीमार अवश्य होगा। मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि जब तक मनुष्य स्वस्थ्य नहीं रहेगा, जब तक उसका शरीर स्वस्थ्य नहीं रहेगा, मन स्वस्थ्य नहीं रहेगा, तब तक अच्छा आई क्यू नहीं होगा, अच्छा समाज नहीं बन सकता, अच्छा देश नहीं बन सकता लेकिन स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से घोर उपेक्षा करना समाज और देश के लिए बहुत ही हानिकारक है इससे पूरी जनता को

बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन के चार आयाम होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं आपका मन स्वस्थ नहीं है तो न तो आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, न तो आप अपने परिवार के धनोपार्जन कर सकते हैं और न ही आप आने वाली स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं इसके बाद मोक्ष की बात करना ही बेमानी हो जायेगी। इसलिए मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन विभागों के द्वारा तीन आयामों में पूरे चिकित्सा क्रिया–कलाप की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम होता है। इसमें पहला है चिकित्सीय क्रिया–कलाप, दूसरा है औषधि निर्माण गुणवत्ता नियन्त्रण और तीसरा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। मान्यवर, इसी पुस्तिका में अंकित है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 2354 हास्पिटल आयुर्वेदिक और यूनानी के हैं और उन सभी अस्पतालों में 10597 बेड हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह पूरा का पूरा विभाग निश्चित रूप से कुपोषण का शिकार है, अपनी सरकार के द्वारा, अपने विभाग के द्वारा खुद ही कुपोषित है और जिसकी वजह से आज इस विभाग को कैंसर लग चुका है। मान्यवर, 10597 बेड पर जा करके देखें तो किसी भी बेड पर एक भी मरीज कहीं पर पाये नहीं जाते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उपेक्षा की वजह से इस विभाग की हालत क्या है यहां पर जितने भी सदस्यगण बैठे हैं सभी जानते हैं कि गांवों में जो अस्पताल चल रहे हैं, आयुर्वेद के अस्पताल जहां पर भी हैं एक भी आदमी ओ0पी0डी0 में दवा लेने के लिए नहीं जाता है यही कारण है कि जो इसकी कौंसिल है सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन, उसने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो 8 आयुर्वेदिक कॉलेज और 2 यूनानी कॉलेज हैं, 8 में से 6 आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता समाप्त करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो 6 आयुर्वेदिक कॉलेज रहे हैं उनके यहां सी0सी0आई0एम0 मानक के अनुरूप जो बिल्डिंग होनी चाहिए, जो वहां पर ओ0टी0 होनी चाहिए, जो वहां पर अलग हायर फैकल्टी होनी चाहिए, उसका इन्तजाम सरकार ने करने का काम नहीं किया है जिसके कारण सी0सी0आई0एम0 ने इनकी मान्यता रद्द कर दी और नई पीढ़ियां, जो सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा पास करके आये हैं उनका एडमिशन तक इन कॉलेजों में नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि जितने भी मेडिकल ऑफीसर गांव के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पोस्ट हैं उनको समय पर प्रोन्नत नहीं किया जाता है, उनको एन0पी0ए0 नहीं मिलता है, उनका मन भी वहां पर नहीं लगता है इस वजह से उन अस्पतालों में मरीज अपनी बीमारी को दिखाने के लिए नहीं जाता है। यही हालत आज मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भी है आज जितने आयुर्वेद के और यूनानी एवं होम्योपैथ के मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित जितने भी अस्पताल हैं वहां जिन विभागों में जितने मरीजों की संख्या होनी चाहिए उतने मरीजों की संख्या ओ0पी0डी0 में नहीं होती है। जितने मरीज ओ0पी0डी0 में आते हैं उसी के सापेक्ष जो अस्पताल में बेड निर्धारित हैं उसमें जितने मरीजों की भर्ती होने की व्यवस्था सी0सी0आई0एम0 ने किया है उतने मरीज भर्ती नहीं होते हैं जिसके कारण

सी0सी0आई0एम0 ने इनकी मान्यता खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शार्ट में समस्याएं बताना चाहता हूं मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें मा0 मंत्री जी मान लें। सुझाव यह है कि अगर सी0सी0आई0एम0 नार्म्स के अनुरूप अगर हमारी बिल्डिंग नहीं होगी, अध्यापक नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे, रीडर नहीं होंगे, लेक्चरर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश को चिकित्सा सुविधा मुहैय्या नहीं हो पायेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि हायर फैकल्टी का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए और मेडिकल कॉलेज में जो ओ0पी0डी0 की संख्या कम है उसके सापेक्ष जो बेड आक्यूपेंसी अस्पतालों में होनी चाहिए, जितने बेड और मरीज भर्ती होने चाहिए, निश्चित रूप से उस व्यवस्था को सुनिश्चित कराये जाने की जरूरत है। ओ0टी0 का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हुआ है, इसलिए मा0 अधिष्ठाता महोदय जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन अस्पतालों में ओ0टी0 का निर्माण कराया जाना चाहिए और जो 80 प्रतिशत प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए हैं मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से बहुत शार्ट में बताना चाहता हूं।

(इस समय 06 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कि जितने मेडिकल आफिसर के रूप में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पोस्ट हैं वो करते हैं शिक्षक का कार्य, वहां पर पढ़ाने का कार्य लेकिन मान्यवर, उनको शिक्षक की उपाधि नहीं दी जाती, शिक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जितने मेडिकल आफिसर पोस्ट हैं उनको रीडर और प्रोफेसर बनाये जाने का काम होना चाहिए। अगर ये रीडर और प्रोफेसर बना दिये जायेंगे तो जो सी0सी0आई0एम0 का मानक है उसके अनुरूप वहां पर रीडर हो जायेंगे, उसके अनुरूप वहां पर प्रोफेसर हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये, आप काफी समय से बोल रहे हैं। 05–10 मिनट का समय दिया गया था।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक बहुत गम्भीर समस्या है, उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल आफिसर के पद पर डॉक्टर पोस्ट हैं उनकी सीनियरटी लिस्ट नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, बहुत बड़ी विसंगतियां सामने आती हैं जो जूनियर मेडिकल आफिसर रहा है वह डायरेक्टर की पोस्ट पर पदासीन हो जाता है और जो सीनियर है, योग्य है उसको अवसर नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैडर का रिव्यू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये, आपका टाइम खत्म हुआ।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो सुझाव दिये गये हैं आशा है उस पर मा0 मंत्री जी अमल करेंगे। धन्यवाद।

श्री अनीसुर्ररहमान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आयुष एवं यूनानी पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास केवल 3 मिनट हैं।

'श्री अनीसुर्ररहमान–

इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो यूनानी विभाग है वह आयुष के अन्तर्गत आता है और यह माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है। आजकल के इस मंहगे दौर मैं जो गरीब तबका है वह एलोपैथिक की बजाए यूनानी की तरफ आकर्षित हो रहा है और सस्ती दवा खरीदकर अपनी बीमारी का इलाज कराता है लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर दो यूनानी मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है जो हमें डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं यूनानी के। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मुरादाबाद में एक राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करायी जाए और इस बजट के अंदर उसका प्रॉविजन किया जाए। इसके साथ ही एक अनुरोध और करूंगा कि आयुष का संयुक्त चिकित्सालय हमारे यहां हमारी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है कोई तो एक आयुष का संयुक्त चिकित्सालय विधान सभा क्षेत्र कांठ, जनपद मुरादाबाद में स्थापित करायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब बैठिये।

श्री अनीसुर्ररहमान–

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसमें कोई नियमित डॉयरेक्टर नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी कि नियमित डॉयरेक्टर का चयन किया जाये और मा0 हाईकोर्ट के भी इस सम्बन्ध में आदेश हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यूनानी विभाग में नियमित डायरेक्टर चयन कर रखा जाए। बहुत–बहुत शुक्रिया।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। वाराणसी में एक आयुर्वेद का कॉलेज है उसके अंदर न ओ0पी0डी0 में जनरेटर है, न वहां पर एक्स–रे मशीन है।

श्री अध्यक्ष–

आप आयुर्वेदिक एवं होम्यौपैथिक पर बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जी, मान्यवर। वाराणसी में सम्पूर्णानन्द के जहां के आप विद्यार्थी रहे हैं उस कॉलेज में माननीय अध्यक्ष जी, ओ0पी0डी0 में न जनरेटर है, न वहां पर एक्स–रे मशीन है। मेरी मांग है कि इस बजट में इसको रखा जाए। चूंकि यह बहुत बड़ा कॉलेज है और पूरे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं होम्यौपैथिक का कोई विश्वविद्यालय नहीं है तो इसको विश्वविद्यालय बनाया जाये। धन्यवाद।

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

इसमें तो माननीय सदस्यों ने केवल सुझाव दिये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बनारस में तो भा0ज0पा0 की सरकार है अगर वहां चाहे तो मेडिकल कॉलेज या पी0जी0आई0 भी बन जाये।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इस तरह की बात न कीजिए नहीं तो फिर बवाल फंसेगा, भा0ज0पा0 वाले दांव खोजते हैं किसी तरह से लड़ने का।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सुझाव हमारे सम्मानित सदस्य डा0 आर0के0 वर्मा जी ने दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपके सुझाव पर सरकार पूरी तरीके से अमल करेगी। यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक चिकित्सालय हो, आप देख रहे होंगे और आपको भी अगर अपने बच्चे को दिखाना हो तो आप स्वयं ले करके नहीं जाते जिसको देखिये वह बड़े–बड़े मेड़िकल संस्थान की ओर जाता है चाहे मेडिकल कॉलेज या पी0जी0आई0 बड़े–बड़े अस्पतालों की तरफ और जब से यह सरकार आई है जनता की जो अपेक्षा है, जो मांग है अध्यक्ष जी, हर आदमी चाहता है त्वरित निदान हमें मिले। 2 मिनट के अंदर कोई ऐसा इन्जेक्शन हमें मिले कि हम उठकर खड़े हो जाय। इसलिये जब से यह सरकार आई है और सरकार आने के बाद वेदान्ता का प्रस्ताव आप देख रहे होंगे लखनऊ में हुआ। पी0जी0आई0 के बारे में भी आप लोगों ने बात किया। पी0जी0आई0 में बेड बढ़ाने की बात यहीं भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने की थी। पी0जी0आई0 में बेड बढ़ने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया है। अस्पतालों को मॉडर्नाइज करने के लिये, हॉस्पिटलों में सुविधाओं के लिये, हॉस्पिटलों में पैसों के लिये जितना इस सरकार ने किया है उतना हिन्दुस्तान में किसी सरकार ने मेडिकल पर इतना पैसा खर्च करने का काम नहीं किया है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ जो आज मिल रहा है इतने बड़े पैमाने पर कभी किसी को लाभ नहीं मिला। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, यह दोनों बजटों पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, इस पर हमारी इन लोगों से गुजारिश है कि इसको वापस ले लें। इनके सुझावों पर अमल होगा। बनारस में मोदी जी करें या न करें लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जरूर हमारे अधिकारी यहां बैठे होंगे इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है, इस पर जरूर विचार कर लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब यह पंचायती राज मंत्री का है कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायती राज अनुदान संख्या–14 के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत का दिल गांव में रहता है और गांव का विकास पंचायतें करती हैं। पंचायतें बन करके उस गांव का सम्पूर्ण विकास होता है। आज माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश के अन्तर्गत देश का 70 प्रतिशत आबादी वाला गांव, गांव में निवास करता है और गांव के विकास के लिये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करके इस देश के अन्तर्गत गांवों के विकास की ओर, प्रदेश के विकास की ओर, देश के विकास की ओर अग्रसर करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के अन्तर्गत जितने माननीय सदस्यगण बैठे हैं वह सभी कम से कम 70 प्रतिशत लोग उस गांव की कड़ी से जुड़ कर आते हैं। लोकतंत्र की यदि पहली कोई सीढ़ी है, कोई कढ़ी है तो वह पंचायत है, माननीय अध्यक्ष जी इस पंचायत के स्वरूप के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों पंचायतों को मिलाकर उस पंचायत का महत्व होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो अपने मान और सम्मान, अपनी आत्म सुरक्षा के लिये माननीय अध्यक्ष जी आज सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आज तक सरे आम चाहे महिला प्रधान हो, चाहे अनुसूचित जाति का प्रधान हो, चाहे कोई भी प्रधान हो सम्मान के साथ उस गांव का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। सरे आम उसकी हत्या हो जाती है। उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की वर्ष 2012 में सरकार बनी हमारे विकास खण्ड के अन्तर्गत मुन्ना लाल प्रधान जो वर्तमान में प्रधान थे उनकी सरेआम अपनी बात कहने के लिये हत्या कर दी गई। मैं मांग करना चाहता हूं, सबसे पहले सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको गांव की आवाज उठाने का मौका मिला है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। उन्हें शस्त्र लाइसेंस जैसे साधन दिये जायं जिससे वह अपना मान सम्मान कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे बीच में परम पूज्य डा0 भीमराव अम्बेडकर जी नहीं हैं, परन्तु हम उनकी सराहना करना चाहेंगे। उनके आभारी हैं कि उन्होंने संविधान में एक व्यवस्था दी। अनुसूचित जाति को 21 परसेन्ट, 27 परसेन्ट बैकवर्ड को और 33 परसेन्ट महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया और आज वह उसके साथ सम्मान से प्रतिनिधित्व करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार थी सफाई कर्मचारी उस गांव की व्यवस्था के लिये 01 लाख 48 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किये। माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सफाई कर्मचारी नियुक्त किये तमाम ऐसी रिक्तें हो गई हैं, सफाई कर्मचारी रिक्त हो गये हैं परन्तु वर्तमान सरकार ने आज तक उन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, एक एक गांव में जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं आज 7–8 गांवों पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की आज बहुत कमी

है। जब ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं होंगे, ग्राम विकास अधिकारी नहीं होंगे तो उस गांव का विकास कैसे होगा। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत अधिकारियों की जगह खाली पड़ी है उनको भराने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि इस बजट पुस्तिका में लिखा है कि डा0 राम मनोहर लोहिया की जो समग्र विकास योजना है जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है यह सम्पूर्ण ग्राम्य विकास कार्यक्रम की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं सम्पूर्ण ग्राम्य विकास योजना लोहिया ग्राम का जो पैसा जाता है उससे ग्राम का पूरा विकास नहीं होता है और ग्राम प्रधान के कुर्ते फटते हैं सदस्य के कुर्ते फाड़े जाते हैं कहते हैं यह काम अधूरा रह गया, गली अधूरी रह गई, खड़ंजा अधूरा रह गया, मैं याद दिलाना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो उस गांव के लिए डा0 अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना लागू करके चाहे मजरा हो चाहे कोई गली हो चाहे पूरा गांव हो पूरे गांव का विकास होता था उस समय पूरे गांव का विकास होता था उस समय गांव का प्रधान भी खुश रहता था और गांव का सदस्य भी खुश रहता था। माननीय अध्यक्ष जी, भूख मुक्ति जीवन रक्षा गारंटी योजना इस सरकार की एक योजना है इसके अन्तर्गत जो बी0पी0एल0 धारक हैं उसमें महिलाओं को दो–दो साड़ी और कम्बल की योजना थी पिछले बजट में भी यह प्राविधान किया गया था हमें तो नहीं लगता यू0पी0 में कहीं बंटे हों और इस बजट में भी इन्होंने प्राविधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी जो बजट था उसको लागू नहीं किया तो आगे कैसे उम्मीद की जाए। जो बजट था उसको लागू नहीं किया तो आगे कैसे उम्मीद की जाए। माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि गांव के ग्राम प्रधान को ढाई हजार मानदेय मिलता है और ब्लाक प्रमुखों को साढ़े सात हजार मानदेय मिलता है जिला पंचायत अध्यक्ष को दस हजार मानदेय मिलता है मैं कहना चाहता हूं यह मानदेय जो ग्राम के विकास की निधि जाती है चाहे चौदहवें वित्त की निधि हो चाहे कोई निधि हो गांव के विकास के लिए उसी में से उनको मानदेय दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं उनका जो मानदेय है उसकी अलग से व्यवस्था की जाए और विकास में कटौती न की जाए। माननीय अध्यक्ष जी पेयजल योजना ग्राम से संबंधित योजना है पेयजल योजना में जितनी बड़ी टंकियां होती हैं चाहे ओवरहैड टंकी हो जितनी भी टंकियां हैं वह लगने के बाद ग्राम पंचायत के हैण्डओवर हो जाती हैं गांव में संसाधन इतने नहीं होते हैं। गांव का इतना बजट नहीं होता है कि गांव का प्रधान या गांव का जिला पंचायत सदस्य या गांव की संस्था उसे सही करा सके माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से इस पेयजल योजना को ग्राम पंचायत से अलग रखा जाए। अगर ग्राम पंचायत से अलग नहीं रखते हैं तो वहां पर तकनीकी व्यवस्था की जाए। वहां संसाधन दिए जाएं ताकि वहां धन के अभाव में पेयजल का सही सुधार नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री कालीचरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं एक मांग और करना चाहूंगा अगर इस लोकतंत्र को बचाना है यदि त्रिस्तरीय पंचायत को मजबूत करना है तो मेरा अनुरोध है शासन से, सरकार से अनुरोध है अभी हाल में ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, अभी हाल ही में ब्लाक प्रमुख के चुनाव हुए जिसमें धन–बल, बाहुबल का बहुत प्रयोग हुआ, माननीय अध्यक्ष जी अगर धन–बल और बाहुबल का प्रयोग हुआ तो कभी भी पंचायतें मजबूत नहीं हो सकती हैं। कभी भी उस गांव का प्रतिनिधि मजबूत नहीं हो सकता है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाना चाहिए ब्लाक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाना चाहिए।पंचायतें हमारी हैं अगर वह खुशहाल से नहीं रहेंगी पंचायतों का प्रतिनिधि खुशहाल नहीं रहेगा तो देश का प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए।

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, लोहिया ग्राम के बारे में कहना चाहूंगा मेरी विधान सभा क्षेत्र का मामला है लोहिया ग्राम के बारे में कहना चाहूंगा लोहिया ग्राम तो चयनित हो गए लेकिन उस ग्राम से जुड़ने वाली सड़कें मरम्मत योग्य हैं, सड़कें खराब हैं एक लोहिया ग्राम है पट्टी पचनाई ठाकुर दास की गढ़ी, वह अभी तक नहीं जुड़ा है सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। नगला नाथ में एक लोहिया ग्राम था उसमें लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनवाई मंडी समिति से सड़क बनवाई माननीय अध्यक्ष जी 6 महीने में टूट गई मैं सरकार से मांग करता हूं जो लोहिया ग्राम हैं जो सरकार की महत्वाकांक्षा योजना हैं उसमें सड़कों को ठीक कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे पंचायती राज के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री राजकिशोर सिंह–

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी अभी इन्होंने अम्बेदकर गांव से लोहिया गांव की तुलना किया। माननीय अध्यक्ष जी, कितनी तकलीफ इनके दिल में गरीबों के प्रति है और किस तरह का भाव इनका गरीबों के प्रति है अध्यक्ष जी गांव में देखिए, जो गरीब आदमी झुग्गी–झोपड़ी में रहता है इन्होंने उसको इन्दिरा आवास 70 हजार में दिया था। आप बता दीजिएगा मां–बाप, बहू अम्बेडकर गांवों में 70 हजार का जो इंदिरा आवास था उसी को इन्होंने अम्बेडकर गांव में कर दिया था। अध्यक्ष जी 70 हजार रुपए में एक कमरा गांव में बनता है उस कमरे में आप बता दीजिए अगर बहू है बच्चा है मां है बाप है आप बता दीजिए किस तरह से उस कमरे में रहे होंगे। कोई लाज और हया होती है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि इन्होंने जब लोहिया गांव का चयन किया तो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे उस कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि अगर हम उस गरीब आदमी को 70 हजार रुपए देते हैं तो

अगर उसके पास बहू है जवान लड़की है बेटा है तो वह कहां रहेगा इसलिए इस पैसे को 70 हजार नहीं कम से कम हम ढाई लाख तीन लाख रुपया करना चाहते हैं अन्ततोगत्वा तीन लाख 25 हजार उन्होंने किया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीबों की पीड़ा कौन समझता है विधायक जी आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबों के बीच में जो रहेगा जो गरीबों की बात को सुनेगा बता दीजिए मुख्य मंत्री जी यहां बैठते हैं कालीदास मार्ग पर आम आदमी जिसको राह चलने का ढंग न हो फटे कपड़े हों वह भी मुख्य मंत्री का हाथ पकड़कर दो मिनट बात कहने का काम करता है। इसलिए जो गरीबों के बीच में रहेगा जो गरीबों के बीच में जाएगा वही गरीबों के दर्द को महसूस करेगा मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपने कहा कि अधूरा रह जाता है अधूरा नहीं रह जाता है कौन सा ऐसा गांव है जिस गांव को लोहिया गांव किया गया 25 से ज्यादा आवास हों जेन्यून क्योंकि आप पात्र व्यक्ति की बात करते हैं कि पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए 25 आदमी से ज्यादा कहां पात्र मिल रहे हैं हम लोग भी लोहिया गांव देते हैं मैंने अपने जिले में लगभग 85 गांव अपने क्षेत्र में दिया है 25 के ऊपर जब बढ़ते हैं तो हो सकता है कुछ न कुछ उसके पास रहता हो और कम्लेन होता है बाद में उसकी जांच होती है और बेचारा परेशान हो जाता है।

इसलिए उन जेन्यून आदमियों को लोहिया आवास दिया जा रहा है। काम के मामले में आप देखे होंगे आज जाकर अम्बेडकर गांवों की सड़कें देखिए उस समय अधिकारी डर के कारण रातों रात सड़क बनाते थे पता चला कि 15 दिन बाद एक महीने बाद वह सड़क खराब हो जाती थी क्योंकि आपकी सरकार जानी थी इसलिए युद्ध स्तर पर काम हुआ था। आज जाइए अम्बेडकर गांवों की तस्वीर देखिए और तुलना करिए हमारे लोहिया गांव से आपको लगेगा कि जमीन और आसमान का फर्क है लोहिया और अम्बेडकर गांवों में। मुख्य मंत्री जी ने अभी घोषणा की थी साड़ी बांटने के लिए मुख्य मंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे तो आप थे कि नहीं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम साड़ी बांटते तो वहां पर तमाम विरोध हो जाता कोई नीली साड़ी कोई लाल साड़ी कोई पीली साड़ी की बात करता इसलिए हमने उस साड़ी की जगह पर समाजवादी पेंशन देने का काम किया है जिससे वह अपनी इच्छा से साड़ी खरीदने का काम करे। अध्यक्ष जी को पूरी जानकारी नहीं थी और इन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर कुछ पूछा भी नहीं इन्होंने केवल ग्राम प्रधानों के बारे में कहा कि ग्राम प्रधान की हत्या हो गई पिछली सरकार थी आप देखें होंगे कि जब आपकी सरकार थी तो उस समय आप विधेयक लाते और विधेयक लाकर दो मिनट में जनता से चुनाव करवा देते उस समय आपने कभी नहीं सोचा क्योंकि उस समय आपको जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष और एम0एल0सी0 और प्रधान बनाना था इसलिए आप लोगों ने नहीं किया जब हमारी सरकार बनी आज बता दीजिए इस सरकार में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए कहीं किसी ग्राम पंचायत में बेईमानी हुई हो अगर बेईमानी होती तो सारी सीटें हमारी निर्विरोध हो जातीं।

अगर सरकारी अमले का इस्तेमाल करते तो बता दीजिए कौन चुनाव लड़ता लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इन्होंने कहा कि सारे लोगों को लड़ने

दीजिए आप बताइए मेरे जिले में ही चुनाव हुआ है और एक आम आदमी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा भरा जो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा होगा और बराबर का चुनाव लड़ा इसलिए हम जितने भी बहुजन समाज पार्टी के साथी बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं आपकी सरकार ने तो कुछ किया नहीं अगर किसी ने किया है तो उसका हौसला अफजाई कराना चाहिए और आपने स्व0 डाक्टर अम्बेडकर के लिए कहा कि उन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन उसका कम्प्लायंस किसने किया इस उत्तर प्रदेश के अन्दर उसका कम्प्लायंस मुलायम सिंह यादव ने किया इसलिए आपको मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकार जब से आई है गांव में आप देखे होंगे चाहे माइनारिटी के लोग हों जहां भी उनको दफनाया जाता है वहां लगातार बवाल होता था आज वहॉ बाउण्ड्रीवाल देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है गांव में जब लाश फूंकने के लिए लोग ले जाते थे वहां कोई व्यवस्था वहां नहीं थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे हिन्दू हो चाहें मुसलमान हो चाहे किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण की व्यवस्था भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है। मा0 अध्यक्ष जी, बाकी किसी ने कुछ नहीं पूछा है इसलिये हम चाहते हैं कि कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मा0 मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल है और मेरे सुझाव भी हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार डा0 अम्बेडकर गांव का विकास करती थी, एक–एक गली बनाई जाती थी तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लोहिया गांव बनाये जा रहे हैं, हमारे यहां भी दो–चार गांव बने होंगे, उनमें पूरी गलियों का विकास नहीं हो रहा है। एक मोहल्ला–दो मोहल्ला का विकास हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि जो गांव आप लोहिया में बना रहे हैं, उस पूरे गांव को एकदम दुरुस्त कर दीजिये। दूसरा मा0 मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि गांव में जो आपने अन्त्येष्टि स्थल देने का काम किया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यह अच्छा काम है, लेकिन इसमें कहीं पर भी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आप सदन में यह घोषणा करें कि कम से कम हम लोगों से प्रस्ताव लेकर या कोई कमेटी बना दें जिससे हम लोग भी उसमें सहभागी हों।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, अब उसकी व्यवस्था हम बदल रहे हैं, आने वाले समय में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब जिला पंचायत की बैठक होंगी तो वहां आप प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके साथ–साथ आपने कहा कि लोहिया गांव में सड़कें नहीं बन रही हैं। मा0 विधायक जी, शायद आपको पता नहीं है। पिछले सदन में आप रहे हैं, पिछले बार आप विधायक थे, बी0एस0पी0 की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में सड़कें केवल अम्बेडकर गांव में बनती थीं और आज सड़कें पूरे उत्तर प्रदेश में फोर लेन, सिक्स लेन बन रही हैं,

गलियों के निर्माण के लिये गांवों में हमारी तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, जिला पंचायत काम कर रही है, क्षेत्र पंचायत काम कर रही है।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो गांव लोहिया गांव घोषित किये गये, उनमें एक मल्लानपुरा है। वहां बी0डी0ओ0 और एस0डी0एम0 ने संयुक्त जांच में 36 ऐसे गरीब लोगों को पाया जिनके पास मकान ही नहीं हैं केवल छप्पर हैं, लेकिन आज तक वहां केवल 17 आवास दिये गये बाकी लोगों को आवास नहीं मिले। दूसरा वहीं एक हनुमन्तपुरा गांव है, वहां अभी तक न तो लोहिया आवास दिये गये। पानी की इतनी भारी समस्या है कि जिन लोगों ने प्राइवेट हैण्डपंप लगवाये थे उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है और एक वर्ष हो गया है उस लोहिया गांव में अभी तक एक भी हैण्डपंप नहीं लगवाया गया है और न ही बिजली की व्यवस्था की गयी है। इन दोनों गांवों में केवल 20–20 लाख की सी0सी0 डलाई गयी है, बाकी दूसरा काम नहीं किया गया है। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हम गांव में सम्पूर्ण विकास करते हैं तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोहिया ग्राम में कम से कम सम्पूर्ण विकास कराया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–23(6) तक बहस हो गयी है, मैं यहां तक पास करा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग इन अनुदानों में लगे हुये हैं वह छुट्टी पा जायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 48,62,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 68,46,43,90,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 1,68,92,06,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 8,70,57,37,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 3,86,81,98,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 91,87,69,50,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

कटमोशन रखिये। संक्षेप में रख दो। इस पर तो रोज भाषण होता है। आप जितने पर रखे हो सब पर एक साथ रख दो और एक साथ बोल दो।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विभाग लोक निर्माण विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। वैसे तो यह ट्वेंटी–ट्वेंटी बजट है। जितनी तेजी के साथ लिया जा रहा है। और यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि लोक निर्माण शब्द ही बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। लोक निर्माण, जिससे लोक का निर्माण होता है। ऐसा यह लोक निर्माण विभाग है। और इसलिए लोक का निर्माण होता है कि यदि सड़कें नहीं होंगी, सड़कें किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए मूल आधार हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में कई बार कह चुके हैं कि यदि हम रफ्तार को दो गुना कर देंगे तो इकॉनामी अपने आप तीन गुना हो जाएगी। यह मुख्य मंत्री जी हमेशा बोलते हैं। और सड़कें अपने आप में ऐसा सशक्त माध्यम हैं और यह आज से नहीं, आज तो मोटर साइकिल हैं, गाड़ियां हैं और बहुत सारे साधन हैं। उस समय जब मोटर साइकिल और गाड़ियां नहीं थी। उस समय भी जब हड़प्पा मोहनजोदड़ों की खुदायी हुयी। उस समय भी सड़कों के अवशेष मिले और रथ के पहिये मिले। यह इस ओर इशारा करता है कि पुराने समय से ही सड़कों का महत्व और सड़कों की बात विश्व के अन्दर रही है। भारत के अन्दर रही है। ऐसा ही यह महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी जिस प्रकार से सदन में चर्चा होती है। और पहले

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

दिन जब 2012–13 में जब हम लोग यहां बजट बहस में थे तो उस समय का मुझे याद है कि पिछली सरकार के कार्य–कलापों को लेकर जिस प्रकार गर्मजोशी दिखायी गयी थी कि बांदा के ठेकेदारों ने यह कर दिया। वहां के ठेकेदारों ने यह कर दिया। तो मुझे लगता था कि जैसे प्रभावी मंत्री इस विभाग के हैं। कुछ दिनों में कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपसी घालमेल है, कहीं न कहीं आपसी तालमेल है और उसका ही परिणाम है कि पिछले तीन साल में उसकी कोई चर्चा नहीं हुयी। किसी प्रकार की कोई बात सुनने में नहीं आयी कि किसी सड़क की जांच हुयी हो। या किसी सड़क पर जांच बैठा दी गयी हो। या कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी हो। मा0 अध्यक्ष जी, 80 प्रतिशत जो ढुलाई का साधन है उसके 80 प्रतिशत से भी ज्यादा सड़क के माध्यम से ढुलाई होती है। इसलिए भी इस विभाग की अपने आप में बहुत महत्ता है। हम लोग जहां एक्सप्रेस–वे की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि प्रदेश को आगे ले जाना है। और मुख्य मंत्री जी कहते भी हैं कि प्रदेश को डबल डिजिट ग्रोथ में ले जाना है। लेकिन जहां वह अभी पिछले दिनों कृषि की चर्चा कर रहे थे, 2.3 प्रतिशत कृषि की विकास दर है और सड़कों के बिना, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना हम लोग कैसे विकास दर को आगे बढ़ा ले जायेंगे। यदि विकास दर को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से सड़कों को बेहतर करना पड़ेगा। हम पड़ोसी राज्यों में जाते हैं। आज मध्य प्रदेश की जो विकास दर है, किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश बढ़ा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वहां की सड़कें हैं। वहां की सड़कों पर पिछले दस साल में मध्य प्रदेश में ध्यान दिया गया, जिस प्रकार सड़कों में सुधार किया गया उसी की वजह से वहां की ग्रोथ रेट आज छलांग लगा रही है। निश्चित रूप से हम भी अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश भी सड़कों के आधार पर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की सड़कें भी अच्छी हों। मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो लग रहा था कि यहां फोरलेन, वहां फोरलेन। यह सड़क वह सड़क। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे प्रदेश में शायद हर सड़क फोरलेन हो गयी हो। लेकिन बाद में विचार किया कि लोहिया के अनुयायियों की सरकार है। लोहिया के विचार के लोग यहां बैठे हुए हैं और हम ऐसे समाजवाद की बात करते हैं, गांव की, गरीब की बात करते हैं। जब हम गांव के बारे में विचार करते हैं और गांव को देखते हैं तो मा0 अध्यक्ष जी ऐसा लगता है कि आज गांव से यदि कस्बे तक कोई व्यक्ति आता है तो आने का साधन नहीं है, आने का रास्ता नहीं है। मैं तो ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मैं कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ईमानदारी के साथ सदन में कह रहा हूं कि आज जो रास्तों का बुरा हाल है कि यदि कोई आदमी गांव से कोई कस्बे तक आना चाहता होगा तो सड़क की व्यवस्था नहीं है। मैंने ही कई बार सदन में सवाल लगाया, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, मैंने सदन में सवाल लगाया तो 70 प्रतिशत सड़कों के सवाल में जवाब आया कि वित्तीय संसाधनों पर आधारित, यह एक ऐसा पेट वाक्य है विभाग का कि इसके बाद सब क्लीन बोल्ड हैं, वित्तीय संसाधनों पर आधारित और एक दिन तो जवाब यहां तक आ गया अध्यक्ष जी, पता नहीं कैसे जवाब दिया गया, मैंने सवाल उठाया,

थानाभवन क्षेत्र की एक सड़क है हींण से गढ़ी गुप्ता मार्ग तो जवाब आया, यह सड़क सरकार की प्राथमिकता में नही है। उस दिन तो मुझे भी बैठ कर के विचार करना पड़ा, आखिर यह जवाब किस ओर इशारा करता है, सरकार की प्राथमिकता तो पूरे प्रदेश की है, सरकार की प्राथमिकता तो हर सड़क की है, सरकार के लिए तो पूरा प्रदेश एक जैसा है और वैसे भी समाजवादी विचार–धारा तो कहती है गांव, गरीब, किसान तो यह कैसा जवाब आ गया कि यह सड़क सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, खैर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 14561 करोड़ 62 लाख बजट प्रस्तावित है, जिससे 9845 करोड़ 37 लाख आयोजनागत प्लान तथा 4728 करोड़ 30 लाख आयोजनेत्तर नान प्लान मद में रखा गया है, मोटे तौर पर पिछले वर्ष के कुल 12400 करोड़ 58 लाख की तुलना में इस साल का बजट लगभग 12 प्रतिशत अधिक है और इसी प्रकार अनुदान–57 यदि पुलों के निर्माण की व्यवस्था की मैं बात करूं, इस साल 1451 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था है जिससे 20 करोड़ रुपया पुलों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रस्तावित किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, बजट तो प्रस्तावित हो गया, लेकिन उसके काम की गति क्या है, लगातार लोक निर्माण विभाग सबसे बड़े विभागों में से एक है, काम की गति क्या है, किस गति के साथ हमारा काम चल रहा है, अभी मा0 मुख्य मंत्री से भी सुना था मैंने और बजट भाषण में पृष्ठ–10 पर जनपद बलिया में गंगा नदी पर 2544 मीटर लम्बे पुल, घाघरा नदी पर 1314 मीटर लम्बे पुल के निर्माण की घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि धरातल पर जाकर विचार करें और धरातल पर जाकर के देखें, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत लम्बा समय, बहुत लम्बे समय में यह टारगेट पूरा होगा, निश्चित रूप से बहुत लम्बे समय में ये टारगेट पूरे होंगे, कहीं न कहीं नीति तैयार करनी पड़ेगी कि योजना का समय क्या है, कितने समय में योजना पूरी हो जायेगी, कितने समय में इसकी जवाबदेही तैयार होगी, यदि जवाबदेही नहीं होगी, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी इन पुलों पर लम्बे स्पन की जो डिजाइनिंग है, उसमें भी कहीं न कहीं सेतु निगम इस प्रकार की तैयारी नहीं कर पाया है, इस प्रकार की तैयारियों में असफल रहा है, मा0 मुख्य मंत्री जी जिन दो पुलों की चर्चा हमेशा जिनकी मैंने भी चर्चा की, हमेंशा करते हैं, मैं तो विश्वास से कह सकता हूं कि आगे आने वाले 10 सालों में भी यह पुल इस स्पीड से तैयार नहीं होंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह लोहिया समग्र ग्राम योजना की चर्चा हो रही है, आज भी समाजवादी शासन में हजारों बसावटें ऐसी हैं, जिनमें कोई सम्पर्क मार्ग नही है, जबकि आज देश आजादी के 70 साल बाद हजारों बसावटों में जबकि केन्द्र सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक केवल 1659 गांव संपर्क मार्ग से जोड़े गए हैं। यह आंकड़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, कि केवल 1659 गांव जोड़े गए हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी गांव तभी संतृप्त माना जायेगा जब उसमें अवस्थापना से लेकर 34 अन्य कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की सरकार हमेशा चर्चा करती है, आगरा से लेकर लखनऊ हाई–वे की बात करते हैं, एक्सप्रेस–वे की बात करते हैं, उसी के शिलान्यास में माननीय नेता

मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था। उसी के शिलान्यास में नेता जी ने यह कहा था कि आप शिलान्यास की बात करते हो, किसी एक कार्यक्रम के उद्घाटन भी तो हमसे करा लो। तो इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण क्या होगा और तो और अधिकारियों को माइक पर बुला करके कहा था कि अधिकारी ही घोषणा कर दें, अधिकारी ही तारीख बता दें कब तक तैयार कर लेंगे ? यह कहीं न कहीं नेता जी का ही वाक्य है। माननीय मुलायम सिंह जी का यह वाक्य इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं उन्हें भी यह लगता है कि योजनाओं में भारी देरी हो रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत जोर–शोर के साथ 2012 से लगातार घोषणा हो रही है कि 75 जिलों को 5 वर्षों में 4 लेन मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी प्रत्येक वर्ष इसको दोहराया और कहा कि यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले चार वर्षों में 10 जनपदों को भी सरकार 4 लेन से नहीं जोड़ पायी है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए एन0एस0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गोल्डेन नार्थ तथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत 30 जनपद तो पहले ही राष्ट्रीय मार्गों पर पड़ने के कारण 4 लेन की पक्की सड़कों से जुड़ गये थे। शेष 43 जनपदों में से 10 जिले और भारत सरकार की एन0एस0डी0पी0 योजना से जुड़ जाएंगे। यह जिले हैं गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़ मऊ तथा गाजीपुर। सरकार ने दस जिले उपशा उत्तर प्रदेश स्टेट हाई–वे एथॉरिटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 10 जिले सरकार ने 4 साल में जोड़ने का लक्ष्य रखा है, 4 साल में इन पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। 1 साल में इन्हें 4 लेन के मार्ग से जोड़ने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। केवल और केवल भाषण के आधार अपनी बात कह लेना कि जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ जाएंगे, तो केवल बोलने से ही नहीं जुड़ जाएंगे। अभी तो हम जिलों में ही 4 लेन तक की बात कर रहे थे, जिलों में 4 तक नहीं पहुंचे तो बसावटों की और छोटी बस्तियों की चिन्ता हम लोगों को कहां से होगी। अभी तो हम लोग अपना 4 लेन का ही टारगेट पूरा नहीं कर पाए।

श्री अध्यक्ष–

अब थोड़ा संक्षेप करके पढ़िए।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, बिल्कुल संक्षेप में ही बोल रहा हूं। 4 लेन का जो एक मानक है 7–7 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर बीच में 1.2 मीटर का न्यूनतम डिवाइडर अर्थात् सड़क की कुल चौड़ाई 15.20 मीटर। विभाग ने इन 14 जिलों में दो लेन सड़क को 16 अर्थात् 7 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 1.5 और 1.5 मीटर सतह को चौड़ा कर दिया जायेगा। इस प्रकार इसकी कुल चौड़ाई 10 मीटर हो जायेगी। यह सड़क 4 लेन की सड़क नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन की पक्की सड़क से जोड़ने की घोषणा केवल हवा–हवाई ही साबित हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करिए अभी और लोग भी बोलेंगे।

(सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्य हमारे माननीय मंत्री पूरी रुचि के साथ जिस प्रकार बोलने में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। यदि उसी प्रकार काम करने पर जोर दिया होता तो आज प्रदेश का चित्र ही कुछ और होता। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया होता, आज प्रदेश कहीं और होता। अध्यक्ष जी, देश की राजधानी दिल्ली हम दिल्ली से चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यदि हमें दिल्ली से निकलना हो तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है। 2 से 3 घण्टे के सफर में 30 से 40 कि0मी0 से ज्यादा हम पहुंच नहीं सकते। भला हो देश के राष्ट्रीय राजमार्ग का, क्या इसके अलावा और कोई मार्ग हैं। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी मेरे साथी ने कहा, मा0 विधायक जी ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ी–बड़ी घोषणाएं कीं। आप लोगों ने कहा कि हम पी0पी0पी0 मॉडल पर बहुत सारे काम करेंगे और पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर ही आपने कहा था कि हम पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रदेश का विकास करेंगे। मैं उसका एक नमूना दिखाना चाहता हूं। वह नमूना यह है कि दिल्ली यमुनोत्री मार्ग कब सैंक्शन हुआ था। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का 1–8–2011 में अनुबन्ध हुआ था। एस0सी0डब्ल्यू0 जो हैदराबाद की कम्पनी है उसके साथ 1–8–2011 को अनुबन्ध हुआ। अध्यक्ष जी, आज हम 2016 में खड़े हैं और सिर्फ 13 प्रतिशत कार्य हुआ है। ये सरकार का जवाब है मेरा जवाब नहीं है। 2011 से लेकर अब तक केवल 13 प्रतिशत कार्य, सरकार ने जवाब दिया कि अब तक केवल 13 प्रतिशत काम हुआ है। हम विकास की बात कर रहे हैं और क्या ये प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर से देवबन्द की घोषणा हुई थी, मा0 मंत्री जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं और जब घोषणा की थी तो मुझे लगा था कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वह 752 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसका 29–6–2015 में अनुबन्ध हुआ लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख क्या होगी। यह 29–6–2015 का अनुबन्ध है। यह सरकार का जवाब है बजट में, इसमें मेरा तो कोई आंकड़ा है नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी भावना रखना चाहता हूं। बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु हैं और दो–तीन बिन्दु कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से ही तो बोलने का मौका मिलता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी 2016–17 के लिए सामान्य अनुरक्षण में 50 हजार कि0मी0 सड़क ली गई है और 200 करोड़ का बजट है। नवीनीकरण में 14 हजार कि0मी0 सड़क और 1750 करोड़ का बजट रखा गया है। विशेष मरम्मत में 5 हजार कि0मी0 सड़क और 1250 करोड़ का बजट रखा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेष मरम्मत में पिछले साल 8 हजार कि0मी0 का लक्ष्य था जो अब की बार 5 हजार कि0मी0 का हो गया है, 3 हजार घटा दिया। आज उत्तर प्रदेश में जो सड़कों की हालत है, वह सब सदस्य जानते हैं और लगातार उधर से भी आवाज उठती रहती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 2015–16 में 16 सेतु प्रगति पर हैं जिनकी लागत 2912 करोड़ 28 लाख है। 35 सेतुओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, 17 पूर्ण हुए हैं। यह राज्य सरकार की प्रगति रिपोर्ट है, काम करने की स्पीड है, यह काम की गति है। अध्यक्ष जी, यहां तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सड़क के माध्यम से प्रदेश को आगे ले जा सकती हैं। पर्यटन का क्षेत्र है। प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं, बहुत सारी सम्भावनाएं प्रदेश में पर्यटन की हैं। हमारे क्षेत्र में मा0 अध्यक्ष जी आपका तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रवास हुआ है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जहां हजारों–हजार लोग प्रतिदिन जाते हैं और सड़कों का क्या हाल है ? पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर चौड़ीकरण और सुन्दरीकरण करने के लिए वर्ष 2015–16 में 25 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, 50 करोड़ कर दिये कार्य पूर्ण करने के लिए और वर्ष 2016–17 के लिए 25 करोड़, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आलोचना की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं यदि आप पर्यटन का बढ़ावा देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर जाना चाहते हैं, प्रदेश की छवि देश में निखारना चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा और केवल भाषणों के आधार पर, केवल वक्तव्यों के आधार पर, केवल घोषणा के आधार पर यह सब संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, वह सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि लोक निर्माण विभाग का बजट आएगा तो मेरी सड़क का भी नंबर आ जायेगा, वह गन्ना ढुलाई करने वाला किसान आज उम्मीद कर रहा है कि टैक्ट्रर की, बुग्गी की स्थिति खराब हो गयी है, मेरा भी नंबर आ जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का इन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य 2 मिनट में केवल टू द प्वाइंट अपनी बात रखें भूमिका बनाकर नहीं ताकि सबकी बात आ जाये।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद। अभी विपक्ष के साथी राणा जी कटमोशन का प्रस्ताव ला रहे थे। इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा। मैं अपनी बात की शुरूआत करने से पहले दो लाइन की चौपाई कहना चाहता हूं कि ''जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरती देखी तिह जैसी'' चूंकि यह भाजपा के सम्मानित साथी हैं, इन्हें कभी उत्तर प्रदेश का विकास माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया गया विकास, उत्तर प्रदेश के लोक निमार्ण मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2012 से 2016 तक जो काम कराये गए जो सड़कों का नवीनीकरण कराया गया और जो बड़ी–बड़ी सड़कें बनावाई गईं। किसानों के हित में, पर्यटन के हित में, इस पूरे प्रदेश की तरक्की, उन्नति और खुशहाली के हित में सड़कों का निर्माण कराया गया, वह राणा जी को कभी नहीं दिखायी पड़ेगा क्योंकि इनकी भावना हमारे लोकनिर्माण मंत्री के किये गये कामों को देखने की नहीं है, क्योंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इनको समाजवादी पार्टी के किये गये कामों की बुराई करना कि कुछ काम नहीं हुआ यह कहने की इनकी मंशा है, उस हिसाब से इन्होनें अच्छा भाषण दिया, इनके उस अच्छे भाषण का हम स्वागत करते हैं इन्होंने अपनी भावना के हिसाब से क्योंकि इनकी भावना समाजवादी पार्टी के कामों की बुराई करना है। इनकी भावना है जो लोक निर्माण मंत्री जी ने काम किये हैं इन चार सालों में उसे न देखने की है। हम एक छोटा–सा उदाहरण माननीय अध्यक्ष जी, आपको देना चाहते हैं। मैं अयोध्या विधान सभा से चुनकर आता हूं और मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि अयोध्या विधान सभा में चौदहकोसी–पंचकोसी मार्ग है, जो लगभग 84 किलोमीटर का है। उस पूरे परिक्रमा मार्ग को हमारे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जी ने जैसा बनाया है, हमें इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं है कि पिछले 5 सालों में जब मायावती जी की सरकार थी, तो उस पर ढेर सारा पैसा आवंटन हुआ और बहुजन समाज पार्टी के ठेकेदारों ने बनाया, लेकिन जब परिक्रमा में भीड़ आयी तो उसका तारकोल और गिट्टी सब उड़ गया। ऐसा काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था लेकिन जब हमारे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बने तो उस सड़क को आज आप लोग जाकर देखिए चौदहकोसी–पंचकोसी परिक्रमा अभी समाप्त हुई है, कुछ महीने पहले, उस सड़क को बहुत अच्छा बनाने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अभी हमारे साथी उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की बुराई कर रहे थे कि कहीं काम नहीं दिख रहा है। हम पूछना चाहते हैं अभी केन्द्र का बजट आया है आप बता दीजिए जो नेशनल हाई–वे हैं, जो नेशनल हाई–वेज की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उसमें आपकी केन्द्र सरकार ने कितना पैसा दिया है। आप जाकर देखिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

अगर मुझे बोलने में डिस्टर्ब करेंगे तो बोलने नहीं दूंगा। मैं अध्यक्ष जी एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के नाम से जो सड़क बन रही है। लगभग पौने दो साल इनकी केन्द्र सरकार को बने हो गया, किसी भी सड़क पर एक पैसा केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है। जहां पर गिट्टी पड़ी थी, आज गिट्टी वैसे ही पड़ी है। आज किसान परेशान है, आने जाने वाला राहगीर परेशान है। गडकरी जी आये थे हमारे लोक

निर्माण मंत्री जी के साथ मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम केवल 14 करोड़ रुपये दे रहे हैं नेशनल हाई–वे की मरम्मत के लिए। जब मीडियावालों ने पूछा कि इसके लिए तो कई हजार करोड़ रुपये की जरूरत है तो आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि हमारे पास संसाधन का अभाव है। हमारे पास संसाधन का अभाव है और केवल 14 करोड़ रुपया दिया, जिससे कहीं विकास नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं लोहिया समग्र गांव की बात हो रही थी, लोहिया समग्र गांव का जितना विकास समाजवादी सरकार ने किया। आप जाकर देखें अच्छी और बढ़िया सड़कें बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। जो पांच–पांच सौ आबादी के गांव थे उसको अच्छा बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और जिन पुलों का निर्माण 2004 और 2007 में चालू किया गया था जिनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने रोका था आज उन पुलों को पूरा कराने का काम आदरणीय लोक निर्माण मंत्री ने किया है। हमारे फैजाबाद से एक आरोबी का काम पूरा हो गया और दूसरा आरोबी जिसका लक्ष्य दिसम्बर 16 था आज मार्च में पूरा होने जा रहा है। इतनी तेजी के साथ लोक निर्माण मंत्री ने पूरे प्रदेश में काम कराने का काम किया। तलवारी का पुल जिसको आप जानते हैं जो टांडा से निकलता है सीधे बस्ती को जाता है आज उस पुल को पूरा कराकर समाजवादी पार्टी के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उस क्षेत्र को तरक्की और उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम किया। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं आप चले हमारे साथ हम आपको अपनी गाड़ी से ले चलेंगे, चलो फैजाबाद, चलो अम्बेडकर नगर, चलो श्रावस्ती का फोर लेन आपको दिखाते हैं, चलो गोरखपुर आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोक निर्माण मंत्री जी ने क्या–क्या काम किये हैं। अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी केन्द्र की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जो सड़क बनाई थी कि जनता उस पर चलती थी तो तारकोल और मिट्टी अपने आप उखड़ जाती थी इसलिए सिर्फ दो लाइन कहूंगा कि ''करेंगे किसी की वह क्या रहनुमाई, लुटा के जो खुद कारवां आ गये हैं।"

अध्यक्ष जी आपने मुझको बोलने का समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुरेश राणा जी लोक निर्माण विभाग का कटौती का प्रस्ताव रखा मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं केवल अपने क्षेत्र की दो–तीन छोटी–छोटी बाते रखूंगा। मान्यवर, हमारे यहां जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद सीट से मैं आता हूं। हमारे यहां ब्लाक मिर्जापुर में एक गांव पड़ता है कबरा सलेमपुर वहां उस गांव के पहले एक बहुत बड़ा नाला पड़ता है नदी से निकलकर वह नाला आया है उस पर एक रपटा पुल बनाने के लिए जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो एक रपटा उस पर स्वीकृत हुआ और उसका टेण्डर भी हो गया लेकिन 2012 में जब सरकार बदली तो पता नहीं किन कारणों से उस

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

टेण्डर को निरस्त कर दिया गया और आज तक उस कार्य को नहीं कराया गया। मैंने कई बार उस पर सवाल भी लगाया लेकिन उस पर उत्तर आया कि सीमित संशाधनों या इस तरह के गोल–मोल जवाब दे दिये गये। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उसको बनवाया जाये, उससे कई गांव जुड़ते हैं। मान्यवर वैसे तो कई सड़कें मरम्मत के लिए कई बसावटें जुड़ने के लिए बाकी हैं लेकिन जब–जब हम लोग सवाल लगाते हैं जवाब ऐसा ही आता है। मैंने अभी बजट के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि हम लोगों के क्षेत्रों की भी कुछ सड़कों को ले लिया जाये। शायद आज माननीय मंत्री जी उसको लेने का काम करेंगे। हमारे यहां एक सोंठ नदी है उसके पुल को लेकर बहुत दिन आन्दोलन चला और ऐसा आन्दोलन चला कि तमाम लोग उस पर बीमार हुए सात आठ दस दिन आन्दोलन चलता रहा लोग भूख हड़ताल पर बैठे उसके बाद वहां के जिलाधिकारी और अन्य लोगों ने आश्वस्त किया कि आप आन्दोलन खत्म कर दीजिये हम इस पुल को बनवा देंगे। यहां से एक टीम भी गयी वहां सर्वे भी हुआ और यह हुआ कि पुल बन जायेगा लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे यहां लक्ष्मणपुर गांव है ब्लाक पलान में शाहजहांपुर जनपद का वहां पर सोंठ नदी का अगर पुल बनता है तो तमाम गांव उससे जुड़ेंगे और मैं पिछले तीन–चार वर्षों से मैंने जब एक सवाल यहां लगाया तो माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र से एक स्टेट हाई–वे निकला है 43 वह पूरा जनपद फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और बदायूं को जोड़ता है। पूरा जनपद शाहजहांपुर का भाग है वह मेरी विधान सभा क्षेत्र से निकलता है माननीय मंत्री जी ने उसमे हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए उसका कुछ हिस्सा स्वीकृत कर दिया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो 11 किलोमीटर का टुकड़ा स्वीकृत नहीं हुआ है और इस समय वहां उस टुकड़े को छोड़कर कार्य चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको भी स्वीकृत करने का काम करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जो कटौती प्रस्ताव रखा जाता है उसका कारण बताया जाता है कि विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। हम इन्हीं दो बातों के तहत अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आपका भाषण संक्षेप में रहे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपका आदेश सिर माथे। चूंकि एक जमाना था वर्ष 2004 में जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होता था, उससे ज्यादा आज पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग का बजट है, तो लाजिमी है कि सड़कें दिखेंगी ही और दिख भी रही हैं। आमदनी बढ़ी है, तब वर्ष 2004–05 में उत्तर प्रदेश सरकार का तैतीस हजार करोड़ रुपये का बजट होता था, आज तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये का बजट है। उसके अनुपात में यदि हम

बात करेंगे तो सड़कें दिख रही हैं। कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं, जो सड़कें दिख रही हैं वह और कैसे बेहतर दिख सकती हैं और उनमें क्या बेहतर सुधार किया जा सकता है। जैसे कि जो रिपेयर सड़कें होती हैं, पेवर मशीन से और मैनुअल से। मैनुअल से रिपेयर करने की कास्ट पेवर मशीन से ज्यादा आती है, लेकिन उसकी जो थिकनेस होती है वह करीब एक इंच होती है दबाने के बाद। मान्यवर, यह पुरानी नीति है। अब ट्रकें चालीस टन, पचास टन की सामग्री लेकर जाते हैं और जो ग्रामीण मार्ग है, वहां तक ट्रकें जाती हैं, सीमेण्ट, बालू, मौरंग, सरिया इत्यादि लेकर। वहां पर चार–पांच इंच की गिट्टी है और उसके ऊपर एक इंच का तारकोल है, तो ट्रकें उन सड़कों को खराब कर देती हैं। बिहार ने इसको सुधारा है और जो ऊपर का थिकनेस है, उसको दो इंच कर दिया है। तो वह मजबूती जो आपका ड्यूरेशन दो साल, तीन साल, पांच साल चलता है, तो वह बढ़ जाता है। ग्रामीण मार्गों के रिपेयर का जो आप द्वारा मानक रखा गया है, वह आठ साल का है, उसे कम कर देना चाहिये। आठ साल तक कोई सड़क नहीं टिक पाती है, उसे दो–तीन साल और कम कर देना चाहिये। हमारा एक सुझाव यह है। दूसरा सुझाव यह है कि गांव में जो छोटी सड़कें होती हैं, उसके टेण्डर्स होते हैं, वह टेण्डर्स तीस परसेण्ट लोवेस्ट तक जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है कि तीस परसेण्ट लोवेस्ट पर कैसे काम हो पाता है। मैंने अपने जिले के अधिकारियों से बात की कि तीस परसेण्ट, सत्ताईस परसेण्ट, अट्ठाइस परसेण्ट पर जितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, दो, तीन या चार किलोमीटर वाली नई सड़क उसका 27 परसेण्ट से कम कोई टेण्डर ही नहीं हुआ। तो वह बनती कैसे है, वह हम आप सब समझ सकते हैं। उसका कुछ मैकेनिज्म पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्रालय को निकालना पड़ेगा कि जब लागत ऐसे ही कम आ गई, तो फिर सड़क बनेगी कैसी। सड़क फिर अच्छी नहीं बनेगी और सड़क अच्छी बनती भी नहीं है, यह साल भर भी नहीं टिकती है। उसमें कहीं घास निकल जाती है, कहीं इधर टूट जाती है, तो कहीं उधर टूट जाती है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको देखें कि जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, उसका इतना लो टेण्डर न जाये और जिस कारण से काम खराब होता है, वह न होने पावे। तीसरी बात, मान्यवर हम सारे जनप्रतिनिधि हैं रोजाना गांव में रहते हैं, मैक्सिमम सड़कें वहीं पर टूटी मिलती हैं, जहां पर आबादी रहती है। आबादी के कारण पानी सड़क पर जाता है। जागरूकता सबसे जरूरी है। अब एक–एक इंच खेत में बुआई होती है, किसी के पास पलिया खेत जो होता था पहले, जो धान के समय छोड़ देते थे, अब कोई नहीं छोड़ता है। अब वह लोग घास निकालते हैं और सड़क पर इधर रख देते हैं और सड़क पर उधर रख देते हैं। एक बरसात के बाद वह मेड़ हो जाती है सड़क पर और जब बारिश होती है तो सड़क से पानी बहता नहीं है और सड़क पर रहता है, जिससे सड़क टूटती है। वहां भी ऐसी जागरूकता पैदा की जाये, हमने कई जगह पर यह करके देखा है और उसका असर भी हुआ है। कुछ लोग शुरू में नाराज होते हैं, लेकिन उसका फर्क पड़ता है और उससे सड़क की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि जब पैसा लेकर जाया जाये तो उसमें पब्लिक का इन्वालमेण्ट करा दिया जाये।

हमने अपने जनपद में, अपनी विधान सभा क्षेत्र में पब्लिक का इन्वालमेण्ट कराया भी है और पी0डब्ल्यू0डी0 से बोर्ड लगवाया है कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसमें कितना सामान लगेगा, गांव के लोगों से हम कह देते हैं कि अगर इतना सामान न लगाये तो तुम लोग जानो, अगर सड़क टूटेगी तो फिर हम नहीं जानते। कुछ लोग उसमें जागरुक होते हैं और वह खड़े होकर सड़क बनवाते हैं। मेरा कहना यह है कि जन भागीदारी से सड़कों की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। चौथी बात जो हम बता रहे हैं आपको कि छोटी सड़कें शासन स्तर से नहीं ली जाती हैं। वो दो किलोमीटर–तीन किलोमीटर से ऊपर की आती हैं, छोटी सड़कें जिला योजना में जाती थी। पहले साल आपने जो जिला योजना में दिया जैसे हमारे जनपद देवरिया में चालीस करोड़ रूपये जिला योजना में सड़कों का था, पहले साल तो पूरा दिया, एक विधायक के जिम्मे पांच–छह किलोमीटर की सड़क आ जाती थी, उसके बाद जिला योजना गया और वह पैसा वापस आ गया। दो करोड़ रुपया सड़कों का रहा, एक विधायक के हिस्से में सिर्फ पच्चीस–पच्चीस लाख रुपये आये, तो अब जिले में छोटी सड़कें बन नहीं रही हैं और यहां से सड़कें पास नहीं हो रही हैं, तो इसकी कैसे फिर आप व्यवस्था करेंगे, यह सरकार को सोचना होगा कि वह जो छोटी सड़कें हैं जिनका बनना जरूरी है, आवश्यक हैं, वह भी बने। एक और बात है मान्यवर कि जो सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं, उसका पी0डब्ल्यू0डी0 ने एक डाटा बैंक बनाया है, उसको जी0टू0आई0 या कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी सड़कें ऐसी हैं क्षेत्र में जो कि छूटी हुई हैं, जो चक रोड हैं, खड़न्जा हैं, लेकिन उसमें लिस्टेड नहीं हैं और पी0डब्लू0डी0 के लोग उन्हीं सड़कों की लिस्ट बनाये हैं जिसकी उन्होंने पिच बनाई है। हमारा अनुरोध है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि जनप्रतिनिधियों से उन सारी सड़कों की सूची ले लें और वह सूची विभाग को दे दें, विभाग उसका सर्वे करा ले और उन सड़कों का जिक्र वह अपने डाटा बैंक में कर लें और सहूलियत के हिसाब से धन जब आता रहे, तो उसका निर्माण करा लें। क्योंकि वह उन्हीं सड़कों को सड़क मानते हैं जिसको कभी पी0डब्लू0डी0 ने बनाया है। एक और समस्या है मान्यवर, जो पहले सड़कें आर0ई0एस0 ने बनाई है या कई और विभागों ने बनाई हैं, जैसे मंडी सड़क बनाती है तो वह उसका मेंटीनेंस कर देती है लेकिन उन सड़कों का मेंटीनेंस पी0डब्लू0डी0 नहीं करता है, उसकी बड़ी समस्या है चुपके–चुपके कुछ सड़कों का पी0डब्लू0डी0 में नाम चढ़वा दिया गया है, लेकिन उसमें भी सरकार यह व्यवस्था करे कि दूसरे विभाग द्वारा जो बनी पुरानी सड़कें हैं उस विभाग के पास अब बजट नहीं है, उनके पास अब वह स्कीम नहीं है तो वह सड़कें पी0डब्लू0डी0 ले और हर विधान सभा क्षेत्र में 5–10 सड़कें ही ऐसी हैं जो इस श्रेणी की है। चौथा सुझाव, पी0एम0जे0एस0वाई0 में पिछले यू0पी0ए0 सरकार के समय दो परियोजनायें स्वीकृत हुयी। हमने पिछले साल नियम–56 में प्रश्न उठाया था, तब पहली किश्त मिली थी उसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया।

नियम–56 में हमने विषय लगाया था तो कुछ व्यवस्था करके आप लोगों ने पैसा दिया है लेकिन सेकेंड फेज का जो कुछ काम शुरू भी हुआ था वह योजना ही निरस्त

कर दी गयी, उसके जो अवशेष काम है और जो पहले प्रोजेक्ट था उसके जो अवशेष काम हैं जैसे देवरिया में हर ब्लाक में एक–एक दिया था पूरे प्रदेश में हर ब्लाक में एक–एक दिया था। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 6 सड़कें हैं चार बन गयी, दो उसमें अवशेष हैं जो बाकी वाली योजना थी उसकी मैक्सिमम अवशेष हैं तो उन सड़कों हेतु या तो केन्द्र से पैसा लें या अपने पास से बनवाये। हमारे माननीय राज्य मंत्री जी ने खुद ही बताया है कि पी0एम0जे0एस0वाई0 की सड़कों की समस्या है तो जनता को उस समस्या से निजात दिलावें कि वह सड़कें भी बन जायें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने पी0डब्लू0डी0 जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पी0डब्लू0डी0 विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। विकास का पैमाना सड़कें हुआ करती हैं यदि विकास की गति नापनी है तो सड़कों से विकास की गति नापी जाती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास ठप्प है, सड़कें टूटी हैं और जैसा अभी कहा गया कि नई सड़कों का निर्माण हो नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को दो तीन सुझाव देना चाहता हूं और अपने विधान सभा क्षेत्र की दो तीन समस्यायें बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के विधायकों का काम है जनता से जुड़ी सड़कों को बताना और माननीय मंत्री जी का काम है उन सड़कों की मरम्मत कराना, उनका निर्माण कार्य कराना, यह सत्ता पक्ष का काम है। माननीय अध्यक्ष जी, दो तरह की सड़कें होती हैं एक स्टेट सेक्टर की सड़कें और दूसरी डिस्ट्रिक्ट प्लान की सड़कें। जिला योजना की सड़कों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति बनी है, राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनी है अनुश्रवण समिति की बैठक तीन माह में होती है और राज्य स्तर पर छः माह में होती है।

यदि इन अनुश्रवण समिति की बैठकों को ठीक से कर दिया जाय और शासन स्तर पर जो कार्यवाही होनी चाहिये, उसको कर लिया जाय तो जो शासन चाहता है जिन सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिये तो यह हो जाता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि जिला योजना में सड़कें जा नहीं रही हैं जो जानी चाहिये और आज पी0डब्लू0डी0 का बजट है और परम्परा यह रही है कि जब पी0डब्लू0डी0 का बजट आता है तो हमेशा कुछ न कुछ सड़कें माननीय मंत्री जी माननीय विधायकों को देते हैं तो आज सम्पूर्ण सदन को जितनी सड़कें अपनी इच्छा से निर्माण करने के लिये कि इतने किलोमीटर सड़क हम घोषित कर रहे हैं तो वह दें, इससे अच्छा संकेत जायेगा और माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क बनी है रमपुरा से सिरौली तक वह अभी गारंटी में है और सुधार का रुपया भी है लेकिन ठेकेदार मरम्मत नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि उस सड़क की मरम्मत करा दी जाय दूसरा एक कैलाश गिर आश्रम है वहां रामगंगा नदी पर प्लाटून पुल बना है वहां कुछ साल पहले एक नाव डूब गई 18 लोगों की मृत्यु हो गई, वहां पर पुल बनवा दिया जाए। गोरा हेमराजपुर और भूड़ा बसन्तपुर पर एक पुल बन रहा है जो पांच साल से निर्मित है उसको अभी बजट नहीं दिया गया है जिसके कारण पुल

अधूरा पड़ा हुआ है मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उस पुल के लिए बजट दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद–

मान्यवर, मैं जनपद सन्तकबीर नगर के मेहदावल विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सराहनीय है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में तमाम सड़कों पर काम हुआ है मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 2011–12 में बसपा की सरकार में एक पुल का निर्माण हो रहा था, वह वर्ष चुनावी वर्ष था इसलिए बसपा सरकार ने वोट लेने के लिए नींव डाल दिया कि हम इसको बनवा रहे हैं, मान्यवर, उसके लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया है इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बसपा सरकार में जो नींव डाली गई थी उस पर अलग से बजट देकर उसका निर्माण कराने की कृपा करें। जनपद सन्तकबीर नगर के मेहदावल विधान सभा क्षेत्र में आमी नदी पर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली तहसील मेहदावल की सड़क पर बहुत पुराना पुल बना हुआ है मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर एक नया पुल बनाया जाए।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे क्या हुआ वह मंत्री के साथ–साथ एक विधायक भी तो हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत सराहनीय है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी मा0 राणा जी ने लोक निर्माण से सम्बन्धित तमाम बिन्दुओं पर अपने विचार रखे। चूंकि हम लोग पूर्वांचल की धरती बलिया से आते हैं इसलिए हम बात बलिया की करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपया आपने बलिया जनपद को दिया इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। पैसा आपने दिया इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जिस पैसे का सदुपयोग जनता के बीच में होना चाहिए था वह वहां न होकर ऐसी–ऐसी सड़कों पर पैसा गया है जिस पर गाय और भैंस भी चलने का काम नहीं करते हैं। यानी कि वह पैसा पब्लिक के हित में कम बलिया के ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों के हित में ज्यादा गया है इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसमें मा0 मंत्री जी का कोई दोष नहीं है बल्कि विभागीय अधिकारियों का दोष है। दो चार उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि विशेश्वरगंज पी0डब्लू0डी0 मार्ग से उजियार पी0डब्लू0डी0 मार्ग लेपन कार्य 01 करोड़ 33 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए निकल गया है गिट्टी पड़ा हुआ है दो साल से आज तक काम नहीं कम्प्लीट हुआ है। फेफनागड़वार

मार्ग चांदपुर से नवादा तक का मार्ग 97 लाख रुपया, टेण्डर हुआ, 20–25 लाख निकल गया लेकिन काम कम्प्लीट नहीं हुआ। इसी तरह से बहादुर पुर नई दलित बस्ती से औदी जगदीश पुर पिपिरयाना मार्ग 01 करोड़ 34 लाख, इसमें भी पैसे का कुछ भुगतान हो गया है बाकी काम अधूरा है। इसी तरह से ग्राम सभा पिपराकलां जो पचगांवा का है गोकुल के बगीचे से बहादुरपुर तक के पुलिया और एप्रोच मार्ग, लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए का है। इसी तरीके से त्वरित योजना में विकास खण्ड सोहांव अन्तर्गत एन0एच0–31 बसन्तपुर पॉवरहाउस से कोठया सिंदुरिया मार्ग तक 2 करोड़ रुपए का काम, इस पर भी गिट्टी डाल करके मऊ का ठेकेदार पैसा ले करके भाग गया है और यही स्थिति विकास खण्ड गडवार अन्तर्गत गडवार सुखपुरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग का है लगभग 1 करोड़ 50 लाख। इस तरीके से यदि देखा जाए तो मा0 मंत्री जी ने पैसा बहुत दिया है। इनका कसूर नहीं है। हमारे यहॉ दो–दो ब्रिज दिये हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सदन से कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम लोग चुनाव जीतकर इस सदन में आये हैं, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो पुरानी सड़कें हैं, अगर इस साल की नई सड़कों की बजट को रोकना हो तो रोक दीजिए लेकिन जो पुरानी पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं उनको चलने योग्य, मरम्मत करके उसको बनवा दिया जाये। फेफना विधान सभा क्षेत्र में लगातार 05 साल से हम लोग देख रहे हैं और 23 वर्षों से वहां कुछ नहीं हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज भी 23 वर्षों के अंदर जो वहां पर सड़क का निर्माण हुआ है, कागज में पैसे का भुगतान हुआ है कभी जगह पर नहीं हुआ है। जिसका जीता जागता उदाहरण यह सदन है और पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारी हैं। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति की मातृभूमि और उसकी ससुराल सबसे प्रिय होती है और जिस व्यक्ति ने वहां पर 23 वर्षों से प्रतिनिधित्व किया है आज अपनी मातृभूमि की सड़क ठीक नहीं करा पाया हो, अपनी ससुराल की सड़क ठीक नहीं करा पाया हो तो फेफना विधान सभा की सड़कें कहां तक ठीक होगी इसका अंदाजा यह सदन लगा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट का समय दे दें, दो–तीन समस्या है, उसको रख दूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी जब पिछली बार मंत्री थे यही जगह है हमारे यहां एक पुल का थम्मनपुरा में निर्माण किया था। इसी सदन में 2012–13 में हम लोग आये हुए थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि किसी भी विधायक और मंत्री के परिवार का कोई व्यक्ति अगर ठेकेदारी करेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

उपेन्द्र तिवारी जी, अब आप समाप्त करिये। माननीय तेज पाल सिंह जी, आप प्रारम्भ करिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मैं कहना चाहता हूं कि अभी आज तक थम्मनपुरा का पुल कम्पलीट नहीं हुआ। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी कुछ दिनों पहले एक शादी समारोह में शिरकत करने गये हुए थे, पुल कागज में देखेंगे तो तिरछा है लेकिन वहां पर इन्दिरानगर से बड़ी कॉलोनियां हैं बन गयी है पुल के पैसे से।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठो। तेजपाल सिंह जी आप बोलेंगे कि दूसरे को बुला लें।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह मानने वाले नहीं हैं इतनी आसानी से। तेज पाल सिंह जी आप बोलिये, अब उपेन्द्र तिवारी का लिखा नहीं जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी,..

(श्री उपेन्द्र तिवारी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लिख करके मंत्री जी को दे दीजिए, अब बैठ जाईये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय मंत्री जी को बाबा भोले शंकर के रूप में देखते हैं, इनके पास इस सदन को कोई भी मा0 सदस्य जाता है चाहे किसी भी राजनैतिक दल का हो, अपनी बात दृढ़ता से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहता है और वह सहृदय सुनते भी हैं। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप बाबा भोलेशंकर के अवतार हैं तथा यह अंतिम वर्ष है कम से कम 10–10 कि0मी0 की सड़क विपक्ष से लेकर सभी विधायकों को दे डालिये ताकि कम से कम 2017 में सभी विधायक इस सदन में पुनः पहुंच सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, आपने बड़े महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक–दो सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में दे दीजिए।

श्री तेजपाल सिंह–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का बहुत ही होशियारी से और बड़ी सूझबूझ से इस बजट को माननीय मंत्री जी लाये हैं। मेरे केवल दो सुझाव हैं और इन सुझावों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं उनसे पीड़ित हूं। दो स्टेट– हरियाणा और राजस्थान मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगती है और भी हमारे साथियों के क्षेत्र लगते होंगे। इसमें खासतौर से मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि जो विलेज रोड, स्टेट से स्टेट को जोड़ती है अपनी सीमा में कम से कम उनको जरूर दुरुस्त करा दें क्योंकि जायें तो वहां पर हमें लाचारी न झेलनी पड़े। राजस्थान में जांए तो कहा जाए कि यह देखिए साहब आपकी सड़क और हमारी सड़क, देख लीजिए। हरियाणा में जांए तो हमारी और आपकी सड़क देख लीजिए। तो इसमें मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी बहुत समझदार हैं इसमें जरूर कोई न कोई ऐसा निर्देश देंगे कि जो विलेज रोड से जुड़ी हुई हैं उनका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं यह चाहूंगा कि आप बहुत होशियार भी हैं, निर्देश भी देंगें अधिकारियों को कि मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में जो लीपा पोती होती है उसमें निश्चित रूप से ऐसी मॉनीटरिंग कराई जाय जिसकी वजह से पैसे का दुरुपयोग न हो पाये यह बहुत आवश्यक है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मान्यवर, अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सड़क का जितना लोड फैक्टर है उससे ज्यादा भारी लोड जब देहात की सड़कों पर आ जाता है। नेशनल हाई–वे से बहुत सा ट्रैफिक जो बहुत सा लोड लेकर चलते हैं और गॉवों की सड़कों पर उतर जाते हैं और गांवों की सड़क पर उतर कर हमेशा होता क्या है यह लोड फैक्टर वाले जो ट्रक है और बड़े बड़े ट्रोला वाहन हैं वह चोरी करके टैक्स की, हरियाणा का टैक्स चुरायेंगे, राजस्थान का टैक्स चुरायेंगे और गांव की सड़कों पर आ जायेंगे और माननीय अध्यक्ष जी उसका हश्र यह होता है कि 15 दिन में वह सड़कों को उखाड़कर बराबर कर देते हैं। वह उनके मतलब की सड़क तो है ही नहीं वह तो विलेज रोड है। नेशनल हाई–वे के वाहन को वह कहां से झेलेगी। इन पर भी विशेष रूप से इसमें कोई ऐसी पाबंदी लगाई जाय जिससे वह भारी वाहन ट्रौला जो बड़े बड़े पत्थरों को भर कर लाते हैं, विलेज रोडों को तोड़ देते हैं उनको रोका जा सके। यह मेरा सुझाव है।

(सदस्य श्री सत्यवीर मुन्ना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे मुन्ना तुम बैठो। अभी अंड बंड बोलने लगोगे।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज लोक निर्माण विभाग का मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी कि विपक्ष का काम आलोचना करना, सम आलोचना करना। लेकिन एक बात यह दृढ़ सही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार जो पिछली थी और माननीय अखिलेश

यादव की जो सरकार वर्तमान में है इसमें सड़क, बड़े और छोटे नदियों नालों पर पुल की संख्या जोड़ ली जाय तो केवल दो सरकारों के पुल और सड़क के काम 1952 से 2012 के बीच में जितनी भी सरकारें रही हैं उससे दस गुना न हो जाय तो आप जैसा विपक्ष कहे हम मानने के लिये तैयार हैं। सड़क बनी हैं, पुल बने हैं और सड़क भी बेहतर तरीके से बनी है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, उनका सुझाव ठीक है, बलिया से आते हैं। बलिया की कोई सड़क ऐसी है जो दिल्ली और लखनऊ से बेहतर सड़क न हो। चाहे सियर से सिकन्दरपुर मनियर बांसडीह रेवती लालगंज, बलिया से सिकन्दरपुर, रसड़ा से सीयर मऊ से बलिया ऐसी सड़क कभी आपने देखा है उपेन्द्र तिवारी जी अपनी जिन्दगी में। मैं कहता हूं श्रीमन्, कि इस वक्त जितना पूर्वांचल में, मैं पश्चिमांचल की बात पर बाद में आऊंगा। पूर्वांचल आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बलिया, मऊ हम लोगों ने पूरी जिन्दगी में ऐसी सड़क कभी नहीं देखी थी। मान्यवर, यह सदन है, सदन में आप अध्यक्ष हैं, आप इस बात को जानते हैं कि सदन में जो बात कही जाय वह सही कही जाय। श्रीमन्, आप गवाह हैं कि अगर विधायक क्वैश्चन करते करते थक जाता था और सरकार उसका सही उत्तर नहीं दे पाती थी और जब सदस्य कहता था कि माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात को सही मानकर जांच करायेंगे तो सरकार मजबूर हो जाती थी। सदन में सही बात कहिये। मैं कहता हूं कि इस बार जितनी सड़कें बनी हैं कोई सरकार के बूते की बात नहीं है। और इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। कोई काम करके सरकार 5 वर्ष में पूरे प्रदेश को कैसे सैचुरेट कर सकती है। कोई सरकार है जो 5 साल में पूरे प्रदेश को सैचुरेट कर दे। जैसी पिछली बार, बुरा मानने की बात नहीं है। होता है कि जो सड़क पुल हम बना रहे हैं अगर संयोग से दूसरी सरकार आ जाय तो गिट्टी बालू वहां से उठा लेते हैं, यह सही नहीं है। अगर काम प्रारम्भ है और दूसरी सरकार आ जाती है तो उन अधूरे कामों को पहले करा लो। हमारी सरकार पिछली सरकार के अधूरे काम को कराने को प्राथमिकता देती है और नये काम करा करके एक ऐतिहासिक काम किया है इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल तो पहले से विकसित है बलिया जो सैनानियों का गढ़ रहा है बलिया जो हिन्दुस्तान में सबसे पहले आजाद हुआ बलिया को आज तक जितनी भी सरकारें रहीं किसी ने देखा नहीं लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव दोनों सरकारों में मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी ने पूर्वांचल के लोगों की पीड़ा को समझा और इतने बढ़िया सड़कें और पुल कि इतिहास कायम हो गया, पूरे प्रदेश में इतिहास कायम हो गया (मेंजें थपथपाई गईं) माननीय उपेन्द्र तिवारी जी ने आरोप लगा दिया कि सड़क बनती है तो अम्बिका चौधरी के गांव वाली, बढ़िया सड़क बनी थी टूट गई और फिर बनने जा रही है यह परम्परा है मान्यवर, जो सदस्य सदन में न हो उसको परोक्ष रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है। माननीय शिवपाल जी ने और मुख्य मंत्री जी ने मिलकर के प्रदेश को चार चांद लगा दिए सड़क और पुल में, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। (शोर)

'श्री जयप्रकाश निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी पी0डब्लू0डी0 के कट मोशन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मैं माननीय राणा जी के पी0डब्लू0डी0 पर रखे गए कट मोशन पर बल देता हूं। मान्यवर, आज पी0डब्लू0डी0 विभाग का जो बजट पेश हुआ उस पर कट मोशन रखा जा रहा है। कट मोशन का मतलब है सुझाव देना, आलोचना करना, यह विपक्ष का काम है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम विपक्ष करता है। मैं बताना चाहता हूं अभी हमारे मंत्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे आप हमारे गोरखपुर से बगल के बलिया जिले के हैं। बिल्कुल सही बात है कि माननीय नेता जी ने बहुत सारे नदी नालों पर पुल बनाने का काम किया लेकिन आज भी कुछ ऐसे पुल हैं जिनका एप्रोच नहीं बन पाया है और पुल का आवागमन नहीं चालू हो पाया। हमारे यहां कई बार से विधायक रहे उनके कार्यकाल में जो पुल बन रहा था, आज भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल का पुल आज तक अधूरा है। घटुली घाट जो हमारे क्षेत्र में आता है राजधानी से नई बाजार को जाने का कोई रास्ता नहीं है उसमें बीच में ऐसा पुल बना है कि न तो इस पार एप्रोच है और न उस पार एप्रोच है हम लोगों ने उस पुल के बारे में नियमों में सूचना लगाकर जांच कराई जांच में पाया गया कि पुल चलने के काबिल नहीं है तो मैं तो इस बात पर जरूर बल देता हूं कि ऐसा काम जरूर हुआ है लेकिन आज जो सड़क की बात हो रही है, सड़क तो बनाया, माननीय मंत्री जी की कमी नहीं है, माननीय मंत्री जी ने हमेशा प्रयास किया है लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से और जो वहां सड़कें बनाई गई हैं एक साल नहीं बीतता है सारी सड़कें उखड़कर बराबर हो जाती हैं। आज उसको देखना है किसी भी माध्यम से, उसकी जांच कराई जाए मेरे क्षेत्र में सड़कें बनाई गईं उसका क्या हाल है एक साल भी नहीं बीता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

वह सड़क बिल्कुल खराब हो गई। सोनबरसा से सिद्धार्थनगर की पूरी सड़कें उखड़ गईं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग चाहो तो सिंचाई और पी0डबलू0डी0 पर बहस करा लो बाकी सारे बजट पास करा दें नहीं तो आज 12.00 बजेगा।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो काम हो रहे हैं वह सराहनीय हैं लेकिन जो काम हो रहे हैं उनकी मानीटरिंग भी होनी चाहिए और वाच किया जाना

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अब्दुल मशहूद खां–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंत्री जी के कंधों पर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी ने 24 घण्टे में 20 घण्टे जागकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक विकास की किरण पहुंचाने का काम किया है। मंत्री जी को अगर मैं विकास पुरुष कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सड़कों का जाल बिछा दिया है जितना पुलों का निर्माण हुआ है आदरणीय राम गोबिन्द चौधरी जी अभी कह रहे थे कोई गलत बात नहीं थी अगर दोनों कार्यकाल की तुलना की जाय और सरकारों से तो सब पर भारी होगा। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया पहली बार नहरों में टेल तक पानी पहुंचा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिंचाई मुफ्त कर दी। इसके लिए हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं साधुवाद देते हैं। आज लखनऊ में गोमती नदी पर जो काम हो रहा है बहुत ही सराहनीय काम है आज विश्व लेबिल पर गोमती नदी का सुन्दरीकरण हो रहा है इससे लखनऊ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बलरामपुर से आता हूं हिमालय की तलहटी से आता हूं हमारा क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है हमने मंत्री जी को जितनी सड़कों को लिखकर दिया कोड़रीघाट के पुल से लेकर हरैया चौधरीडीह के चौड़ीकरण उच्चीकरण से लेकर मंत्री जी ने सब एक कलम में पास कर दिया। हमारे यहां एक पहाड़ी नाला खरजाह है वहां बहुत तेज पानी का बहाव रहता है बार बार टूट जाता है वह हम मंत्री जी को लिखकर दिए हैं वह भी हो जाएगा आपने बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बिमला सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे भी दो मिनट का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

लिखकर दे दीजिए।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी अगर सड़क है तो विकास है। जहां सड़क होगी वहां उद्योग आएंगे और उद्योग आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मैं मानता हूं कि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है मैं यह भी समझ सकता हूं और इधर बैठे हुए लोग जो पहले सत्ता में थे वह लोग भी जब मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है तो मैं भी सोचता हूं कि विश्वास कर लूं आख बंद करके ही कर लूं लेकिन जब अपने क्षेत्र की ओर देखता हूं देखता हूं कि

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

पानीपत खटीमा मार्ग से जो दिल्ली यमुनोत्री मार्ग को जो रास्ता जोड़ता है बुटरारा, बाबरी और भीनपुलिया तक जो जाता है अध्यक्ष जी उसका इतना बुरा हाल है मैंने कई बार लिखकर अनुरोध किया लेकिन वह रास्ता नहीं बना मैं भी चाहता हूं भले ही विपक्ष में हूं चाहता हूं कि तारीफ करूं सुना है बहुत काम किया है अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र में गांव से गांव को जोड़ने वाले रास्ते आज भी पचास फीसदी खराब हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं और कटौती का प्रस्ताव रखते हुए राणा जी ने भी कहा मैं भी कहना चाहता हूं दिल्ली यमुनोत्री मार्ग हमारे रिस्तेदार भी उस मार्ग को देखकर हमारी मजाक उड़ाते हैं। ससुराल वाली बात मैं नहीं कर रहा। उस मार्ग को देखकर लोगों का दिल दुखता है इतना महत्वपूर्ण मार्ग है दिल्ली से जाता है सामली होते हुए सहारनपुर होते हुए उत्तरांचल को जोड़ता है हरियाणा भी जाता है अध्यक्ष जी सरकार जब योजनाएं बनाती है तो लगता है कि कुछ न कुछ होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करो।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से ध्यान दे और मेरे क्षेत्र में केराना बाईपास जो हरियाणा को जोड़ता है आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं केराना बाईपास की मरम्मत होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाएं मैंने अनूप गुप्ता को बुलवा लिया है। पश्चिम के सुरेश राणा जी ने सब बता दिया है।

श्री पंकज कुमार मलिक–

अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं काफी सीनियर हैं लेकिन हमारे साथी भाई पवन जी ने जो कहा उनके बारे में एक ही बात कहूंगा गड्ढे दिखाई देते हैं अच्छा परिवार है राजनीतिक परिवार है बहुत काम करते हैं मैं मानता हूं लेकिन सड़कों के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा किसी ने क्या खूब लिखा है तू करले हिसाब अपने हिसाब से लेकिन वक्त आएगा जनता हिसाब करेगी अपने हिसाब से। धन्यवाद।

'श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लोक निर्माण विभाग का जो बजट आया है, यह एक अति सुन्दर बजट, प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट और मैं कह सकता हूं कि वह गांव–गली, वह कूंचे जहां पर किसी प्रकार की समस्या होती है उसको दूर करने का काम करने वाला बजट है। हमारे साथी मा0 राणा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि हजारों किलोमीटर की रोडें ऐसी हैं जो नहीं बन पा रही हैं। वह रोडें नहीं बन पा रही हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

चयनित हैं और उनको हम किसी अन्य योजना में नहीं ले जा सकते हैं। यह बात मैं मान सकता हूं कि वहां पर किसी भी योजना से हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वह या तो कट कर दी जायें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से यह उस गांव को डिलीट कर दें तो हम किसी अन्य योजना में डालकर उन रोडों को बनवा सकते हैं। हम एन0एच0–24 पर रहते हैं, आप सीतापुर से बरेली तक जाकर देखिये। रोडें क्यों खराब हो रही हैं यह मैं बताना चाहता हूं। मैं सरियामऊ के लिये एक आर0ओ0बी0 की मांग करता हूं।

(सदस्य, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या तथा श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 महिला सदस्या को बजट पर बोल लेने दीजिये। यह मेरे विवेक पर निर्भर है कि कौन बोलेगा। मा0 बिमला सिंह सोलंकी जी, दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रदेश के विकास का मूल्यांकन उस प्रदेश की सड़कों के आधार पर होता है। चूंकि मेरे क्षेत्र की समस्या है इसलिये मैं तो उसी के विषय में कहूंगी। हम लोग बार–बार अपनी सड़कों के विषय में कह रहे हैं और मुझे कहते हुये लगातार 4 साल हो गये और बार–बार एक ही जवाब मिलता है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अपने क्षेत्र की कुछ सड़कों के संबंध में मैं पिछले चार सालों से लगातार उठा रही हूं और उसके संबंध में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह आखिरी साल है और इस साल कम से कम इस बात की सुनवाई कर लें। सिकन्द्राबाद ककोड़ मार्ग से हसनपुर बकसुवा संपर्क मार्ग है जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है उसका पुनः निर्माण करवाने की कृपा करें। सिकन्द्रबाद ककोड़ से भौखेड़ा होकर महेपा संपर्क मार्ग, सिकन्द्राबाद खुर्जा मार्ग से नगला बड़ौदा संपर्क मार्ग, यहां पर किसान एजीटेशन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। गुलावटी बुलन्दशहर मार्ग से चन्दन की मढ़ैया संपर्क मार्ग, चांगौली मोड़ हुसैनपुर संपर्क मार्ग से वैलाना संपर्क मार्ग, गुलावटी से बरमदनगर समकौला होकर बागवाला संपर्क मार्ग, यह 8 किलोमीटर लम्बा मार्ग है और यहां पर किसान यूनियन वाले आंदोलन कर रहे हैं, चलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर मार्ग से अमीनगर संपर्क मार्ग, झाझर ककोड़ मार्ग से शेरपुर मार्ग, छपरावत से विलायत नगर, नहर की पटरी से सुनपेड़ा होकर हुसैनपुर चौराहे तक, चांगौली मोड़ से अजय नगर, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके विभाग में इसकी फाइलें लम्बित हैं, कृपया इन्हें स्वीकृत करने की कृपा करें। नोएडा से बुलन्दशहर जाने वाले वाहनों की वजह से सिकन्द्राबाद में जाम

लग जाता है, इसलिये मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि दनकौर रोड से बुलन्दशहर रोड़ तक बाईपास का निर्माण कराया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सोलंकी जी, अब आप समाप्त करें। आप लिखकर दे दीजिये, हम जुड़वा देंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें बनवाई जाती हैं वह साइडों से टूटने लगती हैं। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि कम से साइडों पर यदि ईंटों का खड़ंजा लगवा दिया जाये तो वह जल्दी नहीं टूटेंगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग, जिस पर श्री सुरेश राणा जी ने जो कटमोशन रखा है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, सड़कों की बात होती है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात होती है, मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि यदि गति को दूना किया जाए तो विकास तीन गुना होगा। मैं गर्व के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेस–वे अगर बना तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिल्ली से आगरा तक का एक्सप्रेस–वे बनाने का काम किया। चाहे दूसरा एक्सप्रेस–वे बने, तीसरा एक्सप्रेस–वे बने, लेकिन एक विजन लेकर हमारी नेता आयीं। अध्यक्ष जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं, 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, नेता जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी, सीतापुर से बहराइच को जोड़ने वाला चहलारी घाट पुल का शिलान्यास किया गया था लेकिन आज अफसोस के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि 03 बार, 04 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी आज तक पुल वैसे का वैसे खड़ा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस पुल को तुरन्त मुकम्मल कराया जाए और हमारे क्षेत्र में 04 गांव हैं, बसावट, जिनकी आबादी 5–5 हजार है, आज तक उनको सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया, अध्यक्ष जी, उनको सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए। बहुत हो गया। लगभग 02 घण्टे पी0डब्ल्यू0डी0 पर चर्चा हो गयी।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों का, पुलों का और पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा जो आवास बनाये जाते हैं, उनकी बहुत ही आवश्यकता है। सड़कों की भी आवश्यकता है, पुलों की भी आवश्यकता है और आवास भी अच्छे बनें तो यह प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने पुलों को भी, सड़कों को भी और आवासों को भी बहुत ही प्रमुखता से लिया है और आवास के सम्बन्ध में लखनऊ में जो हाईकोर्ट बना है, इतिहास में शायद ऐसा पहला है और इसके साथ–साथ जो भी मेडिकल कालेज बन रहे हैं और यहॉ पर अभी मिनी सचिवालय भी बन रहा है। जय प्रकाश नारायण अध्ययन केन्द्र से ले करके जो भी काम हो रहा है, आवासों का, यहां तक कि पी0डब्ल्यू0डी0 के जितने भी गेस्ट हाउस थे, हमारी सरकार के बनने से पहले उनकी क्या हालत थी और उन पी0डब्ल्यू0डी0 के गेस्ट हाउसों में क्या–क्या होता था और कौन–कौन करते थे ? तो उनको भी मैंने ठीक कराया है। अध्यक्ष जी, सड़कों के बारे में तो शायद कोई जिला ऐसा बचा नहीं है, हम जानते हैं कि विपक्ष का काम है, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करिए, लेकिन कुछ तो सच बोलिए और सड़कों के बारे में बहुत लम्बी सूची है और समय कम है। अगर सड़कों को हम गिनाना चाहें तो सभी सदस्यों का समय सड़कों को गिनाने में चला जायेगा। वैसे तो हम मुख्य–मुख्य सड़कें गिना देते हैं। बहराइच से भिनगा 31 किमी0, इसका चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हो चुका है। हमीरपुर से काल्पी मार्ग, 52 किमी0, मूरतगंज से मंझनपुर 18 किमी0, जोआ से अमरोहा मार्ग 06 किमी0, मुरादाबाद से संभल मार्ग 33 किमी0, बरेली से अल्मोड़ा मार्ग 54 किमी0, वाराणसी से शक्तिनगर मार्ग 92 किमी0, लखनऊ रिंग रोड 22 किमी0, जनपद औरैया से बिधुना रामपुर हरचन्दपुर 21 किमी0, जनपद वाराणसी से मुगलसराय केंट मार्ग 11 किमी0, जनपद वाराणसी में पेड़ाउ से कठपेड़वा मार्ग 11 किमी0, हापुड़ की शहरी भाग 10 किमी0, और इसके अलावा इटावा मैनपुरी कुरावली मार्ग 89 किमी0, बरेली बदायूं मार्ग 43 किमी0, मेरठ करनाल मार्ग 87 किमी0, भदोही कठरा कपसेठी मार्ग 48 किमी0, उरई जालौन मार्ग 29 किमी0, उरई मोहाना मार्ग 21 किमी0, आगरा से शमसाबाद 26 किमी0, जनपद मथुरा में गोबरधन बाईपास 12 किमी0, कन्नौज से तिरवा मार्ग 16 किमी0, उन्नाव से शुक्लागंज मार्ग 13 किमी0, मुजफ्फरनगर बाईपास 07 किमी0, फैजाबाद अकबरपुर बसखारी मार्ग, छिबरामऊ सौरिख बिधुना मार्ग, आजमगढ़ से मऊ मार्ग, भदोही से मिर्जापुर मार्ग 41 किमी0, गोरखपुर से देवरिया मार्ग, देवरिया से सलेमपुर मार्ग, नरेली से कालिंजर मार्ग, इलाहाबाद जौनपुर आजमगढ़ मार्ग, कासगंज एटा मार्ग, यह सब स्वीकृत हो चुके हैं। इन पर काम बहुत तेजी के साथ है। गोण्डा जरवल सीतापुर लखीमपुर मार्ग, लखनऊ सण्डीला मार्ग, शाहजहांपुर हरदोई मार्ग, गोरखपुर महराजगंज मार्ग। यह हैं दस मीटर के मार्ग और अगर इसके अलावा हम सेतुओं को जिलेवाइज गिनाना शुरू कर दें तो बहुत समय लग जाएगा। सेतुओं का संक्षेप में बता रहे हैं। जो अभी सच नहीं बोलेंगे तो उनका काम रुकवाना ही पड़ेगा। (हंसी)। राणा साहब, मेरठ से करनाल रोड गये थे कभी। मुझे तो जाने का मौका मिला है और 2011 में मुझे सहारनपुर जाने का मौका

मिला है। क्या हालत थी सड़कों की, सहारनपुर कहीं से पहुंचा जा सकता था ? देवबंद कहीं से पहुंचा जा सकता था और अब तो पहुंचा ही जा सकता है। मुजफ्फरनगर से भी चले जाओं किधर से भी सहारनपुर चले जाओ। कम से कम जाने लायक तो कर दिया है। उस समय तो जा भी नहीं सकते थे। अब तो कहीं से भी जाओ। देवरिया के मा0 सदस्य बैठे हैं बताइये। सड़कें बनी कि नहीं बनी ? (विपक्ष के कई सदस्यों के हां कहने पर) । बताइये, बलिया के मा0 सदस्य पूछना चाह रहे थे। टी0 राम बैठे हैं, यह तो इंजीनियर इन चीफ भी रहे। मेरे साथ भी काम किया है और बीच में सुश्री मायावती जी के साथ भी काम किया है। बनारस में जहां से प्रधानमंत्री जी हैं। हम अगर वहां की सड़कें नहीं बनाये होते तो वहां की सड़कों का क्या हाल होता। बनारस जैसे शहर में चलना दूभर था। और यहीं पर पुलों के बारे में, वैसे तो देखिये अभी हमने राजमार्ग और जिला मार्ग और इन पर हमने अभी 11686 किमी0 चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का काम करा दिया है और जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन पर हमने काम करा दिया है 38812 किमी0 और ग्रामीण मार्ग हैं 01 लाख 40 हजार किमी0, अगर इसी तरीके काम शुरू में हुआ होता, अब हम तो करा चुके और 19 हजार किमी0 मुझे अभी कराना है मई, जून तक, अगर इसी तरीके से काम हुआ होता तो सड़कें खराब नहीं होती, इस पर क्यों नहीं जाते हो, सड़कें खराब नहीं हो सकती थीं। अब आपका तो रुकवा ही देना है, अब मांगना भी नहीं आप।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी–

नहीं, आपसे पहले तो काम ही नहीं हुआ है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अब हुआ कि नहीं हुआ आपके यहां काम। देखिये वैसे तो अभी जो बता रहे थे, पुराने बने हुए 156 सेतु ऐसे थे, जिनका पहुंच मार्ग नहीं था, हमारी सरकार बनने से पहले 156 थे, अब हमने 114 पुलों के पहुंच मार्ग बना दिये हैं और जो शेष बचे हैं उनमें कहीं कोर्ट का मामला है, कहीं जमीन का मामला है, इसलिए फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम मई, जून तक उन्हें भी पूरा करा दें। एक पुल तो ऐसा था बलरामपुर में कोड़री घाट, वह तो पुल बिल्कुल ही बेकार हो गया था, नदी एक किमी0 दूर चली गई थी आगे, वैसे अब नदी को मोड़ कर ले आये हैं पुल के अन्दर, अब पुल काम आ जायेगा, नहीं तो पुल नदी छोड़ ही गई थी, तो उस पुल का प्रयोग हो जायेगा, वह भी काम कर दिया और जो पुल हमने अभी तक बनाये हैं, उनकी संख्या है, प्रदेश में सरकार ने 224 दीर्घ सेतु और 213 लघु सेतु और 63 रेल उपरिगामी सेतु कुल 500 सेतु, अभी तक 500 सेतु बने हैं हमारी सरकार में। अब बताइये 500 सेतु कभी बने हैं ? चार साल में 500 सेतु बने हैं। तो इस तरीके से पुलों का, सड़कों का और आवासों का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और जो हम आज बजट लाये हैं 14909 करोड़ का, जो पिछले साल से लगभग, अब इनकी गणित भी फेल हो गई, मिला लेना आवास और इनका दोनों को मिलाकर के 21 परसेण्ट ज्यादा है, सड़कों का, आवासों का मिलकार के 21 परसेण्ट होता है, तो 21 परसेण्ट पिछले से ज्यादा बजट है, तो इससे क्या होगा, सड़कें ही तो

बनेंगी, आवास बनेंगे, पुल बनेंगे, गेस्ट हाऊस बनेंगे और एक बलिया में जो रामपुर घाट है यहां बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 2545 मीटर है, यह बड़ा सेतु है। यह हमें ढाई वर्ष में पूरा करना है। इस तरह से हमने घाघरा पर, यमुना पर, गंगा पर बड़े–बड़े सेतु जो स्वीकृत किए हैं, वह बड़े–बड़े पुल हैं। गंगा पर 7, यमुना पर 7, घाघरा पर 2 जो काफी दिनों से अवरुद्ध काम था, उन पर भी बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर में 6 गंगा के पुल जो अधूरे थे, उन पर भी बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में तो हमने कितने पुल बना दिए हैं। जो कभी नहीं बने थे, वह पुल हमने बना दिए। हां यह सही है, कैण्ट में जब सुबह से शाम तक जाम लगता था, तो अब तो सब लोग खुश ही होंगे और खुश होना भी चाहिए। इस तरह से कितने पुल बने हैं। अगर तुलना की जाये तो अध्यक्ष जी, आपके जिले में हमने 11 पुल बनाए हैं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे जिले में बने हैं। कुछ पूरे हो गए हैं बस दो–चार हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके जिले में कभी इतनी सड़कें बनीं थीं। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां सड़क न बनी हो। बदायूं से बरेली में ऐसी सड़क कभी आपने सोची थी। हम तो यह कहेंगे कि पंकज अभी कुछ कह कर गए हैं। अब उनको जनता ही दबाव देगी। 'लड़े हैं हम, लड़ेंगे हमीं, अंधेरों से, जिद है हमें रोशनी फैलाने की'। हमें तो काम करना है और हम तो लड़े हैं और लड़ लेंगे। हमें चिन्ता नहीं है। इतिहास में देख लीजिएगा कि कितने इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। लगभग 97 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और आज भी सस्पेंड हैं। हमने जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा है, अगर कहीं पर भी घटिया काम हो रहा हो तो सूचना दे दें, अगर स्पीड से काम नहीं हो रहा है, तो सूचना दे दें। लेकिन हमें कभी–कभी अफसोस होता है कि जनप्रतिनिधि भी उस पर ध्यान नहीं देते। कम से कम सूचना तो दे सकते हैं, लिख कर तो दे सकते हैं। इतने इंजीनियर अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने प्रमोशन भी किए हैं, हमने दो–दो, तीन–तीन प्रमोशन दिए हैं। इंजीनियर से काम भी लिया है। अच्छे इंजीनियर भी हैं, काम भी आते हैं। लेकिन हम तो आपका सहयोग चाहते हैं। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो तारीफ भी करते हैं, भले खुल कर नहीं करते हैं लेकिन पीछे से हमसे तो तारीफ ही करते हैं। बहुत से लोग करते हैं और सही है हम सड़क ले भी जाते हैं। हमने तो सोचा है सड़क पर तो सब चलेंगे हमने यह कभी नहीं सोचा है रोड पर तो सब चलेंगे। खन्ना साहब कहां गए, हमने तो दिखवाया, उन्होंने कहा कि हमने एक सड़क दी, जब देखा तो उनकी चार सड़कें निकलीं। इसमें भी झूठ बोल दिया। तो मैंने एक रोड थी, वह भी दे दिया। राणा साहब तो इसलिए अब अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो और बजट को सब लोग पास कराईए जिससे सड़कें बनेंगी, पुल भी बनेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 मंत्री जी, हमारे वहां पडरौना से तमकुही राज तक की सड़क को भी ले लीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आप लिखकर दे देना, सबमिट करके पास करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, अब आपको क्या कहना है, बैठिए।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। मैंने निवेदन किया है, हम आपसे निवेदन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हम आपसे और मा0 मंत्री जी से ही तो निवेदन करेंगे। जो दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग है उस पर केवल 13 प्रतिशत कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ है। मैंने अनुरोध किया है कि दिल्ली–यमुनोत्री बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। अगर आप उसे भी करवा देंगे तो क्षेत्र का बहुत भला हो जाएगा। दिल्ली से लेकर यमुनोत्री तक सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस पर लगता है। आप उसे दिखवा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वह उपसा में चली गई है। अब उपसा में तो टेण्डर कर गए। हमने उसकी मरम्मत के लिए पैसा दे दिया था, मुझे नहीं देना चाहिए था। अब या तो वह वापस हो, अगर वापस हो जाती, हमारे पास पी0डब्ल्यू0डी0 में होती तो इतनी बुरी हालत नहीं होती लेकिन अब वह उपसा में चली गई वैसे तो हमने 14 रोड वापस करा ली हैं, मैंने 14 रोड वापस करा ली हैं इसलिए ये बजट पास करा दीजिए।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, हमने चार कटौती के प्रस्ताव रखे थे तो उसमें ऊर्जा विभाग भी है।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा विभाग आने तो दो। अभी ऊर्जा विभाग का कहां पास कर रहे हैं, अभी वहां तक कहां पहुंचे हैं। आप लोग ऊर्जा पर इतना बोल चुके हो, अब बजट पास करा लो। मुख्य मंत्री जी भी कह गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,80,25,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,74,96,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,40,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,51,75,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग(संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,45,61,62,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

सहकारिता पर श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी आपने कटमोशन रखा है। इसमें आप दो मिनट बोल दीजिए, फिर हम इसको पास करा देते हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता विभाग गांव किसान से जुड़ा हुआ विभाग है और लगभग 100 साल से ज्यादा का समय बीत गया है सहकारिता आन्दोलन को चलते हुए।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना दे दें कि देखिए बहुत समय हो गया है, जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह अपना लिखकर दे दें, प्रोसीडिंग में वह आ जायेगा हम बजट पास करा दें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, 100 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी आज जिस उद्देश्य को लेकर सहकारिता विभाग का गठन किया गया। सहकारिता आंदोलन चलाया गया। उसकी आज जमीनी हकीकत ऐसी है कि आज गांवों में जिस उद्देश्य के लिए प्राथमिक इकाईया बनाई गईं थीं, उनकी हालत बड़ी खस्ता है, जर्जर है और जो उनका उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले छोटे किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए, उनको खाद उपलब्ध करायी जाए, किसानों को ऋण दिया जाए आज वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और ऐसी हालत में आज भी हमारे तमाम छोटे किसान उन साहूकारों के मकड़जाल में जकड़े हैं, जीवन भर अपनी मेहनत की कमाई ब्याज के रूप में देते रहते हैं और मरते–मरते भी वह ऋणी रह जाते हैं। मान्यवर, जो समितियों के भवन हैं, 70 प्रतिशत से अधिक भवन आज जर्जर हैं, उनकी हालत खराब है और यह हालत है कि खाद जाती है तो जो कर्मचारी और सचिव हैं, वह उसको सीधे ब्लैक करने का काम करते हैं। मान्यवर, आज हमारा किसान भुखमरी की कगार पर है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जबकि वहां पर जो कर्मचारी हैं और सचिव हैं आज वह चार पहिये की गाड़ी से घूम रहे हैं। मान्यवर, अन्नदाता अगर परेशान होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं तो मैं अंत में चार लाइनें कहते हुए मैं अपनी बात को

खत्म करना चाहूंगा। मान्यवर, आज जो सहकारिता आंदोलन की दुर्गति है और उसके चलते हमारा किसान, अन्नदाता परेशान है। आज वह पलायन करके बड़े–बड़े शहरों में मजदूरी करने को मजबूर है। किसान की दुर्दशा को ठीक करने का काम, अगर सरकार नहीं करती है तो किसान वर्ष मनाने का कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, हमारे गांव के एक किसान ने ये चार लाइनें हमें सुनाई थीं, मैं आपके माध्यम से इनको रखना चाहता हूं–

''सावधान करता किसान कहता बात जवानों से,
देश की खुशहाली का रास्ता गांव–गली–गलियारों से,
अंबर कॉपें धरती डोले तेरी जय–जयकारों से,
कर्जे में ही पैदा होता, कर्जे में ही मरता है,
अंधियारों में कटे जिन्दगी, बिना दिया बिन दिबिया रे,
इस सण्डास में आग लगा दो, क्रांति भरे अंगारों से,
सावधान करता किसान कहता बात जवानों से,
देश की खुशहाली का रास्ता गांव–गली–गलियारों से,
अंबर कांपे धरती डोले तेरे जय–जयकारों से,
रहबर तेरे बड़े लुटेरे, रक्षक तेरे भक्षक हैं,
झुग्गी–झोपड़ियों में कटे जिदंगी, बिना दिया बिन डिबिया रे।''

मान्यवर, सहकारिता विभाग की जो कटौती मैंने रखी है उस कटौती पर बल देते हुए, मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सहकारिता आन्दोलन एक महत्वपूर्ण आन्दोलन है। देश विदेश की आर्थिक विकास मे सहकारिता आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ग्रामीण किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए प्रारम्भ किया गया था लेकिन बीच–बीच मे कुछ ऐसी स्थिति आई जब जब समाजवादियों की सरकार आई तब तब यह आन्दोलन फला–फूला और जैसे ही हमारी सरकार गई वैसे ही सहकारिता आन्दोलन को बुरी तरह से झटका लगा, लूट लिया लेकिन हमने प्रयास किया है, फिर से प्रयास किया है, आपको पता है आपकी बैंक की बुरी हालत है संसदीय कार्य मंत्री जी को पता ही है कि रामपुर की बैंक देश मे बहुत अच्छी बैंक है उत्तर प्रदेश मे नम्बर एक पर रामपुर बैंक है। बहुत सी बैंके अभी 34 बैंके हमारी ऐसी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों से और जो मिले जुले लोग थे, उनकी वजह से अभी और भी अच्छी हो सकती थी लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लेकिन अब हमे राहत मिली है अब और अच्छी हो जायेंगी और जो 16 बैंकें बन्द थी उनके लिए 1888.16 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हो गयी है। उसमे से एक बैंक को फैजाबाद की जिला सहकारी बैंक को तो लाइसेन्स मिल गया है रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का शेष

15 बैंको को बहुत जल्दी लाइसेन्स मिल जायेगा और कहीं पर भी खाद्य की कमी नही है 100 करोड़ का प्राविधान है कोई कमी नही होगी और फिर से यह सहकारिता आन्दोलन अच्छा चलेगा। कहीं पर भी किसानों को दिक्कत नही होगी इसलिए पास कराइये, कटौती वापस ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 04 अरब, 48 करोड़ 28 लाख 23 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर इस विभाग मे जमीन पर कोई काम नहीं होता है। पोस्टिंग के लिए अधिकारी परेशान रहते हैं, यह वह विभाग है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक कह रहे हैं, अब बैठिये।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 03 अरब, 06 करोड़ 52 लाख 03 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा विभाग को मजबूत करना और उससे सही काम लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मान्यवर, अभी दो–तीन साल से बराबर सरकार बिजली के रेट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर रही है, लेकिन बिजली कैसे मिले और जो रोस्टर तय किया गया है, वैसे ही बिजली मिल जाये तो मैं समझता

हूं कि इसमें सफलता मिली है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज तमाम गांव बिजली से दूर हैं, वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जहां विद्युतीकरण हुआ है, वहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है। मान्यवर, मैं कुछ छोटी–छोटी बातें जो महत्वपूर्ण हैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जैसे विभाग की जिम्मेदारी है और विभाग चाहता है कि राजस्व की वसूली हो, लेकिन आज कनेक्शन होने के बाद मीटर नहीं लग पा रहे हैं, अभी गर्मी आ रही है और इस समय पिछले साल से दस डिग्री तापमान ज्यादा चल रहा है। गर्मी आने पर सप्लाई की स्थिति यह रहती है कि जितनी बिजली बनती है, वह सब खपत हो जाती है। लग रहा है कि उसकी कोई व्यवस्था अभी तक पावर कारपोरेशन नहीं कर पाया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी आज सुबह बता रहे थे कि 72 घण्टे में हम ट्रांसफारमर बदलते हैं। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग आठ हजार ट्रांसफारमर फुंके पड़े हुये हैं। मैं इसमें माननीय मंत्री जी को सुझाव भी देना चाहता हूं कि इनका जो कारण है, गांवों के अंदर एक ट्रांसफारमर पर दस कनेक्शन का लोड होना चाहिये और पता चला कि एक ट्रांसफारमर पर 25 कनेक्शन चल रहे हैं। यह सुधार किया जाये और जो लोड है उसके अनुपात में ही उसकी भी क्षमता बढ़ाई जाये। और दूसरा ट्रांसफारमर को बचाये रखने के लिये वहां फ्यूज सिस्टम भी लगाया जाये जिससे कि ट्रांसफारमर बचा रहे। मान्यवर, आज की तारीख में हमारे यहां पूरे प्रदेश में जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनकी संख्या लगभग एक करोड़ पच्चहतर लाख है और जो हमारा संयोजित भार है वह लगभग चार करोड़ साठ लाख किलोवाट है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो सब स्टेशनों की क्षमता है, जो 132 के0वी0ए0 के सब स्टेशन हैं, वो तीस हजार मेगावाट यानी कि दो करोड़ सत्तर लाख किलोवाट की सप्लाई ही कर सकते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती गर्मी की आ रही है उससे निपटने के लिए पावर कारपोरेशन तैयार नहीं लग रहा है। मान्यवर, जब भी बिजली के बजट और जब भी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो सरकार कहती है कि हमने बहुत ज्यादा पावर हाऊस लगवाये हैं। जो मेरी निश्चित जानकारी है कि चार साल में एक निजी पावर हाऊस ललितपुर में लगाया गया है जिसका उद्घाटन माननीय नेता जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। वहां से जो बिजली ली जा रही है उस बिजली की दर बहुत ज्यादा है। हम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देना चाहते हैं और आज ही हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि नियामक आयोग ने निर्णय दिया है और पावर कारपोरेशन का जो प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया है। पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव को ठुकरा कर उन्होंने विद्युत के रेट आज कम किये हैं, मेरी जानकारी के अनुसार पावर कारपोरेशन का जो वहां पर प्रपोजल गया था वह बिजली के दाम बढ़ाने का भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इनकी बात को न मानते हुए बिजली के दाम को घटाने का काम किया है। इन्होंने भेजा था कि जो डोमेस्टिक लाइट फैन हैं उसमें एक किलोवाट के कनेक्सन पर 1300 रुपये की सिक्योरिटी ली जाये और सिक्योरिटी है 100 रुपये। पावर कारपोरेशन पैसा बढ़ाने की दरों पर पूरा ध्यान दे रहा है कि पैसा कैसे बढ़वा लिया जाये, लेकिन जो व्यवस्थायें हैं उनमें सुधार कैसे किया जाये, उस ओर पावर कारपोरेशन ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि

ललितपुर में जो बजाज द्वारा पावर हाऊस लगाया गया है इसकी लागत बताई जा रही है कि सोलह हजार करोड़ रुपये का यह लगा है और इस रेसियो में बिजली वहां छह रूपये प्रति यूनिट राज्य सरकार को दी जा रही है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, इतनी लागत वहां नहीं लगी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि सी0ए0जी0 से आडिट कराकर इसका सही आंकलन कराया जाये, जिससे कि सरकार के ऊपर बोझ न पड़े। मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि जो स्टाफ है इनके पास उसमें घटनायें बढ़ रही हैं और और मृतक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है इसमें भी पावर कारपोरेशन को सजग होने की जरूरत है। क्योंकि विद्युत दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, उससे भी बहुत जनहानि हो रही है और काम भी नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, एक अभी मांग आई थी कि हमारे यहां सूखा घोषित हो गया। सूखे पर यह मांग आई कि कम से कम 50 प्रतिशत बिल माफ कर दिया जाये और जो बुन्देलखण्ड है वहां पर 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाय। मान्यवर, सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है जबकि नियामक आयोग ने स्वयं सरकार को लिखा कि वह इसमें अपनी राय दे, अपना जवाब दें जिससे कि हम इस पर अपना निर्णय सुना सकें। तो मान्यवर, जब नियामक आयोग स्वयं पावर कारपोरेशन से यह जानकारी चाह रहा है तो मैं चाहता हूं कि जो सूखा घोषित हुआ है उसका किसानों को लाभ मिले तो इस पर तुरन्त जवाब जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, अभी सरकार ने घोषित किया कि हम 16 से 18 घन्टे बिजली गावों को देंगे और इसके लिये सरकार की घोषणा भी हुयी और सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा कि जो 16 से 18 घन्टे बिजली हम गांवों को देंगे तो उन गांवों को नगरीय क्षेत्र पहले घोषित किया जाय। यह नियामक आयोग को भेजा गया। मान्यवर, इसमें सरकार की और पावर कारपोरेशन की नीयत में खोट लग रही है कि 16 से 18 घन्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आ नहीं रही है और गुपचुप तरीके से कहीं गांवों को भी नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाय और गरीबों के बिल ज्यादा आने लगें तो इसमें भी सजग रहने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में हमारे क्षेत्र की एक बात है। मैं उसको कहने की आपसे अनुमति चाहता हूं कि हमारे यहां एक गांव है कोही वहॉ पर एक व्यक्ति ने एक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिये एप्लाई किया और एप्लाई करने के बाद उसका पैसा जमा हुआ और रसीद कटी लेकिन उसका कनेक्शन आज तक नहीं हुआ और उसका बिल आ गया। तो बगैर कनेक्शन के बिल दिया जा रहा है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,87,89,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इसके बाद आबकारी है, अब इसको छोड़ो कहां 8 बजे के बाद, अब चलने दो। अब हो गया। अरे मौर्य जी, आप लोग तो इससे बहुत दूर रहते हो, बैठो।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, हम लोग लाइब्रेरी में जाकर इसके लिये बहुत तैयारी करते हैं। आपकी कृपा बस दो मिनट के लिये हो जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह विभाग सरकार का कमाऊ विभाग है और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में भी आया है कि सबसे कम खर्चे पर सबसे ज्यादा आमदनी करने वाला यह विभाग है। मान्यवर, मैं केवल दो बांते इसमें रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में किसानों की हालत को भी यह विभाग सुधार सकता है। हमारे यहॉ ग्रेन बेस पर शराब नहीं बनती है। आप देखते होंगे कि कभी–कभी कोल्डस्टोरेज के अंदर आलू रखा जाता है और आलू की कीमत इतनी कम हो जाती है कि किसान उसको लेने नहीं जाता और आलू सड़ जाता है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी नीदरलैण्ड गये थे और वहां से वह कई चीजें सीखकर आये हैं। वहां पर ग्रेन बेस आलू से शराब बनाई जाती है और सरकार अगर यह घोषणा कर दे वैसे मैं जानता हूं कि तमाम बड़े–बड़े पूँजीपति इसमें लगे हैं और वह सरकार को घोषणा करने नहीं दें रहे हैं। इसकी घोषणा अगर हो जाय तो यहां किसानों का भला हो जाय और इस समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मौतें कच्ची शराब के पीने से हुयी हैं।

(सदस्य श्री नीरज कुशवाहा मौर्य एवं श्री रवीन्द्र जायसवाल के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

वाराणसी एक धार्मिक शहर है वहां शराब पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। गुजरात की विकास दर अच्छी है क्योंकि शराब पर वहां प्रतिबन्ध है इसलिए मैं मांग करता हूं कि यहां भी ऐसा होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सहमत। अगर सदन सहमत हो तो गोश्त कटान पर और शराब पर दोनों पर रेजोल्यूशन क्या प्रधानमंत्री को भेजें। अगर प्रधानमंत्री ने नहीं माना तो क्या सदस्यता छोड़ दोगे।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

केन्द्र के नाम पर कितना गेम खेलेंगे मा0 मंत्री जी आप। जो आपके हाथ में है पहले वह कीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऐसा नहीं है, देखिये यह प्रदेश के इख्तियार से बाहर है इसे देश की सरकार कर सकती है, आप रेजोल्यूशन करके भेजो इन दो चीजों पर कि गोश्त नहीं कटेगा, पशु नहीं कटेगा पशुवध बन्द, शराबबन्दी पूरी तरह से, अगर भारत सरकार इसे न माने तो क्या सदस्यता छोड़ दोगे।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मैं वादा करता हूं कि अगर प्रस्ताव पास हो गया और वहां से नहीं हो पाया तो मैं सदस्यता छोड़ दूंगा। मैं क्लियर हूं मैं सिद्धान्तों से समझौता नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, कहां उलझ रहे हो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा भाई, बैठो तो। मान्यवर, मुझे खुशी है कि अभी सदन में ऐसे सदस्य हैं, इन्होंने जो कुछ कहा सिर्फ नादानी में कहा है, इन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि अगर यहां से रेजोल्यूशन पास हो करके चला जाए तो भारत सरकार नहीं करेगी और खामख्वां इनकी सदस्यता चली जायेगी। मैं इन्हें एक अच्छा व्यक्ति मानते हुए यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन्हें समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब छोड़िये, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,69,83,49,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 लल्लू जी आप सिंचाई विभाग पर कम शब्दों में बोल लें। आप लोग इतने ज्यादा बजट रखवा देते हैं तो मैं क्या करूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप सीधे सिंचाई विभाग पर सुझाव दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, देश तभी खुशहाल होगा जब किसान खुशहाल होगा और उन्होंने किसानों की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी कदम को उठाया और नहरों का एक बड़ा जाल इस देश में बिछाया। नहरों के अन्तर्गत मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में विश्व बैंक के सहयोग से यू0पी0 वाटर सेक्टर रिसर्च क्रासिंग परियोजना प्रस्तावित हुई। यह करीब 3526 करोड़ रुपए की परियोजना थी जिसमें बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जिले शामिल हैं। यह योजना 2015 में पूरी हो जानी थी लेकिन यह योजना जिस रफ्तार से चल रही है उसको देखने से लगता है कि यह 2025, 26 या 30 तक पहुंच जायेगी। मेरी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग है चूंकि यह योजना काफी दिनों से लम्बित पड़ी है आप जानते हैं कि बुन्देलखण्ड की स्थिति क्या है, किसान सूखे की मार झेल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है और नहरों की इस परियोजना से वहॉ के किसानों में एक बहुत क्रान्तिकारी उत्साह आ सकता है और उनकी खेती अगर सिंचित होगी तो शायद अच्छी फसलें होंगी जिससे उनको जीवन जीने में आसानी होगी और जो आत्महत्या का दौर है वह शायद थम जायेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राप्ती बेसिन परियोजना है यह परियोजना 1978 से बन रही है और इस परियोजना में लगभग गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, अम्बेडकरनगर, सन्तकबीर नगर और गोरखपुर। इन तमाम जनपदों को लाभ इससे मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना 1978 से निर्माणाधीन है और अब तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि इस तरफ भी बहुत मजबूती के साथ ध्यान दिया जाए। मान्यवर, काफी दिनों से राप्ती–बेसिन परियोजना चल रही है। उसको पूर्ण कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मान्यवर, आपने पिछले बजट में यह बहुत बड़ा प्राविधान किया था, मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर का। यह योजना 2008 से स्वीकृत थी लेकिन आपने पिछले बजट में करीब 350 करोड़ रुपये का प्राविधान करके 81.0 से लेकर 131.0 तक बाल्मीकि नगर बैराज से जो निकलती हैं जिससे कुशीनगर, महराजगंज, गोरखपुर और देवरिया, इन चार जनपदों को लाभ होता है। आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया और उन नहरों में इस योजना का आपने आधारशिला रखा और योजना बड़ी तेजी के साथ चल भी रही है। मेन कैनाल साफ हो चुका है, छोटी–बड़ी माइनर और तमाम चीजें हैं वह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पायी हैं, तमाम काम अधूरे हैं।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा बोलने के लिये हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, आप शहर क्षेत्र के विधायक हैं आपको सिंचाई पर बोलने की क्या आवश्यकता है, बैठिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

यह सिंचाई का कटौती प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने दीजिये। जहां तक मैं बाढ़ पर आऊं तो बाढ़ में लगभग 22 जिले अतिसंवेदनशील हैं और 13 जिले संवेदनशील हैं। पीलीभीत का देवा कैलाश नदी जो शारदा का मितेपुर पटेरिया जो कटान स्थल है जो अतिसंवेदनशील में है, लखीमपुर की शारदा जो ऐरापुल से अम्बापुर, भरिया, पलिया तक है, बहराइच की घाघरा, रेवली–आदमगढ़, रघुनाथपुरवा, बेलहा और बरौली तक जो कटान स्थल है। इसी तरह से बाराबंकी की घाघरा अलीनगर, एल्गिन ब्रिज, चरसाड़ी बांध, ठीक इसी तरह से गोण्डा का जो कटान स्थल है वह भी बहुत गम्भीर स्थिति में है। कुशीनगर की बड़ी–छोटी गंडक, छितौनी अमवाखास, एपी तटबंध और नरवाजोत, ये भी बड़ी गम्भीर स्थिति में है। गोरखपुर की राप्ती, घाघरा नदी जो मझवलिया बांध, बरवार, छितौनी थुन्नीबांध, ददरी, सेमरा, हावर्ड बांध आदि ऐसे 22 अतिसंवेदनशील जिले है और 13 संवेदनशील जिले है। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है ? उच्चस्तरीय स्थायी समिति पटना से अक्टूबर–नवम्बर के महीने में आती है और पटना से आने के बाद यह समिति मैंने इसी सदन में अमवा तटबंध से सटे बांध के बारे में माननीय मंत्री जी के सामने उठाया था और माननीय मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था (माननीय सदस्य भदौरिया जी के टोकने पर) अरे भदौरिया बोलने तो आता नहीं बोलने तो दो, क्यों आये हो सदन में ? अगर बोलना नहीं है तो क्यों आये हो सदन में। और पिछले समय इसी मुद्दे पर माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि किसी कीमत पर मैं उसे कटने नहीं दूंगा। लेकिन माननीय मंत्री जी आपके बड़े प्रयास के बाद भी वह कट गया और 7–8 टोले पिपराघाट के और अहरौली बांध के करीब 7–8 टोले नदी में विलीन हो गये। मैं कोई आलोचना की दष्टि से आपसे नहीं कहना चाहता। आपके विभागीय अधिकारियों द्वारा यह कहा गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। बैठ जायं। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, राप्ती का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाया गया है और पिछले 30 साल में केवल 3 किमी0 खुदाई हुई थी लेकिन दो वर्ष में हमने 140 किमी0 खुदाई की तो यह तो प्रदेश के इतिहास में है यह 2500 करोड़ का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी हमने करा लिया था भारत सरकार को 2500 करोड़ रूपये इस पर देना था लेकिन हमने प्रत्याशा में 800 करोड़ रूपये प्रदेश के बजट से खर्च कर दिया और काम कराया है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के लिये हमारा प्रयास है कि भारत सरकार से हमको पैसा मिले। भारत सरकार से 500 करोड़ रुपये का आश्वासन तो मिला है लेकिन हमने अपने बजट में इसके लिये प्राविधान कर दिया है। तो आशा है कि जैसे ही पैसा मिलता है और हमने तो प्राविधान कर ही दिया है तो यह पूरा हो जायेगा। और बुन्देलखण्ड में 9 प्रोजेक्ट हमने पूरे किये हैं। और 13 बांध हमें पूरे करने हैं तो यह एक साल के अन्दर यह 13 प्रोजेक्ट बुन्देलखण्ड में पूरे कर दिये जायेंगें। और बाढ़ में न तो कांग्रेस की सरकार ने न बी0जे0पी0 की सरकार ने जो हमें सेन्ट्रल से योगदान देना चाहिए था नहीं

दिया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बाढ़ पर हमने खर्च किया है और जो आपने अभी कहा बंधा का कि वह मैंने नहीं कटने दिया था लेकिन फिर भी वह जो रोड थी वह थोड़ा बहुत कट गयी। उस रोड को मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 से स्वीकृत करवा दिया है और उसको बनवा देंगे। अगले साल के लिये तैयार हो जाइये वह बंधा नहीं कटेगा और पहले भी मैंने नहीं कटने दिया था और अब भी नहीं कटने देंगे। आप बजट की कटौती वापस ले लीजिये। यह सब काम आपके हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण–कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 88,06,74,19,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या– 95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 40,14,52,18,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

†(इसी मध्य अध्यक्ष ने कहा जो सदस्य बोलना चाहते हैं वह लिखकर दे दें कार्यवाही का अंग बन जायेगा)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रषासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^[k* vkxs i`"B&248&280 ij½

लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 10,96,64,09,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 49,88,00,10,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 32,59,78,97,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 30,03,93,21,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 17,23,78,16,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 1,07,67,14,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

†(कतिपय सदस्यों द्वारा बोलने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा लिखकर दे दें कार्यवाही का अंग बन जायेगा)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 2,62,74,85,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^[k* vkxs i`"B----ij½

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 2,47,77,56,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,75,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,21,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,69,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आज तो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम सब पीछे छूट गए।

श्री अध्यक्ष–

यह मैंने आप ही से सीखा है।

नियम–51 में चूंकि जवाब आ नहीं सकता था इसलिए मैंने सब पर ध्यान आकृष्ट कर लिया।

[08-56] नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 04–03–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री प्रभूदयाल वाल्मिकी	जनपद मेरठ के निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मवाना स्टेट हाई–वे के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अमित गौरव यादव	जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसांवा में स्वजल धारा पेयजल योजना में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
3	श्री सुभाष पासी	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र में अधूरे पड़े सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	डा0 आर0 के0 वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होकर गड्ढों में तब्दील होने के कारण आये दिन हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ में काली नदी पर ग्राम कनौरा के निकट निर्मित सेतु पर अवशेष पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती इन्द्राणी देवी	जनपद देवरिया के ब्लाक बैतालपुर के अन्तर्गत ग्राम बेलडरिया (धतुरा खुर्द) से ग्राम बौडिह तिवारी तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री संजय कपूर	की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री रामवीर उपाध्याय	जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरूद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुये नगलाढग तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	जनपद गाजियाबाद के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–754/2013 पर पुनः निष्पक्ष

विवेचना हेतु डी0जी0पी0, उ0प्र0 द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्में मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :–

विधान सभा रसड़ा में जर्जर पोल एवं तारों के कारण सुचारु विद्युत व्यवस्था न होने के कारण यहां की जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यदि निम्न जगहों पर ट्रांसफार्मरों की स्थापना कर दी जाती है, तो यहां के निवासियों को विद्युत व्यवस्था का उचित लाभ मिल सकता है :–

1–रसड़ा विद्युत केन्द्र पर 11000 वोल्ट लाइन से विमल स्वर्णकार के घर के पीछे तक एक 100 केवीए ट्रांसफार्मर तथा धोबी बस्ती (निसिद्ध पीर) पर 3 पोल की स्थापना का कार्य।

2–नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा के वार्ड नं0–1 स्थित संत रविदास नगर महावीर अखाड़ा एवं घेबही मोहल्ला में विद्युतीकरण का कार्य।

3–रसड़ा नगरपालिका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास 250 केवीए के ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य।

4–ग्राम सभा मंदा में लगे 100 केवीए के ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किए जाने का कार्य।

5–ग्राम सभा जाम बाजार एवं जाम दक्षिण पट्टी में लगे 100–100 केवीए के ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किए जाने का कार्य।

6–ग्राम सभा बर्रेबोझ में लगे 100 केवीए के ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किए जाने का कार्य।

7–ग्राम सभा नरांव में लगे दुर्घटना के सबब में समस्त जर्जर पोल व तार बदले जाने का कार्य।

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत उपरोक्त जर्जर पोलों एवं तारों को हटाते हुए केबिल लगाने एवं सभी ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा (बलिया) में ट्रांसफार्मर लगाये जाने एवं रसड़ा नगरपालिका क्षेत्र में जर्जर पोलों एवं तारों को हटाते हुए केबिल लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत कार्यों हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :–

1–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 2.90 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

2–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 24.70 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

3–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 7.26 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

4–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 4.71 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

5–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 4.71 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

6–प्राक्कलन की अनुमानित लागत रु0 4.71 लाख है यह कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों के किसी योजना में सम्मिलित होने अथवा मा0 विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर अतिशीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

7–इस कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रु0 5.80 लाख है यह कार्य बिजनेस प्लान के अन्तर्गत माह मार्च, 2016 तक सम्पादित करा दिया जायेगा।,

जनपद आगरा के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

माननीय नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद आगरा के अन्तर्गत पेयजल की समस्या के समाधान ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्हेतु मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–02–2016 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया हे कि जनपद–आगरा, 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड–अकोला बिचपुरी एवं बरौली अहीर में स्थायी रूप से बन्द टी0टी0एस0पी0 संख्या–241 एवं खन्दौली एवं एत्मादपुर बन्द टी0टी0एस0पी0 संख्या–71 जोकि काफी समय से टी0टी0एस0पी0 की टंकियां खराब पड़ी हैं। इन टी0टी0एस0पी0 टंकियों को चालू कराने हेतु उ0प्र0 जल निगम दिनांक 01–10–2015 पत्रांक–307/2043/15 की स्वीकृति हेतु सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन स्तर पर धनावंटित हेतु लम्बित है। उक्त पेयजल समस्या का समाधान न होने से क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–आगरा के विकास खण्ड–अकोला, बिचपुरी एवं बरौली अहीर तथा विकास खण्ड–खन्दौली एवं एत्मादपुर में स्थायी रूप से बन्द कुल 312 नग टी0टी0एस0पी0 योजनाओं को आवश्यक मरम्मत कराकर कार्यकारी किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा रु0 321.24 लाख की कार्य योजना तैयार की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ''राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति'' की बैठक दिनांक 14–07–2015 में इसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3–पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष कराये जाते हैं। राज्य सरकार पेयजल समस्या के प्रति संवेदनशील है एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पेयजल समस्या के निराकरण हेतु तत्पर एवं कृत संकल्प है।,

जनपद बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप से खाद्यान्न की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जयसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप से ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्लागबुक लिखवाई के नाम पर एवं खाद्य सुरक्षा बिल का हवाला देकर कोटेदारों से उन्हें आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष दो सौ से तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली की जा रही है। इसके बदले में कोटेदारों का खाद्य सुरक्षा बिल पूर्ण रूप से लागू होने तक खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचने की लूट की अनुमति दी जा रही है। वहीं उपभोक्ताओं को राशन एवं खाद्य सामग्री के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्हें पूर्ण रूप से खाद्य सामग्री एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अखबारों के माध्यम से व जन–प्रतिनिधियों के लिखित शिकायत के बावजूद भी अवैध वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराकर सख्त कार्यवाही किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इससे आम जन–मानस में आक्रोश व्याप्त है और जनता कभी भी आन्दोलित हो सकती है।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रदेश में प्रथम चरण में 28 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान 01 जनवरी, 2016 से लागू कर दिये गये हैं, इन जनपदों में जनपद बस्ती भी शामिल है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय पत्रांक–5005/खा0सु0–01/2013–प्प, एवं पत्रांक–5010/खा0सु0–01/2013–प्प दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्रता सूची को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं प्रचलित राशन कार्डों पर निर्धारित स्टैम्पिंग किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक–6178, दिनांक

14 अक्टूबर, 2015, पत्रांक–6179, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015, पत्रांक–6180, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015, पत्रांक–6181, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक–6291, 9292, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 द्वारा जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक आदि को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

2–भारत सरकार के पत्र संख्या–1–8/2013–बी0पी0–3(अव।.प्), दिनांक 15–12–2015 के क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के पत्रांक–7057/मु0वि0अ0/एन0एफ0एस0ए0– आवंटन/2015, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 द्वारा जनपद के अन्त्योदय/पात्र गृहस्थियों हेतु खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी, बस्ती कार्यालय के पत्रांक 6389, दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विकास खण्डवार/नगरक्षेत्रवार/हॉट गोदामवार/उचित दर विक्रेतावार आवंटन जारी करते हुए उठान एवं वितरण का कार्य कराया गया तथा आवंटित खाद्यान्न के शत–प्रतिशत वितरण

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक–6400, दिनांक 24 दिसम्बर, 2015 द्वारा समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

3–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों, पम्पलेट, होर्डिंग इत्यादि प्रचार सामग्रियों के माध्यम से कराया जा रहा है।

4–जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठान एवं वितरण पर सतत् निगरानी रखते हुए खाद्यान्न आदि का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराया गया, जनपद के विकास खण्डों में जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय रैण्डम सैम्पुलिंग अधिकारियों की तैनाती करते हुए उचित दर विक्रेताओं के स्टाक का सत्यापन व वितरण की जांच करायी गयी। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों, उचित दर विक्रेताओं आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

5–प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत माह–जनवरी, 2016 में जनपद के 456 उचित दर विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया, जिसके अन्तर्गत उचित दर की 05 दुकानें निलम्बित की गयीं तथा 03 दुकानों के अनुबन्ध निरस्त किये गये तथा दण्ड स्वरूप रु0 89000.00 की प्रतिभूति की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त की गयी।

6–जनपद बस्ती के पूर्ति निरीक्षकों द्वारा लॉगबुक लिखवाई के नाम पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल का हवाला देकर कोटेदारों से उन्हें आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष दो सौ से तीन सौ रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से वसूले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक–6675, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों के माध्यम से जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्याओं के अनुसार कोटेदारों द्वारा लॉगबुक लिखने का कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भी प्रकार की धनराशि की वसूली ही की जा रही है।

7–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जनपद बस्ती के कार्डों में संशोधन किये जाने एवं नये पात्र गृहस्थियों को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में कुल 37967 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अब तक कुल 35762 शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। जनपद को आवंटित खाद्यान्न के समुचित रूप से उठान एवं वितरण कराये जाने की सतत् निगरानी रखते हुए पात्र गृहस्थियों के खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराया जा रहा है।

8–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं उचित दर विक्रेताओं द्वारा माह जनवरी, 2016 में वितरित हो रहे खाद्यान्न का निरीक्षण अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा भी दिनांक 06–01–2016 को किया गया।

9–जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), एवं पूर्ति निरीक्षकों को जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक–6556, दिनांक 28 जनवरी, 2016, पत्रांक–6588, दिनांक 02 फरवरी, 2016, पत्रांक–6599, दिनांक 04 फरवरी, 2016, पत्रांक–6633, दिनांक 09 फरवरी, 2016 द्वारा आवंटित खाद्यान्न के उठान एवं वितरण कराये जाने व पात्रता सूचियों का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये। पात्र गृहस्थियों के सत्यापन का कार्य भी कराया जा रहा है।

जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित पात्र परिवारों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है तथा आवंटित खाद्यान्न के भी उठान एवं वितरण पर सतत् निगरानी रखते हुए पात्र परिवारों को खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के जिला क्षय नियंत्रण केन्द्रों पर कार्यरत बी0सी0जी0 टेक्नीशियनों को प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में

श्री मो0 गाजी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षय नियंत्रण कार्यक्रम ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

ख्के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के जिला क्षय नियंत्रण केन्द्रों पर कार्यरत बी0सी0जी0 टेक्नीशियनों की सात वर्षों से प्रोन्नति बी0सी0जी0 टीम लीडर के पदों पर न किये जाने से प्रोन्नति हेतु पात्र लगभग 30 बी0सी0जी0 टेक्नीशियन बिना प्रोन्नति का लाभ प्राप्त किये ही सेवानिवृत्त एवं कुछ कर्मचारी तो दिवंगत भी हो चुके हैं, तथा वर्तमान संयुक्त निदेशक (क्षय) की मनमानी, तानाशाही व संवर्ग विरोधी मानसिकता के कारण प्रदेश में बी0सी0जी0 टीम लीडर के स्वीकृत सभी 49 पद रिक्त चल रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक में कार्यरत संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी वर्ष 2013 से संवर्ग विरोधी मानसिकता के कारण बी0सी0जी0 टीम लीडर के पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही को अनावश्यक आपत्तियां लगाकर एवं लम्बित रखकर बार–बार बाधित कर रहे हैं, जिससे प्रोन्नति हेतु पात्र बी0सी0जी0 टेक्नीशियनों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। उल्लेखनीय है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा दिनांक 06–04–2015 को प्रोन्नति समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) स्वास्थ्य महानिदेशालय की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

समिति गठित की गयी। महानिदेशक के अनुमोदन के बाद भी संयुक्त निदेशक (क्षय) द्वारा प्रोन्नति की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से पत्रावली को लगभग चार माह तक अपने पास ही रोक ली तथा संवर्ग के संगठन के बारम्बार अनुरोध पर दिनांक 29 जुलाई, 2015 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक निर्धारित की गयी। संयुक्त निदेशक (क्षय) द्वारा पुनः संवर्ग विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए दिनांक 29 जुलाई, 2015 को जानबूझकर पत्रावली पर अनावश्यक आपत्तियां लगाकर पूर्व निर्धारित विभागीय प्रोन्नति की समिति की बैठक स्थगित करा दी तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अनुमोदन के बाद भी बिना महानिदेशक के संज्ञान में लाये प्रोन्नति की कार्यवाही को बाधित करवा दिया। संयुक्त निदेशक (क्षय) द्वारा उच्चादेशों की अवहेलना करते हुए बार–बार बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग की प्रोन्नति की कार्यवाही का द्वेषपूर्ण भावना से बाधित करके बी0सी0जी0 टेक्नीशियनों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो इनकी निरंकुश प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। इसके अलावा संयुक्त निदेशक (क्षय) द्वारा जानबूझकर द्वेषभावना से बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग की सेवानियमावली संशोधन को बाधित करना, महानिदेशक के अनुमोदन के बाद भी प्रशिक्षण को स्थगित करना, महानिदेशक के अनुमोदन के बाद भी टी0ए0–डी0ए0/टूर डायरी सत्यापन का आदेश न जारी करना, ए0सी0पी0 प्रकरण पर बिना शासन की राय प्राप्त किये रिकवरी आदेश जारी करना, पी0आई0पी0 में प्रस्ताव न भेजना, मनमाने तरीके से बी0सी0जी0 टेक्नीशियन को अपर निदेशक कार्यालय के अधीन सम्बद्ध करना, स्टेट टी0बी0 सर्विलांस टीम को समाप्त करवाने का प्रस्ताव शासन को भेजना आदि कर्मचारी विरोधी गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। लखनऊ मुख्यालय में तैनात रहते हुए इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की निष्पक्ष जांच कराया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि समस्त पत्रावलियां एवं अभिलेख इनके कब्जे में हैं, जिनमें इनके द्वारा हेर–फेर करके बचाने का प्रयास किया जायेगा। अतः व्यापक जनहित में ऐसे कर्मचारी विरोधी मानसिकता के अधिकारी को किसी दूर जनपद में स्थानान्तरित करने के उपरान्त इनके कर्मचारी विरोधी कृत्यों की जांच कराकर कठोर कार्यवाही किया जाना एवं बी0सी0जी0 टीम लीडर के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रोन्नति हेतु तत्काल विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि निश्चित कराकर सदन को अवगत कराया जाना ही न्यायसंगत होगा। मा0 सदस्य द्वारा जनहित एवं लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने तथा सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0सी0जी0 टेक्नीशियन से बी0सी0जी0 टीम लीडर की प्रोन्नति करने के लिए सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी को बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के सम्बन्ध में सतर्कता जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही/कोर्ट केस प्रचलित है अथवा नहीं, आदि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा दूरभाष पर सम्बन्धित अधिकारियों से वार्षिक गोपनीय

प्रविष्टियां/सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार प्रोन्नति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रियाधीन है।

3–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बी0सी0जी0 टेक्नीशियन सेवा नियमावली में प्रथम संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बी0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं बी0सी0जी0 टीम लीडर पदधारकों को ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन नियमानुसार स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र दिनांक 13–05–2015 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)/आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

4–जिला क्षय रोग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के दृष्टिगत कार्यक्रम एवं रोगी हित को देखते हुए बी0सी0जी0 टेक्नीशियन/बी0सी0जी0 टीम लीडर के टी0ए0/डी0ए0 की मांग महानिदेशक द्वारा उचित नहीं पायी गयी है। वर्ष 2005 से सम्पूर्ण प्रदेश में भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जनपद के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम की गाइड लाइन के अनुसार राज्य स्तर पर मानव संसाधन कार्यरत है।

5–राज्य मुख्यालय पर तैनात बी0सी0जी0 टेक्नीशियन द्वारा सर्विलांस दल हेतु निर्धारित कार्य लिये जाने की मांग की जा रही हैं जबकि पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में सर्विलांस टीम की उपयोगिता नहीं है। महानिदेशालय स्तर पर बी0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं बी0सी0जी0 टीम लीडर के सेवा सम्बन्धी नीतिगत समस्त निर्णय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अनुमोदनोपरान्त लिये जाते हैं।

6–संयुक्त निदेशक (क्षय) के विरुद्ध उल्लिखित शिकायतों की जांच हेतु विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जांच आख्या के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी। जहां तक संयुक्त निदेशक (क्षय), डा0 आलोक रंजन के स्थानान्तरण का प्रश्न है, इस पर पृथक से विचार किया जायेगा।,

जनपद बस्ती के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बस्ती के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्भारी फसल नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि सम्पूर्ण बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसान खेती पर निर्भर हैं। यहां के किसानों को ओलावृष्टि से हुये फसल नुकसान एवं फसल बीमा का मुआवजा अभी तक नहीं दिये जाने से क्षेत्रीय किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे किसान मजबूर होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप से शासन व प्रशासन को अवगत कराया गया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अनिलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र–310, बस्ती सदर के किसानों को ओलावृष्टि से हुये फसल नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बस्ती में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण कृषि फसलों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुई क्षति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा रु0 224.12 करोड़ की धनराशि की मांग की गयी थी। शासन द्वारा रु0 41.35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा 872 गांवों के 1,10,818 (एक लाख दस हजार आठ सौ अट्ठारह) कृषकों को कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जा चुका है।

3–शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा तहसील बस्ती को रु0 12.10 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी थी जिसमें से 234 गांवों के 28,929 कृषकों को मुआवजा का वितरण कराया गया है। जहां तक बस्ती के विधान सभा क्षेत्र–310, बस्ती सदर के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को धनराशि दिये जाने का प्रश्न है, विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के 50 गांवों के 3,709 किसानों में रु0 157.17 लाख की धनराशि कृषि निवेश अनुदान में वितरित की गयी है।

4–यह उल्लेख करना है कि ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सापेक्ष रु0 7543.14 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 2801.59 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। शेष धनराशि रु0 4741.55 करोड़ की मांग भारत सरकार से दिनांक 08–02–2016 को की गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर जनपदों को स्वीकृत की जायेगी।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलिया एवं पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई

सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित हो गया है। यह स्थगित है।

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

गोरखपुर महानगर में स्थित मदरसा मजहैरूल उलूम धोबीपुरवा को अनुदान सूची में किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

गोरखपुर महानगर में स्थित मदरसा मजहैरूल उलूम धोबीपुरवा.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्का संचालन हो रहा है, जो शासनादेश दिनांक 27–02–2013 तथा शासनादेश दिनांक 21–05–2013 द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करता है।

मदरसे में तहतानिया में 294, फौकानिया में 124, मुंशी प्रथम में 30, मुंशी द्वितीय में 12, मौलवी प्रथम में 40 तथा मौलवी द्वितीय में 36 कुल मिलाकर 543 विद्यार्थी पढ़ते हैं तथा मुंशी/मौलवी में छात्रों की संख्या 125 है। नियमों के अनुसार मदरसे में फौकानिया में 3, तहतानिया में 5 तथा आलिया में 1 अध्यापक कुल 12 व्यक्ति कार्यरत हैं। अरबी फारसी परीक्षायें उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा में मुंशी का परीक्षाफल 89.4 प्रतिशत तथा मौलवी का परीक्षाफल 80.5 प्रतिशत है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के अनुसार मदरसा निर्धारित मानक पूर्ण करता है, मदरसे में वर्तमान में पठन–पाठन की स्थिति ठीक है, भूमि एवं भवन निर्धारित मानक पूर्ण करते हैं, कमरों के माप और संख्या मानक से अधिक है तथा उन्होंने मदरसे को अनुदान पर किये जाने की संस्तुति की है। (पत्रांकः 758/अ0स0क0/मद0अनु0 प्रस्ताव/2015, दिनांक 08–02–2016) विषय पर व्यक्तव्य की मांग की गयी है।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की घोषणा की गयी थी, जिसके क्रम में मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 27–02–2015 द्वारा मानक एवं शर्त निर्धारित किये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित मानक एवं शर्त पूर्ण करने वाले 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा चुका है, जो मदरसे कतिपय कमी के कारण अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं हो सके, उनकी कमियों को पूर्ण कराकर अवशेष 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तथा शासन स्तर पर कार्यवाही

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदनोपरान्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया जायेगा। अतः वर्तमान स्थिति में प्रश्नगत मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद शामली थानाभवन में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद शामली थानाभवन में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्अन्तर्गत कई सारी नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में काम चल रहा है। नगर पंचायत थानाभवन में इसी योजना के अन्तर्गत काफी कार्य होना है। परन्तु विभागीय एवं ठेकेदारों के मिले जुले भ्रष्टाचार के कारण कार्य सन्तोषजनक, मानकपूर्ण एवं सम्पूर्ण नहीं हुआ है जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी रोष बना हुआ है एवं हजारों उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। क्यों न जनहित में इस योजना द्वारा हो रहे थानाभवन नगर के कार्यों की जांच मण्डल के अलावा मण्डल स्तर के किसी और अधिकारी से कराकर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का कार्य किये जाने एवं इस विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद शामली में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत समस्त नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में कराये जाने वाले कार्यों एवं ठेकेदारों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को निर्देश दे दिये गये हैं। जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।,

कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर में व्याप्त विद्युत समस्याओं के निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर.....

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख स्थित नौबस्ता विद्युत उपकेन्द्र तथा रिंग रोड विद्युत उपकेन्द्र अन्तर्गत बड़ी संख्या में वैध विद्युत कनेक्शन धारकों को बांस–बल्लियों पर लाइन खींचकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आवेदन करने के पश्चात् तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही कनेक्शन दिये गये। ऐसी परिस्थिति में वैध विद्युत उपभोक्ताओं का अधिकार है कि उनको निर्बाध व सही तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। इस हेतु विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण कर जो बड़ी संख्या में तार लटके हुए हैं जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। उनको ए0बी0सी0 बंच कन्डक्टर लगाकर विद्युत आपूर्ति कराया जाना नितान्त आवश्यक है। विद्युत आपूर्ति बांस–बल्लियों के सहारे होने के कारण स्थानीय निवासियों में दुर्घटना का भय बना रहता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हए वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र स्थित नौबस्ता की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 रिंग रोड उपकेन्द्र से की जा रही है। उक्त उपकेन्द्र से सम्बन्धित क्षेत्र के बांस–बल्लियों से निर्गत संयोजनों को पी0सी0सी0 पोल, ए0बी0सी0 कण्डक्टर तथा परिवर्तक लगाकर विद्युत आपूर्ति को सामान्य करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिसमें लटके हुए तार भी समाप्त हो जायेंगे तथा विद्युत दुर्घटनायें भी रुकेंगी।

उक्त कार्य हेतु रु0 19.47 करोड़ का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमें 1178 नग एच0टी0 पोल, 3447 नग पी0पी0सी0 पोल, 39.31 मी0 एच0टी0 लाइन, 84 नग 100 के0वी0ए0 परिवर्तक एवं 22.82 किलोमीटर ए0बी0सी0 लगाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 1176 नग एच0टी0 पोल लगाये जा चुके हैं। उक्त कार्य दिनांक 31–03–2016 तक कराया जाना लक्षित है।,

झांसी डिवीजन, झांसी जल संस्थान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

झांसी डिवीजन झांसी जल संस्थान में कार्यरत अधिशासी.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख अभियन्ता विगत 06 वर्ष से ज्यादा समय से झांसी डिवीजन जल संस्थान के अन्तर्गत जनपद झांसी में कार्यरत रहे हैं। इनका इस डिवीजन से पूर्व में अन्यत्र स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी श्री यादव येन–केन प्रकारेण झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी के जनपद झांसी में ही अपनी तैनाती कराने में सफल रहे हैं जो कि स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1/3/96–का–4–2–2015, दिनांक 09–04–2015 में निहित व्यवस्था के पूर्णतया विपरीत है क्योंकि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निर्देश है कि जिलों में समूह ''क'' एवं ''ख'' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय।
श्री यादव वर्ष 2012 में पुनः अपना स्थानान्तरण कराकर झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी के जनपद में अधिशासी अभियन्ता के पद पर अपनी तैनाती कराने में सफल रहे हैं। श्री यादव जब से यहां आये हैं तबसे लेकर आज तक उनके द्वारा पेयजल योजनाओं के रख–रखाव व संचालन में भारी अनियमितता की जा रही है एवं इस हेतु शासन से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करते हुए बन्दरबांट किया जा रहा है। अतः श्री राधेश्याम यादव, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी के जनपद झांसी से अन्यत्र कर किसी योग्य एवं कर्मठ अधिकारी की तैनाती का अनुरोध किया गया है।

2–इस सम्बन्ध में आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री राधेश्याम यादव, अधिशासी अभियन्ता, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की तथाकथित शिकायतों के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी से आख्या प्राप्त की गयी। जांच में श्री यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। इसके अतिरिक्त श्री राधेश्याम यादव, अधिशासी अभियन्ता, झांसी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यथासमय विचार किया जायेगा।,

अजपा परिषद् सहकारी आवास समिति लि0, बसुन्धरा, गाजियाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अजपा परिषद् सहकारी आवास समिति लि0, बसुन्धरा.....

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्गाजियाबाद में मूलरूप से वास्तविक 324 सदस्य हैं, जिनके द्वारा अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई मकान हेतु संस्था को दी गयी थी जिनमें इन सदस्यों में से 134 सदस्य अपना मकान भी पा चुके हैं तथा संस्था सुचारु रूप से बचे हुए सदस्यों को भी मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत् थी लेकिन इसी बीच एक हिस्ट्रीशीटर श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा आवास एवं विकास परिषद्, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद की अवैध मदद से समिति पर कब्जा कर लिया गया है जिससे निःसहाय व मध्यम श्रेणी के लोगों का करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा गाजियाबाद अर्बन को–आपरेटिव बैंक में 100 करोड़ रुपये का गबन भी पूर्व में किया जा चुका है जो शासन/प्रशासन के अभिलेखों में दर्ज है इससे प्रतीत होता है कि श्री आर0डी0 शर्मा को गबन करने में महारथ हासिल है।

यहां यह भी संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि अवैध प्रशासकीय कमेटी द्वारा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अपने स्वयं द्वारा निर्धारित निम्न नियमों का उल्लंघन करके गरीब सदस्यों को निकालकर उनके करोड़ों रुपयों को डकारने के साथ–साथ उनके आशियाना का सपना भी चकचूर कर दिया है।

;।द्ध आदेश संख्या–2107/सह0/दिनांकित 23–06–2009

;ठद्ध आदेश संख्या–436/पी0एस0/एच0सी0/दिनांकित 31–03–2011

;ब्द्ध आदेश संख्या–4376/पी0एस0/एच0सी0/दिनांकित 17–11–2012

;क्द्ध आदेश संख्या–1851/सह0/दिनांकित 02–05–2011

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0 प्र0 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06–01–2015 को अजपा परिषद् सहकारी आवास समिति लि0 की 324 सदस्यों की सूची को अन्तिम करते हुए समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन करवाये जाने हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद को आदेशित किया था परन्तु जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए उक्त हिस्ट्रीशीटर से मिलीभगत करके उनके द्वारा निर्धारित सूची पर चुनाव न कराके, गरी सदस्यों की जिन्दगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है तथा जिलाधिकारी के इस अवैध कृत्य ने शासन/प्रशासन को जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्ष 2013 के बाद उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा समिति में गबन कराये जाने हेतु जितनी भी कमेटियां गठित की, उन्हें

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवैधानिक करार कर दिया गया। इन चार वर्ष के दौरान श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा तथा कथित सचिव के माध्यम से सदस्यों का 300–400 करोड़ रुपये का गबन किया जा चुका है। अतः इस व्यापक जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य/कार्यवाही की मांग की गयी है।

2–प्रश्नगत प्रकरण में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि अजपा परिषद्, सहकारी समिति लि0, गाजियाबाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0 प्र0 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये निर्वाचन पर मा0 आयोग का क्षेत्राधिकार होने के कारण परिषद् के पत्र दिनांक 25–2–2016 द्वारा सचिव, उ0 प्र0 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग से आख्या प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद, अरबन को–ओपरेटिव बैंक का क्षेत्राधिकार आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0 प्र0 लखनऊ का होने के कारण दिनांक 25–2–2016 द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0 प्र0 लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। अजपा परिषद् सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा नोटिस में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उसके सम्बन्ध में दिनांक 25–2–2016 के माध्यम से सम्बन्धित सहकारी अधिकारी (आवास) गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी।

सहकारी अधिकारी (आवास) गाजियाबाद की आख्या दिनांक 29–2–2016 के अनुसार मा0 सदस्य द्वारा अपनी नोटिस में उपरोक्तानुसार आवास विकास परिषद् के जिन 04 पुत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें उल्लिखित दिशा–निर्देशों के विपरीत कार्यालय द्वारा उक्त समिति में कोई प्रशासक, प्रशासक कमेटी/अन्तरिम कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जहां तक मा0 सदस्य का यह कथन कि कार्यालय द्वारा गठित कमेटियों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक किये जाने से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उक्त समिति में उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–438 के अन्तर्गत समय–समय पर नियमानुसार अन्तरिम कमेटी का गठन किया गया था जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–62349/2014 में पारित आदेश दिनांक 02–12–2014 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है जिस पर कार्यालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, परन्तु यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि वर्तमान में भी उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 का नियम–438 में उल्लिखित प्राविधान अभी भी विद्यमान है।

जहां तक उक्त अवधि में श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा अजया परिषद् सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद में समिति सचिव से मिलकर 300–400 करोड़ रुपये का गबन किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में सहकारी अधिकारी (आवास) द्वारा अपनी उक्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रारम्भिक स्तर पर समिति में करोड़ों रुपये के वित्तीय गबन से सम्बन्धित तथ्य संज्ञान में नहीं हैं और न ही उक्त नोटिस में उक्त धनराशि के गबन किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिक आधार का उल्लेख किया गया

है इसलिये उक्त धनराशि का गबन किये जाने के सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचना अप्रासंगिक होगा।

उक्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सचिव, उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 26–2–2016 में यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा याचिका संख्या–1248/2013, 2772/2013 एवं 4229/2013 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2014 के क्रम में उक्त समिति के निर्वाचन हेतु आयोग के पत्रांक–682–68/रा0स0स0नि0आ0 (अजपा) दिनांक 6–1–2015 द्वारा उक्त समिति की मतदाता सूची को आयोग के स्तर से अन्तिम करते हुए आयोग के आदेश संख्या–669–76/ रा0स0स0नि0आ0 अजपा दिनांक 6–1–2015 द्वारा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु दिनांक 27 एवं 28–2–2015 की तिथियां निर्धारित की गयी और दिनांक 13–2–2015 से निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया। आयोग के उपर्युक्त सन्दर्भित–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने समिति की प्रबन्ध कमेटी एवं सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन सम्पन्न कराया, परन्तु निर्वाचन कार्यक्रम के मध्य ही श्री घनश्याम पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–10017/2015 दाखिल की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19–2–2015 को यह निर्णय पारित किया गया कि याची निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त उसे चुनौती देने के लिये स्वतंत्र है। मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–2–2015 के विरुद्ध श्री घनश्याम पाण्डेय ने मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–9230/2015 घनश्याम पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उ0 प्र0 दाखिल की गयी है जो वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

गाजियाबाद अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0 के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार, सहकारिता उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्रांक–3658/अधि0–अर्बन बैंक दिनांक 26–2–2016 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि गाजियाबाद अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0 में श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा रु0 100 करोड़ का गबन किये जाने के प्रकरण में जांचोपरान्त जिला सहायक निबन्धक गाजियाबाद द्वारा श्री आर0डी0 शर्मा व अन्य के विरुद्ध वर्ष 2004 में कोतवाली नगर गाजियाबाद में मु0अ0सं0–23/04 पंजीकृत कराया गया। उक्त के पश्चात श्री के0जी0 सिंहल निवासी डी–27, सेक्टर–12 प्रताप विहार गाजियाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही के विरुद्ध अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 15–10–2010 द्वारा द्वेष भावना के साथ की गयी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए पुनः निष्पक्ष जांच कराये जाने के अनुरोध के क्रम में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक मेरठ मण्डल मेरठ को जांच के आदेश दिये गये। संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, मेरठ मण्डल मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 17–3–2011 द्वारा अपर निदेशक, अधि0 सहकारी समितियां मुख्यालय को यह अवगत कराया कि जांच आख्या के आधार पर कथित आरोपियों, बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

संख्या–23/04 निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रश्नगत बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैकिंग लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम की धारा–73 (1) के अन्तर्गत उक्त समिति में परिसमापक नियुक्त है जिसके विरुद्ध बैंक द्वारा शासन के सहकारिता विभाग में अपील योजित की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सहकारिता के पत्र दिनांक 388/49–1–(02)/16, दिनांक 03–03–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0 गाजियाबाद के समापन के सम्बन्ध में उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता विभाग, मेरठ मण्डल के आदेश संख्या–1580–85 विधि–परि0 दिनांक 11–08–2015 के विरुद्ध बैंक के उप सचिव श्री जितेन्द्र दत्त शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–98 के प्राविधानों के अधीन अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग के समक्ष दिनांक 20–8–2015 को अपील संख्या–55/2015 दाखिल की गयी है। उक्त अपील की सुनवाई दिनांक 24–09–2015, दिनांक 20–10–2015, दिनांक 30–10–2015, दिनांक 24–11–2015, दिनांक 08–01–2016 एवं दिनांक 28–01–2016 को की गयी है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 18–03–2016 को निर्धारित।,

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मन्धाता के अन्तर्गत खमपुर सम्पर्क मार्ग जल भराव के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का

केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के अन्तर्गत खमपुर ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(संलग्न वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्में पूरे ग्राम का पानी मार्ग पर जमा रहता है, जिससे मार्ग पर गहरे गड्ढे बन गये हैं। जल निकास की व्यवस्था भी नहीं है। प्रायः आवागमन की असुविधा के साथ–साथ पानी भरा रहने से गड्ढों का अनुमान न होने से दुर्घटनायें हो रही हैं। कई ग्राम वासियों की बाइक से गिरकर उन गड्ढों में पैर टूट गये हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर खमपुर सम्पर्क मार्ग पर उक्त जगह पर नाली निर्माण व मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।''

---

uksV %& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार विकास खण्ड मान्धाता अन्तर्गत नारायणगंज बाजार से खमपुर तक लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का 1.20 कि0मी0 लम्बाई का लेपित मार्ग निर्मित है, जिसकी दशा संतोषजनक है। इसके बाद मार्ग की 200 मी0 लम्बाई जनपद–प्रतापगढ़ के ग्राम तरौल एवं जनपद–इलाहाबाद के ग्राम भीखू का पुरवा का आबादी भाग है, जिसमें कट स्टोन लगा है, कट स्टोन जगह–जगह दब गयी है, जिस कारण आंशिक भाग में जल भराव रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 मी0 आबादी भाग में कट स्टोन का कार्य सांसद निधि योजना से कई वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया था। आबादी भाग में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु मार्ग के 200 मी0 भाग का उच्चीकरण कर दोनों ओर जल निकासी हेतु नाली निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

मरम्मत योग्य 200 मी0 सम्पर्क मार्ग में कट स्टोन का निर्माण पूर्व वर्षों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया था। वर्तमान में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का मरम्मतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जिला पंचायत द्वारा कराये जाने का प्राविधान है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए 200 मी0 कट स्टोन का सुदृढ़ीकरण/मरम्मतीकरण/गड्ढामुक्त एवं नाली निर्माण का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ रखा जायेगा। सदन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के 57 जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से आहरित किये गये वेतन भत्तों को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

प्रदेश के 57 जनपदों में सर्वशिक्षा के अन्तर्गत .....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से आहरित किये गये वेतन भत्तों को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है, जिसके कार्यान्वयन हेतु सभी जनपदों में जिला परियोजना

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कार्यालय स्थापित हैं, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जाता है। पूर्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती विशेषज्ञ, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से होती थी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी जनपदों में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03–01–2006 द्वारा सृजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रत्येक जिले के विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के वेतन हेतु प्रावधान किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी तैनाती आदेशों में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया है बाद में शासन स्तर से जारी स्थानान्तरण/तैनाती आदेशों में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी न लिखकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती आदेश निर्गत हुए हैं। चूंकि सभी जनपदों में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित हैं और वार्षिक कार्ययोजना में उनके वेतन एवं अन्य भत्तों आदि का प्रावधान किया जाता है, अतः विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्व शिक्षा अभियान से वेतन एवं अन्य भत्ते आदि दिया जाना अनुमन्य रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की बैठक में अधिकारियों के वेतन को परियोजना से वहन करने के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करने के कारण राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या–रा0प0नि0/5029 दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि उनके वेतन का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के मद से नहीं किया जायेगा। चूंकि पूर्व में विशेषज्ञ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन किया जाता रहा है, इसलिये उन्हें सर्व शिक्षा अभियान से वेतन/भत्तों का भुगतान किया गया है। अतः उनको सर्व शिक्षा अभियान से किये गये वेतन/भत्तों के भुगतान को वापस कराये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।,

जनपद मथुरा से दिल्ली आगरा निर्माणाधीन 6 लेन के किनारे एलाटी दुकानदारों/किसानों को मालिकाना फ्री–होल्ड की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मो0 आजम खां)–

जनपद–मथुरा से दिल्ली–आगरा निर्माणाधीन 6 लेन के किनारे.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्एन0एच0–2 पर सड़क निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और सड़क को लगभग 2 फीट ऊंची की जा रही है। इसी 6 लेन सड़क निर्माण के बराबर जनपद मथुरा में कृषि मण्डी परिषद् स्थापित है। इसी कृषि मण्डी परिषद् की किसान बाजार की लगभग 100 दुकानें बिल्कुल रोड पर स्थापित हैं। 6 लेन सड़क निर्माण (एन0एच0–2) के बराबर स्थापित मण्डी परिषद् की किसान बाजार की दुकानें सड़क निर्माण से लगभग एक फीट नीची हो गयी हैं। इसके कारण वारिश का पानी व अन्य गन्दा पानी मण्डी परिषद् की किसान बाजार की दुकानों में भर जायेगा।

इस स्थिति के कारण किसान बाजार की दुकानों के मण्डी परिषद् मथुरा द्वारा एलाटी दुकानदारों (किसानों/व्यापारियों) को काफी चिन्ता बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में मथुरा मण्डी परिषद् द्वारा किसान बाजार की दुकानों को सड़क की लेवल से ऊंची करायी जाय। अथवा जो किसान बाजार की दुकानों के एलाटी हैं उनको फ्री–होल्ड किया जाये। जिससे कि वहां के व्यापारी एवं दुकानदार अपने स्वयं के खर्च पर सड़क लेवल से अपनी दुकानों को तथा दुकानों की छतों को ऊंचा उठा सकें। यह तभी सम्भव है कि शासन द्वारा मण्डी परिषद् मथुरा को इस आशय से निर्देशित किया जाये कि एलाटी दुकानदारों/किसानों को मालिकाना फ्री–होल्ड की अनुमति प्रदान की जाये।

अतः इस जनहित व अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नवीन मण्डी स्थल मथुरा, दिल्ली–आगरा मुख्य मार्ग (एन0एच0–2) पर अवस्थित है, वर्तमान में उक्त मार्ग–4 लेन का है, जिसे 6 लेन का किया जा रहा है। मण्डी स्थल में एन0एच0–2 की तरफ किसान बाजार की 95 दुकानें 6 ब्लाकों में निर्मित हैं। सड़क के 6 लेन के कार्य हेतु ब्लैक टॉप का कार्य प्रगति पर है तथा किसान बाजार की दुकानें एवं 6 लेन के मध्य सर्विस रोड (7.00 मी0 चौड़ाई में) का निर्माण भी कराया जा रहा है। निर्माणाधीन सर्विस रोड से किसान बाजार की दुकानें लगभग 6.00 मी0 की दूरी पर स्थित हैं तथा किसान बाजार की दुकानों के सामने जल–निकासी हेतु नाला निर्मित है, जिसका स्पेन चार फीट से छः फीट है। मात्र 15 दुकानों के सामने (सौंख रोड से आगरा की ओर) निर्माणाधीन सर्विस रोड का लेवल (कैम्बर वन साइड होने के कारण) लगभग 8 इंच ऊंचा है शेष भाग में निर्माणाधीन सर्विस रोड का लेवल किसान बाजार की दुकानों से लगभग 1.5 फीट नीचा है। चूंकि सर्विस रोड से दुकानों की दूरी लगभग 6 मी0 है एवं मात्र 15 दुकानों के सामने निर्माणाधीन रोड का स्तर 8 इंच ऊपर है तथा किसान बाजार की दुकानों से ठीक सामने जल–निकासी हेतु पर्याप्त क्षमता का नाला निर्मित है। उक्त को देखते हुये बारिश का पानी एवं अन्य गन्दा पानी किसान बाजार की दुकानों में भरने की सम्भावना नहीं है।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

यह भी अवगत कराना है कि दुकान–आवंटन नियमावली में व्यापारी/किसानों को किसान बाजार की आवंटित दुकानों को फ्री–होल्ड करने अथवा मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। इसलिये मण्डी समिति, मथुरा में प्रश्नगत किसान बाजार की दुकानों को एलाटी दुकानदारों/किसानों को मालिकाना हक फ्री–होल्ड दिया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद उन्नाव के थाना क्षेत्र हसनगंज के ग्राम फरहरपुर पुलिया के अन्तर्गत लोक निर्माण की सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेलाल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मो0 आजम खां)–

जनपद–उन्नाव के थाना क्षेत्र हसनगंज के ग्राम फरहरपु.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के निवासीगण भगवान बक्श सिंह पुत्र स्व0 छोटे सिंह, रज्जू सैनी पुत्र रामरतन आदि लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से अपनी दुकानें बनाकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिससे प्रायः मार्ग अवरुद्ध रहता है, उक्त स्थल पर किसानों की आम की सबसे बड़ी मण्डी लगती है तथा स्थानीय स्तर दो बड़ी बाजार लगती हैं, इसके अतिरिक्त आस–पास कई विद्यालय संचालित होती हैं। सड़क की उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बना लिये जाने से सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आये दिन राहगीरों एवं क्षेत्रीय जनता के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता, छात्र–छात्राओं तथा किसानों को वहां पर हमेशा सड़क जाम लगने के कारण आवागमन में अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यालय सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा अपने पत्रांक–215/ब.11ध।म प्प्ए दिनांक 16–03–2015 के माध्यम से उक्त अवैध कब्जा को हटवाये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कहा गया है, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक सड़क पर अतिक्रमण कर बनायी गयी अवैध दुकानों को नहीं हटाया जा सका है। जिससे क्षेत्र की जनता में अत्याधिक रोष व्याप्त है।

प्रश्नगत अतिक्रमण जनपद–उन्नाव में मोहान अजगैन (अन्य जिला मार्ग) के किलोमीटर 3 में दो दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें से एक दुकान का निर्माण लोक निर्माण विभाग की भूमि में अतिक्रमण करके किया गया है। स्थल पर निर्मित दोनों दुकानों में से एक दुकान जिसमें साइकिल स्टोर है लोक निर्माण विभाग की भूमि से

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बाहर है तथा दूसरी दुकान जिसमें किराना स्टोर है, लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्मित किया गया है। इस दुकान को श्री भगवान बक्श सिंह ने श्री रमाशंकर को किराये पर दे रखी है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए दिनांक 16–03–2015 को नोटिस निर्गत किया गया था, परन्तु इस दुकान की कब्जेदारी को लेकर दुकान के स्वामी एवं किरायेदार के बीच एक वाद स्थानीय न्यायालय में योजित है जिसमें अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश पारित हैं। वाद की अगली सुनवाई दिनांक 04–03–2016 को नियत है। शासकीय अधिवक्ता (सिविल) जनपद, उन्नाव के परामर्श के अनुसार उक्त स्थगन आदेश भवन स्वामी एवं किरायेदार के मध्य विवाद से सम्बन्धित है लेकिन स्थगन आदेश लोक निर्माण विभाग पर भी प्रभावी है। स्थगन आदेश के वैकेट होने तक लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में निर्धारित तिथि को विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त यथाचित कार्यवाही की जायेगी।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–11 का उत्तर पीछे–37 पर)

क्रम सं0	जनपद का नाम	बी0पी0एल कार्डधारकों की संख्या
01	मेरठ	154
02	बागपत	129
03	गाजियाबाद	142
04	जी0पी0 नगर	127
05	बुलन्दशहर	430
06	हापुड़	142
07	सहारनपुर	884
08	मुजफ्फरनगर	319
09	शामली	239
	योग	**1443**
10	मुरादाबाद	489
11	बिजनौर	337
12	रामपुर	563
13	सम्भल	368
14	अमरोहा	339
	योग	**2099**
15	बरेली	1609
16	शाहजहांपुर	614
क्रम	जनपद का	बी0पी0एल

सं0	नाम	कार्डधारकों की संख्या
17	पीलीभीत	595
18	बदायूं	735
	योग	**3554**
19	लखनऊ	811
20	खीरी	1767
21	हरदोई	1895
22	रायबरेली	1645
23	सीतापुर	1808
24	उन्नाव	1844
	योग	**9778**
25	आगरा	158
26	मैनपुरी	744
27	मथुरा	672
28	फिरोजाबाद	537
	योग	**2112**
29	अलीगढ़	401
30	हाथरस	277
31	एटा	441
32	कासगंज	438
	योग	**1558**
33	कानपुर नगर	1021
34	कानपुर देहात	828
35	इटावा	747
36	औरैया	834
37	फर्रुखाबाद	622
38	कन्नौज	479
	योग	**4533**
39	झांसी	743
40	जालौन	613
क्रम	जनपद का	बी0पी0एल

सं0	नाम	कार्डधारकों की संख्या
41	ललितपुर	444
	योग	**1801**
42	बांदा	78361
43	हमीरपुर	58538
44	महोबा	26694
45	चित्रकूट	37235
	योग	**200828**
46	फैजाबाद	102054
47	बाराबंकी	183597
48	सुल्तानपुर	129771
49	अम्बेडकरनगर	106692
50	अमेठी	113320
	योग	**635434**
51	गोण्डा	105183
52	बहराइच	204893
53	श्रावस्ती	37872
54	बलरामपुर	59770
	योग	**407718**
55	गोरखपुर	203868
56	देवरिया	167266
57	कुशीनगर	190142
58	महाराजगंज	107740
	योग	**669016**
59	बस्ती	143842
60	संतकबीर नगर	86548
61	सिद्धार्थनगर	133299
	योग	**363689**

क्रम सं0	जनपद का नाम	बी0पी0एल कार्डधारकों की संख्या
62	इलाहाबाद	142301
63	प्रतापगढ़	119919
64	कौशाम्बी	61034
65	फतेहपुर	59770
	योग	**383024**
66	वाराणसी	80211
67	गाजीपुर	94656
68	जौनपुर	202387
69	चंदौली	76026
	योग	**453280**
70	मिर्जापुर	102783
71	सोनभद्र	82479
72	भदोही	62145
	योग	**247407**
73	आजमगढ़	170726
74	मऊ	90932
75	बलिया	161616
	योग	**423274**
	महायोग	**6584500**

नत्थी–'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ 222 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार अनुदान संख्या–50 के मध्य पृष्ठ संख्या–232 पर एवं अनुदान संख्या–23 के मध्य पृष्ठ संख्या–234 पर चर्चा में जो मा0 सदस्य भाग न ले सके उन्होंने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वह संलग्न है–

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, आपने ग्राम विकास योजना के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आभार व्यक्त करते हैं मा0 मंत्री जी ने जो ग्राम विकास योजना लायी है वह बधाई के पात्र हैं मैं कुछ आपने विधास सभा क्षेत्र आलापुर अम्बेडकरनगर की समस्या की बात रखना चाहता हूं।

1–ग्राम पंचायत बलरामपुर में पानी टंकी की व्यवस्था जो अति आवश्यक है। निर्माण

2–ग्राम पंचायत, रामनगर में पानी टंकी की व्यवस्था जो अति आवश्यक है। निर्माण

3–ग्राम पंचायत मकरही में पानी टंकी का निर्माण जो अति आवश्यक है।

4–प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़कें जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गयी है उसका सर्वे कराकर गड्ढामुक्त करने की कृपा करें। जो अति आवश्यक है।

5–इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जो खराब पड़े हैं उसका प्रस्ताव मंगवाकर ठीक कराने का कार्य करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, अवगत कराना है कि माधौगढ़ विधान सभा के ब्लाक नदी गांव के ग्राम सलैया के आसपास पहूज नदी पर अगर डेम बना दिया जाय तो जनपद जालौन में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त हो जायेगी एवं बिजली भी बनना शुरू हो जायेगी एवं जनपद जालौन का वाटर लेबिल स्थिर हो जायेगा।

श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

मान्यवर जी, आज आपने मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी द्वारा सिंचाई विभाग के बजट वर्ष 2016–17 पर लायी गई कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

सिंचाई विभाग का बजट इस प्रदेश के 22 करोड़ आबादी को प्रभावित करने वाला विषय है। विशेष करके मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर के लिये। मड़िहान एक सूखाग्रस्त, नक्सल प्रभावित एवं पठारी क्षेत्र है। सिंचाई की समस्या यहां पर जटिल इसलिये है क्योंकि यहां पर भू–गर्भ जल का कोई स्रोत नहीं है। पिछले दो वर्षों से बरसात भी बेहद कम हुयी है।

मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी का एवं सिंचाई मंत्री माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे दादा स्व0 लोकपति त्रिपाठी द्वारा कांग्रेस के शासन काल में सिंचाई मंत्री के हैसियत से कनहर सिंचाई परियोजना की एवं सोन पम्प कैनाल की स्थापना करायी गयी

थी। इन दोनों परियोजना को पूर्ण कराने का संकल्प लिया है। कई वर्षों के प्रयास के बाद इस वर्ष सोन पम्प कैनाल से पानी मिर्जापुर जनपद में आया। इसके लिये मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब जनपदवासियों को यह विश्वास हुआ कि सोन पम्प का पानी भविष्य में मड़िहान ब्रान्च की टेल तक, कमाण्ड क्षेत्र निर्धारित होगा। इसके हो जाने से 25000 हेक्टेयर भूमि जो असिंचित है उस पर भी कृषि कार्य करने का अवसर मिल जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष भी मैंने यह निवेदन किया था कि घाघर प्रणाली की नहर लगभग 100 किलोमीटर लम्बी है। यदि इस नहर पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर पम्प संचालित किया जाय जिससे विभाग द्वारा करोड़ों बिजली के बिल पर खर्च होता है उसमें कुछ बचत हो जायेगी। बांणसागर परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है। अध्यक्ष जी मैं इस वर्ष भी आपसे अनुरोध करता हूं कि जरगो बांध से हुसैनपुर वियर तक। लम्बी नहर का निर्माण बांणसागर द्वारा करायी जाय। पिछले 04 दशक में आज तक विकास खण्ड जमालपुर में सूखे का असर देखने को नहीं मिला परन्तु इस वर्ष वहां की भी फसल प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल वर्तमान संसाधन जैसे–अहरौरा बांध एवं डोंगिया बांध से नहीं मिल पाया। इस प्रकार की स्थिति दोहराने न पाये उसके लिये अति आवश्यक है कि जरगो बांध से हुसैनपुर वियर तक की नहर का निर्माण सुनिश्चित हो।

माननीय अध्यक्ष जी, इस कटौती प्रस्ताव पर मैं बल इसलिये दे रहा हूं क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र मड़िहान के साथ अन्याय किया जा रहा है। आपके माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध है कि घाघर नहर प्रणाली में पड़ने वाली झाल, लाइनिंग, फाटक की मरम्मत यदि हो जाती तो पानी निश्चित रूप से टेल के किसानों तक पहुंच जाता। इस 108 किलोमीटर में सैकड़ों अवैध कुलाबे विगत कई वर्षों से बनाये गये हैं जिनको बन्द करके पानी आगे टेल तक पहुंचाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे क्षेत्र के लिये कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर धन का प्रबन्ध नहीं किया गया है। इन योजनाओं की स्थिति पर एक झलक डाल देंगे तो खुद समझ में आयेगा कि धनाभाव के कारण किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इस क्रम में बेलन–बकहर पोषक नहर जिसका कमाण्ड क्षेत्र 9670 हेक्टेयर है, उनके सापेक्ष सिंचाई मात्र 5700 हेक्टेयर का हो पा रहा है। बकहर–मड़िहान फीडर चैनेल जिसका कमाण्ड क्षेत्र 11670 हेक्टेयर है उसके सापेक्ष मात्र 1670 हेक्टेयर सिंचित हो रहा है। सोन पम्प कैनाल का कमाण्ड क्षेत्र 90 हजार हेक्टेयर के सापेक्ष मात्र 65 हजार हेक्टेयर सिंचित हो पा रहा है।

मान्यवर, सिरसी बांध पर स्थित चौधरी चरण सिंह पम्प कैनाल की स्थिति और भी दयनीय है। विद्युत आपूर्ति सही ढंग से न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है और साथ ही साथ जहां तक पानी पहुंचता है विद्युत आपूर्ति के अभाव में वह भी पूर्णरूप से सिंचित नहीं हो पाता है। यदि गुरूदेव नगर 132 के0वी0 उपकेन्द्र से एक नई लाइन खींचकर चौ0 चरण सिंह पम्प कैनाल के निकट एक 33ग्4 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना करके विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो जातीी है तो इस क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान मिल जाता।

अध्यक्ष जी, एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया।

कुंवर कौशल सिंह–

मान्यवर,

मैं निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये सिंचाई विभाग की कटौती प्रस्ताव पर बल देना चाहता हूं। विवरण निम्नलिखित है :–

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये प्रस्तुत सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–नौतनवां, जनपद–महराजगंज के अन्तर्गत रोहिन नहर प्रणाली जो विगत 15 वर्षों से टूटी पड़ी है, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा किया गया था तथा धन भी अवमुक्त हुआ और ब0स0पा0 सरकार के कार्यकाल में इसका कार्य कराया गया। मानक विपरीत होने के कारण नहर हेड के लिये बनाये गये सारे पाये टेढ़े हो गये, जिससे यह योजना अधर में लटक गयी। इस नहर से 25 कि0मी0 परिधि में किसानों के खेतों की सिंचाई होती है। ऐसी दशा में किसानों में हाहाकार मची हुई है। इसलिये उक्त नहर प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि अवमुक्त करते हुये कार्य पूर्ण कराया जाना जनहित में अति–आवश्यक है। सरकार का इस प्रकरण पर ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं तथा अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 अरुण कुमार–

महोदय,

बजट में मेरी विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों और लघु सेतु निर्माण पुनः निर्माण करना अति आवश्यक है। खानपुर नहर में सत्तोनगली मुकाम हसैनपुर तक 3) किलोमीटर तक खानपुर बसंतपुर नराबली मार्ग से डहरा बिलन्दी कि 1) कि0मी0 आलमपुरी होते हुये हिरनपुर मेवाजट नहर की पटरी का निर्माण 3 कि0मी0 अनोसा नगली नहर के पुल से रतनपुरा होते हुये दौलताबाद भट्टे तक तक 2) कि0मी0 मुकाम से सागर सत्वाई होते हुये मकसूदपुर की पुलिया होते हुये मुकसूदपुर आलमपुरी जयरामपुर चौराहा तक 2) कि0मी0 गल्लाखेड़ी से पैतियां होते हुये रामखेड़ा तालाब तक लगभग 2 कि0मी0 सत्वाई से मुण्डाखेड़ा तक 1) कि0मी0 हयानगली से किवाड 2 कि0मी0 स्योहरा नूरपुर मार्ग में से गढ़ी सदाफल होते हुये वदुपुरा ग्राम तक 4) कि0मी0 खानपुर होते हुये नहर पटरी पर कडूला (संदुकवाला) पुल तक 3 कि0मी0 खाना शिकारपुर से गल्बारपेडी होते हुये संदुकवाला पुल भट्टा तक 3 कि0मी0 ग्राम किवाडा की नहर की पटरी आलमपुरी काजमपुर होते हुये मेवाजट की नहर तक 3–4 कि0मी0

सत्वोनगली की नहर की पटरी वाला रास्ता नहर तक 1 कि0मी0 नहटौर पैजनिया मार्ग में से महमदाबाद तक लगभग 2 कि0मी0 ताजपुर से शिकारपुर होते हुये बड़ी नहर के पुल तक 3–4 कि0मी0 मंगोलपुरा से बिजनौर से मुरादाबाद मार्ग का नूरपुर बाईपास बनाया जाये।

गोहावर जैत, हल्लू से नारेमिलक, बेर, कैमरी, मूराठ होते हुये नौगावा फीना मार्ग तक 14 कि0मी0 व स्योहारा शुगर मील होते हुये दौलताबाद होते हुये खानपुर वसंतपुर नरावली मंगलखेड़ा तक स्योधरा ताजपुर रोड 14 कि0मी0 दौलतपुर नहर के पुल से मांगावा पर की पटरी का पुनः निर्माण 8 कि0मी0 मालवा से कैमरी तक 1 कि0मी0 नूरपुर फैतिहाबाद से होते हुये पुरैना (अब्दुल्ला हसन) तक 3 कि0मी0 नूरपुर से वीरबलपुर तक 4 कि0मी0 तक निर्माण व पुनः निर्माण कराया जाये।

डा0 अरुण कुमार–

मान्यवर,

आज सबसे जरूरी चीज हे रोटी कपड़ा मकान और चौथी चीज जो जरूरत है वह है रोजगार व आवास की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है शहरों में शहरो की आबादी आजादी के समय 15–20ः थी जो आज लगभग 30ः है बहुत शीघ्र ही यह संख्या 40ः पर पहुंचेगी मकानों की दिक्कत होती जा रही है जिसकी एक प्रमुख वजह च्चचनसंजपवद भी है।

शहरों के अन्दर एक तरफ बड़े–बड़े प्दकनेजतपमेए डाक्टर, वकील सरकारी अधिकारी साहित्यकार आदि रहते हैं वहीं दूसरी तरफ दूरदराज से लोग रोजगार के लिये आते हैं जो सरकारी कार्यालय की दीवार के किनारे या नाले के ऊपर पन्नी तान कर रहते हैं खुले में शौच करते हैं। ैमससवू ींदक चनउच जिसका पानी प्रदूषित है पीने योग्य नहीं है, बच्चे जहां शौच करते हैं वहीं खेलते हैं और अक्सर बीमार रहते हैं।

शहरों के अन्दर लगभग आधे हिस्से में सीवर, टंकी से शुद्ध पेयजल, जल निकासी, बिजली आदि की व्यवस्था हैं। जबकि त्मेपकमदबल में जहां लगभग आधी आबादी रहती है वहां बेसिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। यह जगह ैसनउे या अवैध कालोनी है जो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कालोनी वालों की मिली भगत से बनती हैं कलोनाइजर्स कुल कालोनी का ले–आउट पास कराके और अधिकांश को बिना पास कराये बेच देते हैं। जो पास कराई हुई कालोनी होतीं हैं वह महंगी बिकती हैं आमतौर पर आश्वासन के बाद भी सड़क, पानी, सीवर, जल निकासी की व्यवस्था कलोनाइजर्स नहीं कराता और तो और पार्क और स्कूल के लिये छोड़ी गई जमीन को भी बेच देते हैं इन कालोनियों में रहने वाले अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं। नगर निगम या प्राधिकरण में सड़क, नाली, सीवर, जल निकासी तथा शुद्ध पेयजल के लिये चक्कर लगाने पड़ते हैं। जवाब मिलता है कि कालोनी अवैध है इसलिये विकास कार्य नहीं कराये जा सकते। मकान बनाते समय ही विकास प्राधिकरण को देखना चाहिये कि कालोनी का

ले–आउट तथा नक्शा पास है या नहीं तथा तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। रजिस्ट्री कार्यालय का भी ले–आउट पास होने के बाद ही शहरों के पास की एग्रीकल्चर लैण्ड छोटे टुकड़े में रजिस्ट्री करना चाहिये वरना नहीं जो कलोनाइजर्स ले–आउट पास कराते हैं, प्लाट बेचते हैं और विकास पूरा नहीं कराते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिये तथा प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये।

अवैध कालोनी को वैध कराया जाय तथा विकास सड़क, नाली, शुद्ध पेयजल, सीवर, सड़क बिजली की व्यवस्था करायी जाय। म्बमदमउमदज ूमांमत ैबनउे ंदक स्वू प्दबवउम वालो के लिये सरकार की तरफ से मुक्त या ैसंतपसप्रमक बैंक से किश्तों में मल्टी स्टोरी मकान बनाकर दिये जायें, मकान की जमीन कम हो लेकिन आधार भूत सुविधायें अवश्य हों।

रैन–बसेरे बेहतर बने होना चाहिये गांव में जब सूखा या बाढ़ आती है और रोजगार नहीं मिलता है तो आदमी शहर की तरफ भागता है उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। इन लोगों को कम दाम पर रैन–बसेरे की व्यवस्था हो जहां मूलभूत सुविधायें बिस्तर, शौचालय, स्नानघर, कम्बल पीने का पानी आदि उपलब्ध हों।

स्लम एरिया को मल्टी स्टोरी हवादार मूलभूत सुविधाओं वाली कालोनी में कनवर्ट किया जाय प्तइहदमसमक ज्वूदीपच कमअमसवच की जाय। शहरों में बढ़ती हुई आबादी का लेबल कम करने के लिये हर तहसील व ब्लाक में अच्छी ज्वूदीपच बनायी जाय। गांव की चलो कार्यक्रम चलाया जाय तहसील/ब्लाक पर जमीन सस्ती मिले जो मल्टी स्टोरी मकान बनाये जायं, जहां बिजली, शुद्ध पेयजल, सड़क, जल निकासी, कानून व्यवस्था, स्कूल, चिकित्सा, रोजगार, सस्ता ट्रांसपोर्ट आदि का प्रबन्ध हो। कालोनी जो भी बने मल्टी स्टोरी कम जमीन में इकोनॉमिकल रेट की बनायी जायं। थ्त बढ़ाया जाय।

मल्टी स्टोरी मकानों को भूकम्प से सुरक्षा हो इसके लिये प्रशिक्षित राज मिस्ती का उपयोग हो, हमारे बरेली में स्थानीय दैनिक जागरण अखबार ने आधुनिक विश्वकर्मा कार्यक्रम चलाया जिसमें राज्यों को भूकम्प निरोधी मकान बनाने के लिये प्रशिक्षित किया हर जिलें में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिये।

आवास विकास, विकास प्राधिकरण एवं डूडा में विधायकों को सदस्य होना चाहिये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इन्तजाम हो ताकि ॅजमत संदक कम न हो। वृक्षारोपण अवश्य होना चाहिये विभागों के झगड़े आपस में समाप्त किये जाना चाहिये। डूडा ने बरेली के परिसर में एक कालोनी बनायी है, जिसमें काफी गरीब लोग रहते हैं 10 साल होने के बाद भी आज भी बिजली नहीं है इसे लगवाया जाय।

श्री काली चरन सुमन–

मान्यवर,

विषय :–लोक निर्माण विभाग बजट में प्रस्ताव जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

90, आगरा, ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के सड़के प्रस्ताव शामिल किया जाय।

1–नगला वाली से सैमरी, सैमरीताल से एस0एस0प0 स्कूल तक सड़क मरम्मत लेपन की जाय।

2–सैमरी देवरी रोड से नहर की माइनर की पट्टी रोहता नहर तक सड़क मरम्मत की जाय।

3–अजीजपुर जगनेर रोड से टोरंट पावर अजीजपुर परिक्रमा मार्ग सड़क मरम्मत लेपन कार्य।

4–अजीजपुर जगनेर रोड से सोहल्ला फाटक तक सड़क मरम्मत कार्य।

5–नगला देवरी नहर से देवरी परिक्रमा मार्ग देवरी रोड तक।

6–समराबाद रोड गुटिका से गगरौआ नहर तक सड़क मरम्मत कार्य।

7–श्यामा चौराहा से लौघई बजेहरा बेहटा नहर तक सड़क मरम्मत कार्य।

8–बिचपुरी बैंक से नानपुर फतेहपुर सीकरी रोड तक सड़क मरम्मत कार्य।

श्री काली चरन सुमन–

महोदय, 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रमों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाय।

1–नगला आनन्दी (टपरा) ग्राम को नव निर्माण सड़क मार्ग से जोड़ा जाय अजीजपुर रोड से जाय।

2–ग्राम घडी हर दयाल (अकोला) ग्राम को अकोला रोड तक निर्माण सड़क कार्य को जोड़ा जाय।

3–ग्राम घडी पीलिया को करोली गूजर नदोता रोड से जोड़ा जाय, नव निर्माण सड़क कार्य कराने कार्य।

4–ग्राम पीपरा को सड़क मार्ग से विसासा ग्राम से जोड़ा जाय।

5–कौलगवा ग्राम को उर्खरा नहर पुलिया तक नव निर्माण सड़क कार्य।

शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में निम्न स्तर की सड़कों का निर्माण हुआ है उन्हें सही कराया जाय तथा ग्राम खमरिया पं0 में विद्युत उपकेन्द्र खोला जाय तथा साथ–साथ हसनपुर कटौली व कफारा, ईसानगर में भी विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाय तथा जर्जर हो चुकी विद्युत लाइनों को बदला जाय तथा जो विद्युत लाइनें प्रायः घरों के ऊपर से निकली है उन्हें वहां से हटाया जाय तथा किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन दिया जाय तथा विद्युत उपकेन्द्रों व लाइनमैनों की भर्ती की जाय।

हम अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में बताना चाहेगें कि पूरी विधान सभा में सभी सड़कें खस्ताहाल है तथा च्ॅण्क्ण् विभाग की सड़कों की हालत खराब है तथा बसतापुर से पहड़ियापुर धौरहरा अमेठी डिहुआ का मार्ग जर्जर तथा धौरहरा–भटपुरवा व लाल्जी पुरवा लहबड़ी मार्ग तथा ईसानगर से शिवपुर–बिरसिंहपुर से सरैंया तक सड़क की हालत

खराब है तथा सेनरिया से मुखलिसपुर व कटौली से दुर्गापुर पड़री तथा कटौली से शेखपुर से सिगावंर तक सड़क खराब है तथा खनरिया से ईसानगर तक रोड तथा सरैंया से सिगावंर तक रोड तथा ईसानगर से मूड़ी सिगावंर तक रोड खराब है तथा अल्तारपुर से नारीबेहड़ होते हुए सिद्धनपुरवा तक की सड़क मिर्जापुर से सेमरिया तक की रोड भी खराब है। रमिया बेहड़ से परौरी तक रोड खराब है। चनपुरा से अमयपुर तक रोड बनायी जाय।

शादरनगर (शारदानगर) के तटबन्धा जो झण्डी तक जाता है उस बन्धे पर पक्की सड़क बनायी जाय। ऐरा पुल से अम्बरपुर तक तथा घाघरा से घाघरा पुल से मिलिक तक बन्धे पर रोड बनायी जाय तथा शारदानगर से ऐरा तक तटबन्ध पूर्ण किया जाय तथा जो बन्धा अभी निर्मित नहीं है उसे बनाया जाय। कैलाशपुरी (गिरजा बैराज) से शारदानगर तक नहर को पक्का किया जाय तथा तहसील धौरहर की सभी नहरों की सफायी करायी जाय। सुहेली नहर साफ कराया जाय तथा तहसील धौरहर में निर्मित सरकारी नलकूपों की सही कराकर चालू कराया जाय तथा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित (निर्मित) सभी वोवर हेतु (पानी की टंकी को चालू कराया जाय तथा मण्डी समिति की निर्मित सभी सड़कों की रिपेयरिंग करायी जाय तथा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज सरकारी व महिला डिग्री कालेज खोला जाय तथा सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति की जाय तथा पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी में अर्सेनिक तथा फ्लोराइड युक्त पानी पीने को विवश है। अतः तीन सौ फिट के नल लगाए जाए।

गन्ना विभाग की निमिति सड़क जो सिगांवर से जेठरा होते हुए सरैंया तक है उसे पुननिर्मित कराया जाय तथा रमियाबेहड़ से खिसवाही नैनापुर तक गन्ना विभाग की निर्मित सड़क का पुननिर्माण कराया जाय तथा सरकारी गन्ना समिति में कर्मचारियों तथा गन्ना पर्यवेक्षकों की भर्ती की जाय तथा गन्ने का भुगतान तथा पर्चियों का कार्य गन्ना समितियों को दिया जाय तथा घटतौली रोकी जाय गन्ने का भुगतान कराया जाय तथा नये क्रयकेन्द्रों को खोला जाय। कबिरहा, मिर्जापुर, मितौला में नये क्रय केन्द्रों को खोला जाय।

अध्यक्ष जी, अपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, आप को सादर अवगत कराना है कि बजट चर्चा में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित कर लिया जाय। जनपद चन्दौली के मुगला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लो0 नि0 विभाग को सड़कों की दयनीय स्थिति एवं क्षतिग्रस्त के विषय में मेरे द्वारा निम्नलिखित सड़कों को बनाने के लिए प्रश्नो एवं नियमों के माध्यम से उठाता रहा है। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के निम्नलिखित सड़कों/मार्गों को बनवाने के लिए बजट के चर्चा लोक निर्माण विभाग में जोड़ दिया जाय।

(1) शाहुपुरी–पड़ाव क्षतिग्रस्त मार्ग की। (2) हिन्दवारी रंगौली, हिन्दवारी सेंगर मार्ग। (3) छित्तमपुर लंका मार्ग। (4) जी0टी0 रोड दुलहीपुर से व्याहापुर होते हुए नाथूपुर तक। (5) जी0टी0 रोड दुलहीपुर से कुण्डा कला मार्ग। (6) गोधना चकिया रोड से गोधना गौरी गंग्से होते हुए भरछा मार्ग। (7) नेशनल हाइवे से नई कोट होते हुए ख्यालगढ़ तक। (8) बवरी माइनर से होते हुए गौरी गांव तक। (9) चकिया मार्ग चन्दाइत से हसनपुर होते हुए महदेडल तक तथा कई अन्य मार्गों को भी जो पूर्व में प्रस्तावित किया गया था सम्मिलित किया जाय।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय जी, ऊर्जा विभाग के बजट के तरफ आप का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए मांग करता हूं कि निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण करवाया जाना एवं नया ट्रन्सफार्मर क्षमता वृद्धि करवाना जनहित में अतिआवश्यक मेरे विधान सभा क्षेत्र–मुगलसराय के विजली की समस्याओं को देखते हुए निम्न गांवों से विजली कार्य करवाना अतिआवश्यक मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। हिन्दवारी, चन्दरखा रंगौली गोधना पुरैनी सहपौर, सतपोखरी, दुलहीपुर, महाबलपुर, अमोधपुर, कुढ़कला, खजूर गांव, हथेरवां, पशेरवां, डिहवां, गोपालापुर, परनवां, जिवनाथपुर इत्यादि सैकड़ों गांव बिजली से बंचित है अनेकों गावों में जर्जर तार की भी समस्या बनी है। लो बोल्टेज कि समस्या क्षमता वृद्धि करवाना आवश्यक है। इन सभी को सम्मिलित किया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों की हितैषी की सरकार बनती है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में किसानों का ओला वृष्टि का पैसा आप तक नहीं दिया गया। आपके के माध्यम से मांग करता हूं कि ओलावृष्टि आपकारी विभाग में बड़े पैमाने पर सरकारी एवं अवैध दुकानों के संचालन से रोष व्याप्त है। मेरे विधान सभा में परशुरामपुर ग्राम शराब के दुकानों को हटाने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा धरना–प्रदर्शन भी किया गया। जिसे नहीं हटाया गया। धनी बस्ती में शराब के दुकान होने से शराबियों द्वारा उत्पाद मचाया जाता है और महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। इसी के कारण परशुरामपुर ग्राम में एक व्यक्ति की भी हत्या हो चुकी है। इसी तरह की अन्य कई जगहों पर समस्या है। जिसे हटवाने के लिए मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

धन्यवाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखने का मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे कटौती पेश करने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर और गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर भी भारत वर्ष में नम्बर एक पर है। कृषको की जीवन–यापन एवं आय का मुख्य स्रोत है। गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं अन्य भी अनेकों उत्पाद जैसे गुड़, शक्कर, खाण्ड, शीरा, शराब आदि बनाये जाते है। मान्यवर, सबसे अधिक गन्ना और सबसे अधिक चीनी उत्तर प्रदेश में होता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करीब 30 लाख के लगभग गन्ना किसान है। जिसने से ज्यादातर किसान चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते है। उनमें लगभग 85 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब व मध्यम वर्ग के किसान जिनकी तादात 85 प्रतिशत है। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से सुझाव रखना चाहता हूं कि यह गरीबों गन्ना किसानों के हक का मामला है। इसमें हम सभी दलों के लोग विस्तारित व खुले मन से चर्चा करें। हमारे जो सुझाव होंगे आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे। उन सुझावों में जो गन्ना किसान के हित में हो वे स्वीकार किये जाये।

गन्ने का इतिहास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हैं कि भारत वर्ष में गन्ने का बहुत पुराना इतिहास है। हमारे अनेकों धार्मिक ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख है। मान्यवर, हमारे भारत वर्ष से ही गन्ना विश्व के कोने–कोने तक पहुंचा है। अनेकों देश हमारे यहां से गन्ना लेकर गये उसे पैदा करने के लिए हमारे यहां से हमारे गन्ना किसानों को लेकर गये। आज वहीं देश गन्ने के पैदावार में काफी आगे है। मान्यवर, अब मैं विषय पर आता हूं बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, किसान के मसीहा मा0 चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से हो कर गुजरता है। मान्यवर, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हीं की पार्टी का सदस्य हूं और आज इस सदन के माध्यम से किसानों की पीड़ा और आवाज उठाने का मौका मिला है।

मान्यवर, किसान के मसीहा मा0 चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से हो कर गुजरता है। मान्यवर, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उन्हं को पार्टी का सदस्य हूं और आज इस सदन के माध्यम से किसानों की पीड़ा और आवाज उठाने का मौका मिला है।

मान्यवर, मैं अपनी बात थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा गन्ना किसानों के हित की बात रखने का प्रयास करूंगा। ताकि अन्य मा0 सदस्य भी अपना विचार रख सकें।

मान्यवर, मैं वर्घ 2016–17 के विभागीय बजट में गन्ना विकास की योजनाओं में पढ़ रहा था कि सरकार यह कह रही है कि चीनी मिलों की संख्या तथा पेराई क्षमता में

वृद्धि, औसत पैदावार में वृद्धि के बावजूद उत्पादन लागत का बढ़ना तथा कृषि जोत का सिकुड़ना कुछ ऐसे कारक है जो चीनी मिलो को उनकी मांग के अनुसार सम्पूर्ण पेराई सत्र में नियमित आपूर्ति करने में बाधक है। मान्यवर, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीनी मिलों की मांग के अनुसार गन्ना आपूर्ति में कुछ भी बाधक नहीं है तो सिर्फ ये निजी चीनी मिलों के मालिक स्वयं बाधक है वो भी सरकार के ढुल–मुल रवैये के कारण। यदि ये गन्ना किसान का भुगतान समय से कर दे तो साल दर साल गन्ने का क्षेत्रफल क्यों सिकुड़ेगा। गन्ने से किसान का मोह भंग क्यों होगा। मान्यवर, मेरे पास कुछ आकड़े है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है।

पेराई क्षेत्रफल घटना चिन्ता का विषय–

पेराई सत्र 2014–15 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 21.32 लाख हेक्टेयर था। जोकि पेराई सत्र 2015–16 से घटकर 20.52 लाख हेक्टेयर रह गया। मान्यवर, गन्ने का क्षेत्रफल साल दर साल घटना चिन्ता का विषय है। मान्यवर, हमारे प्रदेश का गन्ना उत्पादन अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों से पीछे क्यों है ? मान्यवर, हमारे प्रदेश का गन्ना उत्पादन अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों से पीछे क्यों है ? सरकार विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने के नाम पर काफी मात्रा में धन खर्च करती है। मान्यवर, जिस प्रदेश के अन्दर 10,553 हजार करोड़ बकाया हो उस प्रदेश का किसान कैसे खुश रह सकता है।

चीनी मिलों पर बकाया 3430 करोड़।

पिछला वर्तमान लगभग–8,000 हजार करोड़।

मान्यवर, शामली, बृजनाथपुर, चिलवरिया, बिलारी व बघौली हरदोई ऐसी चीनी मिलें है जिन्होंने किसानों का 10 प्रतिशत से कम भुगतान किया है तथा मोदी मलकपुर, मोदी शुगर मिल मोदीनगर, मवाना, ऊन, शामली एवं तितावी मुजफ्फरनगर ऐसी शुगर मिल है जिन्होंने पेराई 2015–16 का कोई भुगतान नहीं किया है।

मान्यवर, जो रेट वर्तमान में चल रहे है वह इस तरह है कि–

रिजेक्टेट का रेट 275 रुपये प्रति कुन्तल।

सामान्य प्रजाति का रेट 280 रुपये प्रति कुन्तल।

अगेती प्रजाति का रेट 290 रुपये प्रति कुन्तल।

मान्यवर, सभी मिलें 230 रुपये के हिसाब से भुगतान कर रही है। रु0 60 के अन्तर का भुगतान मिल बन्द करने के बाद से तीन माह के अन्दर करने का आदेश है। जोकि रु0 2530 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश का बैठता है।

कैश क्राप–

मान्यवर, गन्ने की फसल को कैश कॉप कहा जाता है। मगर मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि अब यह कैश कॉप नहीं रह गयी है। मान्यवर, कैश कॉप का मतलब नगद की फसल होती है। मगर जब गन्ना बेचने के बाद दो–दो, तीन–तीन वर्ष

तक भुगतान न मिले तो किस बात की नगद की फसल या कैश कॉप हुआ। मान्यवर, तीन–तीन साल गन्ना किसान का गन्ने का भुगतान बकाया है। भुगतान न होने के कारण कसान आत्महत्या कर रहा है। मान्यवर, हम उनके बीच से आते है दिन–रात उनकी पीड़ा देखते है महसूस करते हैं। यहां आकर उनकी आवाज उठाने का काम करते है मगर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। मान्यवर, जब हमें समाचार–पत्रों व अन्य माध्यमों से खबर मिलती है कि गन्ने का बकाया भुगतान न होने के कारण कर्ज से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। मान्यवर, सुनकर सीना छलनी हो जाता है अपने आपमें बड़ी शर्म आती है कि हम एक जिम्मेदार नुमाइदें होकर उस मेहनतकश किसान के लिए कुछ नहीं कर सकें। मान्यवर, सरकार सोचे कि उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। जो मिल मालिक उस किसान का पैसा रखकर बैठा है क्या वो उसके एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा सकता है। नहीं मान्यवर, कोई नहीं उठाता है। सोचकर बड़ी पीड़ा होती है कि एक उद्योगपति अपने कारखाने में एक नट बोल्ट भी बनाता है तो उसका नगद बिकता है। क्या मान्यवर, गन्ना किसान ही इतना रईश है कि जो बड़े–बड़े उद्योगपतियों के घर इस गन्ना किसान के पैसे से पैसा कमा कर चलते है। मान्यवर, बात आती हैं किसा के पैसे पर ब्याज दिलाने की तो सरकार एक कागज पर शासनादेश जारी करती है और मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर दिये जाने वाला ब्याज माफ कराने का काम करती है। आखिर क्यों गन्ना किसान को उसके बकाये पर ब्याज नहीं मिलना चाहिए। क्या गन्ना किसान को ब्याज मिलना नियम विरुद्ध था। इन्हीं मिल मालिकों के फाइनेंस के बिजनेंस भी है ये लोन देते है। क्या ये बिना ब्याज के लोन देते है। इसी तरह निजी चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले गन्ने पर 3 प्रतिशत कमीशन जो लगभग 8 रुपये प्रति कुन्तल होता था सहकारी चीनी मिलों को देने का प्राविधान था जो पैसा प्राप्त होता था वह सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों का वेतन, किसानों को उन्नत बीज व सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि पर खर्च होता था। जिसको कि सरकार ने 3 प्रतिशत के स्थान पर 3 रुपये प्रति कुन्तल करके निजी चीनी मिल मालिकों को लगभग 5 रुपये प्रति कुन्तल का लाभ पहुंचाने काम किया है।

मान्यवर, ये आखिर गन्ना किसान का पैसा समय पर देते क्यों नहीं है। मान्यवर, इसी गन्ना किसान के खून पसीनें से सीचें गये गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती है बल्कि गन्ने से चीनी निकालने के बाद बगास, शीरा, खाद एवं बिजली भी बनती है। जो सभी उत्पाद ऊचें दामों पर बिकते है। मैं आपके माध्यम से सारकार से कहता चाहता हूं कि सरकार कुछ करें। क्योंकि इन गन्ना किसानों का गन्ने की खेती ही एक मात्र रोजी–रोटी व जीवन–यापन का जरिया है। इन मिल मालिकों के तो इसी गन्ना किसान के बकाया भुगतान को रोक कर चीनी मिलों के अलावा भी अन्य अनेकों व्यवसाय

संचालित है। मान्यवर, इन्हीं चीनी मिल मालिकों द्वारा मा0 न्यायालयों के आदेशों के बावजूद भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है।

टैगिंग आदेश–

मान्यवर, सरकार का एक टैगिंग आदेश है कि जिसके तहत शीरे व बगास से जो धनराशि चीनी मिल को प्राप्त होती है। उसका 85 प्रतिशत किसानों को तथा 15 प्रतिशत चीनी मिल को जाना चाहिए था। मैं अपने ही जनपद में मोदी शुगर मिल का उदाहरण देता हूं कि मोदी चीनी मिल ने वर्ष 2013–14 में शीरे व बगास से प्राप्त धनराशि से 9 करोड़ रुपये दिये तथा 2014–15 में 3 करोड़ रुपये दिये। जबकि वर्ष 2015–16 में 1 लाख रु0 जहार कुन्तल शीरा व बगास 5.25 करोड़ में बेच दिया है। लेकिन एक पैसे का भी भुगतान किसानों को नहीं किया गया। जब मोदी शुगर मिल की आर0सी0 जारी कर दी गयी थी तो गन्ना विभाग द्वारा मिल के अन्दर मौजूद कुर्क क्यों नहीं किया गया। जबकि जिलाधिकारी, गाजियाबाद की तरफ से जिम्मेदारी उपजिलाधिकारी, मोदीनगर की थी। मान्यवर, सब इन लोगों की मिली भगत से किसान का हक मारा जा रहा है। जोकि मोदी शुगर मिल द्वारा टैगिंग आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि गन्ना आयुक्त द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को आदेशित किया गया है कि अब पूर्व के आदेश जो शीरे व बगास से प्राप्त धनराशि का 85 प्रतिशत मिलता था। यह अब पूरा 100 प्रतिशत किसानों को दिया जाय। परन्तु उसका खुला उल्लंघन मेरे ही जनपद गाजियाबाद में मोदी शुगर मिल में हो रहा है। जोकि अभी तक उस आदेश को लागू नहीं किया गया है। जो किसानों के साथ अन्याय है।

विद्युत का उत्पादन–

मान्यवर, निजी चीनी मिलों में चीनी उत्पादन के लिए जो टरबाइन चलती है उससे बिजली पैदा होती है। जोकि एक चीनी मिल में लगभग 15 से 20 मेगावाट प्रतिदिन बिजली पैदा होती है। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि अलीगढ़ में साथा सहकारी चीनी मिल है। जोकि काफी घाटे में चल रही है। जहां पर निजी चीनी मिलों की भांति विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। यदि सरकार चाहे तो बहुत कम खर्चे में साथा सहकारी चीनी मिल में भी 15 से 20 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत का उत्पादन हो सकता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां एक तरफ इस मिल के करीब में ही हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर में यूनिट नं0–7 से सिर्फ 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन वृद्धि करने के लिए यूनिट को चार साल तक बन्द रखा गया जिससे उत्पादन भी ठप्प रहा तथा सरकार ने 242 करोड़ रुपये से अधिक खर्च भी किये। वहीं यदि साथा सहकारी चीनी मिल में सरकार थोड़ा सा खर्चा कर देती तो 15 से 20 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत का उत्पादन हो सकता है तथा इसी तरह प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी विद्युत उत्पादन का मिलों का घाटे से उबारा जा सकता है।

जिससे गन्ना किसानों का पैसा समय से मिल सकेगा। इसका प्रस्ताव साथा सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष/जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा शासन को भेजा गया है। लेकिन सरकार के ढुल–मुल रवैये के कारण इसका भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया।

मान्यवर, इस बजट में चीनी मिल क्षेत्रों में अर्न्तग्रामीण सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए जिस राशि का प्राविधान किया गया हैं वह भी काफी कम है। मान्यवर, इन सड़कों के मामले में मेरा सुझाव भी है जो सालाना गन्ना सरक्षण बैठक में अक्सर हमारे किसान भाई उठाते रहते है कि चीनी मिल क्षेत्रों में जो काली सड़कें बनायी जाती हैं उसकी लागत भी ज्यादा आती है तथा वह जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाती है एवं उसके निर्माण में भारी धांधली होती है। उसके स्थान पर यदि खड़जा/इण्टरलाकिंग का निर्माण कराया जाय तो वह लम्बे समय तक सुरक्षित रहेगी तथा उसके निर्माण में लागत भी कम आयेगी। जिससे ज्यादा दूरी तक सड़कों का निर्माण हो सकेगा।

मान्यवर, सालाना गन्ना सरक्षण बैठक में अवसर हमारे किसान भाइयों द्वारा एक और मामले में मांग की जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि गन्ना की कीटनाशकों व लगने वाले अन्य रोगों से रक्षा करने हेतु एक कीटनाशक रसायन है जिसका नाम है कोराजन। मान्यवर, इस कीटनाशक की हर गन्ना किसान को एक वर्ष में कई बार जरूरी पड़ती है और मान्यवर बात इस कोराजन के मूल्य की करे तो विगत 3–4 वर्षों में इसके मूल्य में कई गुना वृद्धि हुई है। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि सरकार इस कोराजन कीटनाशक रसायन को अनुदानित दर पर गन्ना किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट में प्राविधान करने पर विचार करे तो गन्ना किसानों की समस्या का काफी स्तर तक समाधान हो सके।

कृषि यंत्रों के क्रय में अनुदान

मान्यवर, गन्ना उत्पादन हेतु गन्ना किसानों के लिए कृषि यंत्रों के क्रय में अनुदानों का बजट में कोई खास प्राविधान नहीं किया गया है।

गन्ना शोध केन्द्र

मान्यवर, बात आती है गन्ना शोध केन्द्रों की सरकार ने बहुत सारे गन्ना शोध केन्द्र चला रखे है। क्या विगत वर्षों में इन शोध केन्द्रों से गन्ने की कोई विशेष नई प्रजाति जो किसान हित में हो उपलब्ध करायी, सरकार बता दे यदि कोई हो तो।

सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर है

जब कभी मेरे व हमारे अन्य सम्मनित सदस्यों द्वारा इस सदन में गन्ना किसानों की बात उठाई जाती है तो उधर सामने सरकार की तरफ से आवाज आती है कि सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर है। हम नहीं चाहते कि सरकार इतनी गम्भीर हो कि दो–दो, तीन–तीन वर्ष तक गन्ना किसान का भुगतान न हो सकें। सिर्फ सरकार इतनी गम्भीर हो जाय कि इन गरीब गन्ना किसानों का समय से भुगतान हो सकें और जो

किसान को गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली का सामना करना पड़ता है। उव पर अंकुश लगाया जा सकें। इसका भी बजट में प्राविधान करें।

मान्यवर, मा0 नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा संसद में

मान्यवर, मा0 नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा संसद में उद्योग पतियों के 15 हजार करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले जाने (जो वसूला नहीं जा सकता है) के खिलाफ मामला उठाया कहा कि क्या केन्द्र सरकार किसानों के हित में भी कोई ऐसा कदम उठायेगी। मान्यवर, मा0 नेता जी ने किसानों के हित की बहुत ही अच्छी और जरूरी बात उठायी मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। किन्तु प्रदेश सरकार गन्ना किसान के हित में किसानों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए कोई ऐसा हल निकालेगी।

डार्क जोन

मान्यवर, प्रदेश में अनेक विकास खण्ड डार्क जोन घोषित है। जहां पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जाते है। जब विद्युत कनेक्शन नहीं होगा तो गन्ना किसान अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगा। जबकि अभी इसी सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया था कि डार्क जोन में नये बोरिंग किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

महत्वपूर्ण सुझाव बकाया भुगतान सरकार कर दे मिल मालिकों से ब्याज सहित वसूल करें

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि सरकार हजारों करोड़ की बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं चलाती है। इसे भी एक परियोजना समझ लिया जाय। मान्यवर, यह तरीका है कि अगर सरकार चाहे तो इन मेहनतकश गरीब गन्ना किसानों के आंसू पोंछ सकती है और मान्यवर, यह सरकार का किसान हित में एक बड़ा कदम होगा और इससे सरकार की वाहवाही भी होगी। मान्यवर, सरकार इन निजी चीनी मिल मालिकों की किसानों के गन्ना बकाये भुगतान को लेकर सामूहिक बैठक कर किस मिल पर किसानों का कितना बकाया है के आकड़े हासिल कर मिल मालिकों से भुगतान हेतु अन्तिम समय सीमा ले तथा उसी बैठक में शर्ते भी तय कर ले कि किसानों का बकाया भुगतान सरकार कर देगी। लेकिन अन्तिम समय सीमा जो मिल मालिकों द्वारा दी जायेगी में यदि कोई मिल मालिक सरकार का पैसा नहीं लौटाता हैं तो सरकार शर्तों में निर्धारित ब्याज सहित वसूल करेंगी व वसूली सम्बन्धी अन्य कार्यवाही करेंगी। मान्यवर, सरकार प्रदेश की मालिक है ये मिल मालिकों से पैसा वसूल सकती है। यदि सरकार इस सुझाव को नहीं मानती है तो मान्यवर, जब सरकार की इनसे पैसा वसूल पाने में अपने को सक्षम नहीं मानती है तो ये बेचारा गरीब किसान क्या कर सकता है।

गन्ने का रेट

मान्यवर, सरकार द्वारा तीन साल से गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया गया है और न ही इस बजट में भी रेट बढ़ाये जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जबकि

समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में गन्ने का मूल्य 350 रुपये की बात कहीं थी तथा जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी तो पूर्ववर्ती सरकार से गन्ने का मूल्य 350 रुपये करने की मांग करते थे।

52 चीनी मिलों है जोकि 80 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया

सरकार गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर राज्य सरकार गम्भीर है। प्रदेश में ऐसी 52 चीनी मिलों है जोकि 80 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है। प्रदेश में कई ऐसी चीनी मिल है जिन्होंने 10 से 30 प्रतिशत के बीच भुगतान किया है।

सुरक्षण बैठक

मान्यवर, सुरक्षण बैठक के नाम पर गन्ना आयुक्त महोदय, अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते है तथा गन्ना सुरक्षण बैठक में हर वर्ष गन्ना सुरक्षण क्षेत्र के नाम पर लाखों का खेल होता है। जिस मिल मालिक के अच्छे सम्बन्ध होते हैं तथा भारी लिफाफा दिया जाता है उन्हें गन्ना क्षेत्रफल अधिक आवंटन किया जाता है। मेरा सुझाव है कि यदि गन्ने का आवंटन 5 वर्ष के लिए करे तो चीनी मिलें अपने सुरक्षित क्षेत्र में अच्छी फसल हेतु किसानों के लिए अच्छा बीज व कीटनाशक रसायन एवं गन्ना विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला सकती है। जिसमें प्रदेश में गन्ना व चीनी के उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी हो सकती हैं तथा चीनी मिलें जोकि आर्थिक संकट जूझने की बात करती है वह भी उभर सकती हैं किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी शीघ्र हो सकते है तथा किसान भी खुशहाल हो सकते हैं।

मान्यवर, गन्ना किसान न हो गया सरकार की नजर में बड़ा उद्योगपति हो गया है। वो गन्ना बोए सीधे पैदा करे लागत लगाये और उसे काटकर डालने के लिए केन्द्र नजदीक मिल जाय कहीं पिछले साल वाला केन्द्र कट न जाय इसकी योजना बनाने एवं अपनी बात कहने उसे गन्ना सुरक्षण बैठक में लखनऊ आना पड़ता है। मान्यवर, क्या ये बैठकें मण्डल स्तर पर नहीं हो सकती है। हजार पांच सौ किसानों की बजाय दो चार अधिकारी, मण्डल पर जाकर बैठक नहीं कर सकते। नहीं, मान्यवर, ये गन्ना विभाग संचालन के तरीके सिखने विदेश जा सकते है मगर गन्ना किसान की परेशानी सुनने उवके नजदीक नहीं जा सकतें। मान्यवर, किसान दिन भर खेत में कम करके भुखा–प्यासा रात की ट्रेन में लटक कर जान हथेली पर रखकर लखनऊ आता है। अपने घर से पराठे बांध कर लाता है। दो समय उन्हीं को खाकर अपनी मांग गन्ना आयुक्त महोदय के समक्ष रखकर रात की ट्रेन से वापस लटक कर चला जाता है। मान्यवर, परम्परा देखिये होता क्या है गन्ना आयुक्त, सुरक्षण बैठक में नजदीकी क्रय केन्द्र आवंटित करते है। किसान सुनकर खुश होता हुआ जाता है। मगर मिल मालिक उसी गन्ना सुरक्षण बैठक के गन्ना आयुक्त के निर्णय के खिलाफ शासन में बैठे विशेष सचिव, गन्ना के यहां अपील में जाता है और एक प्रार्थना–पत्र के आधार पर उसकी अपील का

निस्तारण हो या न हो वह मिल शुरू होने के बाद भी क्रय केन्द्र नहीं लगाता है। उस दिन वहीं भोला भाला किसान ठगा सा महसूस करता है। वह सोचता है कि तेरे लखनऊ जाने का क्या फायदा रहा। मान्यवर, क्या औचित्य है इन गन्ना सुरक्षण बैठकों का। किसानों को लखनऊ बुलाकर परेशान करने का। जब गन्ना सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में भी गन्ना आयुक्त का निर्णय अन्तिम नहीं है। मान्यवर, किसान इतना बड़ा आदमी नहीं है। सरकार को इन परम्परों से हटकर वाकई कुछ करना चाहिए। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यह सुरक्षण बैठके मण्डल स्तर पर करायी जाय।

हम जनप्रतिनिधियों को भी टाल दिया जाता है

मान्यवर, इतना बड़ा विभाग हैं इतने अधिकारी, कर्मचारी है इनमें से किसी की भी प्राथमिकता गन्ना किसान हित नहीं होता है। सब की प्राथमिकता मिल मालिकों का हित होता हैं किसान को सामने कह कर टाल दिया जाता है। किसान क्या हम जनप्रतिनिधियों को भी टाल दिया जाता है क ठीक है जो आपने कहा लिखकर दिया है हो जायेगा। मगर होता वहीं है जो मिल मालिकों के हित में होता है। मान्यवर, मैं खुद चश्मदीद व भुक्तभोगी हूं अनेकों बार गन्ना आयुक्त कार्यालय जाने पर हमारे साथी सदस्य उसी कार्यालय में मिलते है और उस दिन भी प्रकरण वहीं पुराना होता है जिसकी पैरोकारी में हम उसी कार्यालय में पूर्व में भी मिल चुके होते हैं।

मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए कि क्या किया जाय कि गन्ना किसान की हालत सुधरे ऐसी व्यवस्था बने कि गन्ना किसान इधर गन्ना डाले उधर निश्चित समय अवधि में उसका पैसा सीधा उसे खाते में पहुंचे। सम्भव है मान्यवर जरूरत है सिर्फ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की।

गन्ना क्रेशर/खण्डसारी

गन्ना क्रेशरों के बारे में भी सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। क्रशर मालिक सस्तें मूल्य पर किसान का गन्ना खरीदते है। किसान मजबूर है इनको गन्ना बेचने के लिए क्योंकि क्रेशर से नगद भुगतान मिलेगा और यदि मिल पर गन्ना बेचेगा तो पैसा पता नहीं कब मिलगा। सरकार ने खण्डसारी करने के लिए बजट में प्राविधान करें।

सुझाव

1–टैगिंग आदेश का अनुपालन कराया जाय।

2–साथ सहकारी चीनी मिल, अलीगढ़ में विद्युत उत्पादन का प्रावधान कराया जाय।

3–कृषि यंत्रों के क्रय में अनुदान का बजट में प्राविधान किया जाय।

4–शोध केन्द्रों से गन्ने की कोई नई प्रजाति जो किसान हित में हो उपलब्ध करायी जाय।

5–बकाया भुगतान सरकार कर दे और मिल मालिकों से ब्याज सहित वसूल करे।

6–किसानो को ब्याज दिलाया जाय।

7–गन्ने का मूल्य बढ़ाकर रु0 350/ कुन्तल किया जाय।

8–सुरक्षण बैठकें मण्डल स्तर पर करायी जायें।

9–क्रेशरों पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाय।

10–डार्क जोन क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा बिजली के कनेक्शन दिये जाय।

11–एफ0आई0आर0 में नामजद मिल मालिकों को जेल भेजा जाय।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग पूर्वांचल की धरती पर बलिया जैसे क्रान्तिकारी जनपद से फेफना विधान सभा क्षेत्र से आते है। मैं कह सकता हूं कि फेफना विधान सभा, उ0प्र0 का सबसे सड़क के मामले में पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। क्योंकि वहां पर 1993 से हम कह सकते है कि जिन लोगों ने लगातार 23 वर्षों से जिन्होनें प्रतिनिधित्व किया है। वो कभी धरातल पर काम नहीं किये है। लखनऊ से विकास की योजनाएं सड़क के रूप में गयी है लेकिन वो पैसा चेक के रूप में और पैसे के रूप में तथा कथित परिवार के सदस्यों द्वारा ठेकेदरी में रहने की वजह से आज तक कोई धरातल पर कार्य नहीं हुआ। मुझे याद है कि 2012–2013 के लोक निर्माण बजट सत्र के दौरान मा0 लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल यादव जी ने सदन में इस बात की घोषणा किया था कि किसी भी विधायक और मंत्री के परिवार का कोई भी व्यक्ति ठीकेदारी में होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं कि वो कौन से लोग है किसके परिवार के है जो च्ॅण्क्ण् विभाग, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग व अन्य विभागों में लगातार 23 वर्षों से सरकारी खजाने की लूट कर रहे है। फिर भी आज तक कोई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पायी।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बलिया जनपद व फेफना विधान सभा क्षेत्र में करोड़ों रुपया दिया है लेकिन मा0 मंत्री जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पैसा आपने भेजा है उसका सदुपयोग नहीं ब्लकि दुरुपयोग हो रहा है और दो तीन वर्षों से फर्जी ताकि से पैसा उतारकर व गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। कुछ सड़कों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो निम्न है :–

(1) विशेश्वरगंज पी0डब्लू0डी0 मार्ग से उजियार पी0डब्लू0डी0 मार्ग लगभग–133.84।

(2) फेफना गड़वार मार्ग चांदपुर से नेवादा तक मार्ग का कार्य लगभग–97.99।

(3) बहादुरपुर नई बस्ती (दलित बस्ती) से ओडी जगदीशपुर मार्ग का लेपन कार्य–134.48।

(4) ग्राम पीपरा कला में गोकुल के बगीचे से बहादुरपुर चक के बीच पुलिया एवं एप्रोच मार्ग–155.56।

(5) विकास खण्ड सोहाव के अन्तर्गत छभ्-31 बसन्तपुर पावर हाउस से सोहाव होते हुए सेडुरिया तक–200.08।

(6) विकास खण्ड सोहाव के अन्तर्गत छप्पन के डेरा से आई0टी0 बंधा नरही तक मार्ग का निर्माण कार्य–108.31।

(7) विकास खण्ड गड़वार के अन्तर्गत गड़वार–सुखपुरा च्च मार्ग ग्राम खरहाटार से तपनी नहर तक–150.07।

सहित दर्जनों ऐसी सड़कें हैं मा0 मंत्री जी जिस पर विभाग द्वारा पैसा निकलवा दिया है। लेकिन मौके पर गिट्टी डालकर सरकारी धन की लूट की गयी है। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से इसकी जांच कराने की मांग करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी हर एक व्यक्ति का प्रिय उसकी मातृभूमि व जन्मभूमि व ससुराल होता है। मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सैफई की धरती पर आप पैदा हुए हैं तो सैफई की आज उ0 प्र0 नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। लेकिन हमारे यहां पूर्व मंत्री जी एवं वर्तमान एम0एल0सी0 लगातार 23 वर्षों से फेफना विधान सभा का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन मातृभूमि की सड़क सागर पाली से कीर अली पुर होते हुए वैरिया की स्थिति बहुत दयनीय है और वही स्थिति मा0 पूर्व मंत्री जी के घर के सामने कपूरी से उनकी ससुराल चेरुइया की स्थिति बहुत खराब है। जो व्यक्ति अपने गांव की सड़क व ससुराल की सड़क ठीक नहीं करा पाया हो वह फेफना विधान सभा की अन्य सड़कों की क्या स्थिति होगी इसका अन्दाजा यह सदन लगा सकता है।

मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप पिछली बार मंत्री थे तो इसी समय इन्द्रपुर थम्मनपुरा में पुलिया के निर्माण के लिये शिलान्यास किया था काम तो शुरू ह ुआ लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि पुल का कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया बल्कि पूर्व मंत्री जी के घर पर अभी आपने जल्द ही शादी के शिरकत करने के लिये गये थे आपने देखा होगा कि कपूरी में किस तरह से कालोनियां बनी हुयी हैं। इसलिये कि उस पुलिया के ठेकेदार मा0 पूर्व मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं।

मा0 मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि मा0 लोक निर्माण मंत्री जी पैसा तो आपने बहुत दिया लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसलिये 23 वर्षों से फेफना विधान सभा क्षेत्र के सड़कों में जो लूट–पाट हुयी है उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय।

मा0 अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह अन्तिम साल है नयी सड़क बनाइये या न बनाइये लेकिन मा0 मंत्री जी पी0डब्लू0डी0 की जितनी पुरानी

सड़कें हैं उनको तत्काल इस वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण कराया जाय ताकि फेफना विधान सभा का विकास हो सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, हमारी बात चर्चा में शामिल करने का कष्ट करें।

मा0 अध्यक्ष जी, उ0 प्र0 विशाल कुशल मानव संसाधन एवं बाजार का प्रदेश है। महोदय उ0 प्र0 की समाजवादी सरकार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निर्यात नीति 2015, एबसपो मार्ट तथा समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना तथा लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उत्पादन योजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी कार्य कर रही है और हम इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी समाजवादी सरकार द्वारा हमारे वि0स0 सोरांव, इला0 में रूग्ण/बन्द हो चुकी हैं मऊआइमा कताई मिल को च्च्च्च माडल पर पुनः चलाये जाने का संकल्प व्यक्त किया है जिस हेतु मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मऊआइमा बुनकर बाहुल्य हस्तकरघा उद्योग का क्षेत्र है। यहां कताई मिल तथा रेशम विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन जो अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं उसे राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित कर औद्योगिक लैण्ड बैंक बनाकर उस भूमि को औद्योगिक हब बनाया जाए और बुनकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिये व्यापार विपणन केन्द्र की स्थापना की जाए।

मा0 अध्यक्ष जी इसी प्रकार गंगापार इला0 में एक ओर टाउन एरिया है लालगोपालगंज। यहां पर मुस्लिम रंगरेज समुदाय द्वारा हिन्दुओं के मन्दिरों तथा सभी धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाले चुनरी, कलेवा तथा रामनामी गमछा बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जाता है। परन्तु दुःख का विषय है कि इन्हें कोई सब्सिडी तथा सरकारी सहायता नहीं मिलती। अतः मैं मांग करता हूं कि मुस्लिम रंगरेज उद्यमियों को भरपूर सरकारी मदद की जाए तथा इस लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु हर सम्भव सरकारी प्रोत्साहन योजना चलाई जाए। साथ ही पत्तल–दोना बनाने वाले गरीब समुदाय को भी भरपूर मदद की जाए।

अतः अध्यक्ष जी आपने हमें उद्योग विभाग के बजट पर हमें विचार रखने का अवसर प्रदान किया जिस हेतु आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

हम अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में बताना चाहेंगे कि पूरी विधान सभा में सभी सड़कें खस्ता हाल है तथा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की सड़कों की हालत खराब है तथा बसतापुर से पहड़ियापुर धौरहरा अमेठी डिहुआ का मार्ग जर्जर तथा धौरहरा–भटपुरवा व लालसी पुरवा लहबड़ी मार्ग तथा

भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर जी आपने मुझे लोक निर्माण विभाग पर बोलने का अवसर दिया है। उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं लोक निर्माण के समर्थन करते हुए कुछ अपने क्षेत्र की बातें करना चाहता हूं। जो समस्या से ग्रसित हैं समस्या निम्न हैं :–

1—मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण भवन दूर होने के कारण कभी अतिथि या नेता या अधिकारी आने पर रुकने का स्थान नहीं है। इसलिये लोक निर्माण भवन ब्लाक जहांगीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राजेपुर के अन्तर्गत गोपाल के पास भवन बनाना अति आवश्यक है।

2—माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा क्षेत्र 279 आलापुर अम्बेडकर के अन्तर्गत ब्लाक जहांगीर में राजे सुल्तानपुर से सिंघल पटरी, देवलार होते हुए गडवल तक जाने के लिए कफनपुरा के पास पिकीया नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए समय तथा धन खर्च होता है। इसलिए 15 किमी0 की परिक्रमा न करनी पड़े इसलिए पिकीया नदी पर कफनपुरा के पास मुख्य मार्ग पर पुल बनाना अति आवश्यक है।

3—माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में पिच सड़कों का अभाव है। कारण कि अति पिछड़ा क्षेत्र है। मैं कई बार सड़कों के नवनिर्माण की लिखित सूचना दी जो आज तक नहीं बन पायी। माननीय मैं आप के माध्यम से मंत्री से निवेदन करता हूं—

1—प्रेम चन्द्र सोनकर, डा0 माधो सोनकर के घर के सामने से जिता देवी स्कूल होते हुए गांधी स्मारक इण्टर कालेज के सामने पिच रोड तक पिच होना अति आवश्यक है।

2—जनेसरी बुजुर्ग से लालमनपुर नाले तक पिच निर्माण अति आवश्यक।

3—अकमलपुर प्रधानमंत्री रोड से लालमनपुर पू0मा0 पाठशाला होते हुए खलवा हरिजन बस्ती तक पिच जो अति आवश्यक है।

4—करौली मिश्र पिच रोड से आजमगढ़ के सरहद रोड तक पिच का निर्माण।

5—अलऊपुर पुल के बगल से होते हुए मोहमदपुर पिच रोड तक पिच का निर्माण जो अति आवश्यक है।

6—सनवा पिच रोड से रूदीलापुर दलित सोनकर बस्ती होते हुए गिरैया प्रधानमन्त्री रोड का पिच का निर्माण जो अति आवश्यक है।

7—पदुमपुर कम्हरिया मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायत सिकरौरा विरेन्द्र सिंह के घर के सामने तक पिच रोड का निर्माण अति आवश्यक।

8—माननीय अध्यक्ष जी गडवल कम्हरिया मुख्य मार्ग से महारमपुर तक पिच रोड का निर्माण कार्य अति आवश्यक है।

9—रुकमलपुर प्रधानमंत्री रोड से तरेन, तिहाइलपुर होते हुए यादवपुर पिच रोड तक पिच रोड का निर्माण अति आवश्यक है।

10—मुख्य मार्ग राजे सुल्तानपुर से पदुमपुर मार्ग से निकसपुर, शंकरपुर, अल्लीपुर होते हुए सिंघल पट्टी मुख्य मार्ग तक पिच रोड का निर्माण जो अति आवश्यक है।

11—बड़े गांव पिच रोड से जोगीपुर होते हुए प्रधानमंत्री रोड तक पिच रोड का निर्माण अति आवश्यक है।

12–नेवरा रामनगर मुख्य मार्ग से माधो टाडा ग्राम पंचायत तक पिच रोड का निर्माण कार्य अति आवश्यक है।

13–भरतपुर पिच रोड से होते हुए लालजी यादव का ईंट भट्ठा होते हुए साबीलपुर पिच रोड तक पिच रोड का निर्माण अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पंचायती राज पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र नगलापुर अम्बेडकरनगर की समस्या रखना चाहता हूं।

ग्राम पंचायतों में बरात घर न होने से शादी ब्याह के समय बारात आने पर गांव में तमाम समस्या आती है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक मेरी विधान सभा आलापुर अम्बेडकरनगर में बारात घर बनाया जाना अति आवश्यक है।

1–ग्राम पंचायत बलरामपुर में बारात घर।

2–ग्राम पंचायत राजेपुर में बारात घर।

3–ग्राम पंचायत जनेसरी में बारात घर।

4–ग्राम पंचायत पुरनपुर में बारात घर।

5–सिरसिया जमुनीपुर में बारात घर।

6–ग्राम पंचायत छिनट्टापुर में बारात घर।

7–ग्राम पंचायत बछुआपुर में बारात घर।

8–ग्राम पंचायत धारूपुर में बारात घर।

9–ग्राम पंचायत लालनपुर में बारात घर।

10–ग्राम पंचायत समदहा मझगवां में बारात घर।

11–ग्राम पंचायत नेवारी में बारात घर।

12–ग्राम पंचायत महारतपुर में बारात घर।

13–ग्राम पंचायत बनकटा में बारात घर।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मेरे द्वारा रखे गये अनुदान संख्या–33 आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा विभाग की कटौती प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव जोड़ दिये जायें।

1-C.C.I.M के मानक के अनुरूप राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज में एक Deputy Superintendent और एक डीन की पोस्ट सृजित करने का कार्य करके इनकी पोस्टिंग करना चाहिए।

2–Medical Degree का Syllabus बहुत बड़ा होता है। Medical की Degree Complete करने के बाद समय के साथ बहुत से Concept Miss हो जाते हैं। अतः मेरा

अनुरोध है कि सरकार को प्रत्येक प्राइवेट प्रैक्टिस के चिकित्सक और चिकित्साधिकारियों को प्रत्येक 6 माह में CMEC Continuous Medical Education अनिवार्य करके चिकित्सकों को Upgrade करना चाहिए।

3–ग्रामीणांचल में स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे जनता का भरोसा हो सके।

4–दवाओं की अपग्रेडिंग करके Cap., Tab. & Syp. के रूप में बनाने हेतु राजकीय औषधि निर्माणशालाओं को अपग्रेड करना चाहिए।

मधुबाला पासी–

आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मेरी सरकार जो बजट लेकर आयी है। बहुत ही सराहनीय है। इस बजट के माध्यम से गरीब, किसान सभी को फायदा मिल रहा है। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र औराई, भदोही में फोर लेन ओवर ब्रिज बस अड्डा बनाने के लिए कारपेट सिटी हब मिला जो बन रहा है। मैं अपने विधान सभा ओराई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, खम्हरिया की सड़कें बहुत ही जर्जर हो चुकी हैं। मा0 मंत्री जी अनुरोध करना चाहती हूं कि उन सड़कों का निर्माण कराने एवं सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा करें ताकि औद्योगिक नगरी जो कारपेट के लिए प्रसिद्ध है उसमें काफी विकास होगा तथा स्थानीय लोगों के आने–जाने में सुविधा भी मिलेगी। खम्हरिया की सड़क खराब होने के कारण वहां के उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की सड़कों पर ध्यान दिया जाय ताकि प्रदेश का विकास हो सके। बजट पर समर्थन के उपलक्ष्य में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

चौ0 गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे लो0नि0वि0 के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों के सम्पर्क मार्ग को बनवाने के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आने वाले अनेकों गांवों के सम्पर्क मार्गों की हालत बहुत ही जर्जर है जिन पर वाहन निकलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इन गांवों के मार्गों पर किसानों के भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली, भैंसा बुग्गी, घोड़ा तांगे जब भी मण्डी के लिए कोई सामान बिक्री के लिए जाता है तो उनके उपरोक्त सारे वाहन पलट जाते हैं जिससे अनेक जान–माल की हानि तो होती ही है वर्तमान में गन्ने का सीजन आने वाला है। जिसके चलते इन मार्गों पर पचासों गांवों के गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिल तक नहीं ले जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में इन सड़कों का तत्काल बनवाया जाना अति महत्वपूर्ण है। उक्त मार्गों की हालत अत्यन्त खराब है। जो कि बड़े–बड़े गड्ढों के रूप में दिखाई देती है, चीनी मिल पर किसान अपना माल लेकर इसी रास्ते से होकर आते हैं। उन्हें

रोज वहां वाहन पलटने से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

1–स्याना बुलन्दशहर रोड लखावटी ब्लाक से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग।

2–अनूपशहर बुलन्दशहर रोड खलौर सम्पर्क मार्ग।

3–स्यान बुलन्दशहर लखावटी इण्टर कालेज से पसौली महेशपुर सेगली मार्ग।

4–औरंगाबाद से चीनी मिल होते हुए बिहिरा मुक्तेश्वरा होते हुए जमालपुर सम्पर्क मार्ग तक।

5–औरंगाबाद से बालका मार्ग तक।

6–स्याना बुलन्दशहर मार्ग से भावसी होते हुए लोहरका तक सम्पर्क मार्ग।

7–जहांगीराबाद अहार मार्ग सखानी से ककरई तक सम्पर्क मार्ग।

8–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड रोरा से जहांगीराबाद सम्पर्क मार्ग।

9–बुलन्दशहर स्याना रोड से पसौली, पिपाला खेड़ी भैसरौली सम्पर्क मार्ग।

10–पिपाला खेड़ी रोड से सेगली सम्पर्क मार्ग।

11–औरंगाबाद से भीकनपुर सम्पर्क मार्ग।

12–केलंके से सैदपुरा मार्ग।

13–स्याना बुलन्दशहर मार्ग से सरांय छबीला होते हुए मकनपुर जौट बालका सम्पर्क मार्ग।

14–शिवाली से किसनपुर खनपुरा सम्पर्क मार्ग।

15–बुलन्दशहर अनूपशहर रौडा से नवीनगर सम्पर्क मार्ग।

16–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से मानकरौरा सम्पर्क मार्ग।

17–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से रौडा सम्पर्क मार्ग।

18–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से बिरौली सम्पर्क मार्ग।

19–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से जिनाई शयोरामपुर रोरा सम्पर्क मार्ग।

20–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से ईदगाह होते हुए सोनई सम्पर्क मार्ग।

21–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से दुगरऊ दोनो सम्पर्क मार्ग।

22–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से अनिवास नहर की पटरी जहांगीराबाद अहार रोड तक नहर की पटरी तक।

23–जहांगीराबाद आहार रोड से सिकोई सम्पर्क मार्ग।

24–जहांगीराबाद आहार रोड से अवन्तिकादेवी सम्पर्क मार्ग।

25–जहांगीराबाद आहार रोड से महादेव मन्दिर रोड।

26–आहार अनूपशहर रोड से हसनपुर सम्पर्क मार्ग।

27–आहार अनूपशहर रोड से खालकपुर सम्पर्क मार्ग।

28–आहार अनूपशहर रोड सिरौरा से पचदेवरा सम्पर्क मार्ग।

29–शिवाली से किशनपुर सम्पर्क मार्ग।

30–अनूपशहर बुलन्दशहर मार्ग से बालिका रोड मीरपुर से कूड़ा सम्पर्क मार्ग।

31–अनूपशहर करणवास रोड से शेरपुर सम्पर्क मार्ग।

32–अनूपशहर करणवास रोड से रूढ़ सम्पर्क मार्ग।

33–जहांगीराबाद से चचरई सम्पर्क मार्ग।

34–जहांगीराबाद से चचरई डुगरा जाट सम्पर्क मार्ग।

35–जहांगीराबाद आहार रोड से साखनी सम्पर्क मार्ग।

36–जहांगीराबाद आहार रोड से साखनी बम्बे की पटरी जटपुरा डोंगरा सम्पर्क मार्ग।

37–जटपुरा से चीनी मिल सम्पर्क मार्ग।

38–जटपुरा से डरौरा नहर के पुल तक सम्पर्क मार्ग।

39–नहर के पुल से बिचौला सम्पर्क मार्ग।

40–हिसावटी से बिचौला सम्पर्क मार्ग।

41–खेड़ी से भेषरौली सम्पर्क मार्ग।

42–बोन्दरी से औरंगाबाद बिहरा रोड तक।

43–बिहरा से पिपाला सम्पर्क मार्ग।

44–जहांगीराबाद कोल्ड स्टोर से चीनी मिल होते हुए डुंगराजाट तक।

45–डुंगराजाट से तौली सम्पर्क मार्ग।

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर जी, मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परन्तु माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने बजट पेश करते समय बड़ी ही सड़कों का जाल बिछाने एवं पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में बड़े–बड़े यहां वादे किए हैं लेकिन जनपद सहारनपुर में अधिकतर सड़कें जर्जर और खस्ताहाल हैं बहुत से राजमार्गों के पुल कई–कई वर्षों से टूटे पड़े हैं जिन पर कई वर्षों से आवागमन बन्द पड़ा है, न तो बसों का संचालन उनके ऊपर हो रहा है एवं किसान भी अपनी ट्रैक्टर व ट्राली लेकर उन टूटे हए पुल के कारण 20–20, 25–25 किलोमीटर दूसरे रास्तों से अधिक सफर करके अपनी खेती का काम करने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह मैंने बताया कि बसों का संचालन वहां पर न होने से यात्री बड़े परेशान हैं। मैं विशेषकर अपनी विधान सभा नकुड़ जनपद सहारनपुर के विशेष सड़कों एवं पुलों से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही वर्तमान सरकार में ही एक कैबिनेट मंत्री भी है। पूरे जिले में एक ही कैबिनेट मंत्री है और नकुड़ विधान सभा के रहने वाले हैं फिर भी मंत्री बनने के बाद से आज तक जनपद में तो क्या विधान सभा नकुड़ में भी उनके द्वारा कोई रास्ता, पुल या अन्य कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। जिससे लगता है कि माननीय

मंत्री जी केवल सत्ता सुख भोगने के लिए मंत्री बनाए गए हैं न कि जनपद में अथवा विधान सभा नकुड़ में कोई विकास करने के लिए।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने कई बार नियमों में, सूचनाओं के माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों व पुलों के निर्माण कराने के लिए प्रयास किया है परन्तु हर बार नियमों, सूचनाओं का गोल–मोल उत्तर देकर निष्पादन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त पड़े सुल्तानपुर चिलकाना, धौलाहेड़ी के मध्य मस्करा नदी के टूटे पुल को यथाशीघ्र बनवाया जाय जिससे वहां आवागमन सुचारु हो सके। इसी प्रकार सहारनपुर चिलकाना मार्ग पर हलालपुर के पास वर्षों से टूटे पुल का भी निर्माण कराया जाय जिससे कि सहारनपुर मण्डी जो इस मार्ग पर पड़ता है अर्थात चिलकाना सुल्तानपुर मण्डी जो दोनो मण्डी इस पुल के दोनो ओर पड़ते हैं और इससे होकर, उनके रास्तों को अपना कर किसान अपनी फसल बेचने का काम करते हैं, इसका भी यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी मैं मेरे विधान सभा नकुड़ में, नकुड़ शाहजहांपुर चिलकाना सुल्तानपुर मार्ग भी तीन वर्षों से जर्जर हालत में है, जबकि इससे विधान सभा नकुड़ के लिए एवं जनपद के अन्य स्थानों से हरियाणा को जोड़ने वाला यह अकेला मार्ग है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसका यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी मैं मेरे विधान सभा नकुड़ में, ब्लाक–नकुड़ में विकास खण्ड का सबसे बड़ा गांव, ग्राम–टाबर है जिसमें हर वर्ग, हरजाति के लोग निवास करते हैं, इसका तीन वर्षों से सम्पर्क मार्ग बिल्कुल जर्जर हालत में है। तीन वर्ष पहले आई बाढ़ से वह रास्ता ध्वस्त हो गया था तब से आज तक अनेकों प्रयासों के बावजूद भी ग्राम–टाबर का सम्पर्क मार्ग जो वाया शाहबा मजरा होते हुए नकुड़ शाहजहांपुर मुख्य मार्ग को जोड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मार्ग का भी यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा नकुड़ में ग्राम–अल्हणपुर सोन्धेबास के मध्य से यमुना नदी का पुल यथाशीघ्र बनवाया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी ग्राम–बरथाकायस्त (पढेड) से ग्राम–दभेड़ा तक कई वर्ष से ध्वस्त एवं जर्जर पड़ी सड़क का भी यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ग्राम–रानीपुर विकास खण्ड–नकुड़ में यमुना नदी के तटबन्ध पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय जिससे कि वहां के लगभग 10–15 ग्राम के किसानों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा नकुड़ विकास खण्ड नकुड़ में खेड़ा अफगान मुख्य मार्ग से खेड़ाकुटी मुख्य मार्ग तक माननीय मंत्री जी द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है जिससे फन्दपुरी अम्बेहटा मार्ग एवं सहारनपुर

नकुड़ मार्गों को आपस में जोड़ने का काम हो सके तो इससे 20–25 गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ग्राम–रण्डो से वाया संगमोर, पटनी, सिकरी, पिलखनी बिडवी, फन्दपुर सहजवी इस्लाम नगर के मार्ग को चौड़ीकरण कराया जाना बहुत ही अति आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मार्ग का चौड़ीकरण यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा नकुड़ विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम–लतीफपुर व ग्राम–टाबर के मध्य नाले के पुल व दोनों गांवों को आपस में जोड़ने के लिए, सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हम अनुदान सं0–54, 55, 56, 57 लोक निर्माण विभाग, अनुदान–सं0–34 होमियोपैथ चिकित्सा विभाग, अनुदान सं0–9 ऊर्जा विभाग, अनुदान सं0–50, 51 राजस्व विभाग (दैवी आपदा), अनुदान सं0–94–95 सिंचाई विभाग, अनुदान सं0–24 गन्ना विकास (चीनी उद्योग), अनुदान सं0–18 सहकारिता विभाग पर विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का भारी भरकम बजट आया है परन्तु पुरानी बनी सड़कों का बुरा हाल है। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अभी कच्ची हैं। पूरे प्रदेश की हम बात नहीं करते परन्तु अगर अपने विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की बात करूं तो हम यहां ऐसी कई सड़कों का जिक्र कर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उन सड़कों का जनहित में इस वर्ष पुनर्निर्माण अवश्य करवा देवें क्योंकि इन सड़कों की मरम्मत की मांग हम पिछले कई वर्षों से हाउस में करते आ रहे हैं।

मान्यवर, उन सड़कों में प्रमुख रूप से राम जानकी मार्ग से बनवारपार–बारानगर मार्ग, राम जानकी मार्ग से ओझौली से विशुनपुरा, सरछह होते नीरामुट्ठमारती धोबौली मार्ग, राम जानकी मार्ग से छपिया डमराव मार्ग, राम जानकी मार्ग से ओझौली होते बैसुखिया मार्ग, बेलसड–करौंदी खड़ेसरी मार्ग, बाईपास बड़हलगंज से संसार पार–नौकापुरा–दुर्गापुर–बरहता–चौंतीसा मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क से मझौरा मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क से बरवल मार्ग, नेशनल हाई–वे 29 से मामखारे होते हुए बड़गो प्रधानमंत्री सड़क मार्ग, मोहाल जलकर प्रधानमंत्री सड़क, हिंगुहार–कैमरा मोहन पोहरिया–बैरियारपास मार्ग, हाग–सेमरा मार्ग से ददरी मार्ग, सेमरा खुर्द मार्ग, खुटमार मार्ग, घोसी मठिया मार्ग, भदरिया मार्ग, भरौली मरची खुर्द मार्ग, देवराज पार–रौरा दरगाह मार्ग, गोपालपुर वनवार पार रतनपुरा–कुरावल मार्ग, भरचा–रानीपुर मार्ग, रसूलपुर मोहनपुर–रुकुमपुर मार्ग ऐसी सड़कें हैं जिनका जीर्णोद्धार कराना आवश्यक है। हमारी मांग है कि इन सड़कों का शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाय। इसके साथ ही हम आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सरकार ने स्वयं ही त्वरित योजना के तहत गांवों की सड़कों को पिच कराने का प्रस्ताव मांगा था जिसे वर्ष 2012 में ही

हमारे द्वारा दिया गया था साथ ही लगातार कई साल से विभाग को लिखकर या विधान सभा कार्यवाही के दौरान मांग करता रहा हूं मगर उन सड़कों का निर्माण अब तक नहीं कराया गया। हम आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि सीधेगौर–बाल्कर–गोनता–बगला मार्ग, हरपुर से नगला प्रेम डीला मार्ग, भूपगढ़–दहिमक मार्ग, गौरहीट से रुकुमपुर बन्धे वाली सड़क, परसिया से निरंजन टोला होते धौरहरा मार्ग, नकली प्र0 स्कूल से खदेरू प्रसाद के पेले एवं काई पांडेय के टोला मार्ग को पिच कराया जाय। साथ ही रकहट एवं असवनपार राप्ती नदी पर बन रहे अधूरे पुल को भी पूरा कराया जाय एवं सरयू नदी पर गोला–टौनापार के बीच बनने वाले पुल जिसका शिलान्यास सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में 6 माह पहले ही कर चुके हैं मगर अब तक एक ईंट भी निर्माण के नाम पर नहीं लग सकी है, उसे तत्काल सरकार आरम्भ कराकर एक वर्ष में पूरा कराये।

माननीय अध्यक्ष,

आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं चिल्लूपार विधान सभा अन्तर्गत बड़हलगंज कमे खड़ेसरी में राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण 5 वर्षों से चल रहा है जिसकी सरकार उपेक्षा कर रही है। उक्त मेडिकल कालेज 2015 में ही पूर्ण हो जाता था जो अब तक नहीं हो पाया। ऐसे में उक्त राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कालेज को सरकार इसी वर्ष पूर्ण कराकर वहां एडमिशन प्रारम्भ कराये साथ ही आयुष के माध्यम से उसी मेडिकल कालेज में नर्सिंग कालेज भी चलवाने का कार्य करें।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने आज ऊर्जा विभाग का भी बजट प्रस्तुत किया है। सरकार का लक्ष्य है कि वह अक्टूबर 2016 तक गांवों को 14 से 16 घण्टे बिजली देने का वादा कर रही है। मेरी कामना है कि काश सरकार ऐसा कर पाये। मगर उससे पहले गर्मी आ रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बिजली को लेकर हाहाकार मचेगा। ऐसे में इससे पहले इस वर्ष गर्मी के महीनों में सरकार बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था करा कर गांवों एवं कस्बों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराये। साथ ही चिल्लूपार के हमारे क्षेत्र में जर्जर पोल–तार हैं उसे तत्काल बदलवाया जाये। तथा जो गांव बिजली से वंचित हैं उन गांवों का विद्युतीकरण कराया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में खरवाजरखोर एवं रतनपुरा गांव में विद्युत सब स्टेशन का कार्य 5 वर्ष से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार मनमानी कर रहा है। ऐसे में उस ठेकेदार और सम्बन्धित अधिकारियों का नकेल कसते हुए उसे पूरा कराया जाये ताकि गांवों की विद्युत आपूर्ति बेहतर हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता विभाग के कर्मियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सोसाइटी पर पर्याप्त खाद बीज की व्यवस्था करायें ताकि आगे किसानों को राहत मिल सके। साथ ही भूमि विकास बैंक की तरह जिला सहकारी बैंकों के किसानों का भी ऋण माफ कराया जाय। तथा गोरखपुर तथा देवरिया–कसया जिला

सहकारी बैंक जो मृतप्राय हैं उन्हें जिन्दा करने हेतु सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा कराकर उन बैंकों का बिजनेस आरम्भ कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आज सिंचाई विभाग का भी बजट प्रस्तुत किया गया है। हम आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि गोरखपुर जनपद के हमारे क्षेत्र चिल्लूपार में 45 किमी0 का बांध बना है परन्तु 5 किमी0 अवशेष है, जिसका स्टेयरिंग कमेटी ने स्वीकृति भी दे दी है। उक्त आछीडीह से सरया खास तक राप्ती किनारे के अवशेष तट बन्ध का निर्माण पूरा कराया जाय।

आज अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक तरैना के जो लगभग एक किसी की लम्बाई में है जो सैकड़ों गांवों और कृषि योग्य फसलों को बर्वाद करता है। उसकी खुदायी का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। परन्तु धनाभाव के कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि उक्त तरैना नाले की खुदायी सरकार कराकर उसके दोनों किनारे वृक्षारोपण कराके ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और तरैना की बाढ़ से किसानों की फसले और गांव बर्वाद न हों। इस तरैना नाले की खुदायी अगर गांव–गांव मनरेगा से कराया जाये तो लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

मा0 अध्यक्ष जी सरयू नहर परियोजना दो दशकों से अधूरी पड़ी है। हमारे क्षेत्र में भी सरयू नहर परियोजना का बुरा हाल है। सरकार तत्काल इस नहर का कार्य पूरा कराये। साथ ही बारानगर कैनाल जो हमारे यहां चलती है उसके कुलाबे–नालियों पूरी तरह टूट चुकी हैं विभाग से शिकायत करे तो कहते हैं प्रस्ताव भेजा है धन नहीं है। अतः अच्छा होगा कि जब सरकार इस साल किसान वर्ष मना रही है तो किसानों के हित में उन लोगों को भी पुनः निर्माण करा दे। साथ ही उक्त नहर स्थल एवं मठिया के पास कमजोर है उन स्थानों पर दोनों तरफ पक्का कराया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी–

समाजवादी पार्टी के अपने घोषणा–पत्र में बन्द चीनी मिलों को चलाने का वायदा कर सत्ता में आयी थी। हमारे क्षेत्र में एरिया की सबसे बड़ी चीनी मिल लगी थी परन्तु आज वह बन्द है। आज से कई बार उस मिल को चलाने की मांग कर चुका हूं। सदन में भी मामला कई बार उठा चुका हूं। मगर सरकार मौन है किसानों ने नयी उम्मीद से अपनी बेशकीमती जमीनों को मिल चलाने हेतु दिया था कि उनके परिवार को नौकरी का रोजगार मिलेगा। मगर उनकी उम्मीद दम तोड़े रही है। हमारी मांग है कि उक्त चीनी मिल को सरकार चलवाने और अगर नहीं चलवा सकती तो उक्त मिल की जमीन को किसानों को वापस कर दे। या फिर उस पर एम्स बनवाने का प्रस्ताव कर देवें माननीय अध्यक्ष जी राजस्व विभाग के मंत्री आपका ध्यान कर मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि आग लगने के बाद पीड़ित के घर कुछ भी नहीं बचता बस केवल उसके शरीर पर पहना कपड़ा बच जाता है। उस परिवार को जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम है। उक्त धनराशि को कम से कम तत्काल आदेश हेतु सहायता के नाम पर 25 हजार रुपये दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार ओलावृष्टि सूखा आदि पर जो किसानों को मुआवजा दिया जाना है वह भी बहुत कम है उसे भी बढ़ाया जाये तथा गत वर्ष जो

ओलावृष्टि हुई और इस सूखा पड़ा उससे किसानों की कमर ही टूट गयी है पूर्वांचल के सभी पीड़ित किसानों को तत्काल बढ़ा कर मुआवजा दिया जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, अन्त में हम उपरोक्त सभी अनुदानों का पेश किये गये कटौती पर बल देता हूं।

श्री महावीर सिंह राणा–

मान्यवर,

आपको अध्यक्ष्य से मैं पी0डब्ल्यू0डी0 के मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे विभागाध्यक्ष के जनता रोड से मडौरा होते हुये चिमवाकरण एवं बरौनी के जहानपुर तक नयी कोदल की पहुंच मार्ग रोड बनवाने का कष्ट करें सुन्दरगंज (देहरादून रोड) से प्रारम्भ होने काली रोड को जसमौंह बरा स्टैण्ड तक हिन्यन व नाराये व नदी अगर पुल का निर्माण कराया जाय। ग्राम शाहपुर व हुसैन मलक जो लोहिया ग्राम चिन्हित है सम्पर्क मार्ग क्षतिपूर्ण है व नदी का पुल बनवाने का कष्ट करें। ब्लाक अघौजी कदीम में उसण्ड व कैदीपुर के मध्य मांगये नदी का रपटा बनवाने एवं ग्राम सण्डौल व दवकोरा ग्राम के रपटे (काजवे) एवं स्थल बनवाने का कष्ट करें मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। दिल्ली से दमनौती मार्ग का निर्माण उपखा के अन्तर्गत निर्माण 4 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था परन्तु निर्माण करने वाली कम्पनी कार्य छोड़कर चली गयी है मेरी विधान सभा बेहट में यह मार्ग लगभग उत्तराखण्ड तक लगभग 55 किलीमीटर है उसे किसी दूसरी कम्पनी अथवा सरकार निर्माण कराने का कार्य करा जिससे जनता को लाभ हो जाय।

मेरी विधान सभा के निम्न मनरो को सम्पर्क मार्ग बनवाने का कष्ट करें–पुरु का टाण्डा, कालूकलां दे दिया बनवाने एवं ग्राम सण्डौल व दवकौरा ग्राम के रपटे (काजवे) एवं सड़क बनवाने का कष्ट करें मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। दिल्ली से यमूनोती मार्ग का निर्माण उपखा के अन्तर्गत निर्माण 4 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था परन्तु निर्माण करने वाली कम्पनी कार्य छोड़कर चली गयी है मेरी विधान सभा बेहट में यह मार्ग अलग उत्तराखण्ड तक लगभग 55 किलोमीटर है इसे किसी दूसरी कम्पनी अथवा सरकार निर्माण कराने का कार्य करा जिससे जनता के लाभ हो जाएं।

मेरी विधान सभा के निम्न मनरो को सम्पर्क मार्ग बनवाने का कष्ट करें– पुरू का टाण्डा कालूकलां टेशिमा हमबाना रोड से अलीबाग से मुरायनगर एवं रामरवेडी शेरपुर खानाजायपुर से फतेहपुर कलासियां मार्ग एवं नौताजापीर मार्ग को मुख्य नगर तक निर्माण कराने का कष्ट करें।

मा0 अध्यक्ष जी अपने पी0डब्ल्यू0पी0 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर,

आपने मुझे लोक निर्माण के बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं अपने क्षेत्र आलापुर अम्बेडकर नगर की

कुछ गढ़ामुक्त सड़कों के नवीनीकरण के विषय में आपके माध्यम से मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

1–राजे सुल्तानपुर से गडवल तक नवीनीकरण।

2–पदमपुर मुख्य मार्ग से भोडरटा, देवलर होते हुये कमालपुर मिकार तक नवीनीकरण।

3–राजे सुल्तानपुर गडवल भुसा मार्ग से बाबा ब्रहमचारी जी की कुटी धिनहापुर तक नवीनीकरण।

4–सिंपल पटरी मुख्य बाजार चौक से सैभुया होते हुये धिनहापुर तक नवीनीकरण।

5–गिरैया बाजार की नहर होते हुये बंगालपुर तक नवीनीकरण।

6–देवरिया मुख्य मार्ग से देवरिया पंडित पुल होते हुये गिरैया बाजार तक नवीनीकरण का निर्माण।

7–प्रदुमपुर चौक से मक्नहा तक नवीनीकरण का निर्माण।

8–देवरिया बाजार से इमिलिया होते हुये भवनाथपुर पिच रोड तक नवीनीकरण का निर्माण।

9–पिपरा चौराहा से मझरही तक–नवीनीकरण का निर्माण।

10–राम नगर से चौपन से 31 कि0मी0 न्योरी रोड पर नवीनीकरण का निर्माण।

11–न्योरी रामबाग मुख्य मार्ग से नहर होते हुये बड़े गांव तक नवीनीकरण का निर्माण

12–रामनगर बसखारी मुख्य मार्ग से पटना तक नवीनीकरण का निर्माण।

13–सैजवा रमजापुर मुख्य मार्ग से बहलोलपुर होते हुये शिवतारा तक नवीनीकरण का निर्माण।

14–रामनगर जहांगीरगंज मुख्य मार्ग फतेहपुर महाविद्यालय होते हुये बी0बी0 रामपुर तक का निर्माण कार्य।

15–निकासपुर मुख्य मार्ग से प्रधान मंत्री रोड का नवीनीकरण।

16–मुख्य मार्ग देवरिया पदुमपुर मुख्य मार्ग से भरौठी मिश्र रोड का नवीनीकरण।

17–रामनगर न्योरा मुख्य मार्ग जट्टवा यादव बस्ती तक नवीनीकरण।

18–गडवलपुर मुख्य मार्ग नहर से होते हुये मुख्य मार्ग गिरैया कम्हरिया तक नवीनीकरण।

19–मुख्य मार्ग पदुमपुर से राजे सुल्तानपुर होते हुये जिमनिया नदी पुल तक नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण तथा राजे सुल्तानपुर बनी नाली का उच्चीकरण सफाई तथा उक्त का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक।

श्री ओम प्रकाश वर्मा–

मान्यवर,

कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा शिकोहाबाद में निम्न नव निर्माण सड़कों को बजट में जोड़ने की कृपा करें।

1—खुजलपुर ग्राम सभा साढूपुर ब्लाक शिकोहाबाद, फिरोजाबाद लम्बाई 3 किलोमीटर।

2—बेहड़ वाली माता से फरौल नगरिया इसकी लम्बाई 2 किलोमीटर।

3—गढ़ीया से लुहारी ग्राम सभा तक लम्बाई 1200 मीटर।

4—सिद्धकेपुरा से जीट के पुरा तक ग्राम सभा घटिया शिकोहाबाद लम्बाई 2 किलोमीटर ओम प्रकाश निषाद तक।

5—मुखिया महाविद्यालय बसडिंह मोड़ से नगला निगोरी तक लम्बाई 3 किलोमीटर।

श्री राम मगन रावत—

महोदय,

आपने मुझे लोक निर्माण विभाग जैसे बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तभी गांव का विकास होता है गांवों में सड़कों का जाल बनाने का कार्य होता है मेरे जनपद में तमाम सड़कों को बनवाने का कार्य हुआ है। गोमती नदी, कल्याणी नदी तथा रारी नदी पर तमाम—तमाम पुलों का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ है तथा मेरी विधान सभा 272 हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में 2013—2014 में गोमती नदी पर दो पीपे के पुलों का निर्माण हुआ है। जिसकी पूरे अति पिछड़े क्षेत्र की जनता में बहुत ही प्रशंसा होती है। परन्तु पिछले 6 माह पहले दोनों पुल क्रमशः बाजपुरा घाट व सिल्हौर घाट पर पुलों पर पैदल व सायकिल यात्रियों से टोल टैक्स लिया जा रहा है जिससे आम जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों पुलों क्रमशः बाजपुरा घाट व सिल्हौर घाट पर बनाये गये पुलों का टोल टैक्स माफ करने की कृपा करें तथा मेरे विधान सभा की जनता आपकी व सरकार की आभारी रहेगी।

श्री सन्तराम कुशवाहा—

मान्यवर,

अवगत कराना चाहता हूं कि माधौगढ़ विधान सभा में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जालौन द्वारा जिन ग्रामों की सड़कों के मरम्मत के स्टीमेट आपके पास एवं प्रमुख अभियन्ता के पास स्वीकृत हेतु आये हैं।

कृपया आपके यहां अधिशासी अभियन्ता द्वारा भेजे स्टीमेट स्वीकृत करके मरम्मत कार्य कराने का कष्ट करें।

डा0 आर0 के0 वर्मा—

मान्यवर,

लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये कुछ अपनी विधान सभा समस्याओं को सरकार संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर यातायात घनत्व बहुत अधिक होने से आवागमन में भारी असुविधा होती है। अतः जनहित में उसका चौड़ी एवं सुदृढ़ीकरण कराने का कष्ट करें। ऐसे ही इलाहाबाद फैजाबाद हाई–वे पर बने गजेहवा पुल टूटने से विश्वनाथगंज मान्धाता भाग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है मैने कई बार याचिका एवं नियमों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाया है वह मार्ग च्डळैल से बनी भी उस पर कार्यवाही हुयी जिसमें ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई। मैने अनुरोध किया था कि उक्त कार्य का विभाग बदलकर उस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का कष्ट करें जिससे जनता के आवागमन में सुविधा हो सके। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि हमारे यहां घूठीपुर और हण्डौर के बीच लोनी नदी पर पुल एवं सिंहनी से लढवत के बीच सई नदी पर पुल निर्माण के लिये सदन में कई पर याचिका और नियमों के माध्यम से सदन में लाया उसका विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार करके विभाग को अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण प्रतापगढ़ ने भेजा है अनुरोध है कि बड़ा प्रोजेक्ट है शीघ्र निर्माण हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। मान्यवर मेरी विधान सभा में सरुआ ग्राम सभा में अभी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है इसी तरह छतरपुर में चिरकुतहा तक का मार्ग अभी नहीं बन सका है जिसके निर्माण हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें इसी तरह ग्रामीणांचल के लगभग 90ः सम्पर्क मार्ग टूटे हैं गड्ढे बने हैं इनका मरम्मतीकरण करने का कार्य अवश्य कर दें। इसी तरह जेठवारा मोहनगंज मार्ग से रेडी नहर से हैदरपुर मार्ग का स्व0 मंत्री राजाराम पाण्डेय ने शिलान्यास किया किन्तु वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया अतः हैदरगढ़ मार्ग का नव निर्माण विभाग से कहकर करा दिया जाना चाहिये समय समाप्त हो गया धन्यवाद।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर,

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बड़े जोरों से घोषणा की थी कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई मुफ्त कर दी गयी है लेकिन मा0 अध्यक्ष जी ऐसी मुफ्त सिंचाई का क्या फायदा जन किसानों को सिंचाई के लिये पानी ना मिले रजवाहों तथा मानक में टेल तक पानी ना पहुंचे तथा नहरों राजवाहों तथा नदियों के टूटे पुलों तथा साइफनों की मरम्मत ना हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले बडौदा तथा हसनपुर आदि राजवाहों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। गांव रमानी तथा बुर्ज के बीच उटरावली राजवाहे पर पड़ने वाली साइफन बन्द रहती है। गांव रमानी के पास उटरावली राजवाहे पर पड़ने वाला पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त है। गांव भाड़ा तथा सराय घासी के बीच करवन नदी पर पड़ने वाला पुल वर्षों से क्षति ग्रस्त है सिकन्द्राबाद नगर से निकलने वाले नाले की

सफाई नहीं की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद से निकलने वाले नाले की सफाई नहीं की गयी है। तालडा राजवाहे की खुतदायी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त गांव अमीपुर से बैलाने की बीच अवशेष खड़न्जा निर्माण पूरा नहीं किया गया है।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट स्थित विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के अन्तर्गत लोक महत्व के जुड़े कुछ सम्पर्क का ध्यान आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इन सम्पर्क मार्गों के अभाव में बीहड़ एवं चालू सम्भावित क्षेत्र में बसे हुये लोगों को न केवल आवागमन में कठिनाई हो रही है अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलें प्रभावित हो रहे हैं। दुरस्थ होने के कारण जिले के अधिकारियों के दौरे भी इन गांवों में नहीं हो पाते हैं। इनमें से कुछ सम्पर्क मार्ग ऐसे है जो आधे अधूरे बने है किन्तु वन विभाग के आपत्ति के कारण नहीं बन पा रहे हैं। सम्बन्धित सम्पर्क मार्गों की सूची निम्नवत् है–

1–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम कल्याणपुर स्थित बरदहा नाला रपटा से धारकुण्डी गौशाला आश्रम होते हुये म0प्र0 की सीमा तक सम्पर्क मार्ग।

2–विकास खण्ड मऊ में प्रधानमंत्री सड़क मऊ नींबी ग्राम से दानूबाबा के आगे लपांव सम्पर्क मार्ग को जोड़ने तक।

3–विकास खण्ड मानिकपुर में मोरकुण्डा से ददरीमाफी मडैयन होते हुये ग्राम बहिलपुरवा तक सम्पर्क मार्ग

4–विकास खण्ड मानिकपुर में ददरीमाफी से अनुसुइया आश्रम तक सीधा सम्पर्क मार्ग।

5–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम जमुनिहाई से अमरावती आश्रम होते हुये सती अनुसुइया आश्रम सम्पर्क मार्ग।

6–विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से पठानू बाबा होते हुये ग्राम परदवां तक सम्पर्क मार्ग।

7–विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैंल पक्का सम्पर्क मार्ग।

8–विकास खण्ड मानिकपुर में मानिकपुर बाजार तिराहा से ग्राम चुरैह केषरूवा अनुसूचित जाति बस्ती में आगे म0प्र0 सीमा तक सम्पर्क मार्ग।

मान्यवर उपरोक्त सम्पर्क मार्ग लोक महत्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा इनका शीघ्र निर्माण होना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण होने से दूरस्थ बसे हुये नागरिकों को आवागमन की समस्या जहां एक ओर हल होगी वहां दूसरी ओर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन सुरक्षा में गुणवत्ता सुधार होगा तथा प्रशासनिक गतिशीलता को बल मिलेगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त वर्णित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कदम उठायेंगे।

श्री अनीसुरर्हमान–

मान्यवर,

आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी लोक निर्माण विभाग प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। लोक निर्माण मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में कांठ–ठाकुरद्वारा मार्ग में रामगंगा नदी पर डा0 मीटर का पुल स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया है। नदी पर अब तक 19 पिलर बन चुके हैं तथा निर्माण कार्य मानक के अनुरूप मजबूती से हो रहा है। मेरे क्षेत्र में छोटे बरसाती नालों एवं बरसाती नदियों पर भी ग्यारह पुल एवं एप्रोच मार्ग मा0 मंत्री जी मेरे प्रस्ताव पर बनवा दिये हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, इतना ही नहीं पूर्व सरकार द्वारा कावड़ पथ का निर्माण स्वीकृत कर दिया था। परन्तु मा0 मंत्री जी ने बिना भेद भाव के पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत मार्ग पर मेरे प्रस्ताव पर धनस्वीकृत का 25 ज्ञण्डण् की लम्बाई का कावड पथ का निर्माण कराया। जो क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामों की जनता को विकास की राह उपलब्ध कराई है। मेरे क्षेत्र की जनता उक्त विकास कार्यो के लिए आपकी सदैव आभारी रहेगी। मा0 अध्यक्ष जी आपका समय देने के लिए धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

मान्यवर,

विषयः–जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की जीर्ण–शीर्ण बन्धियां पुर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत वर्षो पुरानी निर्मित सिंचाई बन्धियां जो सिंचाई साधन एवं पेयजल को रूप में पाठा क्षेत्र के प्राणियों को हितकारी थी। वर्तमान में निम्न बन्धियां अपनी वास्तविक क्षमता जो पानी के रिसाव होने के कारण जिनकी हालत अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, जिसमें प्रमुख रूप से माझी हेम बन्धी, मानिकपुर बन्धी, जरेरा बन्धी, किहुनिया बन्धी, पनहाई बन्धी, बराहमाफी बन्धी, इलाके बन्धी खपटिया बन्धी आदि हैं। उक्त बन्धियों में जल–संचय कर पाठा क्षेत्र के किसानों द्वारा पूर्व में बन्धियां की जाती थी किन्तु उपरोक्त बन्धियां में सीपेज होने के कारण वर्तमान में जल–भराव नहीं हो पाती है, जिससे जनपद चित्रकूट के पाठा क्षेत्र एवं अन्य ग्रामों में कृषकों को अपने खेतों की सिंचाई से वंचित थे साथ–साथ बंधुओं के पीने हेतु पानी नहीं उपलब्ध होता है।

महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उक्त बन्धियों के पुर्णोद्धार एवं सीपेज मरम्मत करने शासन स्तर से कई बार बजट का प्राविधान भी किया जा चुका है। लेकिन

जनपद में बैठे अधिकारी शासन से प्राप्त बजट धनराशि का बन्दर बांट करके हड़पने का कार्य किया गया है। वर्तमान में उक्त सभी बन्धियों सूखी पड़ी हैं। वर्तमान में सूखा एवं अकाल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में बन्धियों की मरम्मत एवं पानी रिसाव बन्द कराना आवश्यक है।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि जनपद चित्रकूट स्थित उक्त बन्धियों की शासन स्तर से सापेक्ष अंकित कर तकनीकी जांच कराकर किसानों के हित में बन्धियों का पुर्णोद्धार कराते हुये दोषियों के हटाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

माननीय,

कृपया अवगत कराना है कि माधौगढ़ विधान सभा में कोंच ब्लाक के ग्राम अण्डा सहकारी समित की बिल्डिंग गोदाम एवं आफिस नहीं है। बनवाया जाय तथा सहकारिता को मजबूत करने के लिये तथा सुचारु रूप से चलाने के लिये हर सोसाइटी पर सचिव की जरूरत है सचिव की कमी है मेरा अनुरोध है कि साधन सहकारी समिति में सचिव की भर्ती कराई जाय था खाद्य बीज की बिक्री की तरह किसान की जरूरत का सामान कपड़ा एवं घरेलू समान एवं फसल के लिये कीटनाशक दवा का वितरण कराया जाय।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

महोदय,

आपने हमें लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट 16/17 पर बोलने व उसके समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया जिस हेतु आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय सड़कों एवं पुलों का निर्माण देश–प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। महोदय सड़कें व्यापार व विकास की धुरी हैं।

मान्यवर मैं मा0 लो0 नि0 मंत्री जी को व उ0प्र0 की समाजवादी सरकार व मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को इलाहाबाद से लखनऊ मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराकर इस महत्वपूर्ण मार्ग के बहुत ही सुन्दर निर्माण के लिये कोटि–2 बधाई व धन्यवाद देना चाहूंगा।

मा0 अध्यक्ष जी आज की तारीख में सदन का सभी सदस्य को इलाहाबाद आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और इलाहाबाद शहर की सुन्दर चमचमाती सड़कों पर चलने का आनन्द उठा सकते हैं। महोदय पड़ोसी जनपद कौशाम्बी में महेवा घाट पुल तथा 17 किमी0 मूरतगंज से मंझनपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराकर हमारी सरकार ने क्रान्तिकारी विकास कार्य कराया है।

महोदय अन्त में मैं अपने विधान सभा सोरांव की कुछ समस्याओं का उल्लेख कर निवारण करने का सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा।

महोदय बी0एस0एन0एल0 विभाग इलाहाबाद द्वारा ब्लाक बहरिया, मऊआइमा तथा सोरांव में आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाया जा रहा है जिस क्रम में सड़कों की पटरी तथा मौजूदा सड़कों को काट पीट कर बर्बाद कर दिया गया है जिसकी जांच

कराकर सम्पूर्ण केबिल डाले गये मार्ग की सड़कों और उसकी पटरी को केन्द्र सरकार के अधीन उक्त विभाग द्वारा मरम्मत कराने की व्यवस्था हों।

महोदय, हमारे क्षेत्र में च्डैप्ल्की कुल 17 सड़कें है जिसकी देख–रेख केन्द्र सरकार के फंड से होती है। इन सड़कों का बहुत बुरा हाल है जिसकी मरम्मत हेतु चीफ च्डश्र.54 इला0 को निर्देशित करने की कृपा करें।

महोदय हमारे द्वारा कुल 28 लोहिया ग्राम द्वारा समग्र विकास हो रहा है परन्तु इनको जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क जैसे मऊआइमा–धीनपुर मार्ग, सोरांव–रैइया मार्ग, सोरांव–बलईमऊ मार्ग, लहटी–सिसई किरांव मार्गे, बहरिया, मुबारकपुर मार्ग, लकडमंडी जो गधिना मार्ग, सिकन्दरा रूहेरा मार्ग, तिलई–भवानीपुर–दमगढ़ा मार्ग, हरखपुर–मदारी मार्ग, बाबूगंज–सिसई मार्ग, बिगहियां–कुरगांव–सोरांव मार्ग, बलकरनपुर नौगवां मार्ग, कटझर–छाता मार्ग, मऊआइमा–सरायखुर्जा करनाईपुर मार्ग की मरम्मत कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

पी0एस0यू0पी0–एल0 78 विधान सभा (118)–19–07–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।